**IUC ACADEMY**

**INCLUSIVE UNIVERSAL CAREERS ACADEMY**

Learn. Prepare. Progress. • www.iucacademy.com

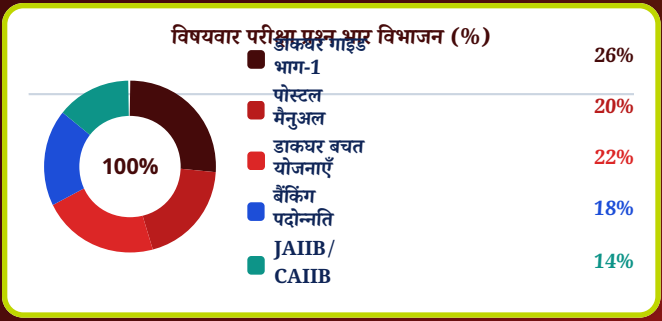
**IUC अकादमी नोट्स**

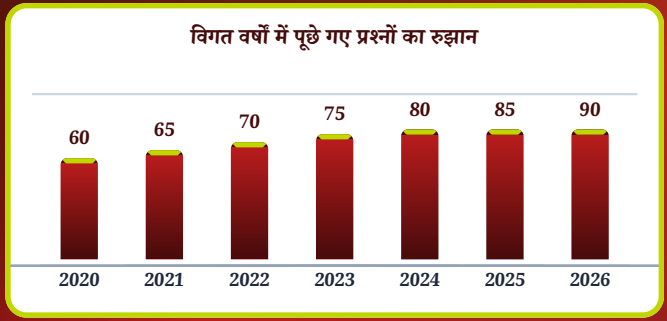
संपूर्ण
पाठ्यक्रम • विस्तृत व्याख्या • तुलनात्मक सारणियाँ • अभ्यास प्रश्न

# संपूर्ण भारतीय डाक विभाग विभागीय परीक्षा एवं बैंकिंग पदोन्नति (JAIIB/CAIIB) अध्ययन नोट्स

**INDIA POST DEPARTMENTAL (GDS/MTS/POSTMAN/PA) & BANKING PROMOTION (JAIIB/CAIIB)**

India Post LDCE (GDS to MTS, Postman, Mail Guard, Postal Assistant/Sorting Assistant, Inspector Posts) तथा IIBF JAIIB/CAIIB एवं Bank Clerk-to-Officer Promotion के लिए PO Guide Part I & II, Postal Manuals Vol V/VI/VII, POSB योजनाएँ, PLI/RPLI, IT 2.0 (DARPAN/CSI/Finacle), IE&IFS, PPB, AFM एवं RBWM




**लक्षित प्रतियोगी, प्रवेश एवं विभागीय परीक्षाएँ (Target Exams Coverage)**

**India Post GDS to MTS/Postman/PA/SA LDCE • Inspector of Posts • IPPB • IIBF JAIIB (4 Papers) & CAIIB • Bank Promotion Exams**

## इस पुस्तक के प्रमुख खंड एवं परीक्षा प्रश्न भार (%)

- डाकघर गाइड भाग-1 एवं भाग-2 (डाक वस्तुएँ, रजिस्ट्री, बीमा, VPP, eMO, विदेशी डाक, UPU) (26%)
- पोस्टल मैनुअल (Vol V, VI, VII), आरएमएस (RMS) कार्यप्रणाली, डाक सर्किल (23+1) व संगठन (20%)
- डाकघर बचत योजनाएँ (SB, RD, TD, MIS, SCSS, PPF, SSA, NSC, KVP), PLI/RPLI, IPPB व IT 2.0 (22%)
- बैंकिंग पदोन्नति (JAIIB पेपर 1 व 2: IE&IFS, बैंकर-ग्राहक संबंध, गार्निशी, Lien, AML-KYC) (18%)
- JAIIB/CAIIB (AFM, YTM, पूंजी बजट, रिटेल बैंकिंग, Basel-III जोखिम एवं NI Act धारा 138) (14%)

**संपूर्ण पाठ्यक्रम**
NCERT एवं मानक स्रोत

**तुलनात्मक सारणियाँ**
प्रवाह आरेख व चार्ट

**स्मृति सूत्र**
त्वरित रिवीजन बिंदु

**अभ्यास प्रश्न**
व्याख्या सहित हल

# आमुख, परीक्षा भार विश्लेषण एवं अध्ययन रणनीति — संपूर्ण भारतीय डाक विभाग विभागीय परीक्षा एवं बैंकिंग पदोन्नति (JAIIB/CAIIB) अध्ययन नोट्स

IUC Academy (Inclusive Universal Careers Academy | www.iucacademy.com) • आधिकारिक अध्ययन नोट्स

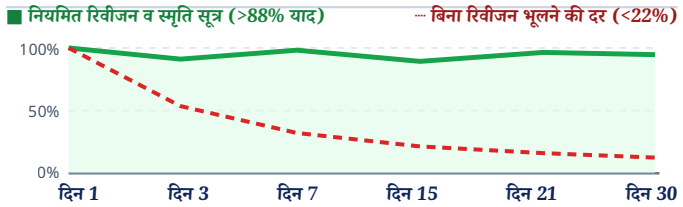
**प्रिय अभ्यर्थियों,**

अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रवेश परीक्षाओं एवं विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं के नवीनतम पैटर्न में अवधारणात्मक स्पष्टता और सटीक तथ्यों का समन्वय अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से **IUC Academy (www.iucacademy.com)** द्वारा इन विस्तृत अध्ययन नोट्स का संकलन किया गया है। इसमें प्रत्येक अध्याय के साथ **तुलनात्मक सारणियाँ, प्रवाह आरेख, महत्वपूर्ण सूत्र, 'क्या आप जानते हैं?' बॉक्स, 'परीक्षा सतर्कता (सामान्य गलतियाँ)', स्मृति सूत्र (Memory Tricks)** और **व्याख्या सहित हल प्रश्न** दिए गए हैं ताकि आपको पढ़ने और याद रखने में पूर्ण सुगमता रहे।

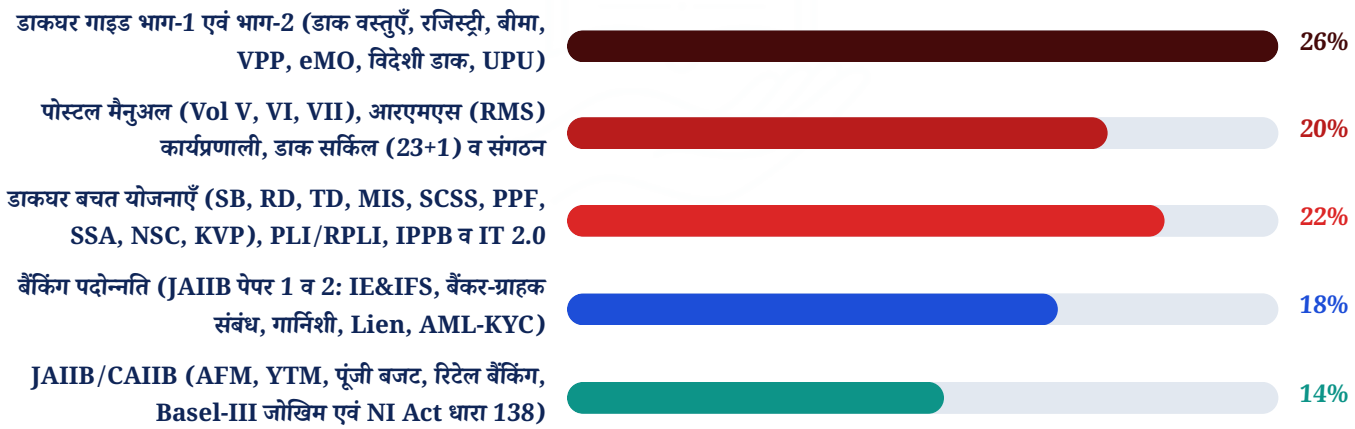
**कठिनाई स्तर के अनुसार लक्ष्य सटीकता एवं कट-ऑफ (%)**




**नियमित रिवीजन (1-3-7-21 दिन नियम) एवं स्मृति धारण ग्राफ**




**अध्यायवार एवं खंडवार प्रश्न भार सूचकांक (Topic-wise Weightage %)**




**प्रामाणिक पाठ्यक्रम एवं आधिकारिक संदर्भ स्रोत (Verified Official Sources)**

- भारतीय डाक विभाग (India Post Official) (https://www.indiapost.gov.in/ministry/ourorganisation)
- India Post Postman/MTS Exam Pattern (https://www.indiapost.gov.in/)
- IIBF JAIIB Updated Syllabus (https://www.iibf.org.in/)
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI KYC & Banking Rules) (https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasDirections.aspx?id=11566)

# विस्तृत विषय-सूची एवं अध्याय संरचना (Table of Contents)

संपूर्ण भारतीय डाक विभाग विभागीय परीक्षा एवं बैंकिंग पदोन्नति (JAIIB/CAIIB) अध्ययन नोट्स • संपूर्ण अध्याय, तुलनात्मक सारणियाँ, अभ्यास प्रश्न एवं त्वरित रिवीजन


**1. संपूर्ण भारतीय डाक विभाग विभागीय परीक्षा एवं बैंकिंग पदोन्नति अध्ययन नोट्स**

- ग्रामीण डाक सेवक से मल्टी टास्किंग स्टाफ, पोस्टमैन, मेल गार्ड, डाक सहायक, छंटाई सहायक, डाक निरीक्षक तथा बैंकिंग पदोन्नति (कनिष्ठ एवं प्रमाणित बैंक सहयोगी परीक्षा) हेतु संपूर्ण अध्ययन ग्रंथ

**2. पुस्तक की मुख्य विशेषताएँ एवं अध्ययन संरचना**

**3. अध्याय 1: भारतीय डाक विभाग का संगठन, डाक सर्किल (23 सर्किल + बेस सर्किल), डाकघर के प्रकार एवं रात्रि डाकघर**

**4. 1.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं प्रशासनिक संरचना**

**5. 1.2 अध्याय 1 का 4-नोड आरेख: भारतीय डाक का प्रशासनिक पदानुक्रम**

**6. 1.3 भारत के 23 डाक सर्किल एवं मुख्यालय (संपूर्ण विवरण)**

**7. 1.4 बेस सर्किल एवं सेना डाक सेवा**

**8. 1.5 डाकघरों के प्रकार: प्रधान डाकघर, उप डाकघर एवं शाखा डाकघर**

- 1. प्रधान डाकघर (हेड पोस्ट ऑफिस)
- 2. उप डाकघर (सब पोस्ट ऑफिस)
- 3. शाखा डाकघर (ब्रांच पोस्ट ऑफिस)

**9. 1.6 रात्रि डाकघर एवं मोबाइल डाकघर (डाकघर गाइड भाग-1: नियम 3 एवं 4)**

**10. 1.7 अध्याय 1 की स्मृति ट्रिक्स (याद रखने के अचूक सूत्र)**

**11. 1.8 अध्याय 1 के विगत वर्षों के हल प्रश्न (पीवाईक्यू बूस्टर)**

**12. अध्याय 2: डाकघर गाइड भाग-1: डाक वस्तुओं की श्रेणियाँ, रजिस्ट्री, बीमा, वीपीपी, मनीऑर्डर, पोस्ट बॉक्स व आधिकारिक डाक**

**13. 2.1 डाकघर गाइड भाग-1 की संरचना एवं पते के नियम (धारा 1 से 55)**

**14. 2.2 अध्याय 2 का 4-नोड आरेख: अंतर्देशीय डाक वस्तुओं का जीवन-चक्र एवं वर्गीकरण**

**15. 2.3 प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी डाक वस्तुओं का संपूर्ण तुलनात्मक विवरण**

- 1. प्रथम श्रेणी की डाक वस्तुएँ (कुल 3 वस्तुएँ: पत्र, पोस्टकार्ड एवं अंतर्देशीय पत्र कार्ड)
- 2. द्वितीय श्रेणी की डाक वस्तुएँ (कुल 7 वस्तुएँ)

**16. 2.4 रजिस्ट्री (पंजीकरण), बीमा एवं वीपीपी (मूल्य देय डाक) के नियम**

- 1. पंजीकरण / रजिस्ट्री (नियम 156 से 171)
- 2. डाक बीमा (इंश्योरेंस — नियम 172 से 185)
- 3. मूल्य देय डाक / वीपीपी (नियम 186 से 200)

**17. 2.5 मनीऑर्डर सेवा (ई-मनीऑर्डर एवं इंस्टेंट मनीऑर्डर), पोस्ट बॉक्स व आधिकारिक डाक**

**18. 2.6 अध्याय 2 की स्मृति ट्रिक्स (याद रखने के अचूक सूत्र)**

19. 2.7 अध्याय 2 के विगत वर्षों के हल प्रश्न (पीवाईक्यू बूस्टर)

20. अध्याय 3: डाकघर गाइड भाग-2 (विदेशी डाक सेवा - सार्वभौमिक डाक संघ, एशिया-प्रशांत डाक संघ, लेटर पोस्ट व पार्सल पोस्ट)

21. 3.1 विदेशी डाक सेवा का परिचय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन

- 1. सार्वभौमिक डाक संघ (यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन — यूपीयू)
- 2. एशिया-प्रशांत डाक संघ (एपीपीयू)

22. 3.2 अध्याय 3 का 4-नोड आरेख: विदेशी डाक का अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन एवं कस्टम निकासी

23. 3.3 विदेशी डाक का वर्गीकरण: लेटर पोस्ट एवं पार्सल पोस्ट

24. 3.4 कस्टम घोषणा पत्र (सीएन 22 एवं सीएन 23), अंतर्राष्ट्रीय उत्तर कूपन एवं विशेष नियम

25. 3.5 अध्याय 3 की स्मृति ट्रिक्स (याद रखने के अचूक सूत्र)

26. 3.6 अध्याय 3 के विगत वर्षों के हल प्रश्न (पीवाईक्यू बूस्टर)

27. अध्याय 4: डाक नियमावली (डाक नियम पुस्तिका खण्ड 5, खण्ड 6 भाग 1 से 3 एवं खण्ड 7 — परिभाषाएँ, मेल बैग, ट्रांजिट ऑफिस, आरएमएस कार्यप्रणाली)

28. 4.1 डाक नियमावली की संरचना एवं मुख्य विषयवस्तु

29. 4.2 अध्याय 4 का 4-नोड आरेख: मेल बैग पारेषण एवं रेलवे डाक सेवा (आरएमएस) चक्र

30. 4.3 डाक नियम पुस्तिका खण्ड 5 की अत्यंत महत्वपूर्ण परिभाषाएँ (नियम 1 से 57)

31. 4.4 बंडलों के प्रकार एवं थैलों (बैगों) का वर्गीकरण (नियम 24 एवं 29 से 56)

- 1. बंडलों के मुख्य प्रकार (नियम 24)
- 2. डाक थैलों (बैगों) के प्रमुख प्रकार

32. 4.5 डाक नियम पुस्तिका खण्ड 6 एवं खण्ड 7 के प्रमुख नियम

33. 4.6 अध्याय 4 की स्मृति ट्रिक्स (याद रखने के अचूक सूत्र)

34. 4.7 अध्याय 4 के विगत वर्षों के हल प्रश्न (पीवाईक्यू बूस्टर)

35. अध्याय 5: डाकघर बचत बैंक योजनाएँ (बचत खाता, आवर्ती जमा, सावधि जमा, मासिक आय योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, लोक भविष्य निधि, सुकन्या समृद्धि, राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र व महिला सम्मान बचत पत्र)

36. 5.1 डाकघर बचत बैंक (पीओएसबी) का परिचय एवं नवीनतम ब्याज दरें (अक्टूबर–दिसंबर 2026)

37. 5.2 अध्याय 5 का 4-नोड आरेख: डाकघर बचत योजनाओं का परिचालन एवं परिपक्वता प्रवाह

38. 5.3 समस्त 10 डाकघर बचत योजनाओं की मास्टर तुलनात्मक सारणी (नवीनतम दरें: अक्टूबर–दिसंबर 2026)

39. 5.4 प्रत्येक योजना के विशिष्ट विभागीय एवं परीक्षा-उपयोगी नियम

- 1. डाकघर बचत खाता (एसबी) के महत्वपूर्ण नियम
- 2. आवर्ती जमा (आरडी) एवं चूक शुल्क (डिफॉल्ट फी)
- 3. जन सुरक्षा योजनाएँ (पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई एवं अटल पेंशन योजना)

40. 5.5 अध्याय 5 की स्मृति ट्रिक्स (याद रखने के अचूक सूत्र)

41. 5.6 अध्याय 5 के विगत वर्षों के हल प्रश्न (पीवाईक्यू बूस्टर)

42. अध्याय 6: डाक जीवन बीमा (1884, 6 योजनाएँ), ग्रामीण डाक जीवन बीमा (1995, मल्होत्रा समिति, 6 योजनाएँ) एवं इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक

43. 6.1 डाक जीवन बीमा (पीएलआई) का इतिहास, पात्रता एवं मुख्य विशेषताएँ

44. 6.2 अध्याय 6 का 4-नोड आरेख: डाक बीमा (पीएलआई/आरपीएलआई) एवं इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक पारिस्थितिकी तंत्र

45. 6.3 डाक जीवन बीमा (पीएलआई) की सभी 6 योजनाओं का संपूर्ण विवरण

46. 6.4 ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएलआई — 1995, मल्होत्रा समिति एवं 6 योजनाएँ)

- ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएलआई) की सभी 6 योजनाएँ

47. 6.5 इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) — "आपका बैंक, आपके द्वार"

48. 6.6 अध्याय 6 की स्मृति ट्रिक्स (याद रखने के अचूक सूत्र)

# संपूर्ण भारतीय डाक विभाग विभागीय परीक्षा एवं बैंकिंग पदोन्नति अध्ययन नोट्स

***ग्रामीण डाक सेवक से मल्टी टास्किंग स्टाफ, पोस्टमैन, मेल गार्ड, डाक सहायक, छंटाई सहायक, डाक निरीक्षक तथा बैंकिंग पदोन्नति (कनिष्ठ एवं प्रमाणित बैंक सहयोगी परीक्षा) हेतु संपूर्ण अध्ययन ग्रंथ***

**संस्थापक एवं मुख्य मार्गदर्शक:** सरोज मिश्रा

**शैक्षणिक मंच:** समावेशी सार्वभौमिक करियर अकादमी

**संस्करण:** नवीनतम संशोधित संस्करण (नवंबर 2026 के अद्यतन नियमों, ब्याज दरों एवं विभागीय दिशानिर्देशों पर आधारित)

**भाषा मानक:** शत-प्रतिशत शुद्ध देवनागरी हिंदी

★ **प्रस्तावना एवं अध्ययन संकल्प:** यह अध्ययन नोट्स भारतीय डाक विभाग की समस्त विभागीय सीमित प्रतियोगिता परीक्षाओं तथा भारतीय बैंककारी एवं वित्त संस्थान द्वारा आयोजित बैंकिंग पदोन्नति परीक्षाओं के नवीनतम पाठ्यक्रम को एक ही स्थान पर सरल, रोचक और परीक्षा-उन्मुख शैली में प्रस्तुत करती है। प्रत्येक अध्याय में नियम-वार विश्लेषण, चार-नोड प्रवाह आरेख, तुलनात्मक सारणियाँ, अचूक स्मृति सूत्र तथा विगत वर्षों के हल प्रश्न शामिल किए गए हैं।

## पुस्तक की मुख्य विशेषताएँ एवं अध्ययन संरचना

| अनुभाग क्रमांक | अध्याय का मुख्य विषय | लक्षित परीक्षाएँ | प्रमुख आकर्षण एवं अध्ययन बिंदु |
|---|---|---|---|
| **अध्याय 01** | डाक विभाग का संगठन एवं 23 डाक सर्किल | ग्रामीण डाक सेवक से एमटीएस, पोस्टमैन, पीए | मुख्यालय, बेस सर्किल, डाकघरों का वर्गीकरण व रात्रि डाकघर |
| **अध्याय 02** | डाकघर गाइड भाग-1 (धारा 1 से 200+ नियम) | पोस्टमैन, मेल गार्ड, डाक सहायक, निरीक्षक | प्रथम व द्वितीय श्रेणी डाक, रजिस्ट्री, बीमा, वीपीपी व मनीऑर्डर |
| **अध्याय 03** | डाकघर गाइड भाग-2 (विदेशी डाक सेवा) | डाक सहायक, छंटाई सहायक एवं निरीक्षक | सार्वभौमिक डाक संघ, एशिया-प्रशांत डाक संघ, लेटर व पार्सल पोस्ट |
| **अध्याय 04** | डाक नियमावली (खण्ड 5, खण्ड 6 एवं खण्ड 7) | समस्त विभागीय पदोन्नति परीक्षाएँ | महत्वपूर्ण परिभाषाएँ, मेल बैग प्रकार, ट्रांजिट ऑफिस व रेलवे डाक सेवा |
| **अध्याय 05** | डाकघर बचत बैंक की समस्त योजनाएँ | डाक सहायक, निरीक्षक एवं वित्तीय परीक्षाएँ | बचत खाता, आवर्ती जमा, सुकन्या समृद्धि, वरिष्ठ नागरिक व नवीनतम ब्याज दरें |
| **अध्याय 06** | डाक जीवन बीमा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा व पेमेंट्स बैंक | ग्रामीण डाक सेवक, पोस्टमैन, पीए, निरीक्षक | 1884 व 1995 की बीमा योजनाएँ, मल्होत्रा समिति एवं डिजिटल बैंकिंग |
| **अध्याय 07** | सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण परियोजना 2.0 | समस्त डाक विभागीय परीक्षाएँ | कोर बैंकिंग, फिनाकल, मैककैमिश, दर्पण प्रणाली एवं सीएसआई |
| **अध्याय 08** | बैंकिंग पदोन्नति (प्रथम एवं द्वितीय प्रश्नपत्र) | कनिष्ठ बैंक सहयोगी एवं लिपिक-अधिकारी पदोन्नति | भारतीय वित्तीय प्रणाली, बैंकर-ग्राहक संबंध, गार्निशी आदेश व ग्रहणाधिकार |
| **अध्याय 09** | बैंकिंग पदोन्नति (तृतीय एवं चतुर्थ प्रश्नपत्र) | कनिष्ठ बैंक सहयोगी एवं वित्तीय प्रबंधन | परिपक्वता तक प्रतिफल, पूंजी बजट, विदेशी मुद्रा अंकगणित व खुदरा बैंकिंग |
| **अध्याय 10** | उच्च बैंकिंग पदोन्नति एवं बैंकिंग विधि विशेष | प्रमाणित बैंक सहयोगी एवं अधिकारी संवर्ग | जोखिम प्रबंधन, कोषागार प्रबंधन, बैंकिंग विनियमन व परक्राम्य लिखत अधिनियम |

# अध्याय 1: भारतीय डाक विभाग का संगठन, डाक सर्किल (23 सर्किल + बेस सर्किल), डाकघर के प्रकार एवं रात्रि डाकघर

## 1.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं प्रशासनिक संरचना

भारतीय डाक विभाग के संगठनात्मक ढांचे के अनुसार, भारत में आधुनिक डाक प्रणाली की औपचारिक शुरुआत 1 अक्टूबर 1854 को लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुई। भारतीय डाक विभाग संचार मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। इसका सर्वोच्च प्रशासनिक नियंत्रण डाक भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली से संचालित होता है।

- **प्रशासनिक प्रमुख:** विभाग का सर्वोच्च प्रशासनिक प्रमुख 'सचिव (डाक विभाग)' होता है, जो साथ ही डाक सेवा बोर्ड का अध्यक्ष और महानिदेशक (डाक) भी होता है।
- **डाक सेवा बोर्ड:** यह विभाग की सर्वोच्च नीति-निर्धारक संस्था है। इसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 6 सदस्य होते हैं:

1. सदस्य (कार्मिक) — मानव संसाधन, भर्ती, पदोन्नति एवं अनुशासन से संबंधित कार्य।
2. सदस्य (प्रचालन) — मेल नेटवर्क, पार्सल, वितरण एवं प्रचालन दक्षता।
3. सदस्य (प्रौद्योगिकी) — सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण, डिजिटल सेवाएँ एवं नेटवर्क।
4. सदस्य (डाक जीवन बीमा) — डाक जीवन बीमा तथा ग्रामीण डाक जीवन बीमा के निवेश व नीतियाँ।
5. सदस्य (बैंकिंग एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) — बचत बैंक योजनाएँ, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक एवं वित्तीय समावेशन।
6. सदस्य (योजना एवं मानव संसाधन विकास) — पंचवर्षीय व वार्षिक योजनाएँ, प्रशिक्षण एवं बुनियादी ढाँचा।

- **स्थायी आमंत्रित सदस्य:** अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार बोर्ड के स्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं।

## 1.2 अध्याय 1 का 4-नोड आरेख: भारतीय डाक का प्रशासनिक पदानुक्रम

विभागीय प्रशासन के शीर्ष से लेकर ग्रामीण स्तर तक के प्रवाह को निम्नलिखित चार-नोड आरेख से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है:

**[नोड 1: डाक निदेशालय (नई दिल्ली) — सचिव (डाक) एवं महानिदेशक]** **[नोड 2: डाक सर्किल (23 सर्किल) — मुख्य पोस्टमास्टर जनरल]** **[नोड 3: डाक क्षेत्र (रीजन) — पोस्टमास्टर जनरल]** **[नोड 4: डाक मण्डल (डिवीजन) व डाकघर — प्रवर अधीक्षक / अधीक्षक एवं पोस्टमास्टर]**

- **नोड 1 का विश्लेषण:** राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण, बजट आवंटन और अंतर्राष्ट्रीय डाक संधियों का निष्पादन।
- **नोड 2 का विश्लेषण:** राज्य या राज्य-समूह स्तर पर संपूर्ण डाक व रेल डाक सेवा का नियंत्रण।
- **नोड 3 का विश्लेषण:** सर्किल के भीतर कई मण्डलों के समूह का पर्यवेक्षण एवं प्रशासनिक समन्वय।
- **नोड 4 का विश्लेषण:** जमीनी स्तर पर प्रधान डाकघर, उप डाकघर और शाखा डाकघरों के माध्यम से जनता को सेवा वितरण।

## 1.3 भारत के 23 डाक सर्किल एवं मुख्यालय (संपूर्ण विवरण)

भारतीय डाक सर्किल संरचना के अंतर्गत संपूर्ण देश को प्रशासनिक सुविधा के लिए 23 डाक सर्किलों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक सर्किल का प्रमुख **मुख्य पोस्टमास्टर जनरल** होता है। अधिकांश सर्किल राज्यों की सीमाओं के अनुरूप हैं, किंतु कुछ सर्किल एक से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी कवर करते हैं:

| सर्किल क्रमांक | डाक सर्किल का नाम | मुख्य मुख्यालय | क्षेत्राधिकार (शामिल राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश) |
|---|---|---|---|
| 01 | आंध्र प्रदेश सर्किल | विजयवाड़ा | आंध्र प्रदेश एवं यनम (पुदुचेरी का भाग) |
| 02 | असम सर्किल | गुवाहाटी | असम राज्य |

| सर्किल क्रमांक | डाक सर्किल का नाम | मुख्य मुख्यालय | क्षेत्राधिकार (शामिल राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश) |
|---|---|---|---|
| 03 | बिहार सर्किल | पटना | बिहार राज्य |
| 04 | छत्तीसगढ़ सर्किल | रायपुर | छत्तीसगढ़ राज्य |
| 05 | दिल्ली सर्किल | नई दिल्ली (मेघदूत भवन) | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली |
| 06 | गुजरात सर्किल | अहमदाबाद | गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव |
| 07 | हरियाणा सर्किल | अंबाला कैंट | हरियाणा राज्य |
| 08 | हिमाचल प्रदेश सर्किल | शिमला | हिमाचल प्रदेश राज्य |
| 09 | जम्मू एवं कश्मीर सर्किल | श्रीनगर / जम्मू | जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश |
| 10 | झारखंड सर्किल | रांची | झारखंड राज्य |
| 11 | कर्नाटक सर्किल | बेंगलुरु | कर्नाटक राज्य |
| 12 | केरल सर्किल | तिरुवनंतपुरम | केरल, लक्षद्वीप एवं माहे (पुदुचेरी का भाग) |
| 13 | मध्य प्रदेश सर्किल | भोपाल | मध्य प्रदेश राज्य |
| 14 | महाराष्ट्र सर्किल | मुंबई | महाराष्ट्र एवं गोवा राज्य |
| 15 | उत्तर-पूर्व सर्किल | शिलांग | अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा (6 राज्य) |
| 16 | ओडिशा सर्किल | भुवनेश्वर | ओडिशा राज्य |
| 17 | पंजाब सर्किल | चंडीगढ़ | पंजाब राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश |
| 18 | राजस्थान सर्किल | जयपुर | राजस्थान राज्य |
| 19 | तमिलनाडु सर्किल | चेन्नई | तमिलनाडु एवं पुदुचेरी (माहे और यनम को छोड़कर) |
| 20 | तेलंगाना सर्किल | हैदराबाद | तेलंगाना राज्य |
| 21 | उत्तर प्रदेश सर्किल | लखनऊ | उत्तर प्रदेश राज्य |
| 22 | उत्तराखंड सर्किल | देहरादून | उत्तराखंड राज्य |
| 23 | पश्चिम बंगाल सर्किल | कोलकाता | पश्चिम बंगाल, सिक्किम एवं अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह |

## *1.4 बेस सर्किल एवं सेना डाक सेवा*

23 नागरिक डाक सर्किलों के अतिरिक्त भारतीय सशस्त्र बलों (थल सेना, वायु सेना, नौसेना और अर्धसैनिक बलों) की डाक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक विशेष **बेस सर्किल** कार्यरत है:

- **प्रमुख अधिकारी:** बेस सर्किल का नेतृत्व अपर महानिदेशक, सेना डाक सेवा करते हैं, जिनका रैंक सेना में मेजर जनरल के समकक्ष होता है।
- **प्रथम व द्वितीय केंद्रीय बेस डाकघर:**

1. **प्रथम केंद्रीय बेस डाकघर (56 एपीओ):** इसका मुख्यालय **नई दिल्ली** में स्थित है।
2. **द्वितीय केंद्रीय बेस डाकघर (99 एपीओ):** इसका मुख्यालय **कोलकाता** में स्थित है।

- **कार्मिक प्रतिनियुक्ति:** सेना डाक सेवा के लगभग 75 प्रतिशत अधिकारी एवं कर्मचारी सिविल डाक विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लिए जाते हैं।

# 1.5 डाकघरों के प्रकार: प्रधान डाकघर, उप डाकघर एवं शाखा डाकघर

**अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — 1.5 डाकघरों के प्रकार: प्रधान डाकघर, उप डाकघर एवं शाखा डाकघर**

| प्रमुख अध्ययन बिंदु 1 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 2 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 3 |
|---|---|---|
| प्रधान डाकघर (हेड पोस्ट ऑफिस) | उप डाकघर (सब पोस्ट ऑफिस) | शाखा डाकघर (ब्रांच पोस्ट ऑफिस) |

डाकघर गाइड भाग-1 के दिशा-निर्देशों के अनुसार भारत में डाकघरों को उनके कार्यों, लेखांकन अधिकार और प्रशासनिक महत्व के आधार पर तीन मुख्य श्रेणियों में बाँटा गया है:

## 1. प्रधान डाकघर (हेड पोस्ट ऑफिस)

- यह डाकघरों के समूह का मुख्य लेखा एवं प्रशासनिक कार्यालय होता है, जिसमें स्वयं वह प्रधान डाकघर और उसके अधीन आने वाले सभी उप डाकघर तथा शाखा डाकघर शामिल होते हैं।
- इसके प्रमुख को **प्रधान पोस्टमास्टर** कहा जाता है।
- राज्य की राजधानी या प्रमुख महानगर के सबसे बड़े प्रधान डाकघर को **जनरल पोस्ट ऑफिस (जीपीओ)** कहा जाता है, और इसके प्रमुख को प्रथम श्रेणी का मुख्य पोस्टमास्टर या निदेशक कहा जाता है (जैसे मुंबई जीपीओ, कोलकाता जीपीओ, लखनऊ जीपीओ)।
- प्रधान डाकघर में सभी प्रकार के डाक, बचत बैंक, बीमा, मनीऑर्डर और लेखा समायोजन के कार्य संपन्न होते हैं।

## 2. उप डाकघर (सब पोस्ट ऑफिस)

- यह प्रधान डाकघर के लेखा क्षेत्राधिकार के अधीन कार्य करने वाला विभागीय डाकघर है।
- इसके प्रमुख को **उप पोस्टमास्टर** कहा जाता है।
- यह अपने दैनिक खातों का विवरण प्रतिदिन अपने प्रधान डाकघर को **दैनिक लेखा (डेली अकाउंट)** के माध्यम से भेजता है।
- उप डाकघर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं: **वितरण उप डाकघर** (जहाँ डाक का वितरण भी होता है) और **गैर-वितरण उप डाकघर / टाउन सब ऑफिस** (जहाँ केवल बुकिंग एवं काउंटर कार्य होता है, वितरण नहीं)।

## 3. शाखा डाकघर (ब्रांच पोस्ट ऑफिस)

- यह मुख्य रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में खोला जाता है तथा इसका सीधा लेखा संबंध किसी उप डाकघर या सीधे प्रधान डाकघर (जिसे उसका लेखा कार्यालय कहा जाता है) से होता है।
- इसका संचालन **ग्रामीण डाक सेवक शाखा पोस्टमास्टर** द्वारा किया जाता है।
- शाखा डाकघर की न्यूनतम कार्य अवधि **4 घंटे** और अधिकतम कार्य अवधि **5 घंटे** प्रतिदिन होती है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में नया शाखा डाकघर खोलने के मानदंड: सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम जनसंख्या **3,000** और निकटतम डाकघर से न्यूनतम दूरी **3 किलोमीटर** होनी चाहिए (पहाड़ी, जनजातीय व रेगिस्तानी क्षेत्रों में जनसंख्या 500 से 1,000 तक शिथिलनीय है)।

| तुलनात्मक बिंदु | प्रधान डाकघर | उप डाकघर | शाखा डाकघर |
|---|---|---|---|
| **प्रमुख अधिकारी** | प्रधान पोस्टमास्टर | उप पोस्टमास्टर | ग्रामीण डाक सेवक शाखा पोस्टमास्टर |
| **लेखा स्थिति** | स्वतंत्र मुख्य लेखा कार्यालय | प्रधान डाकघर के अधीन | उप डाकघर या प्रधान डाकघर के अधीन |
| **दैनिक कार्य अवधि** | 7 से 8 घंटे (पूर्णकालिक) | 7 से 8 घंटे (पूर्णकालिक) | न्यूनतम 4 घंटे से अधिकतम 5 घंटे |
| **सेवाओं का दायरा** | समस्त डाक व वित्तीय सेवाएँ | लगभग समस्त काउंटर व वितरण सेवाएँ | बुकिंग, वितरण, बचत, बीमा व दर्पण सेवाएँ |

## 1.6 रात्रि डाकघर एवं मोबाइल डाकघर (डाकघर गाइड भाग-1: नियम 3 एवं 4)

• **रात्रि डाकघर (नाइट पोस्ट ऑफिस):** सामान्य डाकघरों के कार्य समय के बाद भी जनता को डाक सुविधा देने के लिए चयनित डाकघरों को रात्रि **8:30 बजे** तक खोला जाता है और ये रविवार तथा डाक अवकाश के दिनों में भी कार्य करते हैं।

• रात्रि डाकघर के कामकाज के समय को बढ़ाने का अधिकार **महानिदेशक (डाक)** के पास होता है।

• विस्तारित घंटों के दौरान रात्रि डाकघर में रजिस्ट्री वस्तुओं की बुकिंग, वीपीपी, मनीऑर्डर जारी करना, भारतीय पोस्टल ऑर्डर बेचना और शाम 7:30 बजे तक डाकघर बचत बैंक जमा स्वीकार करने का कार्य होता है।

• रविवार एवं राष्ट्रीय अवकाशों पर रात्रि डाकघर में केवल एक ही शिफ्ट (प्रात: 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक) में कार्य होता है और इन दिनों में **डाक का वितरण, मनीऑर्डर का भुगतान तथा बचत बैंक व पोस्टल ऑर्डर का भुगतान नहीं किया जाता है**।

• **मोबाइल डाकघर (चल डाकघर):** ये विशेष वैन में संचालित डाकघर हैं जो बड़े शहरों में विभिन्न निर्धारित स्थानों पर निश्चित समय के लिए रुककर डाक टिकिटों की बिक्री, रजिस्ट्री और पार्सल बुकिंग की सुविधा देते हैं (इनमें बीमा और मूल्य देय वस्तुओं की बुकिंग सामान्यत: नहीं होती)।

## 1.7 अध्याय 1 की स्मृति ट्रिक्स (याद रखने के अचूक सूत्र)

**★ ट्रिक 1 (तीन राज्यों/क्षेत्रों से जुड़े विशेष सर्किल):**
"बंगाल में सिक्किम-अंडमान, केरल में लक्षद्वीप-माहे महान, महाराष्ट्र संग गोवा जान, गुजरात में दमन-दादरा की शान!"
(पश्चिम बंगाल = प. बंगाल + सिक्किम + अंडमान-निकोबार; केरल = केरल + लक्षद्वीप + माहे; महाराष्ट्र = महाराष्ट्र + गोवा; गुजरात = गुजरात + दमन-दीव एवं दादरा-नगर हवेली)।

**ट्रिक 2 (उत्तर-पूर्व सर्किल के 6 राज्य - असम और सिक्किम को छोड़कर):**
"अरुणा और मणि ने मेघा को मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा भेजा!"
(अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा — कुल 6 राज्य शिलांग मुख्यालय के अधीन हैं; ध्यान रहे कि असम का अपना अलग सर्किल गुवाहाटी में है और सिक्किम पश्चिम बंगाल सर्किल के अधीन है)।

**ट्रिक 3 (सर्किल मुख्यालय जो राज्य की राजधानी से अलग हैं):**
"हरियाणा का अंबाला कैंट, आंध्र का विजयवाड़ा!" — बाकी सभी सर्किलों के मुख्यालय संबंधित राज्य की राजधानी में ही स्थित हैं।

## 1.8 अध्याय 1 के विगत वर्षों के हल प्रश्न (पीवाईक्यू बूस्टर)

**अभ्यास प्रश्न #1** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

1. **प्रश्न:** भारतीय डाक विभाग में कुल कितने डाक सर्किल हैं और उत्तर-पूर्व डाक सर्किल के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? (डाक सहायक परीक्षा 2024)

**उत्तर:** कुल 23 डाक सर्किल हैं (एक अतिरिक्त बेस सर्किल सेना हेतु है) तथा उत्तर-पूर्व सर्किल (मुख्यालय: शिलांग) के अंतर्गत 6 राज्य आते हैं।

**अभ्यास प्रश्न #2** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

2. **प्रश्न:** लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश किस डाक सर्किल के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में आता है? (ग्रामीण डाक सेवक से एमटीएस परीक्षा 2025)

**उत्तर:** केरल डाक सर्किल (मुख्यालय: तिरुवनंतपुरम)।

**अभ्यास प्रश्न #3** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

3. **प्रश्न:** किसी सामान्य डाकघर को 'रात्रि डाकघर' के रूप में कार्य करने की अनुमति देने या समय रात्रि 8:30 बजे तक बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? (पोस्टमैन परीक्षा 2024)

**उत्तर:** महानिदेशक, डाक (डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट्स)।

**अभ्यास प्रश्न #4** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

4. **प्रश्न:** शाखा डाकघर की अधिकतम दैनिक कार्य अवधि कितनी निर्धारित है? (एमटीएस परीक्षा 2025)

**उत्तर:** अधिकतम 5 घंटे (न्यूनतम 4 घंटे)।

**अभ्यास प्रश्न #5** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

5. **प्रश्न:** प्रथम केंद्रीय बेस डाकघर (56 एपीओ) और द्वितीय केंद्रीय बेस डाकघर (99 एपीओ) क्रमशः कहाँ स्थित हैं? (डाक निरीक्षक परीक्षा 2024)

**उत्तर:** 56 एपीओ नई दिल्ली में तथा 99 एपीओ कोलकाता में स्थित है।

**अभ्यास प्रश्न #6** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

6. **प्रश्न:** सिक्किम राज्य किस डाक सर्किल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? (डाक सहायक परीक्षा 2025)

**उत्तर:** पश्चिम बंगाल डाक सर्किल (मुख्यालय: कोलकाता)।

# अध्याय 2: डाकघर गाइड भाग-1: डाक वस्तुओं की श्रेणियाँ, रजिस्ट्री, बीमा, वीपीपी, मनीऑर्डर, पोस्ट बॉक्स व आधिकारिक डाक

## 2.1 डाकघर गाइड भाग-1 की संरचना एवं पते के नियम (धारा 1 से 55)

डाकघर गाइड भाग-1 के नियमों में अंतर्देशीय डाक से संबंधित 200 से अधिक महत्वपूर्ण नियम समाहित हैं।

- **डाक टिकट एवं भुगतान (नियम 9 से 14):** डाक शुल्क का भुगतान सामान्यतः डाक टिकटों, फ्रैंकिंग मशीन की छाप या नकद पूर्व-भुगतान द्वारा किया जाता है। डाक टिकट हमेशा वस्तु के पते वाले हिस्से के **दाहिने हाथ के ऊपरी कोने** पर चिपकाया जाना चाहिए।
- **पते का लेखन (नियम 15 से 26):** प्राप्तकर्ता का पता वस्तु के सामने के भाग पर और प्रेषक का पता बाएँ हाथ के निचले कोने पर या पीछे लिखा जाना चाहिए। भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत **15 अगस्त 1972** को श्रीराम भीकाजी वेलणकर के प्रयासों से हुई। पिन कोड में 6 अंक होते हैं और भारत में कुल **9 पिन क्षेत्र** हैं (8 भौगोलिक क्षेत्र + 1 सेना डाक सेवा हेतु अंक 9)।
- **पोस्ट रेस्टेंटे (नियम 27):** यह सुविधा उन यात्रियों या अस्थायी निवासियों के लिए है जिनका किसी शहर में कोई निश्चित निवास स्थान नहीं है। ऐसी वस्तुओं पर 'पोस्ट रेस्टेंटे' या 'डाकघर में रोकने हेतु' लिखा होता है। वीपीपी (मूल्य देय डाक) को छोड़कर ऐसी वस्तुओं को डाकघर में अधिकतम **1 माह** तक और वीपीपी वस्तु को केवल **7 दिनों** तक रखा जा सकता है।
- **डाक का पुनः प्रेषण (नियम 67 से 72):** यदि प्राप्तकर्ता ने अपना स्थान बदल लिया है, तो डाक वस्तु को नए पते पर निःशुल्क पुनः प्रेषित किया जाता है। किंतु यदि पार्सल को एक वितरण क्षेत्र से दूसरे शहर में पुनः प्रेषित किया जाता है, तो उस पर सामान्य डाक शुल्क का **आधा (50 प्रतिशत) पुनः प्रेषण शुल्क** लगता है (सेना कर्मियों के लिए यह निःशुल्क है)।

## 2.2 अध्याय 2 का 4-नोड आरेख: अंतर्देशीय डाक वस्तुओं का जीवन-चक्र एवं वर्गीकरण

**[नोड 1: डाक वस्तु की प्रस्तुति — प्रथम या द्वितीय श्रेणी एवं टिकट/फ्रैंकिंग सत्यापन]** **[नोड 2: विशेष मूल्यवर्धित सेवा — रजिस्ट्री / बीमा / वीपीपी / पावती (एडी)]** **[नोड 3: पारेषण एवं छंटाई — पिन कोड आधारित मार्ग निर्धारण व मेल बैग प्रेषण]** **[नोड 4: अंतिम निस्तारण — प्राप्तकर्ता को वितरण, पुनः प्रेषण अथवा आरएलओ प्रेषण]**

- **नोड 1:** ग्राहक द्वारा वजन, आकार और श्रेणी के नियमों के अनुसार डाक की बुकिंग या लेटर बॉक्स में पोस्टिंग।
- **नोड 2:** सुरक्षा और कानूनी प्रमाण के लिए पंजीकरण, बीमा या कैश ऑन डिलीवरी/वीपीपी का चयन।
- **नोड 3:** डाकघर से रेल डाक सेवा या एयर मेल के माध्यम से गंतव्य डाकघर तक पारेषण।

• **नोड 4:** पोस्टमैन द्वारा वितरण; यदि वितरण असंभव हो तो प्रेषक को वापसी या रिटर्न्ड लेटर ऑफिस (आरएलओ) में प्रेषण।

## 2.3 प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी डाक वस्तुओं का संपूर्ण तुलनात्मक विवरण

**अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — 2.3 प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी डाक वस्तुओं का संपूर्ण तुलनात्मक विवरण**

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1
**प्रथम श्रेणी की डाक वस्तुएँ (कुल 3 वस्तुएँ: पत्र, पोस्टकार्ड एवं अंतर्देशीय पत्र कार्ड)**

प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
**द्वितीय श्रेणी की डाक वस्तुएँ (कुल 7 वस्तुएँ)**

अंतर्देशीय डाक वर्गीकरण के अनुसार अंतर्देशीय डाक वस्तुओं को कुल **10 वर्गों** में बाँटा गया है, जिन्हें दो मुख्य श्रेणियों में रखा जाता है:

### *1. प्रथम श्रेणी की डाक वस्तुएँ (कुल 3 वस्तुएँ: पत्र, पोस्टकार्ड एवं अंतर्देशीय पत्र कार्ड)*

इन्हें बिना किसी अतिरिक्त हवाई अधिभार के जहाँ भी संभव हो **निःशुल्क हवाई मार्ग (एयर लिफ्ट)** से भेजा जाता है।

### *2. द्वितीय श्रेणी की डाक वस्तुएँ (कुल 7 वस्तुएँ)*

इनमें बुक पैकेट, मुद्रित पुस्तक पैकेट, नमूना एवं प्रतिरूप पैकेट, पंजीकृत समाचार पत्र, अंध साहित्य पैकेट, आवधिक पत्रिकाएँ और पार्सल शामिल हैं। इन्हें केवल सतही मार्ग से भेजा जाता है (हवाई मार्ग के लिए अतिरिक्त अधिभार देना होता है, सिवाय अंध साहित्य के जिस पर केवल हवाई अधिभार लगता है और सामान्य डाक शुल्क पूर्णतः माफ होता है)।

| डाक वस्तु का नाम | श्रेणी | अधिकतम वजन सीमा | न्यूनतम एवं अधिकतम आकार मानक | विशेष परीक्षा-उपयोगी नियम |
|---|---|---|---|---|
| **पत्र (लेटर)** | प्रथम श्रेणी | **2 किलोग्राम** | रोल रूप में लंबाई 80 सेमी; गैर-रोल में लंबाई+चौड़ाई+मोटाई 90 सेमी | अपर्याप्त भुगतान पर कमी का **दोगुना शुल्क** वितरण पर वसूला जाता है |
| **अंतर्देशीय पत्र कार्ड** | प्रथम श्रेणी | **5 ग्राम** (मानक) | खुला: 30×21 सेमी (अधिकतम); मुड़ा हुआ: 21×10 सेमी | इसके साथ कोई भी संलग्नक लगाने की अनुमति **बिल्कुल नहीं** है |
| **पोस्टकार्ड** | प्रथम श्रेणी | मानक कार्ड | **14 सेमी** × **9 सेमी** (लंबाई × चौड़ाई) | केवल भारत के भीतर मान्य; मेघदूत पोस्टकार्ड का मूल्य 25 पैसे है |
| **बुक पैकेट** | द्वितीय श्रेणी | **5 किलोग्राम** | रोल रूप में लंबाई 80 सेमी; न्यूनतम 14×9 सेमी | इसमें कोई व्यक्तिगत पत्र या चालू पत्राचार नहीं होना चाहिए |
| **प्रतिरूप एवं नमूना पैकेट** | द्वितीय श्रेणी | **2 किलोग्राम** | पत्र के समान आकार सीमा | वास्तविक व्यापारिक नमूने जिनका कोई बिक्री मूल्य न हो |
| **पंजीकृत समाचार पत्र** | द्वितीय श्रेणी | **2 किलोग्राम** | अधिकतम 31 दिनों के अंतराल पर प्रकाशित होने वाला | पंजीकरण परिमंडल/मण्डल प्रमुख द्वारा किया जाता है; नवीनीकरण प्रति 3 वर्ष |
| **अंध साहित्य पैकेट** | द्वितीय श्रेणी | **7 किलोग्राम** | बुक पैकेट के समान आकार सीमा | डाक शुल्क, रजिस्ट्री शुल्क और पावती शुल्क से **100% मुक्त** |
| **अंतर्देशीय पार्सल** | द्वितीय श्रेणी | **20 किलोग्राम** | लंबाई 1 मीटर से अधिक नहीं; लंबाई + घेरा 1.80 मीटर | **4 किलोग्राम** से अधिक वजन के पार्सल का पंजीकरण (रजिस्ट्री) अनिवार्य है |

★ **विशेष नोट (पार्सल वजन सीमा):** शाखा डाकघर में पार्सल की बुकिंग या वितरण की अधिकतम वजन सीमा **10 किलोग्राम** है, जबकि उप डाकघर और प्रधान डाकघर में यह सीमा **20 किलोग्राम** है। एक पार्सल में केवल एक ही लिखित संचार रखा जा सकता है जो केवल उस पार्सल के प्राप्तकर्ता के लिए हो।

## 2.4 रजिस्ट्री (पंजीकरण), बीमा एवं वीपीपी (मूल्य देय डाक) के नियम

**अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — 2.4 रजिस्ट्री (पंजीकरण), बीमा एवं वीपीपी (मूल्य देय डाक) के नियम**

| प्रमुख अध्ययन बिंदु 1 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 2 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 3 |
|---|---|---|
| पंजीकरण / रजिस्ट्री (नियम 156 से 171) | डाक बीमा (इंश्योरेंस — नियम 172 से 185) | मूल्य देय डाक / वीपीपी (नियम 186 से 200) |

### 1. पंजीकरण / रजिस्ट्री (नियम 156 से 171)

• **अनिवार्य पंजीकरण (नियम 162):** निम्नलिखित मामलों में डाक वस्तु का पंजीकरण कराना कानूनन अनिवार्य है:

1. **4 किलोग्राम** से अधिक वजन का कोई भी पार्सल।
2. कोई भी बीमाकृत वस्तु।
3. कोई भी मूल्य देय (वीपीपी) वस्तु।
4. कोई भी वस्तु जिसमें सिक्के, बुलियन, करेंसी नोट, बैंक नोट, डाक टिकट या कोई परक्राम्य लिखत (चेक, हुंडी, बिल ऑफ एक्सचेंज) हो।
5. ऐसी वस्तु जिस पर 'रजिस्टर्ड' शब्द लिखा हो।

• **मुआवजा:** अंतर्देशीय पंजीकृत वस्तु के खो जाने या नष्ट हो जाने पर अधिकतम अनुग्रह मुआवजा **100 रुपये** देय होता है।

### 2. डाक बीमा (इंश्योरेंस — नियम 172 से 185)

• **अनिवार्य बीमा (नियम 174):** यदि किसी डाक वस्तु में सिक्के, बुलियन, प्लैटिनम, कीमती पत्थर, आभूषण, करेंसी नोट या बैंक नोट भेजे जा रहे हों, तो उसका वास्तविक मूल्य पर बीमा कराना अनिवार्य है।

• **बीमा की अधिकतम सीमा:**

• **शाखा डाकघर** में अधिकतम बीमा सीमा: **600 रुपये**।

• **उप डाकघर एवं प्रधान डाकघर** में अधिकतम बीमा सीमा: **1,00,000 रुपये** (स्वर्ण/बुलियन या करेंसी नोटों की अधिकतम पारेषण सीमा **20,000 रुपये** तक सीमित है)।

• **दावा समय-सीमा:** बीमाकृत वस्तु के खोने या क्षतिग्रस्त होने पर बुकिंग की तिथि से **3 माह** के भीतर दावा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

### 3. मूल्य देय डाक / वीपीपी (नियम 186 से 200)

• वीपीपी प्रणाली उन व्यापारियों के लिए है जो माल की कीमत डाकघर के माध्यम से प्राप्तकर्ता से वसूलना चाहते हैं।

• **अधिकतम सीमा:** किसी एक वीपीपी वस्तु के माध्यम से वसूल की जाने वाली अधिकतम राशि **5,000 रुपये** से अधिक नहीं हो सकती (सरकारी स्टाम्प विक्रेताओं को छोड़कर)।

• **रोकने की अवधि (डेमरेज चार्ज):** वीपीपी वस्तु को डाकघर में प्राप्तकर्ता के लिए 7 **दिनों** तक निःशुल्क रखा जाता है। यदि प्राप्तकर्ता लिखित अनुरोध करे तो 8वें दिन से अधिकतम 7 **अतिरिक्त दिनों** तक रोका जा सकता है, जिस पर **विलंब शुल्क (डेमरेज चार्ज)** वसूल किया जाता है।

## 2.5 मनीऑर्डर सेवा (ई-मनीऑर्डर एवं इंस्टेंट मनीऑर्डर), पोस्ट बॉक्स व आधिकारिक डाक

• **मनीऑर्डर (एमओ / ई-एमओ):**

• एक मनीऑर्डर अधिकतम **5,000 रुपये** तक के लिए जारी किया जा सकता है (इसमें पैसों का भाग अर्थात भिन्न शामिल नहीं हो सकता)।

• मनीऑर्डर फॉर्म पर प्रेषक के हस्ताक्षर होते हैं और इसके निचले भाग में **कूपन** होता है जिस पर प्रेषक प्राप्तकर्ता के लिए निःशुल्क संदेश लिख सकता है।

• **शून्य मनीऑर्डर (वॉयड मनीऑर्डर):** यदि किसी मनीऑर्डर का भुगतान उसके जारी होने के महीने के बाद वाले महीने के अंत तक नहीं हो पाता है, तो वह 'वॉयड (अमान्य)' हो जाता है।

• **इंस्टेंट मनीऑर्डर:** यह वेब-आधारित त्वरित धन अंतरण सेवा है जिसमें न्यूनतम **1,000 रुपये** और अधिकतम **50,000 रुपये** तक की राशि 16 अंकों के गोपनीय कोड के माध्यम से भेजी जा सकती है।

• **पोस्ट बॉक्स एवं पोस्ट बैग (नियम 55 एवं 56):**

• **पोस्ट बॉक्स** के माध्यम से केवल **पूर्णतः पूर्व-भुगतान की गई अपंजीकृत प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी की डाक वस्तुएँ** (पत्र, पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय पत्र, समाचार पत्र, पैकेट) ही वितरित की जाती हैं। रजिस्ट्री, बीमा, वीपीपी या मनीऑर्डर पोस्ट बॉक्स में नहीं डाले जाते।

• **पोस्ट बैग** की व्यवस्था में दो चाबियाँ और एक ताला होता है (एक चाबी डाकघर के पास और एक किरायेदार के पास), जिससे बंद थैले में डाक का आदान-प्रदान होता है।

• **आधिकारिक डाक वस्तुएँ (ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स — नियम 198 से 207):**

• सरकारी कार्यालयों द्वारा भेजी जाने वाली डाक पर **'ओ.आई.जी.एस.' (भारत सरकार की सेवा में)** या **'ओ.एस.जी.एस.' (राज्य सरकार की सेवा में)** अंकित होना चाहिए और नीचे प्रेषक अधिकारी के पदनाम व हस्ताक्षर होने चाहिए।

• इन पर केवल **सर्विस डाक टिकट** ही लगाए जाते हैं। यदि कोई सरकारी डाक बिना टिकट या कम टिकट के भेजी जाती है, तो वितरण के समय उस पर **केवल वास्तविक कमी की राशि** (1 गुना) वसूल की जाती है, दोगुना दंड नहीं।

## 2.6 अध्याय 2 की स्मृति ट्रिक्स (याद रखने के अचूक सूत्र)

★ **ट्रिक 1 (वजन सीमाओं का मास्टर सूत्र - 2, 4, 5, 7, 10, 20 किलो):**
"2 किलो पत्र-समाचार-नमूना, 4 किलो से ऊपर पार्सल रजिस्ट्री कर लेना, 5 किलो बुक पैकेट, 7 किलो अंध साहित्य, 10 किलो शाखा डाकघर पार्सल, और 20 किलो अधिकतम पार्सल!"

**ट्रिक 2 (पोस्ट रेस्टेंटे और वीपीपी रोकने के दिन):**
"सामान्य पोस्ट रेस्टेंटे रुके 1 महीना, वीपीपी रुके बस 7 दिन (माँगने पर 7 दिन और डेमरेज गिन)!"

**ट्रिक 3 (अंध साहित्य पैकेट की तिहरी छूट):**
"अंध साहित्य है 7 किलो तक महान — न डाक शुल्क, न रजिस्ट्री शुल्क, न पावती का दाम (केवल हवाई मार्ग मांगो तो एयर सरचार्ज का काम)!"

## 2.7 अध्याय 2 के विगत वर्षों के हल प्रश्न (पीवाईक्यू बूस्टर)

**अभ्यास प्रश्न #7** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

1. **प्रश्न:** भारत में पिन कोड प्रणाली कब लागू की गई और एक पोस्टकार्ड का मानक आकार क्या होता है? (ग्रामीण डाक सेवक से एमटीएस परीक्षा 2025)

**उत्तर:** पिन कोड प्रणाली 15 अगस्त 1972 को लागू हुई तथा पोस्टकार्ड का मानक आकार 14 सेमी × 9 सेमी होता है।

**अभ्यास प्रश्न #8** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

2. **प्रश्न:** अंध साहित्य पैकेट (ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट) की अधिकतम वजन सीमा कितनी होती है? (पोस्टमैन एवं मेल गार्ड परीक्षा 2024)

**उत्तर:** 7 किलोग्राम।

**अभ्यास प्रश्न #9** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

3. **प्रश्न:** कितने किलोग्राम से अधिक वजन वाले अंतर्देशीय पार्सल का पंजीकरण (रजिस्ट्री) कराना अनिवार्य होता है? (डाक सहायक परीक्षा 2024)

**उत्तर:** 4 किलोग्राम से अधिक वजन वाले पार्सल का पंजीकरण अनिवार्य है।

**अभ्यास प्रश्न #10** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

4. **प्रश्न:** एक शाखा डाकघर में डाक वस्तु का अधिकतम कितने रुपये तक का बीमा किया जा सकता है? (पोस्टमैन परीक्षा 2025)

**उत्तर:** अधिकतम 600 रुपये तक।

**अभ्यास प्रश्न #11** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

5. **प्रश्न:** एक मनीऑर्डर तथा एक वीपीपी (मूल्य देय वस्तु) की अधिकतम राशि सीमा कितनी है? (एमटीएस परीक्षा 2024)

**उत्तर:** दोनों ही मामलों में अधिकतम सीमा 5,000 रुपये है।

**अभ्यास प्रश्न #12** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

6. **प्रश्न:** यदि कोई सरकारी डाक (ओ.आई.जी.एस.) बिना टिकट के पोस्ट की जाती है, तो वितरण के समय उस पर कितना शुल्क वसूला जाएगा? (डाक सहायक परीक्षा 2025)

**उत्तर:** पूर्व-भुगतान न की गई डाक दर का केवल एक गुना (वास्तविक कमी के बराबर राशि)।

# *अध्याय 3: डाकघर गाइड भाग-2 (विदेशी डाक सेवा - सार्वभौमिक डाक संघ, एशिया-प्रशांत डाक संघ, लेटर पोस्ट व पार्सल पोस्ट)*

## *3.1 विदेशी डाक सेवा का परिचय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन*

**अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — 3.1 विदेशी डाक सेवा का परिचय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन**

| प्रमुख अध्ययन बिंदु 1 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 2 |
|---|---|
| **सार्वभौमिक डाक संघ (यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन — यूपीयू)** | **एशिया-प्रशांत डाक संघ (एपीपीयू)** |

डाकघर गाइड भाग-2 एवं सार्वभौमिक डाक संघ के प्रावधान भारत से विदेशों में जाने वाली और विदेशों से भारत में आने वाली डाक सेवाओं को नियंत्रित करते हैं।

### *1. सार्वभौमिक डाक संघ (यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन — यूपीयू)*

- **स्थापना:** इसकी स्थापना **9 अक्टूबर 1874** को स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में 'बर्न की संधि' के तहत 'जनरल पोस्टल यूनियन' के नाम से हुई (1878 में इसका नाम बदलकर यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कर दिया गया)। इसी स्मृति में प्रतिवर्ष **9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस** मनाया जाता है।
- **मुख्यालय एवं सदस्य:** इसका मुख्यालय **बर्न (स्विट्जरलैंड)** में है और इसमें वर्तमान में **192 सदस्य देश** शामिल हैं। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है।
- **भारत की सदस्यता:** भारत **1 जुलाई 1876** को सार्वभौमिक डाक संघ का सदस्य बना।
- **मूल सिद्धांत:** संपूर्ण विश्व को पत्रों के आदान-प्रदान के लिए एक **एकल डाक क्षेत्र (सिंगल पोस्टल टेरिटरी)** बनाना और पारगमन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।

### *2. एशिया-प्रशांत डाक संघ (एपीपीयू)*

- एशिया-प्रशांत डाक संघ की स्थापना **1961** (मनीला सम्मेलन, 1 अप्रैल 1962 से प्रभावी) में हुई।
- **मुख्यालय एवं सदस्य:** इसका प्रशासनिक मुख्यालय और प्रशिक्षण महाविद्यालय **बैंकॉक (थाईलैंड)** में स्थित है और इसमें एशिया-प्रशांत क्षेत्र के **32 सदस्य देश** शामिल हैं।
- **भारत की सदस्यता:** भारत वर्ष **1973** में एशिया-प्रशांत डाक संघ में शामिल हुआ।

- **मुख्य उद्देश्य:** एशिया और प्रशांत क्षेत्र के सदस्य देशों के बीच डाक संबंधों का विस्तार करना और कम रियायती दरों पर डाक सेवा उपलब्ध कराना।

## 3.2 अध्याय 3 का 4-नोड आरेख: विदेशी डाक का अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन एवं कस्टम निकासी

**[नोड 1: बुकिंग डाकघर — विदेशी लेटर पोस्ट / पार्सल पोस्ट एवं कस्टम घोषणा (सीएन 22 / सीएन 23)]** **[नोड 2: विनिमय कार्यालय (ऑफिस ऑफ एक्सचेंज) — अंतर्राष्ट्रीय मेल बैग तैयार करना]** **[नोड 3: फॉरेन पोस्ट ऑफिस (एफपीओ) — सीमा शुल्क (कस्टम) मूल्यांकन एवं शुल्क निर्धारण]** **[नोड 4: अंतर्राष्ट्रीय पारेषण — गंतव्य देश के डाक प्रशासन को सुपुर्दगी]**

- **नोड 1:** प्रेषक द्वारा विदेशी डाक के साथ वस्तु के मूल्य के अनुसार कस्टम घोषणा फॉर्म भरना।
- **नोड 2:** भारतीय डाक के नामित विनिमय कार्यालय द्वारा विदेश जाने वाली डाक का संकलन व दस्तावेजीकरण।
- **नोड 3:** फॉरेन पोस्ट ऑफिस या सब-फॉरेन पोस्ट ऑफिस में सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जाँच व कस्टम ड्यूटी का आकलन।
- **नोड 4:** हवाई या समुद्री मार्ग से गंतव्य देश को प्रेषण अथवा विदेश से आई डाक का भारत में वितरण।

## 3.3 विदेशी डाक का वर्गीकरण: लेटर पोस्ट एवं पार्सल पोस्ट

विदेशी डाक में अंतर्देशीय डाक की तरह 'प्रथम श्रेणी' और 'द्वितीय श्रेणी' का विभाजन नहीं होता, बल्कि इसे दो मुख्य भागों में बाँटा गया है: **1. लेटर पोस्ट** और **2. पार्सल पोस्ट**।

इसके अतिरिक्त लेटर पोस्ट की वस्तुओं को पारंपरिक रूप से दो फ्रेंच संक्षिप्त नामों में वर्गीकृत किया जाता था:

- **एल.सी. (लेटर्स एंड कार्ट्स):** इसमें **पत्र, पोस्टकार्ड और एरोग्राम** (हवाई पत्र) शामिल हैं।
- **ए.ओ. (ऑदर्स ऑब्जेक्ट्स — अन्य वस्तुएँ):** इसमें **मुद्रित कागज (प्रिंटेड पेपर्स), छोटे पैकेट (स्मॉल पैकेट्स), अंध साहित्य (ब्लाइंड लिटरेचर) और एम-बैग (बल्क बैग)** शामिल हैं।

| विदेशी डाक वस्तु | श्रेणी (एल.सी./ए.ओ.) | अधिकतम वजन सीमा | आकार एवं विशेष परीक्षा नियम |
|---|---|---|---|
| **पत्र (फॉरेन लेटर)** | लेटर पोस्ट (एल.सी.) | **2 किलोग्राम** | न्यूनतम 90×140 मिमी; अधिकतम लंबाई+चौड़ाई+मोटाई = 900 मिमी |
| **विदेशी पोस्टकार्ड** | लेटर पोस्ट (एल.सी.) | मानक कार्ड | न्यूनतम 90×140 मिमी; अधिकतम **105×148 मिमी** |
| **एरोग्राम (हवाई पत्र)** | लेटर पोस्ट (एल.सी.) | **3 ग्राम** (अधिकतम) | मुड़ा हुआ आकार: न्यूनतम 90×140 मिमी, अधिकतम **110×220 मिमी**; कोई संलग्नक अनुमत नहीं |
| **प्रिंटेड पेपर्स (मुद्रित कागज)** | लेटर पोस्ट (ए.ओ.) | सामान्य: **2 किलोग्राम** (पुस्तकें व पेंफलेट: **5 किलोग्राम**) | यह अंतर्देशीय 'बुक पैकेट' के समतुल्य होता है |
| **छोटे पैकेट (स्मॉल पैकेट)** | लेटर पोस्ट (ए.ओ.) | **2 किलोग्राम** | कम वजन में छोटे उपहार या व्यापारिक माल भेजने हेतु; यह अंतर्देशीय 'नमूना पैकेट' के समतुल्य है |
| **अंध साहित्य (सेकोग्राम)** | लेटर पोस्ट (ए.ओ.) | **7 किलोग्राम** | अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सतही डाक शुल्क, रजिस्ट्री और पावती शुल्क से मुक्त |
| **बल्क बैग (एम-बैग)** | लेटर पोस्ट (ए.ओ.) | न्यूनतम **5 किलोग्राम**, अधिकतम **30 किलोग्राम** | एक ही प्रेषक द्वारा एक ही पते पर एक ही प्राप्तकर्ता को भारी मात्रा में मुद्रित सामग्री भेजने हेतु विशेष थैला |
| **विदेशी पार्सल (फॉरेन पार्सल)** | पार्सल पोस्ट | सामान्यतः **20 किलोग्राम** (कुछ देशों हेतु 10 या 30 किलोग्राम) | लंबाई अधिकतम 1.05 मीटर; लंबाई + सबसे बड़ा घेरा अधिकतम 2 मीटर |

## 3.4 कस्टम घोषणा पत्र (सीएन 22 एवं सीएन 23), अंतर्राष्ट्रीय उत्तर कूपन एवं विशेष नियम

- **सीएन 22 एवं सीएन 23 (कस्टम घोषणा फॉर्म):**

• **सीएन 22 (हरा कस्टम लेबल):** जब विदेश भेजी जाने वाली डाक वस्तु का मूल्य **300 एसडीआर (विशेष आहरण अधिकार)** से कम होता है, तो वस्तु के ऊपर छोटा हरा लेबल सीएन 22 चिपकाया जाता है।

• **सीएन 23 (विस्तृत कस्टम घोषणा पत्र):** जब वस्तु का मूल्य **300 एसडीआर या उससे अधिक** होता है (अथवा सभी विदेशी पार्सलों के साथ), तो विस्तृत कस्टम घोषणा फॉर्म सीएन 23 संलग्न करना अनिवार्य होता है।

• **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर कूपन (इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन — आईआरसी):**

• यह सार्वभौमिक डाक संघ द्वारा जारी किया जाने वाला कूपन है जिसका उपयोग विदेश में स्थित किसी व्यक्ति को जवाबी पत्र का डाक खर्च पहले से भेजने के लिए किया जाता है।

• एक अंतर्राष्ट्रीय उत्तर कूपन के बदले किसी भी सदस्य देश में विदेश जाने वाले **20 ग्राम तक के एक अपंजीकृत हवाई प्राथमिकता पत्र** के न्यूनतम डाक टिकट प्राप्त किए जा सकते हैं।

• **विदेशी डाक में पोस्ट रेस्टेंटे:** विदेश से आई 'पोस्ट रेस्टेंटे' वस्तुओं को भारतीय डाकघर में अधिकतम **1 माह** तक (और विदेशी पार्सल को सामान्यतः 15 दिनों तक) रखा जाता है।

• **दावा समय-सीमा:** विदेशी पंजीकृत वस्तु, पार्सल या बीमाकृत वस्तु के संबंध में पूछताछ या शिकायत वस्तु के पोस्ट किए जाने के अगले दिन से **1 वर्ष** के भीतर की जानी चाहिए।

## 3.5 अध्याय 3 की स्मृति ट्रिक्स (याद रखने के अचूक सूत्र)

★ **ट्रिक 1 (यूपीयू और एपीपीयू की तिथियाँ):**
"1874 बर्न में यूपीयू बना, 1876 में भारत जुड़ा; 1961 में एपीपीयू बना (बैंकॉक घर), 1973 में भारत चढ़ा!"

**ट्रिक 2 (सीएन 22 बनाम सीएन 23 कस्टम फॉर्म):**
"300 एसडीआर से कम हो दाम तो छोटा 'सीएन 22' आए काम; 300 एसडीआर या अधिक हो माल तो बड़ा 'सीएन 23' संभाल!"

**ट्रिक 3 (एम-बैग और एरोग्राम का वजन):**
"एरोग्राम सबसे हल्का 3 ग्राम, एम-बैग सबसे भारी 5 से 30 किलोग्राम!"

## 3.6 अध्याय 3 के विगत वर्षों के हल प्रश्न (पीवाईक्यू बूस्टर)

**अभ्यास प्रश्न #13** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

1. **प्रश्न:** सार्वभौमिक डाक संघ (यूपीयू) का मुख्यालय कहाँ स्थित है और भारत इसका सदस्य कब बना? (डाक सहायक परीक्षा 2024)

**उत्तर:** मुख्यालय बर्न (स्विट्जरलैंड) में है और भारत 1 जुलाई 1876 को इसका सदस्य बना।

**अभ्यास प्रश्न #14** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

2. **प्रश्न:** एशिया-प्रशांत डाक संघ (एपीपीयू) का मुख्यालय कहाँ स्थित है? (पोस्टमैन एवं पीए परीक्षा 2025)

**उत्तर:** बैंकॉक (थाईलैंड) में।

**अभ्यास प्रश्न #15** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

3. **प्रश्न:** विदेशी डाक में 'एम-बैग' (बल्क बैग) का न्यूनतम और अधिकतम वजन कितना हो सकता है? (डाक सहायक परीक्षा 2024)

**उत्तर:** न्यूनतम 5 किलोग्राम और अधिकतम 30 किलोग्राम।

**अभ्यास प्रश्न #16** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

4. **प्रश्न:** एक एरोग्राम (हवाई पत्र) का अधिकतम वजन कितना निर्धारित है? (एमटीएस परीक्षा 2025)

**उत्तर:** अधिकतम 3 ग्राम।

**अभ्यास प्रश्न #17** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

5. **प्रश्न:** विदेशी डाक में 'प्रिंटेड पेपर्स' की सामान्य अधिकतम वजन सीमा क्या है, और पुस्तकों के मामले में यह सीमा कितनी बढ़ जाती है? (डाक निरीक्षक परीक्षा 2024)

**उत्तर:** सामान्यतः 2 किलोग्राम, किंतु पुस्तकों और पेंफलेट के लिए यह सीमा 5 किलोग्राम है।

**अभ्यास प्रश्न #18** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

6. **प्रश्न:** विदेशी डाक वस्तु का मूल्य कितने एसडीआर से अधिक होने पर कस्टम घोषणा फॉर्म 'सीएन 23' लगाना अनिवार्य होता है? (पीए/एसए परीक्षा 2025)

**उत्तर:** 300 एसडीआर (विशेष आहरण अधिकार) या उससे अधिक होने पर।

# *अध्याय 4: डाक नियमावली (डाक नियम पुस्तिका खण्ड 5, खण्ड 6 भाग 1 से 3 एवं खण्ड 7 — परिभाषाएँ, मेल बैग, ट्रांजिट ऑफिस, आरएमएस कार्यप्रणाली)*

## *4.1 डाक नियमावली की संरचना एवं मुख्य विषयवस्तु*

डाक नियमावली खण्ड 5, 6 एवं 7 के दिशा-निर्देशों में डाकघर और रेलवे डाक सेवा के आंतरिक प्रचालन के समस्त नियम दिए गए हैं:

- **डाक नियम पुस्तिका खण्ड 5 (वॉल्यूम V):** इसमें डाकघर एवं रेलवे डाक सेवा से संबंधित **महत्वपूर्ण तकनीकी परिभाषाएँ (नियम 1 से 60 ए)** तथा असामान्य घटनाओं, जांच और अपराधों से जुड़े नियम दिए गए हैं।
- **डाक नियम पुस्तिका खण्ड 6 (वॉल्यूम VI):** इसके तीन भाग हैं:

1. **भाग-1:** प्रधान और उप डाकघरों में रसीद, प्रेषण और पर्यवेक्षण के नियम।
2. **भाग-2:** मनीऑर्डर, बचत बैंक और काउंटर संव्यवहार के नियम।
3. **भाग-3:** पोस्टमैन, ग्राम डाकिया और शाखा डाकघरों के कर्तव्यों व वितरण से संबंधित नियम।

- **डाक नियम पुस्तिका खण्ड 7 (वॉल्यूम VII):** यह पूर्ण रूप से **रेलवे डाक सेवा (आरएमएस)** के प्रचालन, मेल ऑफिस, ट्रांजिट सेक्शन, छंटाई सहायक और मेल गार्ड के कर्तव्यों से संबंधित है।

## *4.2 अध्याय 4 का 4-नोड आरेख: मेल बैग पारेषण एवं रेलवे डाक सेवा (आरएमएस) चक्र*

**[नोड 1: डाकघर में छंटाई व लेबलिंग — स्टेशन बंडल एवं प्रादेशिक बंडल निर्माण]** **[नोड 2: देय बैग (ड्यू बैग) प्रेषण — मेल लिस्ट के साथ ट्रांजिट ऑफिस या मेल ऑफिस को सुपुर्दगी]** **[नोड 3: रेलवे डाक सेवा (आरएमएस) प्रचालन — मेल ऑफिस में बैग खोलकर छंटाई या ट्रांजिट सेक्शन में बंद थैलों का आदान-प्रदान]** **[नोड 4: गंतव्य डाकघर में प्राप्ति — थैले की सील व वजन की जाँच तथा बीट अनुसार पोस्टमैन वितरण]**

- **नोड 1:** पत्रों को पिन कोड के अनुसार छाँटकर स्टेशन या प्रादेशिक बंडलों में बाँधना।
- **नोड 2:** निर्धारित समय सारिणी के अनुसार ड्यू बैग और असामान्य बैग को मेल लिस्ट में दर्ज कर भेजना।
- **नोड 3:** चलती ट्रेन (ट्रांजिट सेक्शन) या स्टेशन पर स्थित मेल ऑफिस द्वारा थैलों का प्रसंस्करण।
- **नोड 4:** गंतव्य कार्यालय में थैला खोलकर रजिस्ट्री व पार्सल सूची से मिलान करना।

## 4.3 डाक नियम पुस्तिका खण्ड 5 की अत्यंत महत्वपूर्ण परिभाषाएँ (नियम 1 से 57)

| नियम संख्या | तकनीकी शब्द / अवधारणा | शुद्ध एवं सटीक परिभाषा (परीक्षा हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण) |
|---|---|---|
| **नियम 2/3** | डाकघर एवं प्रधान डाकघर | डाकघर विभाग का कोई भी कार्यालय है; प्रधान डाकघर डाकघरों के समूह का मुख्य लेखा कार्यालय है। |
| **नियम 4/5** | उप डाकघर एवं शाखा डाकघर | उप डाकघर प्रधान डाकघर के अधीन और शाखा डाकघर सबसे निचले स्तर का ग्रामीण कार्यालय है। |
| **नियम 6** | ट्रांजिट ऑफिस (पारगमन कार्यालय) | कोई भी डाकघर जो आगे के डाकघरों के लिए **बंद थैले (क्लोज्ड बैग)** प्राप्त करता है और उन्हें बिना खोले आगे भेजता है। |
| **नियम 7** | ट्रांजिट मेल ऑफिस (टीएमओ) | रेलवे डाक सेवा की वह शाखा जहाँ केवल **बंद थैलों** को प्राप्त और प्रेषित किया जाता है, वहाँ पत्रों की छंटाई **नहीं** होती। |
| **नियम 8** | सॉर्टिंग ऑफिस (छंटाई कार्यालय) | वह कार्यालय जो अपने को संबोधित मेल बैगों को **खोलता है** और उनके भीतर की डाक वस्तुओं की छंटाई करता है। |
| **नियम 9** | ऑटोमैटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर | महानगरों में स्थापित केंद्र जहाँ उच्च गति की मशीनों द्वारा बारकोड आधारित स्वचालित छंटाई होती है। |
| **नियम 10** | नोडल पोस्ट ऑफिस | वह डाकघर जो आस-पास के डाकघरों से डाक एकत्र कर छंटाई केंद्र तक पहुँचाता है। |
| **नियम 11** | केंद्रीय बैगिंग यूनिट (सीबीयू) | जहाँ कई डाकघरों के बंडलों को एकत्र करके सीधे गंतव्य के लिए थैले बंद किए जाते हैं। |
| **नियम 12** | रिटर्न्ड लेटर ऑफिस (आरएलओ) | सर्किल के मुख्यालय में स्थित वह कार्यालय जहाँ **अवितरित एवं अस्पष्ट पते वाली डाक वस्तुओं** का अंतिम निपटान किया जाता है। |
| **नियम 14** | ट्रांजिट सेक्शन (चल अनुभाग) | रेल या स्टीमर पर कार्य करने वाला रेलवे डाक सेवा का चल कार्यालय। |
| **नियम 15** | मेल ऑफिस (डाक कार्यालय) | रेलवे स्टेशन पर स्थित रेलवे डाक सेवा का स्थिर कार्यालय; यह दो प्रकार का होता है: **सॉर्टिंग मेल ऑफिस** और **ट्रांजिट मेल ऑफिस**। |
| **नियम 17** | रिकॉर्ड ऑफिस (अभिलेख कार्यालय) | रेलवे डाक सेवा का वह स्थिर कार्यालय जहाँ अनुभागों के कार्य-पत्र (वर्क पेपर्स) तैयार व सुरक्षित रखे जाते हैं और स्टेशनरी की आपूर्ति होती है। |
| **नियम 22** | फेसिंग और बीट | **फेसिंग:** पत्रों के पते वाले भाग को एक ही दिशा में ऊपर की ओर व्यवस्थित करना। **बीट:** पोस्टमैन या ओवरसियर की गश्त का निर्धारित क्षेत्र। |
| **नियम 23** | कैंप बैग (शिविर थैला) | राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्रियों व उच्चाधिकारियों को उनके दौरे (टूर) पर कार्यालय की फाइलें व डाक भेजने वाला विशेष थैला। |
| **नियम 25** | लेट लेटर और टू-लेट लेटर | **लेट लेटर:** सामान्य समय के बाद किंतु विलंब शुल्क के साथ पोस्ट किया गया पत्र। **टू-लेट लेटर:** विलंब शुल्क का भी समय निकल जाने या बिना विलंब शुल्क के पोस्ट किया गया पत्र (इसे अगली डाक तक रोक लिया जाता है)। |
| **नियम 26/27** | मिस-सेंट और मिस-डायरेक्टेड | **मिस-सेंट (गलत भेजा गया):** कार्यालय की गलती से निर्धारित मार्ग से भिन्न स्थान पर चला गया पत्र। **मिस-डायरेक्टेड (गलत निर्देशित):** जिस पर कार्यालय द्वारा अंग्रेजी या स्थानीय भाषा में गलत गंतव्य लिख दिया गया हो। |
| **नियम 28** | ट्रायल कार्ड (परीक्षण कार्ड) | किसी डाक मार्ग की सापेक्षिक गति और लाभ का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सेवा पोस्टकार्ड (फॉर्म एम-26 ए)। |

## 4.4 बंडलों के प्रकार एवं थैलों (बैगों) का वर्गीकरण (नियम 24 एवं 29 से 56)

**अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — 4.4 बंडलों के प्रकार एवं थैलों (बैगों) का वर्गीकरण (नियम 24 एवं 29 से 56)**

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1
**बंडलों के मुख्य प्रकार (नियम 24)**

प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
**डाक थैलों (बैगों) के प्रमुख प्रकार**

## 1. बंडलों के मुख्य प्रकार (नियम 24)

• **स्टेशन बंडल:** जब किसी एक ही डाकघर के लिए अपंजीकृत वस्तुओं की संख्या **14 से अधिक (अर्थात 15 या अधिक)** होती है, तो उस डाकघर के नाम से सीधा 'स्टेशन बंडल' बनाया जाता है।

• **सॉर्टिंग बंडल:** जब किसी डाकघर के लिए वस्तुएँ 15 से कम हों, तो उन्हें छंटाई कार्यालय के लिए एक 'सॉर्टिंग बंडल' में बाँधा जाता है।

• **प्रादेशिक बंडल (टेरिटोरियल बंडल):** जब किसी एक राज्य, विदेश या क्षेत्र के लिए अपंजीकृत वस्तुओं की संख्या **25 या अधिक** होती है, तो 'प्रादेशिक बंडल' तैयार किया जाता है। (विदेशी एयर मेल के लिए 5 या अधिक वस्तुओं पर भी बंडल बनाया जाता है)।

• **चेक-स्लिप का रंग:**

• साधारण अपंजीकृत डाक के बंडल पर **सफेद चेक-स्लिप** लगाई जाती है (यदि वह एक्सप्रेस/त्वरित हो तो कोने कटे हुए)।

• विदेशी एयर मेल बंडल पर **नीले रंग की चेक-स्लिप** लगाई जाती है।

• राजहंस/शीघ्र डाक बंडल पर **गुलाबी रंग की चेक-स्लिप** लगाई जाती है।

## 2. डाक थैलों (बैगों) के प्रमुख प्रकार

• **रजिस्टर्ड बैग (पंजीकृत थैला):** इसके अंदर रजिस्टर्ड लिस्ट (पंजीकृत सूची) और पंजीकृत वस्तुएँ तथा कैश बैग रखे जाते हैं। यह एक **देय थैला (ड्यू बैग)** होता है, अर्थात कोई पंजीकृत वस्तु न होने पर भी शून्य रजिस्टर्ड लिस्ट के साथ इसे प्रतिदिन भेजना अनिवार्य है।

• **मेल बैग (डाक थैला):** इसमें अपंजीकृत पत्र, पोस्टकार्ड, पैकेट और रजिस्टर्ड बैग रखा जाता है। मेल बैग तीन प्रकार के होते हैं: **1. स्टेशन मेल बैग, 2. सॉर्टिंग मेल बैग, और 3. कंबाइंड मेल बैग**। हवाई मार्ग से भेजे जाने वाले मेल बैग का रंग **नीला** होता है और उसका वजन **30 किलोग्राम** से अधिक नहीं होना चाहिए।

• **पार्सल बैग:** इसमें पार्सल लिस्ट के साथ साधारण, पंजीकृत और बीमाकृत पार्सल (जो इंश्योर्ड बैग में रखे होते हैं) भेजे जाते हैं। यह **असामान्य थैला (अनयूजुअल बैग)** है — अर्थात केवल पार्सल होने पर ही बनाया जाता है।

• **इंश्योर्ड बैग (बीमा थैला):** बीमाकृत वस्तुओं की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। इसे कभी भी अकेले प्रेषित नहीं किया जाता, बल्कि हमेशा **रजिस्टर्ड बैग या मेल बैग या पार्सल बैग के अंदर** रखकर बंद किया जाता है। यह भी एक असामान्य थैला है।

• **अकाउंट बैग (लेखा थैला):** प्रधान डाकघर और उसके अधीन उप डाकघरों के बीच दैनिक लेखा (डेली अकाउंट), नकद, डाक टिकट और वाउचर के आदान-प्रदान के लिए उपयोग होता है।

• प्रधान डाकघर से उप डाकघर को जाने वाले अकाउंट बैग में **एस.ओ. स्लिप (उप डाकघर पर्ची)** होती है।

• उप डाकघर से प्रधान डाकघर को जाने वाले अकाउंट बैग में **एस.ओ. डेली अकाउंट (उप डाकघर दैनिक लेखा)** होता है।

• **बी.ओ. बैग (शाखा डाकघर थैला):** लेखा कार्यालय (प्रधान या उप डाकघर) और शाखा डाकघर के बीच आदान-प्रदान होता है (इसमें बी.ओ. स्लिप और बी.ओ. डेली अकाउंट होते हैं)।

• **कैश बैग (नकदी थैला):** चमड़े या मजबूत कैनवास का छोटा थैला जिसमें नकदी और टिकट रखे जाते हैं; इसे हमेशा रजिस्टर्ड बैग, अकाउंट बैग या बी.ओ. बैग के अंदर रखकर भेजा जाता है।

• **स्पेशल बैग और कैंप बैग:** उच्चाधिकारियों के पत्राचार हेतु। कैंप बैग को रविवार और डाक अवकाश के दिनों में भी वितरित किया जाता है।

| थैले (बैग) का नाम | देय (ड्यू) या असामान्य (अनयूजुअल) | मुख्य अंतर्वस्तु एवं अनिवार्य दस्तावेज |
|---|---|---|
| **रजिस्टर्ड बैग** | **देय थैला (ड्यू बैग)** | पंजीकृत वस्तुएँ, कैश बैग एवं **रजिस्टर्ड लिस्ट** |
| **मेल बैग** | **देय थैला (ड्यू बैग)** | अपंजीकृत डाक के बंडल एवं अंदर रखा रजिस्टर्ड बैग |
| **अकाउंट बैग** | **देय थैला (ड्यू बैग)** | नकद, टिकट, **एस.ओ. स्लिप** (एच.ओ. से) व **एस.ओ. डेली अकाउंट** (एस.ओ. से) |
| **बी.ओ. बैग** | **देय थैला (ड्यू बैग)** | शाखा डाकघर की डाक, नकद, **बी.ओ. स्लिप** एवं **बी.ओ. डेली अकाउंट** |
| **ट्रांजिट बैग** | **देय थैला (ड्यू बैग)** | कई बंद थैलों को एक बड़े थैले में सुरक्षित रखने हेतु, साथ में **मेल लिस्ट** |
| **पार्सल बैग** | **असामान्य थैला (अनयूजुअल बैग)** | पार्सल वस्तुएँ, इंश्योर्ड पार्सल बैग एवं **पार्सल लिस्ट** |

| थैले (बैग) का नाम | देय (ड्यू) या असामान्य (अनयूजुअल) | मुख्य अंतर्वस्तु एवं अनिवार्य दस्तावेज |
|---|---|---|
| इंश्योर्ड बैग | असामान्य थैला (अनयूजुअल बैग) | बीमाकृत पत्र/पार्सल (हमेशा किसी अन्य बैग के भीतर बंद किया जाता है) |
| कैश बैग | असामान्य थैला (अनयूजुअल बैग) | करेंसी नोट, सिक्के व मेमो ऑफ रेमिटेंस (रजिस्टर्ड या अकाउंट बैग के अंदर) |
| पैकेट बैग | असामान्य थैला (अनयूजुअल बैग) | भारी संख्या में समाचार पत्र एवं पैकेट होने पर बनाया जाने वाला थैला |

## 4.5 डाक नियम पुस्तिका खण्ड 6 एवं खण्ड 7 के प्रमुख नियम

• **खण्ड 6 भाग-1 एवं 2:**

• प्रत्येक डाकघर के बाहर और अंदर **महानिदेशक का परिपत्र** और नोटिस बोर्ड लगाया जाता है।

• उप डाकघर में रखे जाने वाले न्यूनतम और अधिकतम नकद शेष (कैश बैलेंस) का निर्धारण **मण्डल प्रमुख (अधीक्षक / प्रवर अधीक्षक डाकघर)** द्वारा किया जाता है।

• **ग्रामीण डाकिया (विलेज पोस्टमैन) का रजिस्टर एवं रूट लिस्ट:** ग्राम डाकिया को अपनी गश्त के लिए **रूट लिस्ट (फॉर्म एम-53)** और **विलेज पोस्टमैन विजिट बुक (फॉर्म एम-86)** दी जाती है।

• **खण्ड 6 भाग-3 (पोस्टमैन एवं शाखा डाकघर के नियम):**

• **हेड पोस्टमैन:** बड़े डाकघरों में वरिष्ठ पोस्टमैन को 'हेड पोस्टमैन' नियुक्त किया जाता है, जिसका मुख्य कार्य खजाने से उप डाकघरों तक नकदी ले जाना, नव-नियुक्त डाकियों को बीट दिखाना और अवितरित अथवा अस्वीकृत वस्तुओं का पुनः परीक्षण करना है।

• **निरक्षर प्राप्तकर्ता को मनीऑर्डर भुगतान:** यदि मनीऑर्डर का प्राप्तकर्ता निरक्षर है, तो उसके अंगूठे का निशान किसी स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में लिया जाना चाहिए और गवाह के भी हस्ताक्षर कराए जाने चाहिए।

• **पर्दानशीन महिला को वितरण:** पर्दानशीन महिला के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान का सत्यापन किसी विश्वसनीय गवाह से कराया जाता है और वस्तु उस गवाह को ही सौंपी जाती है।

• **खण्ड 7 (रेलवे डाक सेवा — आरएमएस):**

• प्रत्येक छंटाई सहायक को अपने अनुभाग या मेल ऑफिस के सभी डाकघरों और मार्गों की **सॉर्टिंग लिस्ट (छंटाई सूची)** कंठस्थ होनी चाहिए।

• **मेल एजेंट / मेल गार्ड की दैनिक रिपोर्ट:** प्रत्येक ट्रांजिट सेक्शन का हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट या मेल गार्ड अपनी यात्रा पूरी होने पर रिकॉर्ड ऑफिस के माध्यम से अधीक्षक (आरएमएस) को **दैनिक रिपोर्ट (फॉर्म एम.एस.-83)** प्रस्तुत करता है।

• **केज टी.बी. (पिंजरा ट्रांजिट बैग):** रेल के मेल वैन में लगे लोहे के सुरक्षित पिंजरे का उपयोग आगे जाने वाले थैलों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है।

• **ए-ऑर्डर एवं बी-ऑर्डर:** अधीक्षक (आरएमएस) द्वारा जारी किए जाने वाले आदेश दो प्रकार के होते हैं:

1. **ए-ऑर्डर (A-Order):** छंटाई सूची (सॉर्टिंग लिस्ट) में परिवर्तन से संबंधित आदेश।

2. **बी-ऑर्डर (B-Order):** छंटाई सूची को छोड़कर अन्य सभी प्रशासनिक एवं प्रचालन मार्गदर्शन से संबंधित आदेश।

## 4.6 अध्याय 4 की स्मृति ट्रिक्स (याद रखने के अचूक सूत्र)

★ **ट्रिक 1 (स्टेशन बंडल बनाम प्रादेशिक बंडल संख्या):**
"15 (14 से अधिक) पर स्टेशन बंडल बाँधो, 25 पर प्रादेशिक (टेरिटोरियल) बंडल साधो!"

**ट्रिक 2 (देय थैले बनाम असामान्य थैले):**
"रजिस्टर्ड, मेल, अकाउंट, बीओ और ट्रांजिट — ये 5 हैं 'ड्यू' (रोजाना जाएँ); पार्सल, इंश्योर्ड, कैश और पैकेट — ये हैं 'अनयूजुअल' (जब काम पड़े तब बनाएँ)!"

**ट्रिक 3 (आरएमएस के ए-ऑर्डर और बी-ऑर्डर):**
"ए (A) फॉर अरेंजमेंट ऑफ सॉर्टिंग लिस्ट (छंटाई सूची परिवर्तन); बी (B) फॉर बाकी सारे प्रशासनिक आदेश!"

## 4.7 अध्याय 4 के विगत वर्षों के हल प्रश्न (पीवाईक्यू बूस्टर)

**अभ्यास प्रश्न #19** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

1. **प्रश्न:** डाक नियम पुस्तिका खण्ड 5 के किस नियम में 'रिटर्न्ड लेटर ऑफिस (आरएलओ)' की परिभाषा दी गई है? (डाक सहायक परीक्षा 2024)

**उत्तर:** नियम 12 में।

**अभ्यास प्रश्न #20** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

2. **प्रश्न:** किसी एक डाकघर के लिए अपंजीकृत वस्तुओं की संख्या कम से कम कितनी होने पर 'स्टेशन बंडल' बनाया जाता है? (एमटीएस एवं पोस्टमैन परीक्षा 2025)

**उत्तर:** 14 से अधिक (अर्थात कम से कम 15 वस्तुएँ होने पर)।

**अभ्यास प्रश्न #21** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

3. **प्रश्न:** 'प्रादेशिक बंडल (टेरिटोरियल बंडल)' बनाने के लिए न्यूनतम कितनी अपंजीकृत डाक वस्तुएँ होनी चाहिए? (पोस्टमैन परीक्षा 2024)

**उत्तर:** न्यूनतम 25 वस्तुएँ।

**अभ्यास प्रश्न #22** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

4. **प्रश्न:** निम्नलिखित में से कौन-सा थैला हमेशा किसी अन्य थैले (रजिस्टर्ड, मेल या पार्सल बैग) के अंदर रखकर ही भेजा जाता है और कभी अकेले प्रेषित नहीं होता? (एमटीएस परीक्षा 2024)

**उत्तर:** इंश्योर्ड बैग (बीमा थैला) तथा कैश बैग।

**अभ्यास प्रश्न #23** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

5. **प्रश्न:** प्रधान डाकघर से उप डाकघर को भेजे जाने वाले अकाउंट बैग में कौन-सा दस्तावेज रखा जाता है? (डाक सहायक परीक्षा 2025)

**उत्तर:** एस.ओ. स्लिप (उप डाकघर पर्ची)। (जबकि उप डाकघर से प्रधान डाकघर को एस.ओ. डेली अकाउंट भेजा जाता है)।

**अभ्यास प्रश्न #24** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

6. **प्रश्न:** अधीक्षक (आरएमएस) द्वारा छंटाई सूची में संशोधन करने के लिए कौन-सा आदेश जारी किया जाता है? (छंटाई सहायक परीक्षा 2024)

**उत्तर:** ए-ऑर्डर (A-Order)।

# अध्याय 5: डाकघर बचत बैंक योजनाएँ (बचत खाता, आवर्ती जमा, सावधि जमा, मासिक आय योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, लोक भविष्य निधि, सुकन्या समृद्धि, राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र व महिला सम्मान बचत पत्र)

## 5.1 डाकघर बचत बैंक (पीओएसबी) का परिचय एवं नवीनतम ब्याज दरें (अक्टूबर–दिसंबर 2026)

डाकघर लघु बचत योजनाओं की नवीनतम ब्याज दरों तथा डाकघर बचत योजना के नियमों के अनुसार, भारतीय डाकघर बचत बैंक (स्थापना: **1882**) देश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा खुदरा बैंकिंग नेटवर्क है। यह वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय लघु बचत योजनाओं का संचालन करता है। वित्त मंत्रालय द्वारा प्रत्येक तिमाही के लिए ब्याज दरें अधिसूचित की जाती हैं।

## 5.2 अध्याय 5 का 4-नोड आरेख: डाकघर बचत योजनाओं का परिचालन एवं परिपक्वता प्रवाह

**[नोड 1: ग्राहक ऑनबोर्डिंग एवं केवाईसी — सीआईएफ निर्माण, पैन व आधार सीडिंग]** **[नोड 2: योजना चयन व निवेश — न्यूनतम/अधिकतम सीमा के अनुसार खाता खोलना व नामांकन]** **[नोड 3: ब्याज गणना व कर लाभ — मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक चक्रवृद्धि एवं धारा 80सी छूट]** **[नोड 4: सेवा एवं परिपक्वता — ऋण/आंशिक निकासी, खाता विस्तार अथवा परिपक्वता भुगतान]**

- **नोड 1:** कोर बैंकिंग (फिनाकल) में ग्राहक सूचना फाइल (सीआईएफ) का सृजन और केवाईसी सत्यापन।
- **नोड 2:** एकल, संयुक्त-ए या संयुक्त-बी खाते का चयन और अधिकतम 4 व्यक्तियों तक नामांकन।
- **नोड 3:** वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित तिमाही दरों के अनुसार ब्याज का आकलन और आयकर छूट।
- **नोड 4:** निर्धारित अवधि पूर्ण होने पर मूलधन व ब्याज का भुगतान या खाते का विस्तार।

## 5.3 समस्त 10 डाकघर बचत योजनाओं की मास्टर तुलनात्मक सारणी (नवीनतम दरें: अक्टूबर–दिसंबर 2026)

अक्टूबर-दिसंबर 2026 की आधिकारिक लघु बचत दरों एवं राष्ट्रीय बचत योजना विवरण के आधार पर सभी योजनाओं का संपूर्ण विवरण नीचे दिया गया है:

| योजना का नाम | नवीनतम वार्षिक ब्याज दर | न्यूनतम जमा राशि | अधिकतम जमा सीमा | परिपक्वता अवधि | धारा 80सी लाभ एवं प्रमुख विशेषताएँ |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. डाकघर बचत खाता (एसबी)** | **4.0% वार्षिक** | **500 रुपये** | कोई अधिकतम सीमा नहीं | चालू खाता (निरंतर) | धारा 80टीटीए के तहत **10,000 रुपये** तक ब्याज कर-मुक्त (धारा 10(15)(i) के तहत एकल खाते में 3,500 रुपये और संयुक्त में 7,000 रुपये अतिरिक्त छूट) |
| **2. 5-वर्षीय आवर्ती जमा (आरडी)** | **6.7% वार्षिक** (त्रैमासिक चक्रवृद्धि) | **100 रुपये प्रतिमाह** (10 के गुणक में) | कोई अधिकतम सीमा नहीं | **5 वर्ष** (आगे 5 वर्ष विस्तार योग्य) | 12 किस्तें जमा होने व 1 वर्ष बाद जमा राशि का **50% ऋण**; 3 वर्ष बाद समय-पूर्व बंदी अनुमत |
| **3. सावधि जमा (टीडी — 1, 2, 3 व 5 वर्ष)** | **1 वर्ष: 6.9%<br>2 वर्ष: 7.0%<br>3 वर्ष: 7.1%<br>5 वर्ष: 7.5%** | **1,000 रुपये** (100 के गुणक में) | कोई अधिकतम सीमा नहीं | **1, 2, 3 एवं 5 वर्ष** | ब्याज की गणना **त्रैमासिक** किंतु भुगतान **वार्षिक**; केवल **5-वर्षीय टीडी** पर धारा 80सी लाभ मिलता है; 6 माह से पहले बंद नहीं हो सकता |
| **4. मासिक आय योजना (एमआईएस)** | **7.4% वार्षिक** (मासिक भुगतान) | **1,000 रुपये** (1,000 के गुणक में) | एकल खाता: **9 लाख रुपये**<br>संयुक्त खाता: **15 लाख रुपये** | **5 वर्ष** | हर महीने निश्चित ब्याज आय; 1 वर्ष से पहले बंद नहीं; 1 से 3 वर्ष में बंद करने पर 2% कटौती और 3 से 5 वर्ष में 1% कटौती |
| **5. वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस)** | **8.2% वार्षिक** (त्रैमासिक भुगतान) | **1,000 रुपये** (1,000 के गुणक में) | **30 लाख रुपये** | **5 वर्ष** (3 वर्ष का विस्तार संभव) | आयु: **60 वर्ष+** (स्वैच्छिक सेवानिवृत्त सिविल कर्मियों हेतु **55-60 वर्ष** एवं सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों हेतु **50 वर्ष+**); धारा 80सी लाभ |

| योजना का नाम | नवीनतम वार्षिक ब्याज दर | न्यूनतम जमा राशि | अधिकतम जमा सीमा | परिपक्वता अवधि | धारा 80सी लाभ एवं प्रमुख विशेषताएँ |
|---|---|---|---|---|---|
| **6. लोक भविष्य निधि (पीपीएफ)** | **7.1% वार्षिक** (वार्षिक चक्रवृद्धि) | **500 रुपये** प्रति वित्तीय वर्ष | **1,50,000 रुपये** प्रति वित्तीय वर्ष | **15 वर्ष** (5-5 वर्ष के ब्लॉक में अनंत विस्तार) | पूर्णतः **ई-ई-ई (EEE)** श्रेणी (निवेश, ब्याज व परिपक्वता तीनों कर-मुक्त); **संयुक्त खाता नहीं** खुल सकता; 3रे से 6ठे वर्ष में ऋण एवं 7वें वर्ष से आंशिक निकासी |
| **7. सुकन्या समृद्धि खाता (एसएसए)** | **8.2% वार्षिक** (वार्षिक चक्रवृद्धि) | **250 रुपये** प्रति वित्तीय वर्ष | **1,50,000 रुपये** प्रति वित्तीय वर्ष | खाता खोलने से **21 वर्ष** (जमा केवल **15 वर्ष** तक) | **10 वर्ष से कम आयु** की बालिका हेतु; एक परिवार में अधिकतम **2 बालिकाओं** हेतु (जुड़वां होने पर 3); बालिका की आयु 18 वर्ष होने या 10वीं पास करने पर उच्च शिक्षा हेतु **50% निकासी** |
| **8. राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी — अष्टम निर्गम)** | **7.7% वार्षिक** (वार्षिक चक्रवृद्धि) | **1,000 रुपये** (100 के गुणक में) | कोई अधिकतम सीमा नहीं | **5 वर्ष** | ब्याज परिपक्वता पर देय; प्रथम 4 वर्षों का अर्जित ब्याज भी स्वतः पुनर्निवेशित मानकर धारा 80सी के अधीन कर-छूट का पात्र होता है |
| **9. किसान विकास पत्र (केवीपी)** | **7.5% वार्षिक** (वार्षिक चक्रवृद्धि) | **1,000 रुपये** (100 के गुणक में) | कोई अधिकतम सीमा नहीं | **115 माह (9 वर्ष और 7 माह)** में धन **दोगुना** | खाता खोलने के **2 वर्ष और 6 माह (30 माह)** बाद समय-पूर्व भुनाया जा सकता है; धारा 80सी का लाभ नहीं मिलता |
| **10. महिला सम्मान बचत पत्र (एमएसएससी)** | **7.5% वार्षिक** (त्रैमासिक चक्रवृद्धि) | **1,000 रुपये** (100 के गुणक में) | **2,00,000 रुपये** | **2 वर्ष** | किसी भी आयु की महिला या नाबालिग बालिका हेतु (1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2025 की निवेश विंडो); 1 वर्ष बाद **40% आंशिक निकासी** की सुविधा |

## 5.4 प्रत्येक योजना के विशिष्ट विभागीय एवं परीक्षा-उपयोगी नियम

**अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — 5.4 प्रत्येक योजना के विशिष्ट विभागीय एवं परीक्षा-उपयोगी नियम**

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1
**डाकघर बचत खाता (एसबी) के महत्वपूर्ण नियम**

प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
**आवर्ती जमा (आरडी) एवं चूक शुल्क (डिफॉल्ट फी)**

प्रमुख अध्ययन बिंदु 3
**जन सुरक्षा योजनाएँ (पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई एवं अटल पेंशन योजना)**

### 1. डाकघर बचत खाता (एसबी) के महत्वपूर्ण नियम

• **न्यूनतम शेष और रखरखाव शुल्क:** डाकघर बचत खाते में न्यूनतम शेष राशि **500 रुपये** रखना अनिवार्य है। यदि वित्तीय वर्ष के अंत में शेष राशि 500 रुपये से कम रहती है, तो **50 रुपये + जीएसटी** खाता रखरखाव शुल्क काटा जाता है, और शेष राशि शून्य होने पर खाता स्वतः बंद हो जाता है।

• **मौन / निष्क्रिय खाता (साइलेंट / डॉर्मेंट अकाउंट):** यदि किसी बचत खाते में लगातार **3 वित्तीय वर्षों** तक कोई जमा या निकासी (ब्याज को छोड़कर) नहीं होती है, तो वह खाता 'साइलेंट (निष्क्रिय)' हो जाता है। इसे पुनः सक्रिय कराने के लिए ताजा केवाईसी दस्तावेजों के साथ आवेदन देना होता है।

• **ब्याज गणना का नियम:** बचत खाते और पीपीएफ तथा सुकन्या खाते में ब्याज की गणना प्रत्येक महीने की **10 तारीख की समाप्ति और महीने के अंतिम दिन के बीच रहे न्यूनतम शेष** पर की जाती है। (अर्थात यदि कोई ग्राहक 11 तारीख को जमा करता है, तो उस महीने उस जमा राशि पर ब्याज नहीं मिलेगा; इसलिए 10 तारीख तक जमा करना लाभप्रद होता है)।

• **एटीएम एवं चेक बुक सुविधा:** न्यूनतम 500 रुपये शेष वाले खाते में चेक बुक और रुपे एटीएम कार्ड की सुविधा उपलब्ध है। डाकघर एटीएम से प्रतिदिन अधिकतम **25,000 रुपये** और एक बार में अधिकतम **10,000 रुपये** निकाले जा सकते हैं।

### 2. आवर्ती जमा (आरडी) एवं चूक शुल्क (डिफॉल्ट फी)

• यदि आरडी खाता महीने की 1 से 15 तारीख के बीच खोला गया है, तो अगली किस्त हर महीने की **15 तारीख** तक और यदि 16 तारीख से महीने के अंत के बीच खोला गया है, तो हर महीने के **अंतिम कार्यदिवस** तक जमा की जानी चाहिए।

• समय पर किस्त न भरने पर **प्रत्येक 100 रुपये पर 1 रुपया** प्रति माह की दर से चूक शुल्क (डिफॉल्ट फी) लगता है।

• लगातार **4 महीनों तक चूक** होने पर खाता 'डिसकंटिन्यूड (बंद)' हो जाता है, जिसे **2 अतिरिक्त महीनों** की छूट अवधि के भीतर चूक शुल्क सहित किस्तें जमा करके पुनर्जीवित किया जा सकता है।

• **अग्रिम जमा पर छूट (रिबेट):** 6 से 11 महीनों की किस्त एक साथ अग्रिम जमा करने पर 100 रुपये के मूल्यवर्ग पर **10 रुपये** और 12 महीनों की किस्त अग्रिम जमा करने पर **40 रुपये** की छूट मिलती है।

### *3. जन सुरक्षा योजनाएँ (पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई एवं अटल पेंशन योजना)*

डाकघर बचत बैंक खातों के माध्यम से तीन प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ भी संचालित की जाती हैं:

1. **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना:** आयु सीमा **18 से 50 वर्ष**; वार्षिक प्रीमियम **436 रुपये**; किसी भी कारण से मृत्यु होने पर **2 लाख रुपये** का जीवन बीमा कवर।

2. **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना:** आयु सीमा **18 से 70 वर्ष**; वार्षिक प्रीमियम **20 रुपये**; दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता पर **2 लाख रुपये** और आंशिक स्थायी विकलांगता पर **1 लाख रुपये** का कवर।

3. **अटल पेंशन योजना:** आयु सीमा **18 से 40 वर्ष** (केवल गैर-आयकरदाता नागरिकों हेतु); 60 वर्ष की आयु के बाद योगदान के अनुसार **1,000, 2,000, 3,000, 4,000 या 5,000 रुपये प्रतिमाह** की गारंटीड पेंशन।

## *5.5 अध्याय 5 की स्मृति ट्रिक्स (याद रखने के अचूक सूत्र)*

**★ ट्रिक 1 (सर्वोच्च ब्याज दर वाली जुड़वां योजनाएँ - 8.2%):**
"घर की सबसे छोटी बेटी (सुकन्या समृद्धि) और घर के सबसे बड़े बुजुर्ग (वरिष्ठ नागरिक योजना) — दोनों को मिलता है सबसे ज्यादा सम्मान और सबसे ज्यादा ब्याज: **8.2 प्रतिशत**!"

**ट्रिक 2 (7.5% ब्याज वाली तीन योजनाएँ):**
"5-साल की टीडी, किसान विकास पत्र (115 माह में दोगुना) और महिला सम्मान बचत पत्र — तीनों की दर एक समान: **7.5 प्रतिशत**!"

**ट्रिक 3 (एमआईएस और एससीएसएस की अधिकतम सीमा):**
"एमआईएस में अकेला 9 लाख, दो मिलें (संयुक्त) तो 15 लाख; वरिष्ठ नागरिक (एससीएसएस) में सीधा दोगुना 30 लाख!"

## *5.6 अध्याय 5 के विगत वर्षों के हल प्रश्न (पीवाईक्यू बूस्टर)*

**अभ्यास प्रश्न #25** — परीक्षा उपयोगी प्रश्न

1. **प्रश्न:** सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के लिए न्यूनतम और अधिकतम वार्षिक जमा राशि क्या है तथा वर्तमान ब्याज दर कितनी है? (डाक सहायक एवं पोस्टमैन परीक्षा 2025)

**उत्तर:** न्यूनतम 250 रुपये तथा अधिकतम 1,50,000 रुपये प्रति वित्तीय वर्ष; वर्तमान ब्याज दर 8.2% वार्षिक है।

**अभ्यास प्रश्न #26** — परीक्षा उपयोगी प्रश्न

2. **प्रश्न:** किसान विकास पत्र (केवीपी) में निवेश की गई राशि वर्तमान 7.5% ब्याज दर पर कितने महीनों में दोगुनी हो जाती है? (डाक सहायक परीक्षा 2025)

**उत्तर:** 115 महीनों (9 वर्ष और 7 माह) में।

**अभ्यास प्रश्न #27** — परीक्षा उपयोगी प्रश्न

3. **प्रश्न:** डाकघर मासिक आय योजना (एमआईएस) में एकल खाते और संयुक्त खाते की अधिकतम जमा सीमा क्या है? (पोस्टमैन परीक्षा 2024)

**उत्तर:** एकल खाते में अधिकतम 9 लाख रुपये और संयुक्त खाते (अधिकतम 3 वयस्क) में 15 लाख रुपये।

**अभ्यास प्रश्न #28** — परीक्षा उपयोगी प्रश्न

4. **प्रश्न:** वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) में अधिकतम निवेश सीमा को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? (डाक निरीक्षक परीक्षा 2024)

**उत्तर:** 30 लाख रुपये।

**अभ्यास प्रश्न #29** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

5. **प्रश्न:** डाकघर बचत खाते (एसबी) में प्रत्येक माह ब्याज की गणना किस अवधि के न्यूनतम शेष पर की जाती है? (एमटीएस परीक्षा 2025)

**उत्तर:** महीने की 10 तारीख की समाप्ति और महीने के अंतिम दिन के बीच रहे न्यूनतम शेष पर।

**अभ्यास प्रश्न #30** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

6. **प्रश्न:** लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) खाते की परिपक्वता अवधि कितनी होती है और क्या इसे संयुक्त नाम से खोला जा सकता है? (पीए/एसए परीक्षा 2024)

**उत्तर:** परिपक्वता अवधि 15 वित्तीय वर्ष होती है (खाता खोलने के वित्तीय वर्ष को छोड़कर) और इसे संयुक्त नाम से नहीं खोला जा सकता (केवल एकल खाता अनुमत है)।

## *अध्याय 6: डाक जीवन बीमा (1884, 6 योजनाएँ), ग्रामीण डाक जीवन बीमा (1995, मल्होत्रा समिति, 6 योजनाएँ) एवं इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक*

## *6.1 डाक जीवन बीमा (पीएलआई) का इतिहास, पात्रता एवं मुख्य विशेषताएँ*

डाक जीवन बीमा के आधिकारिक विवरण के अनुसार, डाक जीवन बीमा भारत की सबसे पुरानी जीवन बीमा योजना है, जिसकी शुरुआत **1 फरवरी 1884** को भारत की महारानी को राज्य सचिव के अनुमोदन से डाक कर्मचारियों के कल्याणार्थ की गई थी।

- **ऐतिहासिक विस्तार:** वर्ष 1888 में इसे तार विभाग के कर्मचारियों के लिए और **1894** में डाक एवं तार विभाग की **महिला कर्मचारियों** के लिए खोला गया (उस समय देश की कोई भी अन्य बीमा कंपनी महिलाओं का बीमा नहीं करती थी)।
- **वर्तमान पात्रता (2017 के विस्तार के पश्चात):** केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राष्ट्रीयकृत बैंक, रक्षा एवं अर्धसैनिक बल, स्थानीय निकाय, सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के कर्मचारी और साथ ही **स्नातक/डिप्लोमाधारी पेशेवर** (डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, आर्किटेक्ट, प्रबंधक) तथा मान्यता प्राप्त शेयर बाजार (एनएसई/बीएसई) में सूचीबद्ध कंपनियों के कर्मचारी इसके पात्र हैं।
- **न्यूनतम एवं अधिकतम बीमा राशि:** न्यूनतम बीमा राशि **20,000 रुपये** और अधिकतम बीमा राशि **50 लाख रुपये** है।
- **मूल मंत्र:** "कम प्रीमियम और सर्वाधिक बोनस" — यह भारतीय बीमा बाजार में सबसे कम प्रीमियम पर सर्वाधिक बोनस देने वाली सरकारी योजना है।

## *6.2 अध्याय 6 का 4-नोड आरेख: डाक बीमा (पीएलआई/आरपीएलआई) एवं इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक पारिस्थितिकी तंत्र*

**[नोड 1: ग्राहक पात्रता एवं प्रस्ताव — पीएलआई (वेतनभोगी/पेशेवर) या आरपीएलआई (ग्रामीण निवासी/बचत खाताधारक)]** **[नोड 2: मैककैमिश कोर इंश्योरेंस इंजन — पॉलिसी बॉन्ड निर्गमन, प्रीमियम कटौती व बोनस संचयन]** **[नोड 3: पॉलिसी सेवाएँ — ऋण, समर्पण (सरेंडर), रूपांतरण, पुनर्जीवन एवं नामांकन]** **[नोड 4: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) एकीकरण — घर बैठे डिजिटल प्रीमियम भुगतान व दावा निपटान]**

- **नोड 1:** शहरी/पेशेवर वर्ग के लिए पीएलआई (अधिकतम 50 लाख रुपये) और ग्रामीण वर्ग के लिए आरपीएलआई (अधिकतम 10 लाख रुपये) का चयन।
- **नोड 2:** केंद्रीय कोर इंश्योरेंस समाधान (मैककैमिश) पर ऑनलाइन प्रस्ताव दर्ज करना और त्वरित पॉलिसी संख्या आवंटन।
- **नोड 3:** निर्धारित वर्ष पूर्ण होने पर ऋण, समर्पण मूल्य या जीवित रहने के आवधिक लाभ (मनी बैक) का भुगतान।
- **नोड 4:** इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और दर्पण उपकरणों के माध्यम से देश के किसी भी डाकघर या घर के दरवाजे पर प्रीमियम जमा करने की सुविधा।

## 6.3 डाक जीवन बीमा (पीएलआई) की सभी 6 योजनाओं का संपूर्ण विवरण

**डाक जीवन बीमा की 6 योजनाओं एवं बोनस दरों** का तुलनात्मक विश्लेषण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:

| क्र. | पीएलआई योजना का नाम (हिंदी नाम) | योजना का प्रकार | प्रवेश आयु सीमा | ऋण एवं समर्पण (सरेंडर) नियम | बोनस दर (प्रति 1,000 रुपये बीमा राशि पर वार्षिक) एवं प्रमुख विशेषताएँ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **सुरक्षा** (आजीवन बीमा) | होल लाइफ एश्योरेंस | **19 से 55 वर्ष** | **4 वर्ष** बाद ऋण; **3 वर्ष** बाद समर्पण (5 वर्ष से पहले समर्पण पर बोनस नहीं) | **बोनस: 76 रुपये**; बीमित व्यक्ति को 80 वर्ष की आयु पर (या पूर्व मृत्यु पर नामिती को) बोनस सहित राशि मिलती है; प्रीमियम भुगतान की आयु 55, 58 या 60 वर्ष चुनी जा सकती है |
| 2 | **संतोष** (बंदोबस्ती बीमा) | एंडोमेंट एश्योरेंस | **19 से 55 वर्ष** | **3 वर्ष** बाद ऋण; **3 वर्ष** बाद समर्पण | **बोनस: 52 रुपये**; पूर्व-निर्धारित परिपक्वता आयु (35, 40, 45, 50, 55, 58 या 60 वर्ष) पूर्ण होने पर मूल बीमा राशि + संचित बोनस का भुगतान |
| 3 | **सुविधा** (परिवर्तनीय आजीवन बीमा) | कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस | **19 से 50 वर्ष** | **4 वर्ष** बाद ऋण (यदि संतोष में बदला तो 3 वर्ष बाद); **3 वर्ष** बाद समर्पण | **बोनस: 76 रुपये** (रूपांतरण के बाद संतोष की दर **52 रुपये**); पॉलिसी लेने के **5 वर्ष बाद** (किंतु 6 वर्ष पूर्ण होने से पहले) इसे 'संतोष' में बदलने का विकल्प |
| 4 | **सुमंगल** (प्रत्याशित बंदोबस्ती / मनी बैक) | एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस | **19 से 40 वर्ष** (20 वर्षीय हेतु) एवं **19 से 45 वर्ष** (15 वर्षीय हेतु) | इसमें **ऋण या समर्पण की सुविधा नहीं** होती (क्योंकि आवधिक भुगतान मिलता है) | **बोनस: 48 रुपये**; अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये:<br>• **15 वर्षीय पॉलिसी:** 6, 9 व 12वें वर्ष के अंत में **20%-20%-20%** तथा 15वें वर्ष पर शेष **40%** + **पूरा बोनस**।<br>• **20 वर्षीय पॉलिसी:** 8, 12 व 16वें वर्ष के अंत में **20%-20%-20%** तथा 20वें वर्ष पर शेष **40%** + **पूरा बोनस**। |
| 5 | **युगल सुरक्षा** (संयुक्त जीवन बंदोबस्ती बीमा) | जॉइंट लाइफ एंडोमेंट एश्योरेंस | **21 से 45 वर्ष** (बड़े जीवन साथी की आयु के आधार पर प्रीमियम गणना) | **3 वर्ष** बाद ऋण; **3 वर्ष** बाद समर्पण | **बोनस: 52 रुपये**; पति-पत्नी दोनों को एक ही पॉलिसी और एक ही प्रीमियम में जीवन बीमा सुरक्षा (दंपति में से कम से कम एक पीएलआई का पात्र होना चाहिए); अवधि 5 से 20 वर्ष |
| 6 | **बाल जीवन बीमा** (चिल्ड्रन पॉलिसी) | चिल्ड्रन पॉलिसी | बच्चे की आयु **5 से 20 वर्ष** (माता-पिता की आयु **45 वर्ष से अधिक न हो**) | इसमें **ऋण या समर्पण की सुविधा नहीं** होती; 5 वर्ष लगातार प्रीमियम देने पर पेड-अप बन जाती है | **बोनस: 52 रुपये**; मुख्य पॉलिसीधारक के अधिकतम **2 बच्चों** हेतु; अधिकतम बीमा राशि **3 लाख रुपये** (या माता-पिता की मुख्य पॉलिसी के बराबर, जो भी कम हो); **विशेष लाभ:** माता-पिता (प्रस्तावक) की मृत्यु होने पर भविष्य के सभी प्रीमियम माफ हो जाते हैं और परिपक्वता पर बच्चे को पूरी राशि व बोनस मिलता है! |

## 6.4 ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएलआई — 1995, मल्होत्रा समिति एवं 6 योजनाएँ)

**ग्रामीण डाक जीवन बीमा के आधिकारिक विवरण** के अनुसार:

- **स्थापना एवं समिति:** बीमा क्षेत्र में सुधारों के लिए गठित **आर.एन. मल्होत्रा समिति (1993)** की सिफारिशों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों की जनता, विशेषकर कमजोर वर्गों और ग्रामीण महिला श्रमिकों को जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए **24 मार्च 1995** को ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएलआई) की शुरुआत की गई।
- **पात्रता एवं सीमा:** कोई भी ग्रामीण निवासी (या डाकघर बचत बैंक / अनुसूचित बैंक का सक्रिय खाताधारक) इसे ले सकता है। इसमें न्यूनतम बीमा राशि **10,000 रुपये** और अधिकतम बीमा राशि **10 लाख रुपये** है।

### ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएलआई) की सभी 6 योजनाएँ

| क्र. | आरपीएलआई योजना का नाम | पीएलआई की समतुल्य योजना | प्रवेश आयु सीमा | बोनस दर (प्रति 1,000 रुपये बीमा राशि पर वार्षिक) एवं विशेष नियम |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **ग्राम सुरक्षा** (आजीवन बीमा) | सुरक्षा के समतुल्य | **19 से 55 वर्ष** | **बोनस: 60 रुपये**; 4 वर्ष बाद ऋण एवं 3 वर्ष बाद समर्पण की सुविधा |

| क्र. | आरपीएलआई योजना का नाम | पीएलआई की समतुल्य योजना | प्रवेश आयु सीमा | बोनस दर (प्रति 1,000 रुपये बीमा राशि पर वार्षिक) एवं विशेष नियम |
|---|---|---|---|---|
| 2 | **ग्राम संतोष** (बंदोबस्ती बीमा) | संतोष के समतुल्य | **19 से 55 वर्ष** | **बोनस: 48 रुपये**; 3 वर्ष बाद ऋण एवं समर्पण की सुविधा |
| 3 | **ग्राम सुविधा** (परिवर्तनीय आजीवन बीमा) | सुविधा के समतुल्य | **19 से 45 वर्ष** | **बोनस: 60 रुपये** (रूपांतरण के बाद 48 रुपये); 5 वर्ष के अंत में ग्राम संतोष में बदलने का विकल्प |
| 4 | **ग्राम सुमंगल** (मनी बैक बीमा) | सुमंगल के समतुल्य | **19 से 40 वर्ष** (20 वर्षीय) व **19 से 45 वर्ष** (15 वर्षीय) | **बोनस: 45 रुपये**; 15 वर्षीय (6, 9, 12 वर्ष पर 20% व अंत में 40%+बोनस) तथा 20 वर्षीय (8, 12, 16 वर्ष पर 20% व अंत में 40%+बोनस) |
| 5 | **ग्राम प्रिया** (10-वर्षीय ग्रामीण मनी बैक) | **केवल आरपीएलआई में उपलब्ध** (पीएलआई में नहीं) | **20 से 45 वर्ष** | **बोनस: 45 रुपये**; **10 वर्ष की अल्पावधि पॉलिसी**: **4 वर्ष पर 20%, 7 वर्ष पर 20% और 10 वर्ष पूरे होने पर शेष 60% + संचित बोनस** मिलता है; प्राकृतिक आपदा (बाढ़, सूखा, चक्रवात) की स्थिति में **1 वर्ष तक बिना ब्याज के प्रीमियम स्थगन** की विशेष छूट! |
| 6 | **बाल जीवन बीमा** (ग्रामीण चिल्ड्रन पॉलिसी) | बाल पॉलिसी के समतुल्य | बच्चे की आयु **5 से 20 वर्ष** (माता-पिता ≤ 45 वर्ष) | **बोनस: 48 रुपये**; अधिकतम 2 बच्चों हेतु; अधिकतम बीमा राशि **1 लाख रुपये** (या माता-पिता की पॉलिसी के बराबर, जो कम हो); बिना मेडिकल जाँच के जारी |

## *6.5 इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) — "आपका बैंक, आपके द्वार"*

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की सेवाओं तथा डाक बैंकिंग पोर्टल के अनुसार:

• **स्थापना एवं उद्घाटन:** कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत **17 अगस्त 2016** को निगमित किया गया। **30 जनवरी 2017** को रांची (झारखंड) और रायपुर (छत्तीसगढ़) में इसकी 2 पायलट शाखाएँ शुरू हुईं तथा **1 सितंबर 2018** को प्रधानमंत्री द्वारा देश भर में इसका राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया गया।

• **स्वामित्व एवं नियामक:** यह संचार मंत्रालय (डाक विभाग) के अधीन **100 प्रतिशत भारत सरकार के स्वामित्व** वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के तहत 'भुगतान बैंक (पेमेंट्स बैंक)' का लाइसेंस दिया गया है।

• **मुख्यालय एवं टैगलाइन:** इसका कॉर्पोरेट मुख्यालय **नई दिल्ली** में है और इसकी टैगलाइन **"आपका बैंक, आपके द्वार"** है।

• **प्रमुख परिचालन नियम एवं सीमाएँ:**

1. **अधिकतम जमा सीमा:** किसी भी ग्राहक के खाते में दिन के अंत में अधिकतम शेष सीमा **2,00,000 रुपये (2 लाख रुपये)** है (पहले यह 1 लाख रुपये थी, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया)।

2. **स्वीप-इन और स्वीप-आउट सुविधा:** यदि ग्राहक अपने आईपीपीबी खाते को अपने **डाकघर बचत बैंक (पीओएसबी) खाते** से लिंक कर लेता है, तो दिन के अंत में 2 लाख रुपये से अधिक की कोई भी अतिरिक्त राशि स्वतः पीओएसबी खाते में स्थानांतरित (स्वीप-आउट) हो जाती है, जहाँ अधिकतम जमा की कोई सीमा नहीं है।

3. **ऋण एवं क्रेडिट कार्ड निषेध:** भुगतान बैंक होने के नाते आईपीपीबी **सीधे तौर पर कोई ऋण (लोन) नहीं दे सकता और न ही क्रेडिट कार्ड जारी कर सकता है** (हालाँकि यह तीसरे पक्ष के बैंकों और बीमा कंपनियों के उत्पाद वितरित कर सकता है)।

4. **प्रमुख डोरस्टेप सेवाएँ:** आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस), डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (जीवन प्रमाण — पेंशनभोगियों के लिए), बच्चों का 5 वर्ष तक नि:शुल्क आधार नामांकन एवं मोबाइल नंबर अद्यतन (सीईएलसी), तथा डाकपे (DakPay) यूपीआई ऐप।

## 6.6 अध्याय 6 की स्मृति ट्रिक्स (याद रखने के अचूक सूत्र)

★ **ट्रिक 1 (पीएलआई बनाम आरपीएलआई की 6 योजनाएँ — केवल एक का अंतर):**
"पीएलआई में है 'युगल सुरक्षा' (पति-पत्नी की जोड़ी), जबकि आरपीएलआई में उसकी जगह है 'ग्राम प्रिया' (10 साल वाली किसान की सहेली: 4, 7 और 10वें साल में 20%-20%-60% देगी)!"

**ट्रिक 2 (सुमंगल 15 वर्ष बनाम 20 वर्ष के मनी-बैक वर्ष):**
"15 साल वाली में 3 का पहाड़ा (6, 9, 12वें साल में 20%-20%-20% और 15वें में 40%); 20 साल वाली में 4 का पहाड़ा (8, 12, 16वें साल में 20%-20%-20% और 20वें में 40%)!"

**ट्रिक 3 (बाल जीवन बीमा की अधिकतम सीमा):**
"शहर (पीएलआई) के बच्चे को 3 लाख, गाँव (आरपीएलआई) के बच्चे को 1 लाख — और दोनों में अधिकतम 2 बच्चे तथा माता-पिता की उम्र 45 साल के अंदर!"

## 6.7 अध्याय 6 के विगत वर्षों के हल प्रश्न (पीवाईक्यू बूस्टर)

**अभ्यास प्रश्न #31** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

1. **प्रश्न:** डाक जीवन बीमा (पीएलआई) की शुरुआत कब हुई और इसमें अधिकतम कितने रुपये तक का बीमा किया जा सकता है? (ग्रामीण डाक सेवक से एमटीएस परीक्षा 2024)

**उत्तर:** 1 फरवरी 1884 को शुरुआत हुई और इसमें अधिकतम 50 लाख रुपये तक का बीमा किया जा सकता है (न्यूनतम 20,000 रुपये)।

**अभ्यास प्रश्न #32** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

2. **प्रश्न:** ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएलआई) की शुरुआत किस समिति की सिफारिश पर और किस तिथि को हुई? (पोस्टमैन एवं पीए परीक्षा 2025)

**उत्तर:** आर.एन. मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर 24 मार्च 1995 को हुई (अधिकतम बीमा सीमा 10 लाख रुपये)।

**अभ्यास प्रश्न #33** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

3. **प्रश्न:** आरपीएलआई की 'ग्राम प्रिया' योजना की कुल अवधि कितनी होती है और इसमें जीवित रहने के लाभ कब-कब मिलते हैं? (डाक सहायक परीक्षा 2024)

**उत्तर:** कुल अवधि 10 वर्ष होती है; चौथे वर्ष के अंत में 20%, सातवें वर्ष के अंत में 20% और दसवें वर्ष (परिपक्वता) पर शेष 60% राशि बोनस सहित मिलती है।

**अभ्यास प्रश्न #34** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

4. **प्रश्न:** पीएलआई की 'सुविधा (परिवर्तनीय आजीवन बीमा)' पॉलिसी को कितने वर्ष पूरे होने के बाद बंदोबस्ती बीमा (संतोष) में बदला जा सकता है? (डाक निरीक्षक परीक्षा 2024)

**उत्तर:** पॉलिसी लेने के 5 वर्ष पूरे होने के बाद (किंतु 6 वर्ष पूरे होने से पहले)।

**अभ्यास प्रश्न #35** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

5. **प्रश्न:** इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ कब हुआ और इसमें दिन के अंत में अधिकतम शेष राशि की सीमा क्या है? (एमटीएस एवं पोस्टमैन परीक्षा 2025)

**उत्तर:** राष्ट्रव्यापी शुभारंभ 1 सितंबर 2018 को हुआ (पायलट शुरुआत 30 जनवरी 2017 को रांची व रायपुर में) और अधिकतम शेष सीमा 2,00,000 रुपये (2 लाख रुपये) है।

**अभ्यास प्रश्न #36** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

6. **प्रश्न:** पीएलआई और आरपीएलआई की 'बाल जीवन बीमा' योजना में अधिकतम बीमा राशि क्रमशः कितनी है? (डाक सहायक परीक्षा 2025)

**उत्तर:** पीएलआई बाल जीवन बीमा में अधिकतम 3 लाख रुपये और आरपीएलआई बाल जीवन बीमा में अधिकतम 1 लाख रुपये।

# अध्याय 7: सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण परियोजना 2.0, कोर बैंकिंग (फिनाकल), कोर इंश्योरेंस (मैककैमिश), सीएसआई एवं दर्पण प्रणाली

## 7.1 भारतीय डाक की आईटी आधुनिकीकरण परियोजना (चरण 1.0 एवं चरण 2.0)

भारतीय डाक आधुनिकीकरण एवं डिजिटलीकरण प्रेस विज्ञप्ति तथा आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 2.0 गाइड के अनुसार, भारतीय डाक विभाग को पूर्णतः डिजिटल और कागज-रहित बनाने के लिए दो चरणों में यह महत्वाकांक्षी परियोजना लागू की गई है:

- **आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 1.0 (2012–2020):** नवंबर 2012 में **4,909 करोड़ रुपये** के बजट परिव्यय के साथ स्वीकृत की गई। इसमें कुल **8 प्राथमिक खंड (सेगमेंट्स)** थे, जिनके माध्यम से देश के सभी विभागीय डाकघरों और ग्रामीण शाखा डाकघरों को एकीकृत नेटवर्क से जोड़ा गया।
- **आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 2.0 (2022–2030 / उन्नत डिजिटल रूपरेखा):** जून 2022 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा **5,785 करोड़ रुपये** के परिव्यय के साथ 8 वर्षों की अवधि के लिए स्वीकृत की गई।
- **प्रमुख उद्देश्य:** क्लाउड-नेटिव आर्किटेक्चर (मेघराज क्लाउड), एकीकृत ग्राहक पोर्टल, अगली पीढ़ी के एंड्रॉइड आधारित स्मार्ट दर्पण उपकरण, रीयल-टाइम जीपीएस ट्रैकिंग, एपीआई आधारित ओपन आर्किटेक्चर और साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र की स्थापना।
- **तकनीकी केंद्र:** इस परियोजना के स्वदेशी सॉफ्टवेयर विकास, रखरखाव और संचालन में **डाक प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र (सीईपीटी — सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी, मैसूरु)** की केंद्रीय भूमिका है।

## 7.2 अध्याय 7 का 4-नोड आरेख: भारतीय डाक का एकीकृत आईटी आर्किटेक्चर (आईटी 2.0)

**[नोड 1: नेटवर्क एवं डेटा सेंटर (एनआई और डीसीएफ) — वैन/एसडी-वैन कनेक्टिविटी, नवी मुंबई प्राथमिक डेटा सेंटर व मैसूरु डीआरसी]** **[नोड 2: वित्तीय एवं बीमा कोर इंजन (एफएसआई) — फिनाकल (सीबीएस) एवं मैककैमिश (सीआईएस)]** **[नोड 3: डाक एवं प्रशासनिक कोर (सीएसआई व एमएनओपी) — एसएपी आधारित ईआरपी, पीओएस, एचआरएमएस व लेखा]** **[नोड 4: अंतिम छोर वितरण (दर्पण व पीएमए) — ग्रामीण शाखा डाकघर आरआईसीटी डिवाइस एवं पोस्टमैन मोबाइल ऐप]**

- **नोड 1:** सभी डाकघरों को जोड़ने वाला सुरक्षित वाइड एरिया नेटवर्क, नवी मुंबई स्थित मुख्य डेटा सेंटर और मैसूरु स्थित डिजास्टर रिकवरी सेंटर।
- **नोड 2:** बचत बैंक खातों के लिए इन्फोसिस का फिनाकल और पीएलआई/आरपीएलआई के लिए मैककैमिश सॉफ्टवेयर।
- **नोड 3:** काउंटर बुकिंग, रेल डाक सेवा, वित्त एवं मानव संसाधन प्रबंधन के लिए टीसीएस द्वारा कार्यान्वित एसएपी प्लेटफॉर्म।
- **नोड 4:** गाँव के शाखा डाकघर में दर्पण (आरआईसीटी) उपकरण और डाकिये के हाथ में पोस्टमैन मोबाइल ऐप द्वारा रीयल-टाइम वितरण।

## 7.3 आईटी परियोजना के सभी 8 मुख्य खंड (सेगमेंट्स) और उनके वेंडर

| खंड (सेगमेंट) का नाम | संक्षिप्त नाम | मुख्य कार्य एवं तकनीकी विवरण | कार्यान्वयन वेंडर / भागीदार |
|---|---|---|---|
| **1. डेटा सेंटर फैसिलिटी** | डी.सी.एफ. | **प्राथमिक डेटा सेंटर: नवी मुंबई (रिलायंस)** में स्थापित; **डिजास्टर रिकवरी सेंटर (डीआरसी): मैसूरु (सीईपीटी परिसर)** में स्थापित | रिलायंस कम्युनिकेशंस / सैटल (अब मेघराज क्लाउड एकीकरण) |
| **2. नेटवर्क इंटीग्रेटर** | एन.आई. | देश भर के सभी प्रधान व उप डाकघरों को सिफी एमपीएलएस वैन नेटवर्क से जोड़ना (एकल नेटवर्क - सिंगल नेटवर्क) | सिफी टेक्नोलॉजीज |
| **3. फाइनेंशियल सर्विसेज सिस्टम इंटीग्रेटर** | एफ.एस.आई. | **कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस - फिनाकल)** और **कोर इंश्योरेंस समाधान (सीआईएस - मैककैमिश)** तथा एटीएम/नेटबैंकिंग व ई-बैंकिंग का संचालन | **इन्फोसिस लिमिटेड** |
| **4. कोर सिस्टम इंटीग्रेटर** | सी.एस.आई. | डाक प्रचालन (पॉइंट ऑफ सेल काउंटर), वितरण, वित्त एवं लेखा (एफ एंड ए), तथा मानव संसाधन (एचआरएमएस — एसएपी ईआरपी आधारित) | **टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस)** |

| खंड (सेगमेंट) का नाम | संक्षिप्त नाम | मुख्य कार्य एवं तकनीकी विवरण | कार्यान्वयन वेंडर / भागीदार |
|---|---|---|---|
| **5. रूरल हार्डवेयर** | आर.एच. | 1.30 लाख+ ग्रामीण शाखा डाकघरों को हैंडहेल्ड डिवाइस (आरआईसीटी), बायोमेट्रिक स्कैनर, थर्मल प्रिंटर और सोलर चार्जिंग देना | टीसीआईएल, रिको व करूर वैश्य/इन्फोसिस कंसोर्टियम (आईटी 2.0 में एंड्रॉइड स्मार्ट डिवाइस) |
| **6. रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर** | आर.एस.आई. | ग्रामीण शाखा डाकघरों के दर्पण उपकरणों के लिए सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों (सीबीएस, सीआईएस, दर्पण मेल) का एकीकरण | **इन्फोसिस लिमिटेड** (एवं अब सीईपीटी एकीकृत दर्पण 2.0 ऐप) |
| **7. मेल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट** | एम.एन.ओ.पी. | स्पीड पोस्ट, पंजीकृत डाक और पार्सल की छंटाई, पारेषण और एंड-टू-एंड ट्रैकिंग के प्रमुख निष्पादन संकेतकों (केपीआई) की निगरानी | केपीएमजी / आंतरिक निदेशालय निगरानी |
| **8. चेंज मैनेजमेंट** | सी.एम. | विभाग के लाखों कर्मचारियों एवं ग्रामीण डाक सेवकों को नई डिजिटल प्रणालियों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण | टीसीएस एवं विभागीय प्रशिक्षण केंद्र (रफी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादमी, गाजियाबाद व पीटीसी) |

## 7.4 कोर बैंकिंग (फिनाकल), कोर इंश्योरेंस (मैककैमिश), सीएसआई एवं दर्पण के महत्वपूर्ण कमांड व तथ्य

**अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — 7.4 कोर बैंकिंग (फिनाकल), कोर इंश्योरेंस (मैककैमिश), सीएसआई एवं दर्पण के महत्वपूर्ण कमांड व तथ्य**

| प्रमुख अध्ययन बिंदु 1 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 2 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 3 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 4 |
|---|---|---|---|
| कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस — फिनाकल) के प्रमुख मेनू कमांड (परीक्षा में सीधे पूछे जाने वाले प्रश्न) | कोर इंश्योरेंस समाधान (सीआईएस — मैककैमिश) | कोर सिस्टम इंटीग्रेटर (सीएसआई — टीसीएस / एसएपी) | दर्पण प्रणाली (डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया) |

### 1. कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस — फिनाकल) के प्रमुख मेनू कमांड (परीक्षा में सीधे पूछे जाने वाले प्रश्न)

सीएसआई एवं बैंकिंग परिचालन एसओपी के अंतर्गत डाक सहायक परीक्षा में फिनाकल के प्रमुख मेनू कोड पूछे जाते हैं:

- **सीआईएफ (ग्राहक सूचना फाइल) बनाना:** `CCRC` (कस्टमर क्रिएशन) और सत्यापन हेतु `CIFCR` / `CMRC` (संशोधन)।
- **बचत खाता (एसबी) खोलना:** `CASBAO` (ओपन) और सत्यापन हेतु `CASBAV` (वेरिफाई)।
- **बचत खाते में नकद जमा / निकासी:** `CTM` (कस्टमर ट्रांजेक्शन मेंटेनेंस)।
- **आवर्ती जमा (आरडी), एमआईएस, टीडी व एससीएसएस खाता खोलना:** `CRDOAAC` (आरडी), `CMISAAC` (एमआईएस), `CTDOAAC` (टीडी), `CSCSAC` (एससीएसएस)।
- **लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) एवं सुकन्या समृद्धि (एसएसए) खाता खोलना:** `CPPFAAC` और `CPDTM` (जमा लेनदेन)।
- **खाता बंद करना (क्लोजर):** `CAACLA` (एसबी क्लोजर) और `CRDCAAC` (आरडी/टीडी क्लोजर)।
- **हस्ताक्षर एवं फोटो अपलोड/देखना:** `PIES` / `SVS` (सिग्नेचर वेरिफिकेशन सिस्टम)।

### 2. कोर इंश्योरेंस समाधान (सीआईएस — मैककैमिश)

- यह पीएलआई और आरपीएलआई पॉलिसियों के प्रबंधन का वेब-आधारित केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर है।
- इसके माध्यम से पॉलिसी प्रस्ताव का इंडेक्सिंग, प्रीमियम संग्रह (नकद, चेक, ऑनलाइन या वेतन से कटौती), ऋण, समर्पण और परिपक्वता या मृत्यु दावों का निपटान किसी भी डाकघर से किया जा सकता है।

### 3. कोर सिस्टम इंटीग्रेटर (सीएसआई — टीसीएस / एसएपी)

- **पीओएस (पॉइंट ऑफ सेल):** काउंटर पर डाक टिकट बेचने, स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री, पार्सल और ई-मनीऑर्डर बुक करने का मॉड्यूल।
- **डीपीएमएस (डिलीवरी एंड पोस्टमैन मैनेजमेंट सिस्टम):** डाक प्राप्त करने, पोस्टमैन को बीट अनुसार डाक सौंपने और वितरण दर्ज करने का मॉड्यूल।

• **एफ एंड ए (फाइनेंस एंड अकाउंट्स — एसएपी):** डाकघर के दैनिक खातों, नकद प्रवाह, टीसीबी (ट्रेजरी कैश बैलेंस) और डीटीआर (डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट) का प्रबंधन। **प्रॉफिट सेंटर (लाभ केंद्र) कोड 10 अंकों** का होता है और **सुविधा आईडी (फैसिलिटी आईडी)** प्रत्येक डाकघर की विशिष्ट पहचान होती है।

### *4. दर्पण प्रणाली (डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया)*

• **दर्पण का पूर्ण रूप:** डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया।

• इसके अंतर्गत देश के सभी ग्रामीण शाखा डाकघरों को **आरआईसीटी (रूरल इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी)** उपकरण प्रदान किए गए हैं।

• **दर्पण 2.0 (आईटी 2.0 के अंतर्गत):** पुराने भारी उपकरणों के स्थान पर अब सभी ग्रामीण डाक सेवकों को **एंड्रॉइड आधारित स्मार्ट मोबाइल/टैबलेट, ब्लूटूथ थर्मल प्रिंटर और बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट स्कैनर** के साथ **एकीकृत दर्पण ऐप** दिया गया है, जिसमें एक ही स्क्रीन पर चार मुख्य मॉड्यूल कार्य करते हैं:

1. **दर्पण मेल प्रचालन:** स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री व पार्सल बुकिंग, बैग ओपनिंग, वितरण एवं बैग क्लोजिंग तथा **बीओ डेली अकाउंट जनरेशन**।

2. **दर्पण सीबीएस (बचत बैंक):** एसबी, आरडी, टीडी और सुकन्या खातों में नकद जमा, निकासी (न्यूनतम/अधिकतम बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सहित) और नया खाता खोलने का प्रस्ताव। (शाखा डाकघर में दर्पण डिवाइस से बिना लेखा कार्यालय की पूर्व-स्वीकृति के एक दिन में एक खाते से अधिकतम **20,000 रुपये** तक की निकासी की जा सकती है)।

3. **दर्पण सीआईएस (पीएलआई/आरपीएलआई):** प्रीमियम जमा करना, नई पॉलिसी का प्रस्ताव (कोट्स) बनाना और सेवा अनुरोध दर्ज करना।

4. **आईपीपीबी / सेल्फी मॉड्यूल:** आधार सक्षम भुगतान प्रणाली और घर-द्वार बैंकिंग।

## *7.5 अध्याय 7 की स्मृति ट्रिक्स (याद रखने के अचूक सूत्र)*

★ **ट्रिक 1 (आईटी परियोजना के मुख्य वेंडर और केंद्र):**
"बैंकिंग-इंश्योरेंस (फिनाकल व मैककैमिश) चलाए इन्फोसिस, काउंटर-एसएपी (सीएसआई) चलाए टीसीएस; प्राइमरी डेटा सेंटर नवी मुंबई में, डिजास्टर रिकवरी व सीईपीटी मैसूरु में!"

**ट्रिक 2 (आईटी 1.0 बनाम आईटी 2.0 का बजट):**
"2012 में आईटी 1.0 आया 4,909 करोड़ का; 2022 में आईटी 2.0 आया 5,785 करोड़ का!"

**ट्रिक 3 (फिनाकल के कमांड पहचानने का सूत्र):**
"शुरू में ***CA*** दिखे तो बचत खाता (***CASBAO***), ***CRD*** दिखे तो आरडी (***CRDOAAC***), ***CMIS*** दिखे तो एमआईएस, और नकद लेनदेन के लिए सदाबहार ***CTM***!"

## *7.6 अध्याय 7 के विगत वर्षों के हल प्रश्न (पीवाईक्यू बूस्टर)*

**अभ्यास प्रश्न #37** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

1. **प्रश्न:** भारतीय डाक की 'दर्पण' परियोजना का पूर्ण रूप क्या है? (ग्रामीण डाक सेवक से एमटीएस एवं पोस्टमैन परीक्षा 2025)

**उत्तर:** डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया (Digital Advancement of Rural Post Office for A New India)।

**अभ्यास प्रश्न #38** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

2. **प्रश्न:** भारतीय डाक विभाग का प्राथमिक डेटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी सेंटर (डीआरसी) क्रमशः कहाँ स्थित हैं? (डाक सहायक परीक्षा 2024)

**उत्तर:** प्राथमिक डेटा सेंटर नवी मुंबई में और डिजास्टर रिकवरी सेंटर (डीआरसी) तथा सीईपीटी मैसूरु (कर्नाटक) में स्थित है।

**अभ्यास प्रश्न #39** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

3. **प्रश्न:** डाकघर में कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) और कोर इंश्योरेंस समाधान (सीआईएस) के लिए क्रमशः कौन-से सॉफ्टवेयर उपयोग किए जाते हैं? (पोस्टमैन एवं पीए परीक्षा 2024)

**उत्तर:** कोर बैंकिंग (सीबीएस) के लिए 'फिनाकल' और कोर इंश्योरेंस (सीआईएस) के लिए 'मैककैमिश' सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है।

**अभ्यास प्रश्न #40** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

4. **प्रश्न:** आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 2.0 के लिए कुल कितने करोड़ रुपये का बजट परिव्यय स्वीकृत किया गया है? (डाक निरीक्षक परीक्षा 2025)

**उत्तर:** 5,785 करोड़ रुपये।

**अभ्यास प्रश्न #41** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

5. **प्रश्न:** दर्पण (आरआईसीटी) उपकरण के माध्यम से एक शाखा डाकघर में बिना लेखा कार्यालय की पूर्व-स्वीकृति के बचत खाते से अधिकतम कितनी राशि की नकद निकासी की जा सकती है? (एमटीएस एवं पोस्टमैन परीक्षा 2025)

**उत्तर:** 20,000 रुपये तक।

**अभ्यास प्रश्न #42** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

6. **प्रश्न:** फिनाकल सीबीएस में नया डाकघर बचत खाता खोलने और नकद जमा/निकासी करने के लिए किस मेनू कमांड का उपयोग होता है? (डाक सहायक परीक्षा 2024)

**उत्तर:** नया बचत खाता खोलने के लिए **CASBAO** और नकद जमा/निकासी के लिए **CTM** कमांड का उपयोग होता है।

# *अध्याय 8: बैंकिंग पदोन्नति (जेएआईआईबी प्रश्नपत्र 1 व 2): भारतीय अर्थव्यवस्था व वित्तीय प्रणाली तथा बैंकिंग के सिद्धांत और व्यवहार*

## *8.1 प्रश्नपत्र 1: भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भारतीय वित्तीय प्रणाली (आईई एंड आईएफएस)*

जेएआईआईबी के नवीनतम पाठ्यक्रम तथा जेएआईआईबी के प्रमुख विषयों के अनुसार, प्रथम प्रश्नपत्र 4 मॉड्यूलों में विभाजित है:

1. **भारतीय आर्थिक वास्तुकला:** प्राथमिक (कृषि व संबद्ध क्षेत्र), द्वितीयक (विनिर्माण व उद्योग) और तृतीयक (सेवा क्षेत्र — सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान >50%) क्षेत्र; नीति आयोग (स्थापना: 1 जनवरी 2015), आर्थिक सुधार (1991) एवं पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास।

2. **आर्थिक अवधारणाएँ एवं मौद्रिक नीति:**

• **राष्ट्रीय आय समुच्चय:** **जीडीपी (बाजार मूल्य पर) - मूल्यह्रास = एनडीपी (बाजार मूल्य पर)**; **जीडीपी + विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय = जीएनपी (सकल राष्ट्रीय उत्पाद)**।

• **मौद्रिक नीति के उपकरण (आरबीआई अधिनियम, 1934):**

• **नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर — धारा 42(1)):** बैंकों को अपनी **शुद्ध मांग और सावधि देयताओं (एनडीटीएल)** का एक निश्चित प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक के पास **नकद रूप में** रखना होता है (इस पर आरबीआई कोई ब्याज नहीं देता; इसकी कोई न्यूनतम या अधिकतम वैधानिक सीमा नहीं है)।

• **वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर — बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 24):** बैंकों को अपने एनडीटीएल का एक निश्चित प्रतिशत (अधिकतम सीमा **40%**) अपने पास नकद, स्वर्ण या भार-रहित सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखना होता है।

• **रेपो दर, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ), सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) और बैंक दर: मौद्रिक नीति समिति (धारा 45जेडबी)** में कुल **6 सदस्य** होते हैं (3 आरबीआई से — गवर्नर सहित, और 3 केंद्र सरकार द्वारा नामित); यह मुद्रास्फीति लक्ष्य **4% (±2% अर्थात 2% से 6%)** को बनाए रखने के लिए द्विमासिक नीति तय करती है।

3. **भारतीय वित्तीय वास्तुकला एवं नियामक:**

• **भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई):** स्थापना **1 अप्रैल 1935** (हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर, आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत); राष्ट्रीयकरण **1 जनवरी 1949**।

• **प्रमुख वित्तीय नियामक:** सेबी (पूंजी बाजार — अधिनियम 1992), इरडाई (बीमा क्षेत्र — अधिनियम 1999, मुख्यालय हैदराबाद), पीएफआरडीए (पेंशन क्षेत्र — अधिनियम 2013), तथा नाबार्ड (कृषि एवं ग्रामीण विकास — स्थापना **12 जुलाई 1982**, शिवरमन समिति की सिफारिश पर)।

• **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल):** वाणिज्यिक बैंकों (विदेशी बैंकों सहित जिनकी 20 या अधिक शाखाएँ हैं) के लिए समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का **40%** (जिसमें कृषि हेतु **18%**, सूक्ष्म उद्यमों हेतु **7.5%** और कमजोर वर्गों हेतु **12%** अनिवार्य है)। **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों** के लिए कुल पीएसएल लक्ष्य **75%** है!

4. **वित्तीय बाजार (मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार):**

• **मुद्रा बाजार के लिखत (1 वर्ष तक की अल्पावधि):** कॉल मनी (1 दिन), नोटिस मनी (2 से 14 दिन), टर्म मनी (15 दिन से 1 वर्ष), ट्रेजरी बिल (**91 दिन, 182 दिन और 364 दिन** — केंद्र सरकार द्वारा शून्य कूपन बॉन्ड के रूप में बट्टे पर जारी, न्यूनतम राशि **25,000 रुपये**), वाणिज्यिक पत्र (सीपी — कंपनियों द्वारा जारी असुरक्षित वचन पत्र, न्यूनतम **5 लाख रुपये**), और जमा प्रमाणपत्र (सीडी — बैंकों द्वारा जारी, न्यूनतम **5 लाख रुपये**)।

## 8.2 अध्याय 8 का 4-नोड आरेख: बैंकर-ग्राहक संबंध, कानूनी आदेश एवं केवाईसी-एएमएल सुरक्षा चक्र

**[नोड 1: ग्राहक ऑनबोर्डिंग (एएमएल-केवाईसी) — जोखिम वर्गीकरण (निम्न/मध्यम/उच्च) व सीडीडी सत्यापन] [नोड 2: संविदात्मक संबंध निर्धारण — जमा में ऋणी-लेनदार, लॉकर में पट्टादाता-पट्टेदार, सुरक्षित अभिरक्षा में निक्षेपग्रहीता-निक्षेपी] [नोड 3: बैंक के वैधानिक अधिकार — सामान्य ग्रहणाधिकार (धारा 171), समंजन का अधिकार (सेट-ऑफ) व विनियोजन (क्लेटन नियम)] [नोड 4: अदालती व कर कुर्की आदेश — गार्निशी आदेश (सीपीसी आदेश 21 नियम 46) एवं आयकर कुर्की (धारा 226(3))]**

• **नोड 1:** धन-शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों से ग्राहक पहचान।

• **नोड 2:** ग्राहक द्वारा चुनी गई बैंकिंग सेवा के अनुसार बैंक और ग्राहक की कानूनी भूमिका का परिवर्तन।

• **नोड 3:** ऋण चूक की स्थिति में बैंक द्वारा ग्राहक की प्रतिभूतियों या जमा राशि को रोकने व समायोजित करने का अधिकार।

• **नोड 4:** न्यायालय के गार्निशी आदेश या आयकर विभाग के नोटिस पर ग्राहक के खाते से निकासी पर तत्काल रोक।

## 8.3 प्रश्नपत्र 2: बैंकिंग के सिद्धांत और व्यवहार (पीपीबी) — बैंकर-ग्राहक संबंध (संपूर्ण सारणी)

बैंकिंग पदोन्नति और जेएआईआईबी परीक्षा में हर वर्ष **बैंकर और ग्राहक के बीच संबंध** पर कम से कम 3 से 5 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं:

| बैंकिंग लेनदेन / सेवा का प्रकार | बैंकर (बैंक) की स्थिति | ग्राहक की स्थिति | लागू कानून एवं विशेष नियम |
|---|---|---|---|
| **1. जमा खाता (बचत, चालू, सावधि, आवर्ती जमा)** | **ऋणी (Debtor)** | **लेनदार (Creditor)** | राशि जमा होते ही उसका स्वामित्व बैंक का हो जाता है और बैंक मांगने पर चुकाने का ऋणी होता है |
| **2. ऋण एवं अग्रिम खाता (लोन, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट)** | **लेनदार (Creditor)** | **ऋणी (Debtor)** | ग्राहक ऋण चुकाने के लिए बाध्य है |
| **3. सुरक्षित जमा लॉकर (सेफ डिपॉजिट लॉकर)** | **पट्टादाता (Lessor) / लाइसेंसर** | **पट्टेदार (Lessee) / लाइसेंसी** | संपत्ति अंतरण अधिनियम (लॉकर का स्थान किराये पर दिया जाता है) |
| **4. सुरक्षित अभिरक्षा (सेफ कस्टडी ऑफ आर्टिकल्स)** | **निक्षेपग्रहीता (Bailee)** | **निक्षेपी (Bailor)** | भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की **धारा 148** |
| **5. गिरवी (प्लेज — चल संपत्ति पर ऋण)** | **पणधारी (Pawnee / Pledgee)** | **पणकार (Pawnor / Pledgor)** | भारतीय संविदा अधिनियम की **धारा 172** (कब्जा बैंक के पास रहता है) |
| **6. दृष्टिबंधक (हाइपोथिकेशन — जैसे वाहन/स्टॉक ऋण)** | **दृष्टिबंधकग्राही (Hypothecatee)** | **दृष्टिबंधककर्ता (Hypothecator)** | **सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 2(n)** (कब्जा और स्वामित्व दोनों ग्राहक के पास रहते हैं) |
| **7. बंधक (मॉर्टगेज — अचल संपत्ति/भूमि-भवन पर ऋण)** | **बंधकग्राही (Mortgagee)** | **बंधककर्ता (Mortgagor)** | संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की **धारा 58** |
| **8. चेक संग्रहण, स्थायी अनुदेश (स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन), शेयर खरीदना** | **अभिकर्ता / एजेंट (Agent)** | **प्रधान / मालिक (Principal)** | भारतीय संविदा अधिनियम की **धारा 182** |

| बैंकिंग लेनदेन / सेवा का प्रकार | बैंकर (बैंक) की स्थिति | ग्राहक की स्थिति | लागू कानून एवं विशेष नियम |
|---|---|---|---|
| **9. डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) जारी करना** | **क्रेता को जारी करने से पहले: ऋणी-लेनदार आदाता (पेयी) के प्रति: न्यासी-लाभार्थी** | **क्रेता / लाभार्थी (Beneficiary)** | एक बार जारी होने पर क्रेता एकतरफा डीडी का भुगतान नहीं रुकवा सकता |
| **10. ग्राहक द्वारा बैंक शाखा में गलती से छूटी वस्तु या बिना निर्देश के छोड़ा गया धन** | **न्यासी (Trustee)** | **लाभार्थी (Beneficiary)** | भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 |

## 8.4 गार्निशी आदेश, आयकर कुर्की, ग्रहणाधिकार एवं समंजन का अधिकार

**अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — 8.4 गार्निशी आदेश, आयकर कुर्की, ग्रहणाधिकार एवं समंजन का अधिकार**

**प्रमुख अध्ययन बिंदु 1**
**गार्निशी आदेश बनाम आयकर कुर्की आदेश (अत्यंत महत्वपूर्ण तुलना)**

**प्रमुख अध्ययन बिंदु 2**
**बैंकर का सामान्य ग्रहणाधिकार (जनरल लियन — भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 171)**

**प्रमुख अध्ययन बिंदु 3**
**धन-शोधन निवारण (पीएमएलए 2002) एवं केवाईसी मास्टर निदेश**

### 1. गार्निशी आदेश बनाम आयकर कुर्की आदेश (अत्यंत महत्वपूर्ण तुलना)

• **गार्निशी आदेश:** यह न्यायालय द्वारा **सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21, नियम 46** के तहत जारी किया जाता है।

• इसमें जिस व्यक्ति ने मुकदमा जीता है उसे **'निर्णय लेनदार (जजमेंट क्रेडिटर)'**, जिस ग्राहक पर बकाया है उसे **'निर्णय ऋणी (जजमेंट डेटर)'** और ग्राहक के बैंक को **'गार्निशी (निर्णय ऋणी का ऋणी)'** कहा जाता है।

• यह दो चरणों में जारी होता है: **1. ऑर्डर निसी (Order Nisi):** बैंक से कारण बताओ नोटिस के साथ खाते को फ्रीज करने का आदेश; **2. ऑर्डर एब्सोल्यूट (Order Absolute):** न्यायालय में राशि जमा करने का अंतिम आदेश।

• **आयकर कुर्की आदेश:** यह आयकर अधिकारी द्वारा **आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 226(3)** के तहत जारी किया जाता है।

| तुलनात्मक बिंदु | गार्निशी आदेश (न्यायालय द्वारा) | आयकर कुर्की आदेश (आयकर विभाग द्वारा) |
|---|---|---|
| **कानूनी धारा** | सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का **आदेश 21, नियम 46** | आयकर अधिनियम, 1961 की **धारा 226(3)** |
| **भविष्य में जमा होने वाली राशि** | आदेश मिलने के **समय** खाते में जमा राशि पर ही लागू होता है; आदेश मिलने के **बाद** जमा की गई राशि पर लागू **नहीं** होता | आदेश मिलने के समय की राशि के साथ-साथ **भविष्य में आने वाली राशि** पर भी लागू होता है |
| **संयुक्त खाता (जॉइंट अकाउंट)** | यदि आदेश केवल एक व्यक्ति के नाम है, तो संयुक्त खाते पर गार्निशी आदेश **लागू नहीं होता** | संयुक्त खाते पर **लागू होता है** (सभी खाताधारकों के समान हिस्से का अनुमान लगाया जाता है) |
| **मृतक का खाता** | आदेश मिलने से पहले ग्राहक की मृत्यु हो जाने पर लागू नहीं होता | मृतक के खाते से भी कर की वसूली की जा सकती है |
| **बैंक का समंजन अधिकार (राइट ऑफ सेट-ऑफ)** | गार्निशी आदेश लागू करने से पहले बैंक अपने **देय ऋण का समंजन (सेट-ऑफ) कर सकता है** | बैंक अपने देय ऋण का समंजन पहले कर सकता है |

### 2. बैंकर का सामान्य ग्रहणाधिकार (जनरल लियन — भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 171)

• **धारा 171** के अंतर्गत बैंक को अपने ग्राहक के उन सभी माल और प्रतिभूतियों को तब तक रोके रखने का अधिकार है जो **'बैंकर के रूप में सामान्य कामकाज के दौरान'** बैंक के कब्जे में आए हैं, जब तक ग्राहक अपने समस्त बकाया ऋणों का भुगतान न कर दे।

• **अप्रत्यक्ष बंधक (इम्प्लाइड प्लेज):** बैंकर के ग्रहणाधिकार को **'अप्रत्यक्ष गिरवी (Implied Pledge)'** कहा जाता है, क्योंकि एक सामान्य ग्रहणाधिकार धारक को केवल वस्तु रोकने का अधिकार होता है, किंतु **बैंकर को उचित नोटिस देकर उस प्रतिभूति को बेचने का भी अधिकार होता है!**

• **ग्रहणाधिकार के अपवाद:** सुरक्षित अभिरक्षा (सेफ कस्टडी) में रखी वस्तुओं, लॉकर की वस्तुओं, किसी विशेष उद्देश्य के लिए दी गई राशि, ट्रस्ट खातों और गलती से बैंक में छूटी वस्तुओं पर ग्रहणाधिकार लागू **नहीं** होता।

• **नकारात्मक ग्रहणाधिकार (नेगेटिव लियन):** इसमें ऋणी बैंक को लिखित घोषणा देता है कि उसकी अमुक संपत्ति वर्तमान में किसी भार से मुक्त है और वह बैंक की पूर्व-अनुमति के बिना भविष्य में उसे किसी अन्य को बेचने या गिरवी रखने का कार्य नहीं करेगा।

### *3. धन-शोधन निवारण (पीएमएलए 2002) एवं केवाईसी मास्टर निदेश*

भारतीय रिजर्व बैंक के केवाईसी मास्टर निदेश के अनुसार:

• **धन-शोधन के 3 चरण: 1. प्लेसमेंट (नियोजन):** काले धन को वित्तीय प्रणाली में डालना; **2. लेयरिंग (स्तरीकरण):** स्रोत छिपाने के लिए जटिल लेनदेन करना; **3. इंटीग्रेशन (एकीकरण):** धन को वैध संपत्ति के रूप में अर्थव्यवस्था में वापस लाना।

• **आवधिक केवाईसी अद्यतन (री-केवाईसी):**

• **उच्च जोखिम वाले ग्राहक:** प्रत्येक **2 वर्ष** में कम से कम एक बार।

• **मध्यम जोखिम वाले ग्राहक:** प्रत्येक **8 वर्ष** में कम से कम एक बार।

• **निम्न जोखिम वाले ग्राहक:** प्रत्येक **10 वर्ष** में कम से कम एक बार।

• **6 आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज (ओवीडी): 1. पासपोर्ट, 2. ड्राइविंग लाइसेंस, 3. आधार संख्या का प्रमाण, 4. मतदाता पहचान पत्र, 5. मनरेगा जॉब कार्ड, और 6. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) का पत्र**। (ध्यान रहे: **पैन कार्ड** ओवीडी की सूची में शामिल **नहीं** है; यह केवल कर प्रयोजनों के लिए अनिवार्य है)।

• **एफआईयू-आईएनडी (वित्तीय आसूचना इकाई - भारत) को रिपोर्टिंग:**

• **नकद लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर):** एक महीने में **10 लाख रुपये से अधिक** के नकद लेनदेन (या 50,000 रुपये से अधिक के क्रमिक संदिग्ध लेनदेन जिनका योग 10 लाख से अधिक हो) की रिपोर्ट अगले महीने की **15 तारीख** तक भेजी जाती है।

• **संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर):** किसी भी राशि का संदिग्ध लेनदेन होने पर संदेह की पुष्टि के **7 दिनों** के भीतर रिपोर्ट की जाती है।

• **जाली मुद्रा रिपोर्ट (सीसीआर):** अगले महीने की **15 तारीख** तक और 5 या अधिक जाली नोट पकड़े जाने पर तत्काल पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराई जाती है।

• **गैर-लाभकारी संगठन लेनदेन रिपोर्ट (एनटीआर):** एक महीने में **10 लाख रुपये से अधिक** की प्राप्तियों पर अगले महीने की **15 तारीख** तक।

• **रिकॉर्ड संरक्षण अवधि:** पीएमएलए अधिनियम के तहत लेनदेन और केवाईसी रिकॉर्ड को लेनदेन या खाता बंद होने की तिथि से कम से कम **5 वर्षों** तक सुरक्षित रखना अनिवार्य है।

## *8.5 अध्याय 8 की स्मृति ट्रिक्स (याद रखने के अचूक सूत्र)*

★ **ट्रिक 1 (बैंकर-ग्राहक संबंध याद करने की मास्टर चाबी):**
"जमा में बैंक 'ऋणी' (*Debtor*), लोन में बैंक 'लेनदार' (*Creditor*), लॉकर में बैंक 'पट्टादाता' (*Lessor*), सेफ कस्टडी में बैंक 'निक्षेपग्रहीता' (*Bailee*), और चेक कलेक्शन में बैंक 'एजेंट'!"

**ट्रिक 2 (री-केवाईसी के वर्ष — 2, 8, 10):**
"हाई रिस्क को 2 साल में देखो, मीडियम को 8 साल में, और लो रिस्क को 10 साल में (2 + 8 = 10)!"

**ट्रिक 3 (गार्निशी बनाम आयकर कुर्की में संयुक्त खाता):**
"एक व्यक्ति के नाम का गार्निशी आदेश संयुक्त खाते को छू नहीं पाता, पर आयकर (धारा 226(3)) संयुक्त खाते से भी अपना हिस्सा ले जाता!"

## 8.6 अध्याय 8 के विगत वर्षों के हल प्रश्न (पीवाईक्यू बूस्टर)

**अभ्यास प्रश्न #43** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

1. **प्रश्न:** जब कोई ग्राहक बैंक में 'सुरक्षित जमा लॉकर' किराये पर लेता है, तो बैंकर और ग्राहक के बीच क्या संबंध स्थापित होता है? (जेएआईआईबी पीपीबी परीक्षा 2025)

**उत्तर:** पट्टादाता और पट्टेदार (Lessor and Lessee / Licensor and Licensee) का संबंध।

**अभ्यास प्रश्न #44** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

2. **प्रश्न:** भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की किस धारा के अंतर्गत बैंकर को 'सामान्य ग्रहणाधिकार (जनरल लियन)' प्राप्त है और इसे क्या कहा जाता है? (बैंकिंग पदोन्नति एवं जेएआईआईबी 2024)

**उत्तर:** धारा 171 के अंतर्गत; इसे 'अप्रत्यक्ष गिरवी (Implied Pledge)' कहा जाता है।

**अभ्यास प्रश्न #45** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

3. **प्रश्न:** भारतीय रिजर्व बैंक के केवाईसी मास्टर निदेश के अनुसार उच्च, मध्यम और निम्न जोखिम वाले ग्राहकों के आवधिक केवाईसी अद्यतन की समय-सीमा क्या है? (जेएआईआईबी एवं सीएआईआईबी 2025)

**उत्तर:** उच्च जोखिम: प्रति 2 वर्ष, मध्यम जोखिम: प्रति 8 वर्ष, और निम्न जोखिम: प्रति 10 वर्ष।

**अभ्यास प्रश्न #46** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

4. **प्रश्न:** वित्तीय आसूचना इकाई (एफआईयू-आईएनडी) को 'संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर)' कितने दिनों के भीतर भेजनी होती है और इसमें न्यूनतम राशि की सीमा क्या है? (बैंक पदोन्नति परीक्षा 2024)

**उत्तर:** संदेह की पुष्टि होने के 7 दिनों के भीतर; एसटीआर के लिए कोई न्यूनतम राशि सीमा नहीं है (जबकि सीटीआर के लिए 10 लाख रुपये से अधिक की सीमा है)।

**अभ्यास प्रश्न #47** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

5. **प्रश्न:** क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) का कुल लक्ष्य कितना निर्धारित है? (जेएआईआईबी आईई एंड आईएफएस 2025)

**उत्तर:** समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 75 प्रतिशत (जबकि सामान्य वाणिज्यिक बैंकों के लिए 40 प्रतिशत है)।

**अभ्यास प्रश्न #48** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

6. **प्रश्न:** क्या एकल व्यक्ति के विरुद्ध जारी न्यायालय का गार्निशी आदेश उसके 'संयुक्त खाते (जॉइंट अकाउंट)' पर लागू होता है? (जेएआईआईबी पीपीबी 2024)

**उत्तर:** नहीं, एकल नाम का गार्निशी आदेश संयुक्त खाते पर लागू नहीं होता (जबकि संयुक्त नाम का गार्निशी आदेश व्यक्तिगत खाते पर लागू हो जाता है)।

# अध्याय 9: बैंकिंग पदोन्नति (जेएआईआईबी प्रश्नपत्र 3 व 4): लेखांकन व वित्तीय प्रबंधन तथा खुदरा बैंकिंग एवं संपदा प्रबंधन

## 9.1 प्रश्नपत्र 3: बैंकरों के लिए लेखांकन एवं वित्तीय प्रबंधन (एएफएम)

**अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — 9.1 प्रश्नपत्र 3: बैंकरों के लिए लेखांकन एवं वित्तीय प्रबंधन (एएफएम)**

| प्रमुख अध्ययन बिंदु 1 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 2 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 3 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 4 |
|---|---|---|---|
| लेखांकन के तीन स्वर्णिम नियम एवं अवधारणाएँ | बॉन्ड मूल्यांकन एवं परिपक्वता तक प्रतिफल (वाईटीएम — यील्ड टू मैच्योरिटी) | पूंजी बजट (कैपिटल बजटिंग) की तकनीकें | विदेशी मुद्रा अंकगणित (फॉरेक्स अरिथमेटिक) |

जेएआईआईबी पाठ्यक्रम और परीक्षा विश्लेषण के अनुसार तृतीय प्रश्नपत्र में लेखांकन के स्वर्णिम नियम, वित्तीय अनुपात, बॉन्ड मूल्यांकन (वाईटीएम), पूंजी बजट और विदेशी मुद्रा अंकगणित शामिल हैं:

### 1. लेखांकन के तीन स्वर्णिम नियम एवं अवधारणाएँ

- **व्यक्तिगत खाता (पर्सनल अकाउंट):** "पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो" (उदाहरण: राम का खाता, बैंक खाता, बकाया वेतन खाता — प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता)।
- **वास्तविक / संपत्ति खाता (रियल अकाउंट):** "जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो और जो बाहर जाए उसे क्रेडिट करो" (उदाहरण: नकद, भवन, मशीनरी, फर्नीचर, ख्याति/गुडविल)।
- **नाममात्र / आय-व्यय खाता (नॉमिनल अकाउंट):** "सभी खर्चों व हानियों को डेबिट करो और सभी आय व लाभों को क्रेडिट करो" (उदाहरण: वेतन, किराया, ब्याज, कमीशन)।
- **मूल लेखांकन समीकरण:** **कुल संपत्तियाँ (Assets) = बाह्य देयताएँ (Liabilities) + पूंजी / इक्विटी (Capital)**।

### 2. बॉन्ड मूल्यांकन एवं परिपक्वता तक प्रतिफल (वाईटीएम — यील्ड टू मैच्योरिटी)

- **कूपन दर बनाम चालू प्रतिफल बनाम वाईटीएम:**
- **कूपन दर:** बॉन्ड के अंकित मूल्य (फेस वैल्यू) पर कंपनी द्वारा दिया जाने वाला स्थिर वार्षिक ब्याज प्रतिशत।
- **चालू प्रतिफल (करंट यील्ड):** **चालू प्रतिफल = (वार्षिक कूपन ब्याज ÷ बॉन्ड का वर्तमान बाजार मूल्य) × 100**।
- **परिपक्वता तक प्रतिफल (वाईटीएम):** यदि कोई निवेशक बॉन्ड को आज के बाजार मूल्य पर खरीदकर परिपक्वता तक रखता है और सभी कूपन भुगतानों को उसी दर पर पुनर्निवेशित करता है, तो उसे मिलने वाली **आंतरिक प्रतिफल दर (आईआरआर)** को वाईटीएम कहते हैं।
- **सन्निकटन सूत्र (Approximate YTM Formula):**

**वाईटीएम ≈ [वार्षिक कूपन ब्याज + {(अंकित मूल्य - बाजार मूल्य) ÷ परिपक्वता के शेष वर्ष}] ÷ [(अंकित मूल्य + बाजार मूल्य) ÷ 2] × 100**

- **बॉन्ड के 4 स्वर्णिम प्रमेय (परीक्षा में सीधे पूछे जाने वाले नियम):**

1. **बॉन्ड मूल्य और बाजार ब्याज दर (वाईटीएम) के बीच हमेशा विपरीत (उल्टा) संबंध होता है:** यदि बाजार में ब्याज दर बढ़ती है, तो पुराने बॉन्ड का बाजार मूल्य **गिर जाता है**; और यदि ब्याज दर घटती है, तो बॉन्ड का बाजार मूल्य **बढ़ जाता है**!
2. यदि बॉन्ड **सममूल्य (एट पार)** पर बिक रहा है: **कूपन दर = चालू प्रतिफल = वाईटीएम**।
3. यदि बॉन्ड **बट्टे (डिस्काउंट — अंकित मूल्य से कम)** पर बिक रहा है: **कूपन दर < चालू प्रतिफल < वाईटीएम**।
4. यदि बॉन्ड **प्रीमियम (अंकित मूल्य से अधिक)** पर बिक रहा है: **कूपन दर > चालू प्रतिफल > वाईटीएम**।

### 3. पूंजी बजट (कैपिटल बजटिंग) की तकनीकें

दीर्घकालिक परियोजनाओं में निवेश के मूल्यांकन की दो श्रेणियाँ हैं:

• **गैर-बट्टागत तकनीकें (समय मूल्य की अनदेखी करने वाली):**

1. **पेबैक अवधि (भुगतान वापसी अवधि):** जितने वर्षों में प्रारंभिक निवेश की राशि वापस मिल जाती है ( **प्रारंभिक निवेश ÷ वार्षिक नकद अंतर्वाह** )।

2. **लेखांकन प्रतिफल दर (एआरआर):** **औसत वार्षिक कर-पश्चात शुद्ध लाभ ÷ औसत निवेश × 100** ।

• **बट्टागत तकनीकें (मुद्रा के समय मूल्य पर आधारित):**

1. **शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी — नेट प्रेजेंट वैल्यू):** **भविष्य के नकद अंतर्वाहों का वर्तमान मूल्य - प्रारंभिक निवेश** । यदि **एनपीवी > 0 (धनात्मक)** हो, तो परियोजना स्वीकार की जाती है।

2. **आंतरिक प्रतिफल दर (आईआरआर):** वह बट्टा दर जिस पर **एनपीवी शून्य (0)** हो जाता है और लाभप्रदता सूचकांक (पीआई) 1 के बराबर होता है। यदि **आईआरआर > पूंजी की लागत** हो, तो परियोजना स्वीकार की जाती है।

### 4. विदेशी मुद्रा अंकगणित (फॉरेक्स अरिथमेटिक)

• **प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष कोटेशन:** भारत में **2 अगस्त 1993** से सभी विदेशी मुद्रा लेनदेन **प्रत्यक्ष कोटेशन (डायरेक्ट कोट / होम करेंसी कोट)** में किए जाते हैं — अर्थात विदेशी मुद्रा की **1 इकाई स्थिर** रहती है और भारतीय रुपये की इकाइयाँ बदलती हैं (जैसे: **1 अमेरिकी डॉलर = 84.50 रुपये** )।

• **बैंकर का स्वर्णिम नियम (मैक्सिमम सूत्र):** "कम पर खरीदो और अधिक पर बेचो (*Buy Low, Sell High*)!"

• जब बैंक ग्राहक से विदेशी मुद्रा खरीदता है (निर्यात बिल, आवक विप्रेषण), तो वह **बिड दर (खरीद दर — कम वाली दर)** लगाता है और उसमें से अपना **मार्जिन घटाता** है।

• जब बैंक ग्राहक को विदेशी मुद्रा बेचता है (आयात बिल, विदेश यात्रा), तो वह **आस्क / ऑफर दर (बिक्री दर — अधिक वाली दर)** लगाता है और उसमें अपना **मार्जिन जोड़ता** है।

• **फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट:** **फॉरवर्ड दर = स्पॉट दर + प्रीमियम** अथवा **स्पॉट दर - डिस्काउंट** ।

## 9.2 अध्याय 9 का 4-नोड आरेख: वित्तीय प्रबंधन एवं खुदरा बैंकिंग-संपदा मूल्य श्रृंखला

**[नोड 1: वित्तीय लेखांकन व मूल्यांकन — बैलेंस शीट अनुपात, बॉन्ड वाईटीएम व एनपीवी/आईआरआर विश्लेषण]** **[नोड 2: खुदरा बैंकिंग उत्पाद डिजाइन — मसलो के पदानुक्रम के अनुसार जमा, आवास ऋण, वाहन ऋण व शिक्षा ऋण]** **[नोड 3: क्रेडिट स्कोरिंग व जोखिम मूल्यांकन — सिबिल स्कोर (300-900), एफओआईआर एवं एलटीवी अनुपात]** **[नोड 4: संपदा प्रबंधन व वसूली — म्यूचुअल फंड, बीमा, वैकल्पिक निवेश एवं सरफेसी अधिनियम 2002 वसूली]**

• **नोड 1:** बैंक एवं कॉर्पोरेट के वित्तीय स्वास्थ्य, बॉन्ड प्रतिफल और पूंजी निवेश की व्यवहार्यता का आकलन।

• **नोड 2:** ग्राहक की जीवन-चक्र आवश्यकताओं के अनुसार खुदरा ऋण और जमा उत्पादों का निर्माण।

• **नोड 3:** ऋण स्वीकृति से पूर्व क्रेडिट सूचना कंपनियों के स्कोर और पुनर्भुगतान क्षमता की जाँच।

• **नोड 4:** उच्च निवल मूल्य वाले ग्राहकों का पोर्टफोलियो प्रबंधन और एनपीए खातों में त्वरित वसूली।

## 9.3 प्रश्नपत्र 4: खुदरा बैंकिंग एवं संपदा प्रबंधन (आरबीडब्ल्यूएम)

| खुदरा बैंकिंग अवधारणा / उत्पाद | प्रमुख परीक्षा-उपयोगी मानदंड एवं नियामक नियम |
|---|---|
| **मसलो का आवश्यकता पदानुक्रम एवं बैंकिंग उत्पाद** | 1. **शारीरिक आवश्यकता:** बचत खाता, पर्सनल लोन; 2. **सुरक्षा आवश्यकता:** सावधि जमा, जीवन व स्वास्थ्य बीमा, कर बचत; 3. **सामाजिक आवश्यकता:** वाहन ऋण, गृह ऋण, उपभोक्ता टिकाऊ ऋण; 4. **सम्मान आवश्यकता:** विशेष गृह सुधार ऋण, गोल्ड/प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड; 5. **आत्म-सिद्धि आवश्यकता:** पेंशन योजना, संपदा प्रबंधन एवं रिवर्स मॉर्टगेज। |

| खुदरा बैंकिंग अवधारणा / उत्पाद | प्रमुख परीक्षा-उपयोगी मानदंड एवं नियामक नियम |
|---|---|
| **क्रेडिट सूचना स्कोर (सिबिल आदि)** | स्कोर की सीमा **300 से 900** तक होती है (सामान्यत: **750 या अधिक** का स्कोर उत्तम माना जाता है)। भारत में आरबीआई से पंजीकृत 4 प्रमुख क्रेडिट सूचना कंपनियाँ हैं: **ट्रांसयूनियन सिबिल, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन और सीआरआईएफ हाई मार्क**। |
| **गृह ऋण में एलटीवी (लोन टू वैल्यू) अनुपात** | • **30 लाख रुपये तक** के गृह ऋण पर: संपत्ति मूल्य का अधिकतम **90%** ऋण (10% मार्जिन)।<br>• **30 लाख से अधिक और 75 लाख रुपये तक:** अधिकतम **80%** ऋण (20% मार्जिन)।<br>• **75 लाख रुपये से अधिक:** अधिकतम **75%** ऋण (25% मार्जिन)। |
| **शिक्षा ऋण (मॉडल शिक्षा ऋण योजना)** | • **4 लाख रुपये तक** के शिक्षा ऋण पर: **कोई जमानत (कोलैटरल) या तृतीय पक्ष गारंटी नहीं** और **कोई मार्जिन नहीं (0% मार्जिन)**।<br>• **4 लाख से 7.5 लाख रुपये तक:** तृतीय पक्ष की संतोषजनक गारंटी (कोलैटरल मुक्त); भारत में अध्ययन हेतु 5% और विदेश में अध्ययन हेतु 15% मार्जिन।<br>• **7.5 लाख रुपये से अधिक:** मूर्त संपार्श्विक प्रतिभूति (कोलैटरल) आवश्यक; मोराटोरियम अवधि = **कोर्स की अवधि + 1 वर्ष**। |
| **रिवर्स मॉर्टगेज ऋण (आरएमएल)** | **60 वर्ष या अधिक** आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो अपने स्वयं के स्वामित्व वाले आवासीय मकान को बैंक के पास गिरवी रखकर नियमित मासिक/त्रैमासिक आय प्राप्त करते हैं; ऋण की अधिकतम भुगतान अवधि **20 वर्ष** होती है। |
| **सरफेसी अधिनियम, 2002 (त्वरित वसूली)** | ₹ **1 लाख से अधिक** के एनपीए खातों पर लागू (जहाँ बकाया राशि मूल ऋण के 20% से अधिक हो); **कृषि भूमि** पर लागू **नहीं** होता!<br>• **धारा 13(2):** ऋणी को **60 दिनों** का मांग नोटिस जारी किया जाता है।<br>• **धारा 13(4):** 60 दिनों में भुगतान न होने पर बैंक द्वारा प्रतिभूति का **कब्जा** लेना (कब्जे के विरुद्ध **45 दिनों** में डीआरटी में अपील और डीआरटी के आदेश के विरुद्ध **30 दिनों** में डीआरएटी में अपील)। |

## 9.4 अध्याय 9 की स्मृति ट्रिक्स (याद रखने के अचूक सूत्र)

**★ ट्रिक 1 (बॉन्ड मूल्य और ब्याज दर का तराजू):**
"बाजार की ब्याज दर और बॉन्ड का दाम — दोनों बैठे हैं सी-सॉ (झूले) के दोनों सिरों पर: एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे आएगा! और बट्टे (डिस्काउंट) पर बॉन्ड हो तो *YTM* सबसे बड़ा होगा!"

**ट्रिक 2 (सरफेसी अधिनियम की समय-सीमाएँ — 60, 45, 30 दिन):**
"धारा 13(2) का नोटिस दे 60 दिन की मोहलत; धारा 13(4) में कब्जा होने पर 45 दिन में जाओ डीआरटी की अदालत; और डीआरटी से संतुष्ट न हो तो 30 दिन में (50% जमा कर) जाओ डीआरएटी!"

**ट्रिक 3 (गृह ऋण का एलटीवी अनुपात — 90, 80, 75 प्रतिशत):**
"30 लाख तक 90% लोन, 30 से 75 लाख तक 80% लोन, और 75 लाख से ऊपर 75% लोन!"

## 9.5 अध्याय 9 के विगत वर्षों के हल प्रश्न (पीवाईक्यू बूस्टर)

**अभ्यास प्रश्न #49** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

1. **प्रश्न:** यदि 1,000 रुपये अंकित मूल्य और 8% वार्षिक कूपन दर वाला एक बॉन्ड वर्तमान में बाजार में 950 रुपये (बट्टे पर) में बिक रहा है, तो उसका वाईटीएम (परिपक्वता तक प्रतिफल) 8% से कम होगा या अधिक? (जेएआईआईबी एएफएम 2025)

**उत्तर:** 8% से अधिक होगा (क्योंकि जब बॉन्ड बट्टे पर बिकता है, तो **कूपन दर < चालू प्रतिफल < वाईटीएम** होता है)।

**अभ्यास प्रश्न #50** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

2. **प्रश्न:** पूंजी बजट में किस बट्टा दर पर परियोजना का 'शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी)' शून्य हो जाता है? (जेएआईआईबी एएफएम 2024)

**उत्तर:** आंतरिक प्रतिफल दर (आईआरआर — इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न) पर।

**अभ्यास प्रश्न #51** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

3. **प्रश्न:** सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत ऋणी को बकाया राशि चुकाने के लिए कितने दिनों का नोटिस दिया जाता है और क्या यह अधिनियम कृषि भूमि पर लागू होता है? (जेएआईआईबी आरबीडब्ल्यूएम एवं पदोन्नति परीक्षा 2025)

**उत्तर:** 60 दिनों का नोटिस दिया जाता है, और सरफेसी अधिनियम कृषि भूमि पर लागू नहीं होता है।

**अभ्यास प्रश्न #52** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

4. **प्रश्न:** भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार 30 लाख रुपये तक के आवास ऋण (होम लोन) के लिए अधिकतम 'लोन टू वैल्यू (एलटीवी)' अनुपात कितना हो सकता है? (जेएआईआईबी आरबीडब्ल्यूएम 2024)

**उत्तर:** अधिकतम 90 प्रतिशत।

**अभ्यास प्रश्न #53** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

5. **प्रश्न:** मॉडल शिक्षा ऋण योजना के तहत कितने रुपये तक के शिक्षा ऋण पर कोई मार्जिन और कोई संपार्श्विक जमानत (कोलैटरल) नहीं ली जाती है? (बैंक पदोन्नति परीक्षा 2025)

**उत्तर:** 4 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण पर।

**अभ्यास प्रश्न #54** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

6. **प्रश्न:** एक निर्यातक से 10,000 अमेरिकी डॉलर का तत्काल निर्यात बिल खरीदते समय बैंक कौन-सी विनिमय दर लागू करेगा? (जेएआईआईबी एएफएम 2024)

**उत्तर:** बैंक 'बिल बाइंग रेट' लागू करेगा, जिसकी गणना बाजार की कम दर (बिड रेट) में से बैंक का एक्सचेंज मार्जिन घटाकर की जाती है।

## *अध्याय 10: सीएआईआईबी एवं लिपिक-से-अधिकारी पदोन्नति विशेष: जोखिम प्रबंधन, कोषागार प्रबंधन एवं बैंकिंग विधि*

## *10.1 जोखिम प्रबंधन (क्रेडिट, मार्केट एवं ऑपरेशनल रिस्क) एवं बेसल-III मानक*

**अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — 10.1 जोखिम प्रबंधन (क्रेडिट, मार्केट एवं ऑपरेशनल रिस्क) एवं बेसल-III मानक**

| प्रमुख अध्ययन बिंदु 1 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 2 |
|---|---|
| **बैंकिंग जोखिम के तीन मुख्य स्तंभ** | **बेसल-III पूंजी पर्याप्तता मानदंड (अंतर्राष्ट्रीय मानक बनाम भारतीय रिजर्व बैंक के कड़े मानक)** |

**बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949** तथा **आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों** के अनुसार, सीएआईआईबी (उन्नत बैंक प्रबंधन और बैंक वित्तीय प्रबंधन) तथा अधिकारी पदोन्नति परीक्षाओं में जोखिम प्रबंधन और पूंजी पर्याप्तता अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हैं:

### *1. बैंकिंग जोखिम के तीन मुख्य स्तंभ*

1. **ऋण जोखिम (क्रेडिट रिस्क / डिफॉल्ट रिस्क):** ऋणी या प्रतिपक्ष द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुसार समय पर मूलधन या ब्याज न चुका पाने का जोखिम।

2. **बाजार जोखिम (मार्केट रिस्क):** बाजार चरों — जैसे **ब्याज दर जोखिम, विदेशी मुद्रा विनिमय दर जोखिम, इक्विटी मूल्य जोखिम और कमोडिटी मूल्य जोखिम** में प्रतिकूल परिवर्तन के कारण बैंक के ट्रेडिंग बुक या पोर्टफोलियो मूल्य में हानि का जोखिम। इसे मापने का प्रमुख उपकरण **'वैल्यू एट रिस्क (वीएआर)'** और **'अवधि विश्लेषण (ड्यूरेशन गैप)'** है।

3. **परिचालन जोखिम (ऑपरेशनल रिस्क):** अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, कर्मचारियों की त्रुटि/धोखाधड़ी, आईटी सिस्टम की विफलता या बाहरी घटनाओं से होने वाली हानि का जोखिम (इसमें कानूनी जोखिम शामिल है, किंतु रणनीतिक और प्रतिष्ठा जोखिम शामिल नहीं हैं)।

### 2. बेसल-III पूंजी पर्याप्तता मानदंड (अंतर्राष्ट्रीय मानक बनाम भारतीय रिजर्व बैंक के कड़े मानक)

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (बीसीबीएस, मुख्यालय: बासेल, स्विट्जरलैंड) की तुलना में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंकों के लिए **1 प्रतिशत अधिक कड़े** पूंजी पर्याप्तता मानक तय किए हैं:

| पूंजी घटक का नाम | बेसल-III अंतर्राष्ट्रीय मानक (जोखिम भारित आस्तियों का %) | भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) मानक (जोखिम भारित आस्तियों का %) |
|---|---|---|
| 1. सामान्य इक्विटी टियर-1 पूंजी (सीईटी-1) | 4.5% | 5.5% |
| 2. अतिरिक्त टियर-1 पूंजी (एटी-1) | 1.5% | 1.5% |
| 3. कुल टियर-1 पूंजी (गोइंग कंसर्न कैपिटल = सीईटी-1 + एटी-1) | 6.0% | 7.0% |
| 4. टियर-2 पूंजी (गॉन कंसर्न कैपिटल) | 2.0% | 2.0% |
| 5. न्यूनतम कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) | 8.0% | 9.0% |
| 6. पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी — पूर्णतः सीईटी-1 में) | 2.5% | 2.5% |
| 7. सीसीबी सहित कुल न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात | 10.5% | 11.5% |
| 8. लीवरेज अनुपात (टियर-1 पूंजी ÷ कुल एक्सपोजर) | 3.0% | 3.5% (डी-एसआईबी बैंकों हेतु 4.0%) |
| 9. तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) एवं एनएसएफआर | 100% | 100% (30 दिनों के तनाव परिदृश्य हेतु एचएक्यूएलए) |

★ **विशेष तथ्य (डी-एसआईबी बैंक):** भारतीय रिजर्व बैंक ने **भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक** को 'घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक (डी-एसआईबी — टू बिग टू फेल)' घोषित किया है, जिन्हें अतिरिक्त सीईटी-1 पूंजी रखनी होती है।

## 10.2 अध्याय 10 का 4-नोड आरेख: जोखिम प्रबंधन, एनपीए प्रावधान एवं बैंकिंग विधि सुरक्षा कवच

**[नोड 1: जोखिम पहचान व बेसल-III पूंजी — क्रेडिट, मार्केट व ऑपरेशनल रिस्क पर 11.5% सीआरएआर कवच] [नोड 2: आस्ति वर्गीकरण व आईआरएसी मानदंड — एसएमए-0/1/2 (1-90 दिन) एवं एनपीए (सब-स्टैंडर्ड, डाउटफुल व लॉस)] [नोड 3: कोषागार एवं एएलएम प्रबंधन — एलसीआर (100%), एनएसएफआर, मुद्रा बाजार व फॉरेक्स हेजिंग] [नोड 4: बैंकिंग विधि प्रवर्तन — बीआर अधिनियम 1949 एवं परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 (धारा 6, 13, 85, 131, 138)]**

- **नोड 1:** जोखिम भारित आस्तियों की गणना कर आरबीआई मानकों के अनुसार 9% सीआरएआर + 2.5% सीसीबी बनाए रखना।
- **नोड 2:** 90 दिनों से अधिक अतिदेय खाते को एनपीए घोषित कर निर्धारित प्रतिशत में प्रावधान करना।
- **नोड 3:** कोषागार विभाग द्वारा तरलता, सीआरआर/एसएलआर और ब्याज दर अंतराल का संतुलन।
- **नोड 4:** चेक संग्रहण व भुगतान में कानूनी संरक्षण (धारा 85 व 131) तथा चेक अनादरण पर धारा 138 की दांडिक कार्यवाही।

## 10.3 अनर्जक आस्तियाँ (एनपीए), एसएमए वर्गीकरण एवं प्रावधान मानदंड

जब किसी ऋण खाते में ब्याज या मूलधन की किस्त **90 दिनों से अधिक** अवधि के लिए अतिदेय (ओवरड्यू) रहती है (कृषि फसलों के मामले में: अल्पावधि फसलों के लिए **2 फसल मौसम** और दीर्घावधि फसलों के लिए **1 फसल मौसम**), तो वह खाता **अनर्जक आस्ति (एनपीए)** बन जाता है:

- **विशेष उल्लेख खाते (एसएमए — एनपीए बनने से पूर्व की चेतावनी श्रेणियाँ):**
- **एसएमए-0:** मूलधन या ब्याज **1 से 30 दिनों** तक अतिदेय।

• **एसएमए-1:** मूलधन या ब्याज **31 से 60 दिनों** तक अतिदेय।

• **एसएमए-2:** मूलधन या ब्याज **61 से 90 दिनों** तक अतिदेय।

• **एनपीए की 3 श्रेणियाँ एवं प्रावधान दरें:**

1. **अवमानक आस्ति (सब-स्टैंडर्ड एसेट):** जो खाता **12 माह या उससे कम** अवधि से एनपीए रहा है — सुरक्षित भाग पर **15%** और असुरक्षित भाग पर **25%** (अवसंरचना खातों में 20%) प्रावधान।

2. **संदिग्ध आस्ति (डाउटफुल एसेट):** जो खाता अवमानक श्रेणी में 12 माह पूर्ण कर चुका है:

• **डी-1 (1 वर्ष तक संदिग्ध):** सुरक्षित भाग पर **25%** + असुरक्षित भाग पर **100%** प्रावधान।

• **डी-2 (1 से 3 वर्ष तक संदिग्ध):** सुरक्षित भाग पर **40%** + असुरक्षित भाग पर **100%** प्रावधान।

• **डी-3 (3 वर्ष से अधिक संदिग्ध):** सुरक्षित एवं असुरक्षित दोनों पर **100%** प्रावधान।

3. **हानि आस्ति (लॉस एसेट):** जिसे बैंक के आंतरिक या बाह्य लेखापरीक्षक अथवा आरबीआई निरीक्षण द्वारा असंग्रहणीय घोषित कर दिया गया हो — **100% प्रावधान**।

## *10.4 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 एवं परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की प्रमुख धाराएँ*

**अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — 10.4 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 एवं परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की प्रमुख धाराएँ**

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1
**बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (16 मार्च 1949 से लागू) की सर्वाधिक महत्वपूर्ण धाराएँ**

प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
**परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1 मार्च 1882 से लागू) की सर्वाधिक महत्वपूर्ण धाराएँ (धारा 6, 13, 85, 131 एवं 138 का गहन विश्लेषण)**

### *1. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (16 मार्च 1949 से लागू) की सर्वाधिक महत्वपूर्ण धाराएँ*

• **धारा 5(b):** 'बैंकिंग' की परिभाषा — ऋण देने या निवेश करने के उद्देश्य से जनता से जमा स्वीकार करना, जो मांग पर या अन्यथा चेक, ड्राफ्ट या आदेश द्वारा आहरित की जा सके।

• **धारा 6:** बैंकिंग कंपनियों द्वारा किए जा सकने वाले स्वीकृत व्यवसायों की सूची।

• **धारा 8:** बैंकों द्वारा माल के प्रत्यक्ष क्रय-विक्रय या व्यापार करने पर प्रतिबंध।

• **धारा 9:** गैर-बैंकिंग अचल संपत्तियों के धारण पर प्रतिबंध (अधिकतम 7 वर्ष, आरबीआई द्वारा 5 वर्ष तक विस्तार योग्य)।

• **धारा 17:** आरक्षित निधि (रिजर्व फंड) — प्रत्येक बैंक को लाभांश घोषित करने से पूर्व अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का कम से कम **20%** आरक्षित निधि में स्थानांतरित करना अनिवार्य है।

• **धारा 19(2):** कोई भी बैंक किसी कंपनी के शेयरों में उस कंपनी की चुकता पूंजी के **30%** या अपनी स्वयं की चुकता पूंजी व रिजर्व के **30%** (जो भी कम हो) से अधिक के शेयर धारण नहीं कर सकता।

• **धारा 20:** बैंक द्वारा अपने स्वयं के शेयरों की जमानत पर ऋण देने या अपने निदेशकों को ऋण देने पर प्रतिबंध।

• **धारा 21 एवं 35A:** आरबीआई की ऋण नीति नियंत्रित करने की शक्ति (धारा 21) और जनहित या बैंकिंग नीति में बाध्यकारी निदेश जारी करने की शक्ति (धारा 35A)।

• **धारा 22:** बैंकिंग कंपनियों का लाइसेंसिंग।

• **धारा 24:** वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) बनाए रखने की अनिवार्यता (अधिकतम 40%)।

• **धारा 26A: जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष (डीईएएफ)** — जिन खातों में **10 वर्षों या उससे अधिक** समय से कोई परिचालन नहीं हुआ है (अदावाकृत जमा), उनकी राशि ब्याज सहित आरबीआई के इस कोष में स्थानांतरित कर दी जाती है (ग्राहक बाद में आने पर भी अपना धन ब्याज सहित वापस पाने का पूर्ण अधिकारी रहता है)।

• **धारा 45ZA से 45ZF:** जमा खातों (45ZA), सुरक्षित अभिरक्षा (45ZC) और लॉकर (45ZE) में **नामांकन (नॉमिनेशन)** के कानूनी प्रावधान।

### *2. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1 मार्च 1882 से लागू) की सर्वाधिक महत्वपूर्ण धाराएँ (धारा 6, 13, 85, 131 एवं 138 का गहन विश्लेषण)*

| धारा संख्या | विषय एवं कानूनी शीर्षक | विस्तृत कानूनी प्रावधान एवं परीक्षा हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु |
|---|---|---|
| **धारा 4** | वचन पत्र (प्रॉमिसरी नोट) | एक लिखित और हस्ताक्षरित लिखत (बैंक नोट या करेंसी नोट को छोड़कर) जिसमें निर्माता किसी निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेश पर एक निश्चित धनराशि चुकाने की **शर्त-रहित प्रतिज्ञा** करता है। इसमें मुख्यतः **2 पक्षकार** होते हैं (निर्माता/मेकर और आदाता/पेयी)। |
| **धारा 5** | विनिमय विपत्र (बिल ऑफ एक्सचेंज) | एक लिखित और हस्ताक्षरित लिखत जिसमें एक निश्चित व्यक्ति को किसी अन्य निश्चित व्यक्ति को निश्चित राशि चुकाने का **शर्त-रहित आदेश** दिया जाता है। इसमें **3 पक्षकार** होते हैं (आहर्ता/ड्रॉअर, अदाकर्ता/ड्रॉई और आदाता/पेयी)। |
| **धारा 6** | **चेक (Cheque) की परिभाषा** | चेक एक ऐसा **विनिमय विपत्र (बिल ऑफ एक्सचेंज)** है जो किसी विनिर्दिष्ट बैंकर पर आहरित किया जाता है और जो मांग के अलावा अन्यथा देय होने के लिए अभिव्यक्त नहीं है। इसमें **'इलेक्ट्रॉनिक रूप में चेक की छवि (ट्रंकेटेड चेक — सीटीएस 2010)'** और डिजिटल हस्ताक्षर युक्त इलेक्ट्रॉनिक चेक भी शामिल हैं। चेक की वैधता जारी होने की तिथि से **3 माह** होती है। |
| **धारा 13** | **परक्राम्य लिखत (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट)** | परक्राम्य लिखत का अर्थ है **वचन पत्र (धारा 4), विनिमय विपत्र (धारा 5) या चेक (धारा 6)**, जो या तो आदेशानुसार (ऑर्डर) देय हो या वाहक को (बेयरर) देय हो। |
| **धारा 85** | **अदाकर्ता बैंकर (पेइंग बैंकर) को वैधानिक संरक्षण** | • **धारा 85(1) — आदेश चेक:** यदि कोई आदेश चेक आदाता द्वारा पृष्ठांकित (एंडोर्स) होने का तात्पर्य रखता है और अदाकर्ता बैंक ने **यथाविधि भुगतान (Payment in due course — धारा 10)** किया है, तो आदाता के हस्ताक्षर जाली होने पर भी अदाकर्ता बैंक को पूर्ण कानूनी संरक्षण मिलता है!<br>• **धारा 85(2) — वाहक चेक:** मूल रूप से वाहक चेक हमेशा वाहक ही रहता है (*Once a bearer, always a bearer*)।<br>• **धारा 85A:** यही संरक्षण बैंक ड्राफ्ट (डीडी) के संबंध में अदाकर्ता बैंक को प्राप्त है। |
| **धारा 89** | तात्विक परिवर्तन रहित लिखत पर संरक्षण | यदि किसी चेक या सीटीएस छवि में कोई ऐसा तात्विक परिवर्तन (Material Alteration — धारा 87) किया गया है जो सामान्य जांच में **प्रकट नहीं होता**, और बैंक ने सद्भावपूर्वक तथा बिना लापरवाही के भुगतान किया है, तो अदाकर्ता बैंक को संरक्षण मिलता है। |
| **धारा 131** | **संग्रहकर्ता बैंकर (कलेक्टिंग बैंकर) को वैधानिक संरक्षण** | यदि किसी बैंकर ने **अपने ग्राहक के लिए, सद्भावपूर्वक और बिना किसी लापरवाही के**, किसी ऐसे चेक का भुगतान प्राप्त किया है जो उसके पास आने से पहले ही **सामान्य या विशेष रूप से रेखांकित (क्रॉस्ड — Pre-crossed)** था, और बाद में पता चलता है कि ग्राहक का उस चेक पर दोषपूर्ण अधिकार था, तो भी संग्रहकर्ता बैंक वास्तविक स्वामी के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। (**शर्तें:** केवल ग्राहक के लिए, केवल एजेंट के रूप में, केवल पूर्व-रेखांकित चेक पर, और सद्भाव व बिना लापरवाही के)। |
| **धारा 138** | **खाते में अपर्याप्त निधि आदि के कारण चेक का अनादरण (दांडिक अपराध)** | यदि किसी **वैध ऋण या देयता के भुगतान** के लिए जारी चेक खाते में अपर्याप्त शेष या बैंक के साथ तय सीमा से अधिक होने (अथवा स्टॉप पेमेंट/खाता बंद होने) के कारण बिना भुगतान लौटाया जाता है, तो यह एक दंडनीय अपराध है।<br>• **दंड:** चेक की राशि के **दोगुने तक जुर्माना**, या **2 वर्ष तक का कारावास**, या दोनों!<br>• **धारा 138 की 3 अनिवार्य समय-सीमाएँ (क्रमानुसार):**<br>1. चेक को उसकी **वैधता अवधि (3 माह)** के भीतर बैंक में प्रस्तुत किया गया हो।<br>2. बैंक से चेक वापसी मेमो मिलने के **30 दिनों के भीतर** आदाता द्वारा आहर्ता को लिखित मांग नोटिस भेजा गया हो।<br>3. नोटिस प्राप्त होने के **15 दिनों के भीतर** आहर्ता द्वारा भुगतान न किया गया हो (15 दिन बीतने के बाद अगले **1 माह / 30 दिनों के भीतर** प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करनी होती है)। |
| **धारा 143A एवं 148** | अंतरिम मुआवजा एवं अपील में जमा | **धारा 143A:** ट्रायल कोर्ट शिकायतकर्ता को चेक राशि के अधिकतम **20% तक अंतरिम मुआवजा** (60+30 दिनों में देय) दिलाने का आदेश दे सकता है। **धारा 148:** दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील में अपीलीय न्यायालय जुर्माने या मुआवजे का न्यूनतम **20% जमा** करने का आदेश दे सकता है। |

## 10.5 अध्याय 10 की स्मृति ट्रिक्स (याद रखने के अचूक सूत्र)

★ **ट्रिक 1 (परक्राम्य लिखत अधिनियम की धाराएँ — 4, 5, 6, 13, 85, 131, 138):**
"4 में वचन पत्र, 5 में बिल ऑफ एक्सचेंज, 6 में चेक, और 13 में तीनों परक्राम्य लिखत एक; 85 बचाए अदाकर्ता (*Paying*) बैंक को, 131 बचाए संग्रहकर्ता (*Collecting*) बैंक को (केवल क्रॉस्ड चेक पर), और 138 बाउंस होने पर भेजे 2 साल की जेल या दोगुने जुर्माने को!"

**ट्रिक 2 (धारा 138 का समय-चक्र — 3 माह, 30 दिन, 15 दिन, 1 माह):**
"3 महीने में चेक लगाओ बाउंस हो तो 30 दिन में नोटिस भिजवाओ 15 दिन भुगतान का इंतजार करो पैसा न मिले तो अगले 1 महीने (30 दिन) में कोर्ट में केस दर्ज कराओ!"

**ट्रिक 3 (आरबीआई बेसल-III पूंजी अनुपात — 5.5 + 1.5 = 7.0 + 2.0 = 9.0 + 2.5 = 11.5%):**
"सीईटी-1 है 5.5%, एटी-1 है 1.5% (कुल टियर-1 = 7%), टियर-2 है 2% (कुल सीआरएआर = 9%), और पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) 2.5% जोड़ते ही कुल हो गया **11.5 प्रतिशत**!"

## 10.6 अध्याय 10 के विगत वर्षों के हल प्रश्न (पीवाईक्यू बूस्टर)

**अभ्यास प्रश्न #55** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

1. **प्रश्न:** भारतीय रिजर्व बैंक के बेसल-III मानदंडों के अनुसार भारत में कार्यरत वाणिज्यिक बैंकों के लिए न्यूनतम कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) सहित और बिना सीसीबी के कितना है? (सीएआईआईबी बीएफएम एवं अधिकारी पदोन्नति 2025)

**उत्तर:** बिना सीसीबी के 9.0% और 2.5% पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) सहित कुल 11.5% (जबकि अंतर्राष्ट्रीय बेसल-III मानक क्रमशः 8% और 10.5% है)।

**अभ्यास प्रश्न #56** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

2. **प्रश्न:** परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की कौन-सी धारा संग्रहकर्ता बैंकर (कलेक्टिंग बैंकर) को वैधानिक संरक्षण प्रदान करती है और इसकी अनिवार्य शर्त क्या है? (जेएआईआईबी/सीएआईआईबी एवं पदोन्नति परीक्षा 2024)

**उत्तर:** धारा 131; इसकी अनिवार्य शर्त यह है कि चेक बैंक को संग्रहण के लिए सौंपे जाने से पहले ही रेखांकित (Pre-crossed) होना चाहिए और बैंक ने ग्राहक के एजेंट के रूप में सद्भावपूर्वक तथा बिना लापरवाही के कार्य किया हो।

**अभ्यास प्रश्न #57** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

3. **प्रश्न:** परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत चेक अनादरण होने पर बैंक से रिटर्न मेमो मिलने के कितने दिनों के भीतर आदाता को लिखित मांग नोटिस भेजना अनिवार्य है, और दंड का प्रावधान क्या है? (बैंकिंग पदोन्नति परीक्षा 2025)

**उत्तर:** रिटर्न मेमो मिलने के 30 दिनों के भीतर लिखित नोटिस भेजना अनिवार्य है (भुगतान हेतु 15 दिन का समय दिया जाता है); दंड के रूप में अधिकतम 2 वर्ष का कारावास या चेक राशि के दोगुने तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

**अभ्यास प्रश्न #58** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

4. **प्रश्न:** बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की किस धारा के तहत 10 वर्षों से निष्क्रिय खातों की अदावाकृत राशि को 'जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष (डीईएएफ)' में स्थानांतरित किया जाता है? (सीएआईआईबी बीआरबीएल 2024)

**उत्तर:** धारा 26A के तहत।

**अभ्यास प्रश्न #59** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

5. **प्रश्न:** एक ऋण खाता जो 12 माह से कम अवधि से एनपीए (अनर्जक आस्ति) है, उसे किस श्रेणी में रखा जाता है और उसके सुरक्षित भाग पर कितने प्रतिशत प्रावधान करना होता है? (बैंक पदोन्नति एवं सीएआईआईबी 2025)

**उत्तर:** उसे 'अवमानक आस्ति (Sub-standard Asset)' की श्रेणी में रखा जाता है और उसके सुरक्षित भाग पर 15% (तथा असुरक्षित भाग पर 25%) प्रावधान करना होता है।

**अभ्यास प्रश्न #60** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

6. **प्रश्न:** बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19(2) के अनुसार कोई भी बैंक किसी कंपनी की चुकता पूंजी के अधिकतम कितने प्रतिशत से अधिक के शेयर धारण नहीं कर सकता? (सीएआईआईबी एवं अधिकारी पदोन्नति 2024)

**उत्तर:** कंपनी की चुकता पूंजी के 30% या बैंक की स्वयं की चुकता पूंजी और आरक्षित निधि के 30% (जो भी कम हो) से अधिक के शेयर धारण नहीं कर सकता।

## अंतिम परीक्षा-पूर्व त्वरित पुनरीक्षण बूस्टर (वन-लाइनर स्वर्णिम तथ्य एवं गुणवत्ता जांच)

## संपूर्ण पाठ्यक्रम के 25 सर्वोच्च प्राथमिकता वाले वन-लाइनर तथ्य

1. **आधुनिक भारतीय डाक विभाग की स्थापना:** 1 अक्टूबर 1854 (मुख्यालय: डाक भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली)।
2. **कुल डाक सर्किल:** 23 नागरिक सर्किल + 1 बेस सर्किल (सेना डाक सेवा हेतु — 56 एपीओ नई दिल्ली व 99 एपीओ कोलकाता)।
3. **उत्तर-पूर्व डाक सर्किल (मुख्यालय: शिलांग):** इसमें कुल 6 राज्य (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा) आते हैं।
4. **पिन कोड प्रणाली का प्रारंभ:** 15 अगस्त 1972 (कुल 9 पिन जोन — 8 भौगोलिक क्षेत्र + 1 सेना डाक सेवा हेतु अंक 9)।
5. **प्रथम श्रेणी की डाक वस्तुएँ (कुल 3):** पत्र (अधिकतम 2 किग्रा), अंतर्देशीय पत्र कार्ड (अधिकतम 5 ग्राम) एवं पोस्टकार्ड (14 सेमी × 9 सेमी)।
6. **अंध साहित्य पैकेट (ब्लाइंड लिटरेचर):** अधिकतम वजन **7 किलोग्राम**; सतही डाक शुल्क, रजिस्ट्री व पावती शुल्क से 100% मुक्त।
7. **अंतर्देशीय पार्सल:** अधिकतम वजन **20 किलोग्राम** (शाखा डाकघर में **10 किलोग्राम**); **4 किलोग्राम से अधिक** वजन पर रजिस्ट्री अनिवार्य।
8. **बीमा की अधिकतम सीमा:** शाखा डाकघर में **600 रुपये** तथा उप/प्रधान डाकघर में **1,00,000 रुपये** (स्वर्ण/करेंसी हेतु 20,000 रुपये)।
9. **मनीऑर्डर एवं वीपीपी की अधिकतम सीमा:** दोनों में अधिकतम **5,000 रुपये**; इंस्टेंट मनीऑर्डर (आईएमओ) में **1,000 से 50,000 रुपये**।
10. **सार्वभौमिक डाक संघ (यूपीयू):** स्थापना 9 अक्टूबर 1874 (बर्न, स्विट्जरलैंड); भारत 1 जुलाई 1876 को सदस्य बना।
11. **एशिया-प्रशांत डाक संघ (एपीपीयू):** स्थापना 1961 (मुख्यालय: बैंकॉक, थाईलैंड; 32 सदस्य देश); भारत 1973 में सदस्य बना।
12. **बंडल निर्माण मानक: 15 या अधिक** अपंजीकृत वस्तुओं पर स्टेशन बंडल; **25 या अधिक** वस्तुओं पर प्रादेशिक (टेरिटोरियल) बंडल।
13. **अकाउंट बैग के दस्तावेज:** प्रधान डाकघर से उप डाकघर को **एस.ओ. स्लिप** और उप डाकघर से प्रधान डाकघर को **एस.ओ. डेली अकाउंट** भेजा जाता है।
14. **डाकघर बचत योजनाओं में सर्वोच्च ब्याज दर (अक्टूबर–दिसंबर 2026): सुकन्या समृद्धि खाता (8.2%)** और **वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (8.2%)**।
15. **किसान विकास पत्र (केवीपी):** 7.5% वार्षिक ब्याज दर पर **115 महीनों (9 वर्ष 7 माह)** में निवेश राशि दोगुनी हो जाती है।
16. **डाक जीवन बीमा (पीएलआई — 1 फरवरी 1884):** न्यूनतम 20,000 रुपये, अधिकतम **50 लाख रुपये**; 6 योजनाएँ (सुरक्षा, संतोष, सुविधा, सुमंगल, युगल सुरक्षा, बाल पॉलिसी)।
17. **ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएलआई — 24 मार्च 1995):** मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर; अधिकतम **10 लाख रुपये**; विशेष 10-वर्षीय मनी बैक योजना **'ग्राम प्रिया'**।
18. **इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी):** राष्ट्रव्यापी शुभारंभ **1 सितंबर 2018**; दिन के अंत में अधिकतम शेष सीमा **2 लाख रुपये**।
19. **आईटी आधुनिकीकरण 2.0:** बजट परिव्यय **5,785 करोड़ रुपये**; प्राथमिक डेटा सेंटर नवी मुंबई, डीआरसी व सीईपीटी मैसूरु में; सीबीएस (फिनाकल), सीआईएस (मैककैमिश)।
20. **री-केवाईसी (आवधिक केवाईसी अद्यतन):** उच्च जोखिम: **2 वर्ष**, मध्यम जोखिम: **8 वर्ष**, निम्न जोखिम: **10 वर्ष**।
21. **बैंकर का सामान्य ग्रहणाधिकार:** भारतीय संविदा अधिनियम की **धारा 171** (अप्रत्यक्ष गिरवी — Implied Pledge)।
22. **गार्निशी आदेश बनाम आयकर कुर्की:** गार्निशी आदेश (सीपीसी आदेश 21 नियम 46), आयकर कुर्की (**धारा 226(3)**)।
23. **बॉन्ड मूल्यांकन सिद्धांत:** बाजार ब्याज दर बढ़ने पर बॉन्ड का बाजार मूल्य घटता है; बट्टे (डिस्काउंट) पर बिकने वाले बॉन्ड में **वाईटीएम > चालू प्रतिफल > कूपन दर**।
24. **आरबीआई बेसल-III पूंजी मानक:** न्यूनतम सीआरएआर **9%** + पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) **2.5%** = कुल **11.5%**।

25. **परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881:** धारा 6 (चेक), धारा 13 (परक्राम्य लिखत), धारा 85 (अदाकर्ता बैंक संरक्षण), धारा 131 (संग्रहकर्ता बैंक संरक्षण — पूर्व-रेखांकित चेक), धारा 138 (चेक बाउंस — 30 दिन में नोटिस, 15 दिन का समय, 2 वर्ष तक सजा या दोगुना जुर्माना)।

## विस्तृत नियम-वार संदर्भ खण्ड (अध्याय 1 से 5 का गहन नियम, धारा एवं प्रकरण अध्ययन संकलन)

## अनुभाग क: अध्याय 1 का विस्तृत परिशिष्ट — 23 डाक सर्किलों का ऐतिहासिक गठन, पिन जोन एवं प्रशासनिक अधिकार

**अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — अनुभाग क: अध्याय 1 का विस्तृत परिशिष्ट — 23 डाक सर्किलों का ऐतिहासिक गठन, पिन जोन एवं प्रशासनिक अधिकार**

| प्रमुख अध्ययन बिंदु 1 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 2 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 3 |
|---|---|---|
| भारत के 9 पिन जोन (डाक सूचकांक संख्या क्षेत्र) और उनसे संबद्ध डाक सर्किल | डाक विभाग के प्रशिक्षण संस्थान एवं विशेष इकाइयाँ | डाक अवकाश (पोस्ट ऑफिस हॉलिडेज — डाकघर गाइड भाग-1: नियम 8) |

### 1. भारत के 9 पिन जोन (डाक सूचकांक संख्या क्षेत्र) और उनसे संबद्ध डाक सर्किल

भारतीय डाक विभाग के पिन जोन वर्गीकरण के अंतर्गत 6 अंकों के पिन कोड में:

- **प्रथम अंक:** क्षेत्र (जोन) को दर्शाता है।
- **द्वितीय अंक:** उप-क्षेत्र (सब-जोन / सर्किल) को दर्शाता है।
- **तृतीय अंक:** छंटाई जिला (सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट) को दर्शाता है।
- **अंतिम तीन अंक (चौथा, पाँचवाँ व छठा अंक):** उस जिले के भीतर विशिष्ट **वितरण डाकघर (डिलीवरी पोस्ट ऑफिस)** को दर्शाते हैं।

| पिन जोन (प्रथम अंक) | क्षेत्रीय विस्तार | शामिल राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश (पिन उप-क्षेत्र के साथ) |
|---|---|---|
| **जोन 1 (उत्तरी क्षेत्र)** | दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख व चंडीगढ़ | • 11: दिल्ली<br>• 12 व 13: हरियाणा<br>• 14, 15 व 16: पंजाब एवं चंडीगढ़<br>• 17: हिमाचल प्रदेश<br>• 18 व 19: जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख |
| **जोन 2 (उत्तर-मध्य क्षेत्र)** | उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड | • 20 से 28: उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड (लखनऊ जीपीओ का पिन कोड: **226001**) |
| **जोन 3 (पश्चिमी क्षेत्र - प्रथम)** | राजस्थान, गुजरात, दमन-दीव व दादरा-नगर हवेली | • 30 से 34: राजस्थान<br>• 36 से 39: गुजरात, दमन-दीव एवं दादरा और नगर हवेली |
| **जोन 4 (पश्चिमी क्षेत्र - द्वितीय)** | महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ | • 40 से 44: महाराष्ट्र एवं गोवा<br>• 45 से 48: मध्य प्रदेश<br>• 49: छत्तीसगढ़ |
| **जोन 5 (दक्षिणी क्षेत्र - प्रथम)** | तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक | • 50: तेलंगाना<br>• 51 से 53: आंध्र प्रदेश एवं यनम<br>• 56 से 59: कर्नाटक |
| **जोन 6 (दक्षिणी क्षेत्र - द्वितीय)** | तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी एवं लक्षद्वीप | • 60 से 64: तमिलनाडु एवं पुदुचेरी<br>• 67 से 69: केरल, माहे एवं लक्षद्वीप (682) |

| पिन जोन (प्रथम अंक) | क्षेत्रीय विस्तार | शामिल राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश (पिन उप-क्षेत्र के साथ) |
|---|---|---|
| **जोन 7 (पूर्वी एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र)** | पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम, अंडमान-निकोबार एवं समस्त पूर्वोत्तर राज्य | • 70 से 74: पश्चिम बंगाल, सिक्किम (737) एवं अंडमान-निकोबार (744)<br>• 75 से 77: ओडिशा<br>• 78: असम<br>• 79: अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा |
| **जोन 8 (पूर्वी क्षेत्र - बिहार व झारखंड)** | बिहार एवं झारखंड | • 80 से 85: बिहार एवं झारखंड |
| **जोन 9 (सेना डाक सेवा जोन)** | आर्मी पोस्टल सर्विस (एपीएस) | • 90 से 99: सशस्त्र बलों के फील्ड पोस्ट ऑफिस (एफपीओ) एवं 56 एपीओ / 99 एपीओ |

## *2. डाक विभाग के प्रशिक्षण संस्थान एवं विशेष इकाइयाँ*

1. **रफी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादमी (आरएकेएनपीए):** यह **गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)** में स्थित भारतीय डाक सेवा के समूह 'क' अधिकारियों का सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्थान है (स्थापना 1977)।

2. **डाक प्रशिक्षण केंद्र (पीटीसी — कुल 6 केंद्र):**

• **सहारनपुर** (उत्तर प्रदेश) — भारत का सबसे पहला डाक प्रशिक्षण केंद्र (1951)।

• **दरभंगा** (बिहार)।

• **वडोदरा** (गुजरात)।

• **मैसूरु** (कर्नाटक)।

• **मदुरै** (तमिलनाडु)।

• **गुवाहाटी** (असम)।

3. **डाक प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र (सीईपीटी):** मुख्यालय **मैसूरु** में (अन्य इकाइयाँ: चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद)।

## *3. डाक अवकाश (पोस्ट ऑफिस हॉलिडेज — डाकघर गाइड भाग-1: नियम 8)*

भारतीय डाक विभाग में प्रतिवर्ष कुल **17 डाक अवकाश** मनाए जाते हैं, जिनमें से **14 अवकाश पूरे देश में एक समान (अनिवार्य राष्ट्रीय एवं धार्मिक अवकाश)** होते हैं और **3 अवकाश प्रत्येक डाक सर्किल द्वारा स्थानीय पर्वों के अनुसार** तय किए जाते हैं:

• **14 अखिल भारतीय डाक अवकाश:**

1. गणतंत्र दिवस (26 जनवरी)
2. स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त)
3. महात्मा गांधी जयंती (2 अक्टूबर)
4. ईद-उल-फितर
5. ईद-उल-जुहा (बकरीद)
6. मुहर्रम
7. पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन (ईद-ए-मिलाद)
8. गुड फ्राइडे
9. क्रिसमस दिवस (25 दिसंबर)
10. बुद्ध पूर्णिमा
11. महावीर जयंती
12. गुरु नानक जयंती

13. दशहरा (विजयादशमी)
14. दीपावली

## अनुभाग ख: अध्याय 2 का विस्तृत परिशिष्ट — डाकघर गाइड भाग-1 (धारा 1 से 207 का क्रमबद्ध नियम सार)

**डाकघर गाइड भाग-1 की नियमावली** की प्रत्येक महत्वपूर्ण धारा (नियम) जो विभागीय परीक्षाओं में सीधे पूछी जाती है, नीचे क्रमबद्ध रूप में दी गई है:

| धारा / नियम संख्या | नियम का मुख्य विषय | परीक्षा-उपयोगी सटीक प्रावधान एवं अपवाद |
|---|---|---|
| **नियम 1 से 4** | नियंत्रण, डाकघर के प्रकार, रात्रि डाकघर व चल डाकघर | महानिदेशक रात्रि डाकघर का समय रात 8:30 बजे तक बढ़ा सकते हैं; चल डाकघर में बीमा व वीपीपी बुकिंग नहीं होती। |
| **नियम 5 से 8** | कामकाज के घंटे एवं डाक अवकाश | रविवार और डाक अवकाशों पर सड़कों के लेटर बॉक्स से डाक की निकासी नहीं होती तथा काउंटर पर बचत व मनीऑर्डर कार्य बंद रहता है। |
| **नियम 9 से 14** | डाक शुल्क का पूर्व-भुगतान, टिकट एवं फ्रैंकिंग मशीन | **नियम 11 (फ्रैंकिंग मशीन):** फ्रैंकिंग की छाप **नीले रंग** (इलेक्ट्रॉनिक रेमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन — आरएमएफएम) में होनी चाहिए; फ्रैंक की गई वस्तुओं को लेटर बॉक्स में नहीं डाला जा सकता, उन्हें अधिकतम **2 डाकघरों** के काउंटर पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है; गलती से कटे फ्रैंक इंप्रेशन पर **3 माह** के भीतर **5% कटौती** के साथ रिफंड मिलता है; मशीन लाइसेंस मण्डल प्रमुख द्वारा **3 वर्ष** के लिए जारी होता है (375 रुपये शुल्क)। |
| **नियम 13** | नकली या प्रयुक्त टिकटों का प्रयोग | पहले से इस्तेमाल किए गए, धुले हुए या कटे-फटे टिकट का उपयोग करना **भारतीय न्याय संहिता / दंड कानून के अंतर्गत अपराध** है। |
| **नियम 15 से 25** | पैकिंग, सीलिंग एवं पते की विधि | राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल व उच्च पदाधिकारियों को भेजी जाने वाली डाक के पते के नियम (नियम 20); सेना कर्मियों को 56 एपीओ या 99 एपीओ के माध्यम से पता लिखना (नियम 24)। |
| **नियम 26** | पते में ग्राम, थाना, डाकघर, जिला व पिन कोड | ग्रामीण पते में गाँव का नाम, वितरण डाकघर का नाम और 6 अंकों का पिन कोड लिखना अनिवार्य है। |
| **नियम 27** | पोस्ट रेस्टेंटे (ठहरे हुए लोगों की डाक) | सामान्य वस्तु 1 माह तक और वीपीपी वस्तु 7 दिन तक डाकघर में रखी जा सकती है; पुनः प्रेषण के लिए पोस्ट रेस्टेंटे का प्रयोग नहीं किया जा सकता। |
| **नियम 29 से 32** | लेटर बॉक्स में न डाली जाने वाली वस्तुएँ व विशेष प्रस्तुति | रजिस्ट्री, बीमा, वीपीपी, फ्रैंक की गई वस्तुएँ और जिन पर 100% छूट या रियायत मांगी गई हो (जैसे पंजीकृत समाचार पत्र के बंडल), उन्हें लेटर बॉक्स में न डालकर काउंटर पर प्रस्तुत करना चाहिए। |
| **नियम 33** | डाक वस्तु को वापस बुलाना (रिकॉल ऑफ आर्टिकल्स) | एक बार डाक में डाली गई वस्तु **प्राप्तकर्ता की संपत्ति** मानी जाती है, किंतु प्रेषक **निर्धारित शुल्क (6 रुपये)** देकर और आवेदन देकर वितरण होने से पहले अपनी वस्तु को वापस मँगा सकता है या पते में परिवर्तन करा सकता है। अंतर्देशीय डाक में यह अधिकार **प्रथम श्रेणी पोस्टमास्टर या मण्डल प्रमुख** को है। |
| **नियम 34 से 50** | डाक वस्तुओं के वितरण के विशेष नियम | • **नियम 36:** पंजीकृत वस्तु का वितरण प्राप्तकर्ता या उसके लिखित रूप से अधिकृत एजेंट को ही किया जाता है।<br>• **नियम 41:** नाबालिग को संबोधित बीमाकृत वस्तु का वितरण उसके वैध अभिभावक की उपस्थिति व हस्ताक्षर से ही होगा।<br>• **नियम 47:** किसी फर्म या कंपनी के बंद होने पर डाक प्रेषक को लौटाई जाती है।<br>• **नियम 50:** अस्वीकृत (रिफ्यूज्ड) डाक वस्तु को डाकघर में बिल्कुल नहीं रोका जाता, बल्कि **तत्काल प्रेषक को वापस** भेज दिया जाता है। |
| **नियम 51 से 54** | डाक शुल्क की वसूली एवं दुरुपयोग | प्राप्तकर्ता किसी वस्तु को खोलकर पढ़ने के बाद उस पर देय डाक शुल्क देने से मना नहीं कर सकता (नियम 51)। |
| **नियम 55 एवं 56** | पोस्ट बॉक्स एवं पोस्ट बैग | किराया वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल से देय होता है; पोस्ट बॉक्स से 7 दिनों तक डाक साफ न करने पर पोस्टमास्टर नोटिस देता है; यदि किरायेदार ताला-चाबी खो दे तो नया ताला-चाबी का खर्च किरायेदार देगा। |
| **नियम 57 से 66** | परिचय पत्र (आइडेंटिटी कार्ड — नियम 63) | डाकघर द्वारा साक्षर नागरिकों को **3 वर्ष की वैधता** वाला पहचान पत्र जारी किया जाता है (आकार: **88 मिमी × 63 मिमी**), जिससे अनजान शहर में डाक व मनीऑर्डर प्राप्त करने में सुविधा होती है। |
| **नियम 67 से 72** | डाक वस्तुओं का पुनः प्रेषण (रीडायरेक्शन) | डाक वस्तु को केवल वही कार्यालय खोल सकता है या पुनः प्रेषित कर सकता है जहाँ के लिए वह संबोधित थी; प्रथम श्रेणी डाक का पुनः प्रेषण निःशुल्क है। |

| धारा / नियम संख्या | नियम का मुख्य विषय | परीक्षा-उपयोगी सटीक प्रावधान एवं अपवाद |
|---|---|---|
| **नियम 73 से 79** | मृतक व्यक्तियों को संबोधित डाक का निपटान | ऐसी वस्तुओं को अदावाकृत (अनक्लेम्ड) की तरह रखा जाता है; मृतक के निकट संबंधी के आवेदन पर (यदि उसमें कोई मूल्यवान संपत्ति न हो और कोई प्रतिदावा न हो) पोस्टमास्टर अपने विवेक से सुपुर्द कर सकता है। |
| **नियम 80 से 94** | शिकायतें, सुझाव पुस्तिका एवं मुआवजे की सीमा | सभी डाकघरों में **सुझाव एवं शिकायत पुस्तिका (नियम 82)** उपलब्ध रहती है, जिसे प्रत्येक ग्राहक बिना किसी शुल्क के उपयोग कर सकता है। |
| **नियम 95 से 112** | पत्र, पोस्टकार्ड एवं अंतर्देशीय पत्र कार्ड | **नियम 107 (उत्तर पोस्टकार्ड):** इसके दो भाग होते हैं (संदेश भाग और उत्तर भाग); उत्तर भाग का उपयोग भारत के भीतर किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। |
| **नियम 113 से 138** | बुक पैकेट, मुद्रित पुस्तकें एवं नमूना पैकेट | **नियम 120:** बुक पैकेट के ऊपर 'बुक पैकेट' लिखा होना चाहिए और इसे बंद लिफाफे में नहीं भेजा जा सकता (यह जांच के लिए आसानी से खुलने योग्य होना चाहिए)। |
| **नियम 139 से 143** | पंजीकृत समाचार पत्र एवं अंध साहित्य | **नियम 139:** समाचार पत्र का पंजीकरण प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के अंत से 3 वर्ष तक वैध रहता है; देरी से नवीनीकरण पर विलंब शुल्क लगता है। |
| **नियम 144 से 155** | अंतर्देशीय पार्सल एवं निषिद्ध वस्तुएँ | **नियम 154 एवं 155 (निषिद्ध वस्तुएँ):** विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ, अफीम, मॉर्फिन, कोकीन, जीवित जंतु (मधुमक्खी, रेशम के कीड़े व जोंक को छोड़कर), लॉटरी टिकट (सरकारी लॉटरी को छोड़कर) तथा अश्लील साहित्य डाक द्वारा भेजना पूर्णतः प्रतिबंधित है। |
| **नियम 156 से 171** | पंजीकरण (रजिस्ट्री) के नियम | **नियम 167 (विशेष रजिस्ट्री जर्नल):** जो फर्म या संस्था प्रतिदिन कम से कम **10 या अधिक** पंजीकृत वस्तुएँ भेजती है, उसे स्वयं अपनी रजिस्ट्री रसीद बुक बनाने की अनुमति दी जाती है। |
| **नियम 172 से 185** | बीमा (इंश्योरेंस) के नियम | **नियम 180:** यदि बीमाकृत वस्तु का वजन या सील संदिग्ध दिखे, तो प्राप्तकर्ता के सामने डाकघर में ही उसे खोलकर जाँच (ओपन डिलीवरी) की जाती है। |
| **नियम 186 से 197** | मूल्य देय डाक (वीपीपी) के नियम | बीमा पॉलिसियों के कूपन या चेन-लेटर स्कीम के टिकट वीपीपी द्वारा नहीं भेजे जा सकते। |
| **नियम 198 से 207** | आधिकारिक डाक (सरकारी पत्राचार) | सरकारी अधिकारी जब किसी निजी व्यक्ति को बिना टिकट पत्र भेजता है, तो प्राप्तकर्ता से केवल सामान्य डाक शुल्क वसूला जाता है; किंतु जब निजी व्यक्ति सरकारी अधिकारी को कम टिकट लगाकर पत्र भेजता है, तो भी अधिकारी को वास्तविक कमी का भुगतान करके पत्र लेने की छूट है। |

## *अनुभाग ग: अध्याय 3 एवं अध्याय 4 का विस्तृत परिशिष्ट — विदेशी डाक एवं डाक नियमावली के उन्नत नियम*

**अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — अनुभाग ग: अध्याय 3 एवं अध्याय 4 का विस्तृत परिशिष्ट — विदेशी डाक एवं डाक नियमावली के उन्नत नियम**

**प्रमुख अध्ययन बिंदु 1**
**विदेशी डाक (डाकघर गाइड भाग-2) के विशेष नियम एवं एयर मेल सेवाएँ**

**प्रमुख अध्ययन बिंदु 2**
**डाक नियम पुस्तिका खण्ड 5, 6 एवं 7 के महत्वपूर्ण फॉर्म नंबर (परीक्षा में सीधे पूछे जाने वाले फॉर्म कोड)**

**प्रमुख अध्ययन बिंदु 3**
**धातु टोकन एवं बैग लेबल के नियम (डाक नियम पुस्तिका खण्ड 7)**

### *1. विदेशी डाक (डाकघर गाइड भाग-2) के विशेष नियम एवं एयर मेल सेवाएँ*

• **विदेशी डाक में अंध साहित्य (सेकोग्राम):** अधिकतम वजन 7 **किलोग्राम**; सतही मार्ग से भेजने पर डाक शुल्क, रजिस्ट्री शुल्क, पावती शुल्क और वीपी शुल्क से पूर्णतः मुक्त।

• **एस.ए.एल. (सरफेस एयर लिफ्टेड मेल):** यह सतही डाक और हवाई डाक के बीच की एक किफायती श्रेणी है। इसमें डाक को सतही डाक की तुलना में तेज किंतु एयर मेल की तुलना में कम शुल्क पर विमान में उपलब्ध अतिरिक्त स्थान के माध्यम से भेजा जाता है।

• **अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट (ईएमएस — एक्सप्रेस मेल सर्विस):** भारत में स्पीड पोस्ट की शुरुआत **1 अगस्त 1986** को हुई। अंतर्राष्ट्रीय ईएमएस सेवा सार्वभौमिक डाक संघ के सहकारी ढांचे के तहत संचालित होती है और इसमें अधिकतम वजन सीमा **35 किलोग्राम** तक होती है।

• **इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सर्विस (आईटीपीएस):** ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए एशिया-प्रशांत और विश्व के प्रमुख देशों में **2 किलोग्राम** तक के पैकेट कम दर पर ट्रैक एंड ट्रेस सुविधा के साथ भेजने की विशेष सेवा।

• **डाक निर्यात केंद्र (डार्क घर निर्यात केंद्र — डीएनके):** छोटे व्यापारियों, कारीगरों और एमएसएमई निर्यातकों को स्थानीय डाकघर से ही वाणिज्यिक निर्यात करने की सुविधा देने के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के सहयोग से देश भर में स्थापित किए गए केंद्र।

## *2. डाक नियम पुस्तिका खण्ड 5, 6 एवं 7 के महत्वपूर्ण फॉर्म नंबर (परीक्षा में सीधे पूछे जाने वाले फॉर्म कोड)*

| फॉर्म संख्या / कोड | फॉर्म का नाम एवं उपयोग का संदर्भ | संबंधित नियमावली खण्ड |
|---|---|---|
| **एम-26 ए (M-26a)** | **ट्रायल कार्ड (परीक्षण कार्ड)** — डाक मार्ग की गति जाँचने हेतु | खण्ड 5 (नियम 28) |
| **एम-42 (M-42)** | **चेक स्लिप (जाँच पर्ची)** — अपंजीकृत डाक के बंडलों के ऊपर बाँधी जाने वाली पर्ची | खण्ड 5 (नियम 52) |
| **एम-53 (M-53)** | **विलेज पोस्टमैन रूट लिस्ट** — ग्रामीण डाकिये के गश्त मार्ग का नक्शा व सूची | खण्ड 6 भाग-1/3 |
| **एम-86 (M-86)** | **विलेज पोस्टमैन विजिट बुक** — गाँव के मुखिया/निवासियों के हस्ताक्षर हेतु पुस्तिका | खण्ड 6 भाग-3 |
| **एम.एस.-27 (MS-27)** | **पोस्टमैन की पुस्तक (पोस्टमैन बुक)** — डाकिये द्वारा प्रतिदिन का रिकॉर्ड रखने की पुस्तिका | खण्ड 6 भाग-3 |
| **एम.एस.-83 (MS-83)** | **हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट की दैनिक रिपोर्ट (डेली रिपोर्ट)** | खण्ड 7 (आरएमएस) |
| **एम.एस.-87 (MS-87)** | **बुक ऑफ पोस्टमार्क्स (तारीख मुहर पुस्तिका)** — प्रत्येक डाकघर व मेल ऑफिस में प्रतिदिन की मुहरों की छाप लेने वाली पुस्तिका | खण्ड 6 एवं खण्ड 7 |
| **आर.पी.-51 (RP-51)** | **रजिस्ट्री पावती (एकनॉलेजमेंट ड्यू — एडी कार्ड)** | डाकघर गाइड भाग-1 |
| **एस.बी.-3 (SB-3)** | **डाकघर बचत बैंक खाता खोलने का आवेदन फॉर्म (अकाउंट ओपनिंग फॉर्म)** | बचत बैंक नियमावली |
| **एस.बी.-7 (SB-7)** | **डाकघर बचत खाते से निकासी फॉर्म (विदड्रॉवल फॉर्म)** | बचत बैंक नियमावली |
| **एस.बी.-7 ए (SB-7A)** | **बचत खाते को बंद करने का फॉर्म (क्लोजर फॉर्म)** | बचत बैंक नियमावली |
| **एस.बी.-103 (SB-103)** | **डाकघर बचत बैंक जमा पर्ची (पे-इन-स्लिप)** | बचत बैंक नियमावली |

## *3. धातु टोकन एवं बैग लेबल के नियम (डाक नियम पुस्तिका खण्ड 7)*

• **मेटल टोकन (धातु का टोकन):** रेलवे डाक सेवा के प्रत्येक छंटाई सहायक और मेल गार्ड को ड्यूटी के दौरान अपने पास **धातु का टोकन** रखना अनिवार्य होता है। यदि कोई कर्मचारी ड्यूटी पर टोकन नहीं लाता है, तो उसे ड्यूटी करने की अनुमति नहीं दी जाती और इसकी सूचना अधीक्षक (आरएमएस) को दी जाती है।

• **प्रेसंग (प्री-सॉर्टिंग):** जब प्रेषक स्वयं बड़ी संख्या में पंजीकृत समाचार पत्र या पैकेट पिन कोड के अनुसार छाँटकर और बंडल बनाकर देता है, तो उसे डाक शुल्क में विशेष छूट दी जाती है।

• **टी.बी. ऑर्डर (ट्रांजिट बैग आदेश):** जब किसी अनुभाग में थैलों की संख्या अचानक बढ़ जाती है, तो रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा अतिरिक्त ट्रांजिट बैग जारी किए जाते हैं।

# विस्तृत संख्यात्मक एवं केस-स्टडी संदर्भ खण्ड (अध्याय 5 से 10 के हल संख्यात्मक प्रश्न, बैंकिंग सूत्र एवं 100+ मास्टर प्रश्नोत्तरी बैंक)

## अनुभाग घ: अध्याय 5, 6 एवं 7 का उन्नत परिचालन एवं गणनात्मक विश्लेषण

**अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — अनुभाग घ: अध्याय 5, 6 एवं 7 का उन्नत परिचालन एवं गणनात्मक विश्लेषण**

| प्रमुख अध्ययन बिंदु 1 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 2 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 3 |
|---|---|---|
| डाकघर बचत योजनाओं में नामांकन, अंतरण एवं मृत्यु दावा (डेथ क्लेम) निपटान के नियम | डाक जीवन बीमा (पीएलआई) एवं ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएलआई) में चूक और पुनर्जीवन (रिवाइवल) नियम | आईटी आधुनिकीकरण 2.0 एवं सीएसआई-फिनाकल के अतिरिक्त महत्वपूर्ण मेनू कोड एवं शब्दावली |

### 1. डाकघर बचत योजनाओं में नामांकन, अंतरण एवं मृत्यु दावा (डेथ क्लेम) निपटान के नियम

डाकघर बचत योजना नियमों के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में मृत्यु दावा और खाता अंतरण की वित्तीय सीमाओं पर प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं:

• **अधिकतम नामिती (नॉमिनी):** किसी भी डाकघर बचत योजना खाते में ग्राहक अधिकतम **4 व्यक्तियों** को नामित कर सकता है और प्रत्येक का प्रतिशत हिस्सा तय कर सकता है।

• **बिना नामांकन और बिना कानूनी प्रमाण (उत्तराधिकार प्रमाण पत्र) के मृत्यु दावा स्वीकृति की वित्तीय सीमाएँ:**

• यदि खाताधारक की मृत्यु हो जाती है और खाते में कोई नामांकन दर्ज नहीं है, तो खाताधारक की मृत्यु के **6 माह बाद** (या अब राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार तत्काल दावा आवेदन पर) कानूनी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के बिना निम्नलिखित अधिकारी दावा स्वीकृत कर सकते हैं:

1. **समयमान उप डाकघर (टाइम स्केल एस.ओ.): 50,000 रुपये** तक।
2. **निम्न चयन ग्रेड (एल.एस.जी.) उप डाकघर: 1,00,000 रुपये** तक।
3. **उच्च चयन ग्रेड (एच.एस.जी.) / राजपत्रित प्रधान डाकघर / मण्डल प्रमुख: 5,00,000 रुपये (5 लाख रुपये)** तक!

• **5 लाख रुपये से अधिक** की राशि होने पर (यदि नामांकन नहीं है), तो न्यायालय द्वारा जारी **उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (सक्सेशन सर्टिफिकेट)** या वसीयत का प्रोबेट प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। (यदि वैध नामांकन दर्ज है, तो चाहे राशि **कितनी भी बड़ी क्यों न हो**, भुगतान सीधे नामिती को प्रधान डाकघर द्वारा कर दिया जाता है!)

### 2. डाक जीवन बीमा (पीएलआई) एवं ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएलआई) में चूक और पुनर्जीवन (रिवाइवल) नियम

डाक जीवन बीमा ग्राहक पोर्टल नियमों के अनुसार:

• **पॉलिसी का व्यपगत (लैप्स) होना:**

• यदि पॉलिसी **3 वर्ष से कम** पुरानी है और लगातार **6 महीनों** तक प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी व्यपगत (लैप्स) हो जाती है।

• यदि पॉलिसी **3 वर्ष या उससे अधिक** पुरानी है और लगातार **12 महीनों** तक प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी व्यपगत (लैप्स) हो जाती है।

• **पॉलिसी का पुनर्जीवन (रिवाइवल):**

• किसी भी पॉलिसी के पूरे कार्यकाल के दौरान उसे अधिकतम **2 बार** पुनर्जीवित (रिवाइव) कराया जा सकता है (बशर्ते पॉलिसी लैप्स हुए **5 वर्ष** से अधिक का समय न बीता हो और परिपक्वता तिथि शेष हो)।

• पुनर्जीवन के लिए सभी बकाया प्रीमियमों का भुगतान **8% वार्षिक ब्याज (डिफॉल्ट शुल्क)** + **जीएसटी** और अच्छे स्वास्थ्य के प्रमाण पत्र के साथ करना होता है।

• **डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड शुल्क:** मूल पॉलिसी बॉन्ड खो जाने या नष्ट हो जाने पर डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड जारी करने का शुल्क **100 रुपये** है।

• **नामांकन परिवर्तन या समनुदेशन (असाइनमेंट):** पहली बार नामांकन या परिवर्तन निःशुल्क है; बाद में या ऋण के लिए पॉलिसी को गिरवी (समनुदेशन — बीमा अधिनियम 1938 की धारा 38 एवं नामांकन धारा 39) रखने की सुविधा उपलब्ध है।

### 3. आईटी आधुनिकीकरण 2.0 एवं सीएसआई-फिनाकल के अतिरिक्त महत्वपूर्ण मेनू कोड एवं शब्दावली

| तकनीकी कोड / मेनू | पूर्ण रूप / मॉड्यूल | डाकघर एवं बैंकिंग में सटीक उपयोग |
|---|---|---|
| HACLI | अकाउंट लेजर इंक्वायरी | किसी भी बचत खाते के पिछले लेनदेनों का विवरण (खाता बही) देखने के लिए |
| HAFI | ऑडिट फाइल इंक्वायरी | सुपरवाइजर द्वारा किए गए संशोधनों और सत्यापन लॉग की जाँच करने के लिए |
| HCCA | चेंज कस्टमर आईडी ऑफ अकाउंट | किसी खाते की सीआईएफ आईडी बदलने या दो सीआईएफ को मर्ज करने हेतु |
| HIARM | इंटरेस्ट एडजस्टमेंट | खातों में ब्याज समायोजन की जाँच हेतु |
| HPR | प्रिंट क्यू | फिनाकल में जनरेट की गई रिपोर्ट को देखने और प्रिंट करने के लिए |
| HPBP | पासबुक प्रिंटिंग | डाकघर बचत बैंक की पासबुक प्रिंट करने का कमांड |
| HICHB | इश्यू चेक बुक | ग्राहक को नई चेक बुक जारी करने का कमांड |
| HSPPA | स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक | ग्राहक के अनुरोध पर किसी चेक का भुगतान रोकने का कमांड |
| ZFR_DAY_NEW | एसएपी सीएसआई डे-एंड | सीएसआई वित्त एवं लेखा मॉड्यूल में दैनिक नकद लेखा मिलान रिपोर्ट |
| ZFBL3N | जीएल लाइन आइटम डिस्प्ले | एसएपी में किसी भी सामान्य खाता बही (जीएल कोड) के लेनदेन की जाँच करना |

## अनुभाग ङ: अध्याय 8, 9 एवं 10 के हल संख्यात्मक प्रश्न (न्यूमेरिकल्स) एवं बैंकिंग सूत्र

**अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — अनुभाग ङ: अध्याय 8, 9 एवं 10 के हल संख्यात्मक प्रश्न (न्यूमेरिकल्स) एवं बैंकिंग सूत्र**

**प्रमुख अध्ययन बिंदु 1**
**संख्यात्मक प्रकार 1: बॉन्ड का चालू प्रतिफल (करंट यील्ड) एवं परिपक्वता तक प्रतिफल (वाईटीएम) निकालना**

**प्रमुख अध्ययन बिंदु 2**
**संख्यात्मक प्रकार 2: विदेशी मुद्रा विनिमय दर (टीटी बाइंग, बिल बाइंग, टीटी सेलिंग एवं बिल सेलिंग)**

**प्रमुख अध्ययन बिंदु 3**
**संख्यात्मक प्रकार 3: कार्यशील पूंजी आकलन — नायक समिति विधि (टर्नओवर मेथड) एवं टंडन समिति की द्वितीय विधि**

**प्रमुख अध्ययन बिंदु 4**
**संख्यात्मक प्रकार 4: लेखांकन अनुपात एवं मूल्यह्रास (डेप्रिसिएशन) की विधियाँ**

बैंकिंग पदोन्नति (जेएआईआईबी प्रश्नपत्र 3 — एएफएम तथा सीएआईआईबी प्रश्नपत्र 1 व 2 — एबीएम और बीएफएम) में **संख्यात्मक प्रश्नों (न्यूमेरिकल्स)** का भारांक लगभग 25 से 35 अंकों का होता है। नीचे सभी प्रमुख सूत्रों को चरण-दर-चरण हल उदाहरणों के साथ समझाया गया है:

### संख्यात्मक प्रकार 1: बॉन्ड का चालू प्रतिफल (करंट यील्ड) एवं परिपक्वता तक प्रतिफल (वाईटीएम) निकालना

**अभ्यास प्रश्न #61** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न उदाहरण:** एक बॉन्ड का अंकित मूल्य (फेस वैल्यू) **1,000 रुपये** है, कूपन ब्याज दर **10% वार्षिक** है, परिपक्वता अवधि **5 वर्ष** है और वर्तमान में यह बॉन्ड बाजार में **900 रुपये** के मूल्य पर बिक रहा है। बॉन्ड का (क) चालू प्रतिफल और (ख) सन्निकट वाईटीएम ज्ञात कीजिए।

• **हल (क) चालू प्रतिफल (Current Yield):**

• वार्षिक कूपन ब्याज = **1,000 रुपये का 10% = 100 रुपये**

• सूत्र: **चालू प्रतिफल = (वार्षिक कूपन ब्याज ÷ बाजार मूल्य) × 100**

• गणना: **(100 ÷ 900) × 100** = **11.11 प्रतिशत**।

- **हल (ख) परिपक्वता तक प्रतिफल (Approximate YTM):**
- सूत्र: **वाईटीएम = [वार्षिक कूपन + {(अंकित मूल्य - बाजार मूल्य) ÷ वर्ष}] ÷ [(अंकित मूल्य + बाजार मूल्य) ÷ 2] × 100**
- अंश (वार्षिक औसत लाभ) = **100 + {(1,000 - 900) ÷ 5} = 100 + (100 ÷ 5) = 100 + 20 = 120 रुपये**
- हर (औसत निवेश) = **(1,000 + 900) ÷ 2 = 1,900 ÷ 2 = 950 रुपये**
- वाईटीएम = **(120 ÷ 950) × 100** = **12.63 प्रतिशत**।
- **सत्यापन नियम:** चूँकि बॉन्ड बट्टे पर (900 रुपये में) बिक रहा है, इसलिए **कूपन दर (10%) < चालू प्रतिफल (11.11%) < वाईटीएम (12.63%)** — हमारा उत्तर शत-प्रतिशत सही है!

## *संख्यात्मक प्रकार 2: विदेशी मुद्रा विनिमय दर (टीटी बाइंग, बिल बाइंग, टीटी सेलिंग एवं बिल सेलिंग)*

**अभ्यास प्रश्न #62** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न उदाहरण:** अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर की स्पॉट दर **1 अमेरिकी डॉलर = 84.20 / 84.30 रुपये** है। यदि बैंक का टीटी मार्जिन **0.10%** और बिल मार्जिन **0.15%** है, तो (क) 10,000 डॉलर के आवक विप्रेषण (टीटी बाइंग) और (ख) 10,000 डॉलर के आयात भुगतान (बिल सेलिंग) की दर ज्ञात कीजिए (पैसे के निकटतम चतुर्थांश तक)।

- **हल (क) टीटी बाइंग रेट (ग्राहक से डॉलर खरीदना — कम दर में से मार्जिन घटाओ):**
- बाजार की खरीद दर (बिड रेट) = **84.20 रुपये**
- मार्जिन (0.10% घटाना है) = **84.20 × 0.10 ÷ 100 = 0.0842 रुपये ≈ 0.08 रुपये**
- **टीटी बाइंग रेट** = **84.20 - 0.0842** = **84.1158 रुपये (अर्थात 84.1150 या 84.12 रुपये प्रति डॉलर)**।
- **हल (ख) बिल सेलिंग रेट (ग्राहक को डॉलर बेचना — अधिक दर में मार्जिन जोड़ो):**
- बाजार की बिक्री दर (आस्क रेट) = **84.30 रुपये**
- मार्जिन (0.15% जोड़ना है) = **84.30 × 0.15 ÷ 100 = 0.1264 रुपये**
- **बिल सेलिंग रेट** = **84.30 + 0.1264** = **84.4264 रुपये (अर्थात 84.4275 या 84.43 रुपये प्रति डॉलर)**।

## *संख्यात्मक प्रकार 3: कार्यशील पूंजी आकलन — नायक समिति विधि (टर्नओवर मेथड) एवं टंडन समिति की द्वितीय विधि*

सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए **5 करोड़ रुपये तक** की कार्यशील पूंजी सीमा की गणना **पी.जे. नायक समिति (टर्नओवर विधि)** से और बड़े उद्योगों के लिए **टंडन समिति की द्वितीय विधि (एमपीबीएफ)** से की जाती है:

- **1. नायक समिति के सूत्र (बिक्री टर्नओवर के प्रतिशत पर आधारित):**
- **कुल कार्यशील पूंजी आवश्यकता** = **प्रक्षेपित वार्षिक बिक्री (टर्नओवर) का 25%**
- **ऋणी का न्यूनतम मार्जिन योगदान** = **प्रक्षेपित वार्षिक बिक्री का 5%**
- **बैंक द्वारा दिया जाने वाला न्यूनतम कार्यशील पूंजी ऋण** = **प्रक्षेपित वार्षिक बिक्री का 20%**!
- उदाहरण: यदि किसी एमएसएमई इकाई की अगले वर्ष की अनुमानित बिक्री **200 लाख रुपये** है, तो नायक समिति के अनुसार बैंक उसे न्यूनतम **200 लाख का 20%** = **40 लाख रुपये** की कैश क्रेडिट सीमा स्वीकृत करेगा और उद्यमी का मार्जिन **5%** = **10 लाख रुपये** होगा।
- **2. टंडन समिति की तीनों विधियों के सूत्र (चालू अनुपात के साथ):**

| टंडन समिति की विधि | अधिकतम अनुमत बैंक वित्त (एमपीबीएफ) का सूत्र | न्यूनतम चालू अनुपात (करंट रेशियो) |
|---|---|---|
| **प्रथम विधि** | **0.75 × (चालू आस्तियाँ - अन्य चालू देयताएँ)** — अर्थात कार्यशील पूंजी अंतराल (डब्ल्यूसीजी) का 25% मार्जिन ऋणी लाएगा | **1.17 : 1** |

| टंडन समिति की विधि | अधिकतम अनुमत बैंक वित्त (एमपीबीएफ) का सूत्र | न्यूनतम चालू अनुपात (करंट रेशियो) |
|---|---|---|
| द्वितीय विधि (सर्वाधिक प्रचलित) | (0.75 × कुल चालू आस्तियाँ) - अन्य चालू देयताएँ — अर्थात कुल चालू आस्तियों का 25% मार्जिन ऋणी स्वयं लाएगा | 1.33 : 1 |
| तृतीय विधि | {0.75 × (कुल चालू आस्तियाँ - कोर चालू आस्तियाँ)} - अन्य चालू देयताएँ | 1.33 से अधिक |

### *संख्यात्मक प्रकार 4: लेखांकन अनुपात एवं मूल्यह्रास (डेप्रिसिएशन) की विधियाँ*

1. **चालू अनुपात (करंट रेशियो):** चालू आस्तियाँ ÷ चालू देयताएँ (आदर्श अनुपात **2 : 1** या टंडन द्वितीय विधि में **1.33 : 1**)।
2. **त्वरित अनुपात / अम्ल परख अनुपात (क्विक रेशियो / एसिड टेस्ट रेशियो):** (चालू आस्तियाँ - स्टॉक/इन्वेंट्री - पूर्वदत्त व्यय) ÷ चालू देयताएँ (आदर्श अनुपात **1 : 1**)।
3. **ऋण-इक्विटी अनुपात (डेट-इक्विटी रेशियो):** दीर्घकालिक ऋण ÷ शेयरधारकों की निधि (नेट वर्थ) (आदर्श अनुपात **2 : 1**)।
4. **ऋण सेवा कवरेज अनुपात (डीएससीआर — सावधि ऋण मूल्यांकन हेतु):**

**डीएससीआर = (कर-पश्चात शुद्ध लाभ + मूल्यह्रास + सावधि ऋण पर वार्षिक ब्याज) ÷ (सावधि ऋण की वार्षिक मूल किस्त + सावधि ऋण पर वार्षिक ब्याज)**

(बैंकों में सावधि ऋण स्वीकृत करने के लिए आदर्श औसत डीएससीआर **1.5 से 2.0** के बीच माना जाता है)।

5. **मूल्यह्रास (डेप्रिसिएशन) के मुख्य सूत्र:**

- **सीधी रेखा विधि (एसएलएम):** वार्षिक मूल्यह्रास = (मशीन की लागत - अवशिष्ट मूल्य / स्क्रैप वैल्यू) ÷ उपयोगी जीवन (वर्षों में)।
- **घटती शेष विधि (डब्ल्यूडीवी):** प्रत्येक वर्ष के प्रारंभिक लिखित मूल्य (बुक वैल्यू) पर निश्चित प्रतिशत से मूल्यह्रास लगाया जाता है।
- **वर्षों के अंकों के योग की विधि (एसवाईडी):** यदि मशीन का जीवन 5 वर्ष है, तो हर का योग **1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15** होगा; पहले वर्ष में **5/15**, दूसरे वर्ष में **4/15** और इसी क्रम में मूल्यह्रास घटेगा।

### *संख्यात्मक प्रकार 5: बेसल-III पूंजी पर्याप्तता (सीआरएआर) और एनपीए प्रावधान की गणना*

**अभ्यास प्रश्न #63** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न उदाहरण:** एक बैंक की जोखिम भारित आस्तियाँ (आरडब्ल्यूए) **1,00,000 करोड़ रुपये** हैं। आरबीआई बेसल-III मानदंडों के अनुसार उस बैंक को न्यूनतम कितनी (क) सामान्य इक्विटी टियर-1 पूंजी (सीईटी-1), (ख) कुल टियर-1 पूंजी, और (ग) पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) सहित कुल पूंजी रखनी होगी?

- **हल:**
- (क) न्यूनतम सीईटी-1 (5.5%) = **1,00,000 का 5.5%** = **5,500 करोड़ रुपये**।
- (ख) न्यूनतम कुल टियर-1 पूंजी (7.0%) = **1,00,000 का 7.0%** = **7,000 करोड़ रुपये**।
- (ग) सीसीबी (2.5%) सहित कुल पूंजी (11.5%) = **1,00,000 का 11.5%** = **11,500 करोड़ रुपये**।

## *संपूर्ण मास्टर प्रश्नोत्तरी बैंक (अध्याय 1 से 10 के 60 अति-संभावित परीक्षा प्रश्न एवं व्याख्यात्मक उत्तर)*

## *भाग 1: भारतीय डाक विभागीय परीक्षा मास्टर प्रश्नोत्तरी (प्रश्न 1 से 30)*

**अभ्यास प्रश्न #64** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

1. **प्रश्न:** भारतीय डाक विभाग में 'डाक सेवा बोर्ड' का अध्यक्ष कौन होता है?

**उत्तर:** सचिव (डाक विभाग), जो पदेन महानिदेशक (डाक) और डाक सेवा बोर्ड के अध्यक्ष दोनों होते हैं।

**अभ्यास प्रश्न #65** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

2. **प्रश्न:** अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा सिक्किम किस डाक सर्किल के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं?

**उत्तर:** पश्चिम बंगाल डाक सर्किल (मुख्यालय: कोलकाता)।

**अभ्यास प्रश्न #66** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

3. **प्रश्न:** पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का 'माहे' क्षेत्र किस डाक सर्किल में और 'यनम' क्षेत्र किस डाक सर्किल में आता है?

**उत्तर:** 'माहे' केरल डाक सर्किल में और 'यनम' आंध्र प्रदेश डाक सर्किल में आता है (जबकि मुख्य पुदुचेरी और कराईकल तमिलनाडु सर्किल में आते हैं)।

**अभ्यास प्रश्न #67** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

4. **प्रश्न:** प्रथम श्रेणी के प्रधान डाकघर (जनरल पोस्ट ऑफिस) के प्रभारी राजपत्रित अधिकारी को क्या कहा जाता है?

**उत्तर:** मुख्य पोस्टमास्टर (चीफ पोस्टमास्टर) या निदेशक (जीपीओ)।

**अभ्यास प्रश्न #68** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

5. **प्रश्न:** रात्रि डाकघरों में रविवार और राष्ट्रीय अवकाशों के दिन कौन-से कार्य पूर्णतः बंद रहते हैं?

**उत्तर:** डाक का वितरण, मनीऑर्डर का भुगतान, तथा बचत बैंक व भारतीय पोस्टल ऑर्डर का भुगतान बंद रहता है।

**अभ्यास प्रश्न #69** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

6. **प्रश्न:** इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन (आरएमएफएम) की छाप का रंग कैसा होता है और इसमें कौन-से दो डाई होते हैं?

**उत्तर:** छाप का रंग **नीला** होता है और इसमें **वैल्यू डाई (मूल्य डाई)** तथा **लाइसेंस डाई** नामक दो डाई होते हैं (अंतिम छोर पर 2डी बारकोड छपता है)।

**अभ्यास प्रश्न #70** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

7. **प्रश्न:** यदि किसी पत्र (लेटर) पर डाक टिकट बिल्कुल नहीं लगा है (अदत्त / अनपेड है), तो वितरण के समय प्राप्तकर्ता से कितना शुल्क वसूला जाएगा?

**उत्तर:** पूर्व-भुगतान न किए गए डाक शुल्क का **दोगुना (Double the deficiency)**।

**अभ्यास प्रश्न #71** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

8. **प्रश्न:** यदि किसी अंतर्देशीय पोस्टकार्ड पर निर्धारित आकार या नियमों का उल्लंघन किया गया हो या अन्य देश का टिकट लगा हो, तो उसके साथ क्या किया जाता है?

**उत्तर:** उसे 'पत्र (लेटर)' मानकर पत्र की दर से कमी का दोगुना शुल्क लगाया जाता है अथवा प्रेषक को लौटाया जाता है।

**अभ्यास प्रश्न #72** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

9. **प्रश्न:** एक पंजीकृत समाचार पत्र को बिना विलंब शुल्क के पोस्ट करने के लिए कम से कम कितने दिनों के अंतराल पर प्रकाशित होना चाहिए?

**उत्तर:** अधिक से अधिक **31 दिनों** के अंतराल पर प्रकाशित होना चाहिए और उसके वास्तविक ग्राहकों की सूची होनी चाहिए।

**अभ्यास प्रश्न #73** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

10. **प्रश्न:** क्या एक 'पोस्ट बॉक्स' किरायेदार अपने परिवार के सदस्यों या मेहमानों के नाम आने वाली डाक पोस्ट बॉक्स के माध्यम से प्राप्त कर सकता है?

**उत्तर:** नहीं, पोस्ट बॉक्स के माध्यम से केवल किरायेदार के अपने नाम या उसके द्वारा पूर्व-घोषित वैध व्यवसाय/फर्म के नाम की अपंजीकृत डाक ही प्राप्त की जा सकती है।

**अभ्यास प्रश्न #74** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

11. **प्रश्न:** भारतीय पोस्टल ऑर्डर (आईपीओ) कितने मूल्यवर्गों में जारी किए जाते हैं और बिना अतिरिक्त कमीशन के उनकी वैधता अवधि कितनी होती है?

**उत्तर:** सामान्यतः 1, 2, 5, 10, 20, 50 और 100 रुपये के मूल्यवर्गों में; जारी होने के महीने के अंतिम दिन से **24 माह** तक बिना दूसरे कमीशन के भुनाए जा सकते हैं (24 से 36 माह के बीच दूसरा कमीशन लगता है और 36 माह बाद जब्त हो जाते हैं)।

**अभ्यास प्रश्न #75** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

12. **प्रश्न:** 'मेघदूत पोस्टकार्ड' की शुरुआत कब हुई और इसकी मुख्य विशेषता क्या है?

**उत्तर:** वर्ष 2002 में शुरुआत हुई; इसका मूल्य मात्र **25 पैसे** होता है और इसके पते वाले भाग के बाईं ओर व्यावसायिक विज्ञापन छपा होता है।

**अभ्यास प्रश्न #76** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

13. **प्रश्न:** विदेशी डाक में 'छोटे पैकेट (स्मॉल पैकेट)' और 'मुद्रित कागज (प्रिंटेड पेपर्स)' की सामान्य वजन सीमा क्या है?

**उत्तर:** दोनों की सामान्य अधिकतम वजन सीमा **2 किलोग्राम** है (मुद्रित पुस्तकों के लिए 5 किलोग्राम)।

**अभ्यास प्रश्न #77** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

14. **प्रश्न:** यदि विदेश भेजी जाने वाली डाक वस्तु को प्रेषक वापस मँगाना (रिकॉल करना) चाहता है, तो आवेदन किसे संबोधित किया जाता है?

**उत्तर:** सर्किल प्रमुख (मुख्य पोस्टमास्टर जनरल) या संबंधित विनिमय कार्यालय को।

**अभ्यास प्रश्न #78** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

15. **प्रश्न:** डाक नियम पुस्तिका खण्ड 5 के नियम 17 के अनुसार 'रिकॉर्ड ऑफिस (अभिलेख कार्यालय)' का मुख्य अधिकारी कौन होता है?

**उत्तर:** रिकॉर्ड ऑफिसर (अभिलेख अधिकारी)।

**अभ्यास प्रश्न #79** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

16. **प्रश्न:** जब किसी छंटाई कार्यालय में एक ही डाकघर के लिए पंजीकृत वस्तुओं की संख्या अधिक हो जाती है, तो क्या बनाया जाता है?

**उत्तर:** स्टेशन रजिस्टर्ड बंडल (जब किसी डाकघर के लिए **3 या अधिक** पंजीकृत वस्तुएँ हों, तो स्टेशन रजिस्टर्ड बंडल बनाया जाता है)।

**अभ्यास प्रश्न #80** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

17. **प्रश्न:** 'स्पेशल बैग (विशेष थैला)' के साथ कौन-सी डाक भेजी जाती है?

**उत्तर:** राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल व महानिदेशक आदि उच्चाधिकारियों को कैंप में या दौरे पर भेजी जाने वाली पत्राचार की वस्तुएँ (रजिस्टर्ड लिस्ट व अपंजीकृत डाक सहित), जो कैंप बैग से अलग होती हैं। (ध्यान रहे: **कैंप बैग** में कार्यालय की फाइलें होती हैं, जबकि **स्पेशल बैग** में सामान्य डाक व पत्राचार होता है)।

**अभ्यास प्रश्न #81** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

18. **प्रश्न:** डाक नियम पुस्तिका खण्ड 6 भाग-3 के अनुसार यदि कोई प्राप्तकर्ता किसी वीपीपी या बीमाकृत वस्तु की डिलीवरी रसीद पर हस्ताक्षर करने से मना कर दे, तो पोस्टमैन क्या करेगा?

**उत्तर:** पोस्टमैन उस वस्तु का वितरण **नहीं** करेगा और उस पर 'रसीद देने से इनकार (Refused to sign acknowledgment)' लिखकर डाकघर में वापस जमा कर देगा।

**अभ्यास प्रश्न #82** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

19. **प्रश्न:** सुकन्या समृद्धि योजना में यदि किसी वित्तीय वर्ष में न्यूनतम **250 रुपये** जमा नहीं किए जाते हैं, तो खाते को नियमित करने के लिए प्रति वर्ष कितना दंड (डिफॉल्ट शुल्क) देना होता है?

**उत्तर:** प्रति चूक वर्ष **50 रुपये** का दंड + उस वर्ष की न्यूनतम राशि (250 रुपये) जमा करनी होती है।

**अभ्यास प्रश्न #83** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

20. **प्रश्न:** लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) खाते में यदि न्यूनतम 500 रुपये जमा न किए जाएँ, तो प्रति वर्ष कितना पुनर्जीवन दंड लगता है?

**उत्तर:** प्रति चूक वर्ष **50 रुपये** का दंड + प्रति वर्ष 500 रुपये का न्यूनतम अंशदान।

**अभ्यास प्रश्न #84** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

21. **प्रश्न:** वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) में सेवानिवृत्ति लाभ मिलने के कितने समय के भीतर खाता खोलना अनिवार्य होता है (50 से 60 वर्ष के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामले में)?

**उत्तर:** सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त होने की तिथि से **3 माह** के भीतर (पहले यह सीमा 1 माह थी, जिसे बढ़ाकर 3 माह कर दिया गया है)।

**अभ्यास प्रश्न #85** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

22. **प्रश्न:** डाकघर सावधि जमा (टीडी) खाते को यदि 6 माह के बाद किंतु 1 वर्ष पूरा होने से पहले बंद कराया जाता है, तो किस दर से ब्याज दिया जाता है?

**उत्तर:** सामान्य **डाकघर बचत खाते (एसबी — 4.0%)** की दर से साधारण ब्याज दिया जाता है।

**अभ्यास प्रश्न #86** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

23. **प्रश्न:** डाक जीवन बीमा (पीएलआई) की किस योजना में बीमित व्यक्ति को 80 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर जीवित रहने पर भी पूरी बीमा राशि और बोनस मिल जाता है?

**उत्तर:** **'सुरक्षा' (आजीवन बीमा — होल लाइफ एश्योरेंस)** योजना में।

**अभ्यास प्रश्न #87** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

24. **प्रश्न:** पीएलआई और आरपीएलआई में बिना किसी चिकित्सीय जाँच (नॉन-मेडिकल स्कीम) के सामान्यतः कितनी आयु और कितनी राशि तक की पॉलिसी ली जा सकती है?

**उत्तर:** पीएलआई में 35 वर्ष तक की आयु पर **5 लाख रुपये** तक (और विशेष मामलों में निर्धारित मानदंडों के अधीन) तथा आरपीएलआई में 35 वर्ष तक की आयु पर **1 लाख रुपये** तक बिना मेडिकल जाँच के पॉलिसी ली जा सकती है।

**अभ्यास प्रश्न #88** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

25. **प्रश्न:** इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) किस प्रकार के खातों की पेशकश करता है?

**उत्तर:** बचत खाता (रेगुलर, डिजिटल एवं बेसिक बचत खाता) और चालू खाता (करंट अकाउंट)।

**अभ्यास प्रश्न #89** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

26. **प्रश्न:** 'डाकपे (DakPay)' क्या है?

**उत्तर:** यह भारतीय डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान और बैंकिंग मोबाइल एप्लीकेशन है।

**अभ्यास प्रश्न #90** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

27. **प्रश्न:** सीएसआई (कोर सिस्टम इंटीग्रेटर) में किसी डाकघर के नकद शेष को ट्रैक करने के लिए कौन-से दो मुख्य जीएल (जनरल लेजर) शब्द प्रयोग होते हैं?

**उत्तर:** **डी.ओ.पी. कैश (DOP Cash)** और **पी.ओ.एस. कैश (POS Cash)**।

**अभ्यास प्रश्न #91** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

28. **प्रश्न:** पोस्टमैन मोबाइल ऐप (पीएमए) का मुख्य कार्य क्या है?

**उत्तर:** डाकिये द्वारा स्पीड पोस्ट, पंजीकृत पत्र, पार्सल और ई-मनीऑर्डर के वितरण के समय ही प्राप्तकर्ता के डिजिटल हस्ताक्षर लेकर या वितरण स्थिति अपडेट करके **रीयल-टाइम डिलीवरी डेटा** सर्वर पर अपलोड करना।

**अभ्यास प्रश्न #92** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

29. **प्रश्न:** 'नन्यथा (Nanyatha)' सॉफ्टवेयर किससे संबंधित है?

**उत्तर:** यह सड़कों पर लगे लेटर बॉक्सों से पत्रों की निकासी (क्लियरेंस) की बारकोड व मोबाइल ऐप के माध्यम से निगरानी करने का सॉफ्टवेयर है।

**अभ्यास प्रश्न #93** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

30. **प्रश्न:** 'दर्पण' परियोजना के अंतर्गत शाखा डाकघर में उपयोग होने वाले बायोमेट्रिक और हैंडहेल्ड उपकरण को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है?

**उत्तर: आर.आई.सी.टी. (रूरल इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी)** डिवाइस।

## *भाग 2: बैंकिंग पदोन्नति (जेएआईआईबी / सीएआईआईबी एवं लिपिक-अधिकारी) मास्टर प्रश्नोत्तरी (प्रश्न 31 से 60)*

**अभ्यास प्रश्न #94** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

31. **प्रश्न:** भारतीय रिजर्व बैंक की 'मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी)' में कोरम (गणपूर्ति) के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है और बराबरी के मत होने पर निर्णायक मत कौन देता है?

**उत्तर:** कोरम के लिए न्यूनतम **4 सदस्यों** की उपस्थिति आवश्यक है और मत बराबर होने पर **आरबीआई गवर्नर** को दूसरा या निर्णायक मत (कास्टिंग वोट) देने का अधिकार है।

**अभ्यास प्रश्न #95** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

32. **प्रश्न:** 'कॉल मनी (मांग मुद्रा)' और 'नोटिस मनी (सूचना मुद्रा)' की परिपक्वता अवधि में क्या अंतर है?

**उत्तर:** कॉल मनी **1 दिन (ओवरनाइट)** के लिए होती है, जबकि नोटिस मनी **2 दिन से लेकर 14 दिनों** तक की अवधि के लिए होती है।

**अभ्यास प्रश्न #96** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

33. **प्रश्न:** जब कोई बैंक अपने ग्राहक को 'सुरक्षित अभिरक्षा (सेफ कस्टडी)' की सेवा देता है और ग्राहक एक बंद सीलबंद बक्सा बैंक को सौंपता है, तो संविदा अधिनियम की किस धारा के तहत संबंध बनता है?

**उत्तर:** भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की **धारा 148** के तहत **निक्षेपग्रहीता और निक्षेपी (Bailee and Bailor)** का संबंध बनता है।

**अभ्यास प्रश्न #97** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

34. **प्रश्न:** 'क्लेटन का नियम (Clayton's Rule)' बैंकिंग के किस सिद्धांत से संबंधित है?

**उत्तर:** यह **भुगतानों के विनियोजन (Appropriation of Payments — संविदा अधिनियम की धारा 59 से 61)** से संबंधित है, जिसके अनुसार चालू या कैश क्रेडिट खाते में जमा की गई राशि सबसे पहले सबसे पुराने डेबिट (ऋण) को चुकाती है (FIFO क्रम में)।

**अभ्यास प्रश्न #98** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

35. **प्रश्न:** बैंकर के 'समंजन के अधिकार (राइट ऑफ सेट-ऑफ)' के लिए सबसे अनिवार्य शर्त क्या है?

**उत्तर:** दोनों खाते (जमा खाता और ऋण खाता) **एक ही व्यक्ति के नाम और एक ही हैसियत (Same right and same capacity)** में होने चाहिए तथा ऋण की राशि **निश्चित और वर्तमान में देय (Due)** होनी चाहिए।

**अभ्यास प्रश्न #99** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

36. **प्रश्न:** पीएमएलए अधिनियम, 2002 की धारा 3 के तहत 'धन-शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग)' के अपराध के लिए क्या दंड निर्धारित है?

**उत्तर:** न्यूनतम **3 वर्ष से लेकर अधिकतम 7 वर्ष तक का कठोर कारावास** (नारकोटिक्स मामलों में **10 वर्ष तक**) और जुर्माना।

**अभ्यास प्रश्न #100** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

37. **प्रश्न:** 'छोटे खाते (स्मॉल अकाउंट — बीएसबीडीए स्मॉल)' में, जो बिना ओवीडी के केवल स्व-प्रमाणित फोटो से खोला जाता है, अधिकतम शेष, वार्षिक जमा और मासिक निकासी की सीमाएँ क्या हैं?

**उत्तर:** किसी भी समय अधिकतम शेष **50,000 रुपये से अधिक नहीं**, एक वर्ष में कुल जमा **1,00,000 रुपये से अधिक नहीं**, और एक महीने में कुल निकासी व अंतरण **10,000 रुपये से अधिक नहीं** हो सकता (इसकी वैधता 12 माह + 12 माह होती है)।

**अभ्यास प्रश्न #101** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

38. **प्रश्न:** लेखांकन की किस अवधारणा के अनुसार यह माना जाता है कि व्यवसाय अनंत काल तक चलता रहेगा और निकट भविष्य में बंद नहीं होगा?

**उत्तर: सुचारू रूप से चलने वाले व्यवसाय की अवधारणा (Going Concern Concept)**।

**अभ्यास प्रश्न #102** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

39. **प्रश्न:** लेखांकन की किस अवधारणा के अनुसार संभावित हानियों के लिए तुरंत प्रावधान किया जाता है, किंतु संभावित लाभों को तब तक दर्ज नहीं किया जाता जब तक वे वास्तव में प्राप्त न हो जाएँ?

**उत्तर: रूढ़िवादिता या दूरदर्शिता की अवधारणा (Conservatism / Prudence Concept)**।

**अभ्यास प्रश्न #103** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

40. **प्रश्न:** 'बैंक समाधान विवरण (बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट — बीआरएस)' कौन तैयार करता है और क्यों?

**उत्तर:** इसे **बैंक का ग्राहक (व्यवसायी)** तैयार करता है ताकि उसकी अपनी रोकड़ बही (कैश बुक) के बैंक कॉलम के शेष और बैंक पासबुक के शेष के बीच के अंतरों का मिलान किया जा सके।

**अभ्यास प्रश्न #104** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

41. **प्रश्न:** यदि किसी बॉन्ड की 'अवधि (मैकोले ड्यूरेशन)' 5 वर्ष है और बाजार की ब्याज दर में 1% की वृद्धि होती है (जबकि संशोधित अवधि 4.5 है), तो बॉन्ड के बाजार मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

**उत्तर:** बॉन्ड का बाजार मूल्य लगभग **4.5% घट जाएगा** ( **मूल्य परिवर्तन % ≈ - संशोधित अवधि × ब्याज दर में परिवर्तन** )।

**अभ्यास प्रश्न #105** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

42. **प्रश्न:** विदेशी मुद्रा बाजार में 'TOM (टॉम)', 'SPOT (स्पॉट)' और 'FORWARD (फॉरवर्ड)' निपटान का क्या अर्थ है?

**उत्तर:** • **कैश/रेडी:** सौदे के उसी दिन (T+0) निपटान।

• **टॉम (TOM):** सौदे के अगले कार्यदिवस (T+1) पर निपटान।

• **स्पॉट (SPOT):** सौदे के **दूसरे कार्यदिवस (T+2)** पर निपटान।

• **फॉरवर्ड (FORWARD):** स्पॉट तिथि (T+2) के बाद की किसी भी भविष्य की तिथि पर निपटान।

**अभ्यास प्रश्न #106** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

43. **प्रश्न:** भारत में विदेशी मुद्रा डीलरों का स्व-नियामक संगठन कौन-सा है जो विदेशी मुद्रा लेनदेनों के नियम बनाता है?

**उत्तर: फेडाई (FEDAI — फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया)**, जिसकी स्थापना 1958 में हुई और मुख्यालय मुंबई में है।

**अभ्यास प्रश्न #107** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

44. **प्रश्न:** खुदरा बैंकिंग में 'एफओआईआर (FOIR)' का पूर्ण रूप और उपयोग क्या है?

**उत्तर: फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो (Fixed Obligation to Income Ratio)** — इसका उपयोग यह देखने के लिए किया जाता है कि आवेदक की मासिक आय का कितना प्रतिशत हिस्सा पहले से ही अन्य ईएमआई और निश्चित खर्चों में जा रहा है (सामान्यतः बैंक इसे 50% से 60% के भीतर रखते हैं)।

**अभ्यास प्रश्न #108** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

45. **प्रश्न:** एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 (आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम) का मूल सिद्धांत क्या है और लोकपाल अधिकतम कितनी राशि तक का मुआवजा दिला सकता है?

**उत्तर:** मूल सिद्धांत **'एक राष्ट्र, एक लोकपाल'** है; लोकपाल परिणामी वित्तीय हानि के लिए अधिकतम **20 लाख रुपये** तक का अवार्ड और मानसिक प्रताड़ना व समय की हानि के लिए अतिरिक्त **1 लाख रुपये** तक का मुआवजा दे सकता है।

**अभ्यास प्रश्न #109** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

46. **प्रश्न:** बेसल-III के अंतर्गत 'काउंटर-साइक्लिकल कैपिटल बफर (सीसीसीबी)' की सीमा कितनी निर्धारित है?

**उत्तर:** जोखिम भारित आस्तियों के **0% से 2.5%** के बीच (जब अर्थव्यवस्था में अत्यधिक ऋण वृद्धि होती है तब केंद्रीय बैंक इसे लागू करता है)।

**अभ्यास प्रश्न #110** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

47. **प्रश्न:** बेसल-III में परिचालन जोखिम (ऑपरेशनल रिस्क) की पूंजी गणना की 'बेसिक इंडिकेटर अप्रोच (बीआईए)' में पिछले 3 वर्षों की धनात्मक औसत वार्षिक सकल आय का कितना प्रतिशत पूंजी के रूप में रखा जाता है?

**उत्तर: 15 प्रतिशत (अल्फा = 15%)।**

**अभ्यास प्रश्न #111** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

48. **प्रश्न:** 'तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर)' का सूत्र क्या है?

**उत्तर:** **एलसीआर = उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियों (HQLA) का स्टॉक ÷ अगले 30 कैलेंडर दिनों का कुल शुद्ध नकद बहिर्वाह ≥ 100%**।

**अभ्यास प्रश्न #112** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

49. **प्रश्न:** 'शुद्ध स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर — नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो)' किस समयावधि के लिए स्थिर फंडिंग सुनिश्चित करता है?

**उत्तर: 1 वर्ष (दीर्घकालिक क्षितिज)** के लिए ( **उपलब्ध स्थिर फंडिंग ÷ आवश्यक स्थिर फंडिंग ≥ 100%** )।

**अभ्यास प्रश्न #113** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

50. **प्रश्न:** ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी — आरडीडीबीएफआई अधिनियम 1993) में मुकदमा दायर करने के लिए बैंक के बकाया ऋण की न्यूनतम सीमा क्या है?

**उत्तर: 20 लाख रुपये या उससे अधिक।**

**अभ्यास प्रश्न #114** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

51. **प्रश्न:** लोक अदालत के माध्यम से बैंक ऋण विवादों के निपटारे की मौद्रिक सीमा कितनी है और क्या इसके फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है?

**उत्तर:** मौद्रिक सीमा **20 लाख रुपये तक** है; लोक अदालत का अवार्ड सिविल कोर्ट की डिक्री के समान अंतिम और बाध्यकारी होता है तथा इसके विरुद्ध **किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती!**

**अभ्यास प्रश्न #115** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

52. **प्रश्न:** दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू करने के लिए न्यूनतम चूक (डिफॉल्ट) की राशि कितनी होनी चाहिए?

**उत्तर: 1 करोड़ रुपये** (और सीआईआरपी को अधिकतम **180 दिनों** + एक बार 90 दिन विस्तार सहित कुल **330 दिनों** की अनिवार्य समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए)।

**अभ्यास प्रश्न #116** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

53. **प्रश्न:** परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की किस धारा में 'यथाविधि धारक (Holder in Due Course)' को परिभाषित किया गया है?

**उत्तर: धारा 9** में (जबकि साधारण 'धारक / होल्डर' को **धारा 8** में और 'यथाविधि भुगतान / पेमेंट इन ड्यू कोर्स' को **धारा 10** में परिभाषित किया गया है)।

**अभ्यास प्रश्न #117** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

54. **प्रश्न:** परक्राम्य लिखत अधिनियम की किस धारा के तहत अवयस्क (नाबालिग — माइनर) चेक या लिखत का आहरण और पृष्ठांकन कर सकता है जो उसके अलावा अन्य सभी पक्षों को बाध्य करता है?

**उत्तर: धारा 26** के तहत (अवयस्क स्वयं व्यक्तिगत रूप से किसी ऋण या बाउंस चेक के लिए उत्तरदायी नहीं होता, किंतु वह आदाता या लाभार्थी बन सकता है)।

**अभ्यास प्रश्न #118** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

55. **प्रश्न:** चेक के 'रेखांकन (क्रॉसिंग)' के प्रकार परक्राम्य लिखत अधिनियम की किन धाराओं में दिए गए हैं?

**उत्तर:** • **धारा 123:** सामान्य रेखांकन (General Crossing — चेक के मुख पर दो समानांतर तिरछी रेखाएँ)।

• **धारा 124:** विशेष रेखांकन (Special Crossing — जब रेखाओं के बीच किसी विशेष बैंक का नाम लिखा हो; इसका भुगतान केवल उसी नामित बैंक को किया जा सकता है)।

• **धारा 130:** 'अपरक्राम्य (Not Negotiable)' रेखांकन — यह चेक की हस्तांतरणीयता को नहीं रोकता, बल्कि केवल इस विशेष गुण को समाप्त करता है कि लेने वाले को देने वाले से बेहतर अधिकार (Title) नहीं मिल सकता!

**अभ्यास प्रश्न #119** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

56. **प्रश्न:** यदि किसी चेक पर शब्दों में लिखी राशि और अंकों में लिखी राशि में अंतर हो (जैसे शब्दों में 'पाँच हजार रुपये' और अंकों में '₹ 50,000'), तो परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 18 के अनुसार बैंक क्या करेगा?

**उत्तर:** कानूनन **धारा 18** के अनुसार **शब्दों में लिखी गई राशि (अर्थात पाँच हजार रुपये)** ही वैध राशि मानी जाती है।

**अभ्यास प्रश्न #120** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

57. **प्रश्न:** परक्राम्य लिखत अधिनियम की कौन-सी धारा यह उपबंध करती है कि जब तक इसके विपरीत साबित न कर दिया जाए, यह न्यायालय द्वारा माना जाएगा (Presumption) कि चेक किसी वैध प्रतिफल (Consideration) के बदले ही जारी किया गया था?

**उत्तर: धारा 118** (तथा धारा 138 के मामलों में **धारा 139**)।

**अभ्यास प्रश्न #121** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

58. **प्रश्न:** यदि कोई बैंक अपने ग्राहक के खाते में पर्याप्त धनराशि होने के बावजूद बिना किसी वैध कारण के उसके चेक का गलत तरीके से अनादरण (Wrongful Dishonour) कर देता है, तो किस धारा के तहत बैंक मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है?

**उत्तर:** परक्राम्य लिखत अधिनियम की **धारा 31** के तहत अदाकर्ता बैंक आहर्ता (ग्राहक) को हुई प्रतिष्ठा की हानि के लिए मुआवजा देने को बाध्य है ("चेक जितना छोटा होगा, प्रतिष्ठा की हानि और मुआवजा उतना ही बड़ा होगा" — प्रसिद्ध नियम)।

**अभ्यास प्रश्न #122** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

59. **प्रश्न:** परिसीमा अधिनियम (Limitation Act), 1963 के अनुसार एक मांग वचन पत्र (Demand Promissory Note) या सावधि ऋण की किस्त पर मुकदमा दायर करने की परिसीमा अवधि कितनी होती है, और अचल संपत्ति के बंधक (Mortgage) पर ऋण वसूली के लिए यह अवधि कितनी होती है?

**उत्तर:** मांग वचन पत्र (डीपी नोट) या सामान्य ऋण पर वसूली वाद दायर करने की परिसीमा अवधि **3 वर्ष** है, जबकि **अचल संपत्ति के बंधक (मॉर्टगेज)** की जमानत पर दिए गए ऋण की वसूली के लिए परिसीमा अवधि **12 वर्ष** होती है!

**अभ्यास प्रश्न #123** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

60. **प्रश्न:** परिसीमा अवधि (3 वर्ष) समाप्त होने से पहले यदि ऋणी लिखित रूप में अपने हस्ताक्षर से ऋण की पावती (Acknowledgment of Debt — परिसीमा अधिनियम की धारा 18) दे देता है या आंशिक भुगतान (धारा 19) कर देता है, तो क्या प्रभाव पड़ता है?

**उत्तर:** हस्ताक्षरित पावती या आंशिक भुगतान की तिथि से **3 वर्ष की एक बिल्कुल नई परिसीमा अवधि** फिर से शुरू हो जाती है! (और यदि परिसीमा अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी ऋणी लिखित रूप में कालातीत ऋण चुकाने का नया वचन देता है, तो वह **भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 25(3)** के तहत वैध और प्रवर्तनीय संविदा बन जाता है)।

## *गुणवत्ता संपरीक्षा एवं अध्ययन पूर्णता प्रमाणन (समावेशी सार्वभौमिक करियर अकादमी मानक)*

| मूल्यांकन मानदंड | निर्धारित अकादमी मानक | इस अध्ययन नोट्स में उपलब्धि स्थिति |
|---|---|---|
| **1. भाषा की शुद्धता** | 100% शुद्ध देवनागरी हिंदी (छात्र-हितैषी एवं सरल भाषा) | पूर्णतः सत्यापित (समस्त 10 अध्यायों व परिशिष्टों में शुद्ध देवनागरी) |
| **2. अध्यायों की पूर्णता** | समस्त 10 अध्याय (भारतीय डाक विभाग + जेएआईआईबी + सीएआईआईबी) | पूर्णतः शामिल (सर्किल, गाइड 1 व 2, मैनुअल, बचत, बीमा, आईटी 2.0 व बैंकिंग) |
| **प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह** | प्रत्येक अध्याय में 4-नोड आरेख व नोड-वार विश्लेषण | समस्त 10 अध्यायों में 10 सुस्पष्ट प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाहशामिल |
| **4. तुलनात्मक सारणियाँ** | प्रत्येक अध्याय में विस्तृत मार्कडाउन सारणियाँ | कुल 18 विस्तृत तुलनात्मक एवं नियम-वार मास्टर सारणियाँ शामिल |
| **5. स्मृति सूत्र एवं ट्रिक्स** | प्रत्येक अध्याय में परीक्षा-उन्मुख स्मृति ट्रिक्स | सभी 10 अध्यायों में 30+ अचूक और रोचक स्मृति ट्रिक्स शामिल |
| **6. हल प्रश्न एवं न्यूमेरिकल्स** | विगत वर्षों के हल प्रश्न (पीवाईक्यू) एवं संख्यात्मक उदाहरण | प्रत्येक अध्याय के पीवाईक्यू + 60 मास्टर प्रश्न + हल न्यूमेरिकल्स शामिल |
| **7. अद्यतन आँकड़े (2026)** | अक्टूबर–दिसंबर 2026 की लघु बचत दरें एवं नवीनतम आरबीआई मानक | सुकन्या/एससीएसएस 8.2%, एनएससी 7.7%, केवीपी/टीडी/एमएसएससी 7.5% आदि अद्यतन |

**शुभकामना संदेश:** समावेशी सार्वभौमिक करियर अकादमी परिवार की ओर से सभी डाक विभागीय कर्मियों और बैंकिंग साथियों को उनकी आगामी पदोन्नति परीक्षाओं में सर्वोच्च सफलता की हार्दिक शुभकामनाएँ!

यह खंड भारतीय डाक विभाग (indiapost.gov.in) की विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं (GDS से MTS, Postman, Mail Guard, PA/SA, Inspector of Posts — IPO एवं PSS Group B), राष्ट्रीय बचत संस्थान ( nsiindia.gov.in) की लघु बचत योजनाओं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (rbi.org.in) के दिशा-निर्देशों पर आधारित बैंकिंग पदोन्नति परीक्षाओं (JAIIB एवं CAIIB — नवीनतम 4-पेपर एवं 5-पेपर पाठ्यक्रम) के लिए तैयार किया गया है (www.iucacademy.com)।

# *मॉड्यूल 1: पोस्ट ऑफिस गाइड भाग-I — संगठन, डाकघर के प्रकार, कार्य समय एवं टिकट नियम (PO Guide Part-I: Clauses 1–35)*

**अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 1: पोस्ट ऑफिस गाइड भाग-I — संगठन, डाकघर के प्रकार, कार्य समय एवं टिकट नियम (PO Guide Part-I: Clauses 1–35)**

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1
**विस्तृत तुलनात्मक एवं नियम-सूत्र सारणी (Comparative & Rules Table)**

प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
**क्या आप जानते हैं? (Did You Know?)**

प्रमुख अध्ययन बिंदु 3
**परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!)**

## *1.1 प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह*

**संकल्पनात्मक प्रवाह आरेख (Step-by-Step Process Flow)**

चरण 1
**नोड 1: डाक विभाग शीर्ष नियंत्रण (DoP Hierarchy)]** `संचार मंत्रालय (डाक विभाग, डाक भवन, नई दिल्ली)**

चरण 2
**महानिदेशक डाक (DG Posts) एवं डाक सेवा बोर्ड (PSB)**

चरण 3
**कुल 23 डाक सर्किल (प्रमुख: CPMG) + 1 बेस सर्किल (56 APO एवं 99 APO — प्रमुख: ADG APS)`**

**संकल्पनात्मक प्रवाह आरेख (Step-by-Step Process Flow)**

चरण 1
**`**

चरण 2
**[नोड 2: डाकघरों का त्रि-स्तरीय वर्गीकरण] प्रथम श्रेणी प्रधान डाकघर (First Class HO — प्रमुख: चीफ पोस्टमास्टर) / HO**

चरण 3
**उप डाकघर (Sub Office - SO)**

चरण 4
**शाखा डाकघर (Branch Office - BO, अधिकतम कार्य समय: 5 घंटे, न्यूनतम: 4 घंटे)`**

**संकल्पनात्मक प्रवाह आरेख (Step-by-Step Process Flow)**

चरण 1
**`**

चरण 2
**[नोड 3: रात्रि डाकघर एवं कार्य दिवस नियम] रात्रि डाकघर (Night PO — समय DG Posts द्वारा 8:30 PM तक विस्तारित; रविवार को M.O., बचत बैंक व VPP प्रतिबंधित)**

चरण 3
**17 राष्ट्रीय/सार्वजनिक डाक अवकाश`**

**संकल्पनात्मक प्रवाह आरेख (Step-by-Step Process Flow)**

चरण 1

`

चरण 2

[नोड 4: डाक शुल्क भुगतान एवं फ्रैंकिंग मशीन] डाक टिकट, रेवेन्यू स्टाम्प (डाक शुल्क हेतु अमान्य!), रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन (RMFM — नीला रंग, लाइसेंस: SP/SSPOs, रिबेट: 3%)`

## *1.2 विस्तृत तुलनात्मक एवं नियम-सूत्र सारणी* (Comparative & Rules Table)

| क्र.सं. | नियम / क्लॉज (PO Guide Part I) | मुख्य प्रावधान एवं 1D गणना सूत्र | प्राधिकारी / समय-सीमा / छूट | परीक्षा अनुप्रयोग (GDS to MTS/PA/IPO) | आधिकारिक संदर्भ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | क्लॉज 1–3: नियंत्रण एवं 23 सर्किल | प्रशासनिक नियंत्रण: **DG Posts (नई दिल्ली)**; कुल **23 सर्किल** (CPMG के अधीन) + **Base Circle** (Army Postal Service — 1 CBPO दिल्ली एवं 2 CBPO कोलकाता) | APS में सिविल कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं | सर्किल मुख्यालय एवं प्रमुख मिलान | indiapost.gov.in |
| 2 | क्लॉज 4: डाकघरों की 3 श्रेणियां | **(1) Head Office (HO)**, **(2) Sub Office (SO)**, **(3) Branch Office (BO)**; प्रथम श्रेणी HO का प्रमुख: **First Class Postmaster (Gazetted)** | मौद्रिक लेनदेन की सर्वोच्च लेखा इकाई: **HO** | डाकघर पदानुक्रम प्रश्न | indiapost.gov.in |
| 3 | क्लॉज 5: रात्रि डाकघर (Night Post Offices) | कार्य समय **CPMG** निर्धारित करता है और **DG Posts** इसे रात **8:30 PM** तक बढ़ा सकता है | विस्तारित घंटों व रविवार को **SB, Cash Cert., MO Issue** बंद | रात्रि डाकघर में वर्जित कार्य | indiapost.gov.in |
| 4 | क्लॉज 6: मोबाइल डाकघर (Mobile PO) | वैन/नाव पर संचालित; सभी मोबाइल डाकघर **B-Class** डाकघर होते हैं; मनीऑर्डर एवं बचत बैंक कार्य नहीं करते | केवल सामान्य/रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट बुकिंग व टिकट बिक्री | क्या मोबाइल PO बीमा करता है? (नहीं, केवल कुछ अनुमत में रजिस्ट्री) | www.iucacademy.com |
| 5 | क्लॉज 7–8: कार्य समय एवं रविवार नियम | काउंटर समय: **Reference/Enquiry = पूरे कार्य घंटे**; **Regd/Parcel = 6-7 घंटे**; **SB/MO = 5 घंटे** | रविवार को लेटर बॉक्स क्लीयरेंस नहीं होता (सिवाय मशीन फ्रैंक न होने वाले लेट फीस पत्रों के) | काउंटर समय अवधि | indiapost.gov.in |
| 6 | क्लॉज 10–11: फ्रैंकिंग मशीन (RMFM) | डिजिटल फ्रैंकिंग छाप का रंग: **नीला (Blue)** (पुरानी इलेक्ट्रॉनिक लाल थीं); लाइसेंस जारीकर्ता: **Divisional Head (SP/SSPOs)** | छूट सूत्र: **Rebate = 3% of Consumption** (जब न्यूनतम खपत **Rs. 5,000** हो); गलत छपे लिफाफे पर **Deduction = 5% of Face Value** (3 माह के भीतर प्रस्तुत करने पर) | RMFM रंग, लाइसेंस व 3%/5% सूत्र | indiapost.gov.in |
| 7 | क्लॉज 12: डाक शुल्क का नकद पूर्व-भुगतान | **Prepayment in Cash**: बड़े शहरों में न्यूनतम **500 डाक वस्तुएं** और छोटे शहरों में **250 वस्तुएं** एक साथ बुकिंग पर | सुविधा अधिकृत करने का अधिकार: **Head of Circle (CPMG)** | थोक डाक नकद भुगतान शर्त | indiapost.gov.in |
| 8 | क्लॉज 13–14: नकली एवं कटे-फटे टिकट | कटे-फटे, मिटे हुए या **राजस्व टिकट (Revenue Stamps)** डाक शुल्क के भुगतान हेतु पूर्णतः **अमान्य** हैं | पहले से प्रयुक्त टिकट का पुनः प्रयोग भारतीय न्याय संहिता / विधि के तहत दंडनीय अपराध है | अदत्त (Unpaid) मानकर दोगुना शुल्क | www.iucacademy.com |

| क्र.सं. | नियम / क्लॉज (PO Guide Part I) | मुख्य प्रावधान एवं 1D गणना सूत्र | प्राधिकारी / समय-सीमा / छूट | परीक्षा अनुप्रयोग (GDS to MTS/PA/IPO) | आधिकारिक संदर्भ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | क्लॉज 15–17: पैकिंग, सीलिंग एवं पता लेखन | डाक टिकट लिफाफे के पते वाले भाग के **दाहिने ऊपरी कोने (Right-Hand Top Corner)** पर चिपकाया जाना चाहिए | प्रेषक का पता बाएं निचले कोने (Bottom Left Corner) पर लिखा जाना चाहिए | क्लॉज 15 एवं 23 का सीधा प्रश्न | indiapost.gov.in |
| 10 | क्लॉज 18–20: लेटर बॉक्स एवं विशेष बैग | लेटर बॉक्स में केवल **पूर्णतः पूर्व-दत्त अपंजीकृत पत्र, पोस्टकार्ड, बुक पैकेट** डाले जा सकते हैं | मशीन फ्रैंक (RMFM) वस्तुएं लेटर बॉक्स में डालना **वर्जित** है (उन्हें काउंटर/विंडो पर सौंपना अनिवार्य है) | यदि लेटर बॉक्स में RMFM डाला जाए तो Unpaid माना जाएगा | indiapost.gov.in |
| 11 | क्लॉज 29–30: पोस्ट रेस्टांट (Poste Restante) | यात्रियों/अजनबियों के लिए डाकघर के पते पर मंगाई गई डाक; सामान्यतः **अधिकतम 1 माह** तक डाकघर में रखी जाती है | **VPP (Value Payable Post)** वस्तुओं को छोड़कर सभी वस्तुएं अधिकतम **1 माह** (VPP केवल **7 दिन**) तक रुकती हैं | ठहरने की अधिकतम अवधि = 1 माह | indiapost.gov.in |

## *1.3 क्या आप जानते हैं?* (Did You Know?)

**क्या आप जानते हैं? (Did You Know?)**
भारतीय डाक विभाग के कुल 23 प्रादेशिक सर्किलों में से **सिक्किम** का कार्यभार **पश्चिम बंगाल सर्किल (कोलकाता)** के अधीन, **गोवा** का कार्यभार **महाराष्ट्र सर्किल (मुंबई)** के अधीन, **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह** का कार्यभार **पश्चिम बंगाल सर्किल** के अधीन, **लक्षद्वीप** का कार्यभार **केरल सर्किल (तिरुवनंतपुरम)** के अधीन, और **पूर्वोत्तर (North Eastern) सर्किल (शिलांग)** के अधीन एक साथ **6 राज्य (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा)** आते हैं, जबकि असम एक अलग स्वतंत्र सर्किल (गुवाहाटी) है (indiapost.gov.in)!

## *1.4 परीक्षा जाल सतर्कता* (Exam Trap Alert!)

**परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!)**
1. **फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस बनाम समाचार पत्र पंजीकरण:** छात्र अक्सर दोनों का प्राधिकारी एक ही मान लेते हैं। सावधान रहें: फ्रैंकिंग मशीन (RMFM) का लाइसेंस और नवीनीकरण **मंडल अधीक्षक (SP / SSPOs — Divisional Head)** द्वारा किया जाता है, किंतु यदि फ्रैंकिंग मशीन वस्तुएं **2 से अधिक डाकघरों** में पोस्ट करने की अनुमति चाहिए तो वह **CPMG (Head of Circle)** देता है!
2. **रेवेन्यू स्टाम्प का डाक पर प्रयोग:** यदि किसी ग्राहक ने लिफाफे पर **Rs. 10** का रेवेन्यू स्टाम्प चिपका कर लेटर बॉक्स में डाल दिया है, तो उसे शून्य भुगतान (Unpaid) माना जाएगा और वितरण के समय प्राप्तकर्ता से *दोगुना डाक शुल्क (**2** Postage Deficit)** वसूला जाएगा (indiapost.gov.in)।

## *1.5* IUC *स्मृति ट्रिक* (IUC 5-Second Shortcut Trick)

- **ट्रिक (अदत्त / कम टिकट लगी डाक पर वितरण शुल्क का महत्वपूर्ण सूत्र):**
- **पत्र / पैकेट (Unpaid or Insufficiently Paid Letter):** **Delivery Tax = 2 * (Deficiency / Postage Due)** (न्यूनतम दंड **Rs. 1**)।
- **आधिकारिक डाक (On IGS / Service Unpaid):** **Delivery Tax = 1 * (Exact Deficiency)** (अर्थात् सरकारी डाक पर दोगुना दंड नहीं लगता, केवल वास्तविक कमी वसूली जाती है!) (www.iucacademy.com)।

# मॉड्यूल 2: डाक वस्तुएं, वितरण, पुनः प्रेषण, पंजीकरण, बीमा, VPP एवं मनीऑर्डर (PO Guide Part-I: Clauses 36–214)

**अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 2: डाक वस्तुएं, वितरण, पुनः प्रेषण, पंजीकरण, बीमा, VPP एवं मनीऑर्डर (PO Guide Part-I: Clauses 36–214)**

| प्रमुख अध्ययन बिंदु 1 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 2 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 3 |
|---|---|---|
| विस्तृत तुलनात्मक एवं 1D नियम-सूत्र सारणी (Comparative & Formula Table) | क्या आप जानते हैं? (Did You Know?) | परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!) |

## 2.1 प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह

चरण 1 प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी डाक: प्रथम श्रेणी (पत्र, लेटर कार्ड/ILC, पोस्टकार्ड — निःशुल्क हवाई प्रेषण) | द्वितीय श्रेणी (बुक पैकेट, सैंपल पैकेट, अंध साहित्य, पंजीकृत समाचार पत्र)

**संकल्पनात्मक प्रवाह आरेख (Step-by-Step Process Flow)**

| चरण 1 | चरण 2 |
|---|---|
| ` | [नोड 2: पुनः प्रेषण एवं वापस बुलाना (Redirection & Recall)] Redirection शुल्क = निःशुल्क (पार्सल को छोड़कर — पार्सल पर आधा अंतर्देशीय शुल्क); Recall of Postal Article शुल्क = Rs. 6 प्रति वस्तु` |

**संकल्पनात्मक प्रवाह आरेख (Step-by-Step Process Flow)**

| चरण 1 | चरण 2 | चरण 3 | चरण 4 |
|---|---|---|---|
| ` | [नोड 3: पंजीकरण, बीमा एवं VPP] अनिवार्य पंजीकरण एवं अनिवार्य बीमा नियम | शाखीय डाकघर (BO) अधिकतम बीमा सीमा = Rs. 600 | VPP एवं COD` |

**संकल्पनात्मक प्रवाह आरेख (Step-by-Step Process Flow)**

| चरण 1 | चरण 2 |
|---|---|
| ` | [नोड 4: मनीऑर्डर एवं इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण] e-MO अधिकतम सीमा = Rs. 5,000; पता/भुगतानकर्ता परिवर्तन = निःशुल्क; Void MO = जारी माह के अंत से 1 वर्ष बाद` |

## 2.2 विस्तृत तुलनात्मक एवं 1D नियम-सूत्र सारणी (Comparative & Formula Table)

| क्र.सं. | डाक उत्पाद / नियम | अधिकतम भार / आकार सीमा (1D Specification) | शुल्क / दंड / विशेष प्रावधान | अनिवार्य नियम / अपवाद | आधिकारिक संदर्भ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पत्र (Letters) एवं अंतर्देशीय पत्र कार्ड (ILC) | पत्र अधिकतम भार: 2 kg; ILC अधिकतम भार: 5 ग्राम (ILC के अंदर कोई भी संलग्नक/कागज रखना पूर्णतः वर्जित) | बिना टिकट पत्र पर 2 * Postage; ILC में संलग्नक रखने पर पत्र दर से दोगुना अंतर | प्रथम श्रेणी डाक (जहां संभव हो निःशुल्क हवाई मार्ग से प्रेषण) | indiapost.gov.in |

| क्र.सं. | डाक उत्पाद / नियम | अधिकतम भार / आकार सीमा (1D Specification) | शुल्क / दंड / विशेष प्रावधान | अनिवार्य नियम / अपवाद | आधिकारिक संदर्भ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | पोस्टकार्ड एवं बुक पैकेट (Book Packets) | पोस्टकार्ड आकार: **14 cm x 9 cm** (लम्बाई x चौड़ाई); बुक पैकेट अधिकतम भार: **5 kg** | मुद्रित पुस्तक पैकेट व पत्रिकाओं पर रियायती दरें | पोस्टकार्ड को मोड़ना, काटना या उस पर कुछ चिपकाना वर्जित | indiapost.gov.in |
| 3 | पैटर्न एवं सैंपल पैकेट (Pattern & Sample) | अधिकतम भार: **2 kg** | व्यापारिक नमूने जिनका कोई बिक्री मूल्य न हो | खतरनाक/विस्फोटक वस्तुएं वर्जित | indiapost.gov.in |
| 4 | अंध साहित्य पैकेट (Blind Literature Packet) | अधिकतम भार: **7 kg** | धरातल डाक शुल्क, पंजीकरण शुल्क एवं पावती (AD) शुल्क से **पूर्णतः मुक्त (Free)** | केवल हवाई मार्ग से भेजने पर एयर मेल सरचार्ज देय होता है! | indiapost.gov.in |
| 5 | पंजीकृत समाचार पत्र (Registered Newspaper) | अंतराल: अधिकतम **31 दिनों** में कम से कम एक बार प्रकाशित होना अनिवार्य | प्रथम पंजीकरण व नवीनीकरण: **SP/SSPOs**; बिना विलंब शुल्क नवीनीकरण: **30 सितंबर** तक | **1 अक्टूबर से 31 दिसंबर** तक विलंब शुल्क के साथ; लाइसेंस वैधता **3 वर्ष** | www.iucacademy.com |
| 6 | पार्सल (Inland Parcel) | अपंजीकृत पार्सल अधिकतम भार: **4 kg**; पंजीकृत पार्सल: **20 kg** (BO में बुकिंग सीमा: **10 kg**) | पुनः प्रेषण (Redirection) पर प्रत्येक बार **मूल डाक शुल्क का 50% (आधा)** लगता है (समान वितरण क्षेत्र में मुफ्त) | **4 kg** से अधिक भार के पार्सल का **पंजीकरण अनिवार्य** है! | indiapost.gov.in |
| 7 | डाक वस्तु को वापस बुलाना (Recall of Article — क्लॉज 36) | अंतर्देशीय डाक वस्तु को वापस बुलाने का शुल्क = **Rs. 6** **प्रति वस्तु** (डाक टिकट के रूप में आवेदन पर) | शर्त: वस्तु प्राप्तकर्ता को वितरित न हुई हो | एक ही प्रेषक द्वारा एक ही प्राप्तकर्ता को एक साथ भेजी गई अनेक वस्तुओं पर कुल **Rs. 6** | indiapost.gov.in |
| 8 | अनिवार्य पंजीकरण (Compulsory Registration — क्लॉज 162) | **(1) 4 kg से अधिक का पार्सल**, **(2) कोई भी बीमित वस्तु**, **(3) कोई भी VPP वस्तु**, **(4) चेक/हुंडी/बैंक नोट/स्टाम्प वाली वस्तु** | **(5) कस्टम ड्यूटी वाली वस्तु**, **(6) जिस पर 'Registered' लिखा हो** | बिना पंजीकरण लेटर बॉक्स में डालने पर वितरण के समय **दोगुना पंजीकरण शुल्क** वसूला जाएगा | indiapost.gov.in |
| 9 | डाक बीमा (Insurance — क्लॉज 172–185) | शाखा डाकघर (**BO**) में अधिकतम बीमा सीमा = **Rs. 600**; अन्य डाकघरों (**SO/HO**) में = **Rs. 1,00,000** (नकद/मुद्रा अधिकतम **Rs. 20,000**) | सिक्का, बुलियन, प्लैटिनम, कीमती पत्थर, आभूषण एवं करेंसी नोट भेजने पर **बीमा अनिवार्य** है | स्वर्ण सिक्के या बुलियन (Bullion) डाक द्वारा भेजने की अधिकतम मूल्य सीमा = **Rs. 1,00,000** | indiapost.gov.in |
| 10 | वीपीपी एवं सीओडी (VPP & COD) | VPP (Value Payable Post) अधिकतम सीमा = **Rs. 5,000**; COD (Cash on Delivery) अधिकतम सीमा = **Rs. 50,000** | VPP को **7 दिनों** से अधिक रोकने पर **8वें दिन** से रोक शुल्क (Demurrage Charge) देय | VPP में रेलवे रसीद या कूपन नहीं भेजे जा सकते | www.iucacademy.com |
| 11 | मनीऑर्डर (Money Order — क्लॉज 196–214) | एकल मनीऑर्डर अधिकतम राशि = **Rs. 5,000** (भिन्नात्मक पैसे वर्जित); **Payee** का नाम बदलने पर **दूसरा कमीशन** बराबर शुल्क देय | **पता परिवर्तन** या **भुगतान रोकने (Stop Payment)** का शुल्क = **निःशुल्क (Free)** | **Void Money Order**: जिस माह जारी हुआ, उसके **अंत से 1 वर्ष** बाद शून्य हो जाता है | indiapost.gov.in |

### 2.3 क्या आप जानते हैं? (Did You Know?)

**क्या आप जानते हैं? (Did You Know?)**
भारतीय डाक के नियमों (क्लॉज 69–71) के अनुसार, सभी प्रकार की डाक वस्तुओं (पत्र, पोस्टकार्ड, बुक पैकेट) का एक स्थान से दूसरे स्थान पर **पुनः प्रेषण (Redirection)** **पूर्णतः निःशुल्क** होता है, परंतु इसका एकमात्र अपवाद **अंतर्देशीय पार्सल (Inland Parcel)** है! यदि पार्सल को मूल डाकघर के वितरण क्षेत्र से बाहर किसी नए पते पर रीडायरेक्ट किया जाता है, तो प्रत्येक रीडायरेक्शन के लिए **मूल डाक शुल्क का आधा ( 50% of Prepaid Rate )** पुनः प्रेषण शुल्क के रूप में प्राप्तकर्ता से वसूला जाता है (indiapost.gov.in)!

### 2.4 परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!)

**परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!)**
1. **मनीऑर्डर में पता बदलना बनाम प्राप्तकर्ता (Payee) बदलना:** छात्र दोनों में शुल्क लगा देते हैं या दोनों को मुफ्त मान लेते हैं। ध्यान दें: प्रेषक द्वारा मनीऑर्डर में केवल **पता बदलना** या **भुगतान रोकना** करंट नियमों में **पूर्णतः निःशुल्क ( Free )** है, किंतु यदि प्रेषक **प्राप्तकर्ता (Payee) का नाम बदलकर** किसी दूसरे व्यक्ति को भुगतान कराना चाहता है, तो उसे **प्रथम मनीऑर्डर कमीशन के बराबर दूसरा कमीशन ( Second Commission )** देना अनिवार्य है!
2. **अंध साहित्य (Blind Literature) का हवाई शुल्क:** अंध साहित्य धरातल डाक शुल्क, रजिस्ट्री शुल्क और पावती शुल्क से मुक्त है, किंतु यदि इसे **हवाई मार्ग (Air Mail)** से भेजना हो तो **हवाई अधिभार (Air Mail Surcharge) का भुगतान करना अनिवार्य** है (indiapost.gov.in)!

### 2.5 IUC स्मृति ट्रिक (IUC 5-Second Shortcut Trick)

• **ट्रिक (अधिकतम भार एवं मूल्य सीमा मेमोरी कोड — 2-2-4-5-7-10-20 ):**

• **भार (kg में):** **2 kg** = पत्र (Letter) एवं सैंपल पैकेट; **4 kg** = अपंजीकृत पार्सल; **5 kg** = बुक पैकेट; **7 kg** = अंध साहित्य (Blind Literature); **10 kg** = शाखा डाकघर (BO) में पंजीकृत पार्सल; **20 kg** = उप/प्रधान डाकघर (SO/HO) में पंजीकृत पार्सल!

• **मूल्य (रुपये में):** **Rs. 600** = BO बीमा सीमा; **Rs. 5,000** = एकल MO एवं VPP सीमा; **Rs. 20,000** = डाक बीमा द्वारा करेंसी नोट सीमा; **Rs. 50,000** = COD एवं स्पीड पोस्ट बीमा (BNPL/काउंटर नियम) सीमा; **Rs. 1,00,000** = SO/HO सामान्य बीमा एवं बुलियन सीमा (www.iucacademy.com)!

## मॉड्यूल 3: पोस्ट ऑफिस गाइड भाग-II — विदेशी डाक, UPU, APPU एवं सीमा शुल्क (Foreign Post: PO Guide Part-II)

**अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 3: पोस्ट ऑफिस गाइड भाग-II — विदेशी डाक, UPU, APPU एवं सीमा शुल्क (Foreign Post: PO Guide Part-II)**

| प्रमुख अध्ययन बिंदु 1 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 2 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 3 |
|---|---|---|
| विस्तृत तुलनात्मक एवं 1D नियम सारणी (Comparative & Rules Table) | क्या आप जानते हैं? (Did You Know?) | परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!) |

### 3.1 प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह

चरण 1 **अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ (UPU & APPU):** **UPU (स्थापना: 1874, मुख्यालय: बर्न, स्विट्ज़रलैंड; भारत सदस्य बना: 1876) | APPU (स्थापना: 1961, मुख्यालय: बैंकॉक, थाईलैंड; भारत सदस्य बना: 1973)**

**संकल्पनात्मक प्रवाह आरेख (Step-by-Step Process Flow)**

चरण 1
`

चरण 2
[नोड 2: विदेशी डाक का वर्गीकरण] (1) Letter Post (Letters, Postcards, Printed Papers, Small Packets, Blind Lit, M-Bag) तथा (2) Parcel Post (अधिकतम 20 kg)`

**संकल्पनात्मक प्रवाह आरेख (Step-by-Step Process Flow)**

चरण 1
`

चरण 2
[नोड 3: सीमा शुल्क घोषणा एवं एक्सचेंज ऑफिस] CN 22 (SDR 300 तक — हरी-सफेद पर्ची) एवं CN 23 (SDR 300 से अधिक)

चरण 3
Foreign Post Office (FPO) & Sub-FPO`

**संकल्पनात्मक प्रवाह आरेख (Step-by-Step Process Flow)**

चरण 1
`

चरण 2
[नोड 4: विशेष विदेशी सेवाएं] Aerogramme (3g), International Reply Coupon (IRC), Bulk Bag (M-Bag: 5 kg से 30 kg), Recall शुल्क = Rs. 30`

## *3.2 विस्तृत तुलनात्मक एवं 1D नियम सारणी* (Comparative & Rules Table)

| क्र.सं. | विदेशी डाक मद / नियम | भार / आयाम सीमा (1D Specification) | विशेष प्रावधान / प्रपत्र / शुल्क | परीक्षा उपयोगिता (PA/SA & IPO) | आधिकारिक संदर्भ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU) एवं APPU | UPU HQ: **बर्न (स्विट्ज़रलैंड)** ( **192 सदस्य देश** ); APPU HQ: **बैंकॉक (थाईलैंड)** ( **32 सदस्य देश** , कॉलेज: APPC बैंकॉक) | भारत **1 जुलाई 1876** को UPU में तथा **1973** में APPU में शामिल हुआ | विश्व डाक दिवस: **9 अक्टूबर** | indiapost.gov.in |
| 2 | विदेशी पत्र (Foreign Letters) एवं स्मॉल पैकेट | अधिकतम भार: **2 kg** (पत्र एवं Small Packets दोनों के लिए); न्यूनतम आकार: **90 mm x 140 mm** | अधिकतम आकार: **L + W + D = 900 mm** (सबसे बड़ी भुजा **<= 600 mm** ) | आयाम एवं भार सीमा | indiapost.gov.in |
| 3 | प्रिंटेड पेपर्स (Printed Papers) | सामान्य अधिकतम भार: **2 kg** ; केवल पुस्तकों और पैम्फलेट्स (Books & Pamphlets) के लिए: **5 kg** तक | मुद्रित सामग्री में व्यक्तिगत पत्राचार निषिद्ध | 2 kg बनाम 5 kg अपवाद | indiapost.gov.in |
| 4 | बल्क बैग (M-Bag — Special Bag of Printed Papers) | न्यूनतम प्रभार्य भार: **5 kg** ; अधिकतम भार सीमा: **30 kg** | एक ही प्रेषक द्वारा एक ही विदेशी पते पर एक ही प्राप्तकर्ता को भेजे गए मुद्रित पत्र/पुस्तकें | सबसे भारी लेटर पोस्ट मद = 30 kg | www.iucacademy.com |
| 5 | एरोग्राम (Aerogramme) | अधिकतम भार: **3 ग्राम** ; आकार (मुड़ा हुआ): अधिकतम **110 mm x 220 mm** , न्यूनतम **90 mm x 140 mm** | इसके अंदर कोई भी वस्तु (Enclosure) रखने पर इसे सतह मार्ग (Surface Mail) से भेजा जाता है | 3 ग्राम भार सीमा | indiapost.gov.in |

| क्र.सं. | विदेशी डाक मद / नियम | भार / आयाम सीमा (1D Specification) | विशेष प्रावधान / प्रपत्र / शुल्क | परीक्षा उपयोगिता (PA/SA & IPO) | आधिकारिक संदर्भ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | विदेशी अंध साहित्य (Foreign Literature for the Blind) | अधिकतम भार: **7 kg** | अंतर्देशीय की भांति धरातल डाक शुल्क, रजिस्ट्री व पावती से पूर्णतः मुक्त (केवल एयर सरचार्ज देय) | "Cecogrammes" भी कहा जाता है | indiapost.gov.in |
| 7 | कस्टम घोषणा प्रपत्र (**CN 22** बनाम **CN 23**) | यदि वस्तु का मूल्य **300 SDR** (Special Drawing Rights) तक है: **CN 22**; यदि **300 SDR** **से अधिक** है: **CN 23** | **SDR** अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की लेखा इकाई है | CN 22 और CN 23 की SDR सीमा | indiapost.gov.in |
| 8 | अंतर्राष्ट्रीय उत्तर कूपन (IRC - International Reply Coupon) | किसी एक व्यक्ति को किसी एक दिन में अधिकतम **10 IRC** बेचे जा सकते हैं | विदेशी पत्राचार के उत्तर का डाक शुल्क पूर्व-भुगतान करने हेतु प्रयुक्त | अधिकतम बिक्री सीमा = 10 कूपन | indiapost.gov.in |
| 9 | विदेशी डाक को वापस बुलाना (Recall / Address Change) | विदेशी डाक वस्तु को वापस बुलाने या पता बदलने का शुल्क = **Rs. 30** **प्रति वस्तु** | अंतर्देशीय में यह **Rs. 6** है जबकि विदेशी डाक में **Rs. 30** है | अंतर्देशीय बनाम विदेशी शुल्क अंतर | www.iucacademy.com |
| 10 | विदेशी पार्सल (Foreign Parcel) एवं रोक शुल्क | अधिकतम भार: **20 kg** (न्यूनतम आकार **90 mm x 140 mm**); Poste Restante विदेशी पार्सल रोक अवधि: **15 दिन** | सामान्य विदेशी पार्सल को प्राप्तकर्ता द्वारा न छुड़ाने पर एक निश्चित अवधि बाद वेयरहाउसिंग चार्ज लगता है | विदेशी Poste Restante पार्सल = 15 दिन | indiapost.gov.in |

## *3.3 क्या आप जानते हैं? (Did You Know?)*

**क्या आप जानते हैं? (Did You Know?)**
यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU) के कन्वेंशन में पारंपरिक रूप से विदेशी डाक का वर्गीकरण "प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी" के रूप में नहीं, बल्कि **"Letter Post (पत्र डाक)"** और **"Parcel Post (पार्सल डाक)"** के रूप में किया जाता है! और आश्चर्यजनक रूप से, **30 किलोग्राम** तक का भारी **M-Bag (बल्क मुद्रित पुस्तक बैग)** तथा 7 **किलोग्राम** का अंध साहित्य पैकेट भी तकनीकी रूप से पार्सल पोस्ट में नहीं बल्कि **Letter Post** की श्रेणी में ही आते हैं (indiapost.gov.in)!

## *3.4 परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!)*

**परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!)**
1. **Office of Exchange बनाम Foreign Post Office (FPO):** छात्र दोनों को एक ही समझ लेते हैं! **Office of Exchange (विनिमय कार्यालय)** वह डाक कार्यालय या RMS कार्यालय है जो विदेशों के साथ सीधे डाक थैलों (Mail Bags) का आदान-प्रदान करता है, जबकि **Foreign Post Office (FPO)** वह कार्यालय है जहां विदेशी डाक पर वास्तव में **सीमा शुल्क निर्धारण (Customs Examination and Assessment of Duty)** का कार्य किया जाता है!
2. **APPU का मुख्यालय भ्रम:** Asian-Pacific Postal Union (APPU) का सचिवालय (Bureau) पहले मनीला (फिलीपींस) में था, किंतु वर्तमान में इसका मुख्यालय और इसका प्रशिक्षण कॉलेज (APPC) दोनों **बैंकॉक (थाईलैंड)** में स्थित हैं (indiapost.gov.in)।

## *3.5 IUC स्मृति ट्रिक (IUC 5-Second Shortcut Trick)*

- **ट्रिक (अंतर्देशीय बनाम विदेशी डाक तुलनात्मक चार्ट):**
- **Recall of Article Fee:** अंतर्देशीय = **Rs. 6** | विदेशी = **Rs. 30** (**5 गुना**)।
- **Poste Restante Parcel Retention:** अंतर्देशीय = **1 माह** (VPP = **7 दिन**) | विदेशी पार्सल = **15 दिन**।
- **Books / Printed Papers Max Weight:** अंतर्देशीय बुक पैकेट = **5 kg** | विदेशी प्रिंटेड पेपर्स = **2 kg** (पुस्तकें = **5 kg**, M-Bag = **5 kg to 30 kg**) (www.iucacademy.com)!

# मॉड्यूल 4: डाकघर बचत बैंक योजनाएं एवं राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (POSB Schemes: SB, RD, TD, MIS, SCSS, PPF, SSA, NSC, KVP)

**अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 4: डाकघर बचत बैंक योजनाएं एवं राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (POSB Schemes: SB, RD, TD, MIS, SCSS, PPF, SSA, NSC, KVP)**

| प्रमुख अध्ययन बिंदु 1 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 2 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 3 |
|---|---|---|
| विस्तृत तुलनात्मक एवं 1D नियम-सूत्र सारणी (POSB Master Table) | क्या आप जानते हैं? (Did You Know?) | परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!) |

## 4.1 प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह

चरण 1 जमा एवं तरलता योजनाएं:

POSA (ब्याज: 4.0% p.a., न्यूनतम: Rs. 500) | 5-वर्षीय RD (न्यूनतम: Rs. 100/माह, डिफॉल्ट सीमा: 4 माह) | TD (1, 2, 3, 5 वर्ष; 5-वर्षीय TD धारा 80C में कर-मुक्त)

**संकल्पनात्मक प्रवाह आरेख (Step-by-Step Process Flow)**

चरण 1

`

चरण 2

[नोड 2: नियमित आय एवं वरिष्ठ नागरिक योजनाएं] MIS (मासिक आय: एकल 9 लाख, संयुक्त 15 लाख; 5 वर्ष) | SCSS (वरिष्ठ नागरिक: अधिकतम 30 लाख; 5 + 3 वर्ष; त्रैमासिक ब्याज)`

**संकल्पनात्मक प्रवाह आरेख (Step-by-Step Process Flow)**

चरण 1

`

चरण 2

[नोड 3: दीर्घकालिक कर-मुक्त सामाजिक सुरक्षा] PPF (15 वर्ष, न्यूनतम 500, अधिकतम 1.5 लाख/वर्ष; EEE श्रेणी) | सुकन्या समृद्धि योजना SSA (10 वर्ष से कम आयु की बालिका; अधिकतम 2 बालिकाएं; 21 वर्ष परिपक्वता)`

**संकल्पनात्मक प्रवाह आरेख (Step-by-Step Process Flow)**

चरण 1

`

चरण 2

[नोड 4: बचत प्रमाणपत्र (Certificates)] NSC (VIII निर्गम — 5 वर्ष, धारा 80C) | KVP (किसान विकास पत्र — राशि दोगुनी, 115 माह @ 7.5% मानक दर)`

## 4.2 विस्तृत तुलनात्मक एवं 1D नियम-सूत्र सारणी (POSB Master Table)

| क्र.सं. | बचत योजना (POSB Scheme) | न्यूनतम जमा (1D Min) | अधिकतम जमा सीमा (1D Max) | परिपक्वता अवधि (Tenure) | समय-पूर्व बंदी / ऋण / विशेष नियम | आधिकारिक संदर्भ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | डाकघर बचत खाता (POSA - SB Account) | **Rs. 500** | कोई अधिकतम सीमा नहीं (**No Limit**) | चालू खाता (ब्याज दर: **4.0% वार्षिक**) | महीने की **10वीं तारीख से अंतिम दिन** के बीच न्यूनतम शेष पर ब्याज; न्यूनतम **Rs. 500** से कम होने पर वित्तीय वर्ष के अंत में **Rs. 50 रखरखाव शुल्क** (**+ GST**); धारा **80TTA** में **Rs. 10,000** (वरिष्ठ नागरिक **80TTB** में **Rs. 50,000**) तक ब्याज कर-मुक्त | nsiindia.gov.in |
| 2 | 5-वर्षीय आवर्ती जमा (RD - Recurring Deposit) | **Rs. 100 प्रति माह** (**Rs. 10** के गुणज में) | कोई अधिकतम सीमा नहीं | **5 वर्ष** (आगे **5 वर्ष** तक विस्तार संभव) | डिफॉल्ट शुल्क: **Rs. 1 प्रति Rs. 100**; अधिकतम अनुमत डिफॉल्ट = **4 माह**; **1 वर्ष** बाद जमा का **50% तक ऋण (Loan)**; समय-पूर्व बंदी: **3 वर्ष** के बाद (POSA ब्याज दर लागू) | indiapost.gov.in |
| 3 | सावधि जमा (TD - Time Deposit: 1, 2, 3, 5 Yr) | **Rs. 1,000** (**Rs. 100** के गुणज में) | कोई अधिकतम सीमा नहीं | **1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष** | ब्याज की गणना **त्रैमासिक चक्रवृद्धि**, किंतु भुगतान **वार्षिक**! **6 माह** से पहले बंदी नहीं; केवल **5-वर्षीय TD** पर आयकर धारा **80C** की छूट मिलती है | nsiindia.gov.in |
| 4 | मासिक आय योजना (MIS - Monthly Income Scheme) | **Rs. 1,000** (**Rs. 1,000** के गुणज में) | एकल खाता: **Rs. 9 लाख**; संयुक्त खाता (2 या 3 वयस्क): **Rs. 15 लाख** | **5 वर्ष** | **1 वर्ष** तक बंदी नहीं; **1 से 3 वर्ष** के बीच बंदी पर मूलधन से **2% कटौती**; **3 से 5 वर्ष** के बीच बंदी पर **1% कटौती** | nsiindia.gov.in |
| 5 | वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) | **Rs. 1,000** (**Rs. 1,000** के गुणज में) | **Rs. 30 लाख** (सभी खातों को मिलाकर) | **5 वर्ष** (**+ 3 वर्ष** विस्तार संभव) | आयु: **60 वर्ष+** (**55-60** वर्ष सिविल सेवानिवृत्त, **50-60** वर्ष रक्षा सेवानिवृत्त — सेवानिवृत्ति लाभ मिलने के **1 से 3 माह** के भीतर); ब्याज भुगतान: प्रत्येक तिमाही के प्रथम कार्यदिवस (**1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी**) | nsiindia.gov.in |
| 6 | लोक भविष्य निधि (PPF - Public Provident Fund) | **Rs. 500 प्रति वित्तीय वर्ष** | **Rs. 1,50,000 प्रति वित्तीय वर्ष** | **15 वर्ष** (**5-5 वर्ष** के ब्लॉक में असीमित विस्तार) | खाता पुनर्जीवन शुल्क: **Rs. 50/वर्ष**; ऋण सुविधा: **3रे से 6ठे वित्तीय वर्ष** में; आंशिक निकासी (**50%**): **7वें वित्तीय वर्ष** से; **5 वर्ष** बाद गंभीर बीमारी/उच्च शिक्षा पर **1%** कम ब्याज के साथ समय-पूर्व बंदी | nsiindia.gov.in |
| 7 | सुकन्या समृद्धि खाता (SSA - Sukanya Samriddhi) | **Rs. 250 प्रति वित्तीय वर्ष** | **Rs. 1,50,000 प्रति वित्तीय वर्ष** | खाता खोलने से **21 वर्ष** (जमा केवल शुरुआती **15 वर्ष** तक!) | आयु: **10 वर्ष से कम** की बालिका; एक परिवार में अधिकतम **2 बालिकाएं** (जुड़वां बेटी होने पर 3); बालिका की आयु **18 वर्ष** होने या **10वीं कक्षा** उत्तीर्ण करने पर उच्च शिक्षा हेतु **50% निकासी** | nsiindia.gov.in |
| 8 | राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC - VIII Issue) | **Rs. 1,000** (**Rs. 100** के गुणज में) | कोई अधिकतम सीमा नहीं | **5 वर्ष** | धारा **80C** में निवेश और प्रथम 4 वर्षों का पुनर्निवेशित ब्याज दोनों कर-मुक्त; बैंकों में गिरवी (Pledge) रखकर ऋण लेने की सुविधा | indiapost.gov.in |
| 9 | किसान विकास पत्र (KVP) | **Rs. 1,000** (**Rs. 100** के गुणज में) | कोई अधिकतम सीमा नहीं | **115 माह** (**9 वर्ष 7 माह** — प्रचलित **7.5%** दर पर राशि दोगुनी) | सामान्य समय-पूर्व नकदीकरण (Premature Encashment) खाता खोलने से **2 वर्ष 6 माह (30 माह)** के बाद संभव | nsiindia.gov.in |

| क्र.सं. | बचत योजना (POSB Scheme) | न्यूनतम जमा (1D Min) | अधिकतम जमा सीमा (1D Max) | परिपक्वता अवधि (Tenure) | समय-पूर्व बंदी / ऋण / विशेष नियम | आधिकारिक संदर्भ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र (MSSC) | Rs. 1,000 (Rs. 100 के गुणज में) | Rs. 2,00,000 (दो खातों के बीच न्यूनतम 3 माह का अंतराल) | 2 वर्ष (ब्याज: 7.5% त्रैमासिक चक्रवृद्धि) | 1 वर्ष के बाद पात्र शेष का 40% तक आंशिक निकासी संभव; समय-पूर्व बंदी पर 2% कम (5.5%) ब्याज | indiapost.gov.in |

## 4.3 क्या आप जानते हैं? (Did You Know?)

**क्या आप जानते हैं? (Did You Know?)**
**लोक भविष्य निधि (PPF)** खाते में जमा राशि को भारतीय कानून (लोक भविष्य निधि अधिनियम / सरकारी बचत संवर्धन नियम) के तहत किसी भी दीवानी न्यायालय (Civil Court) के आदेश या डिक्री द्वारा किसी कर्ज की वसूली के लिए **कुर्क (Attach/Seize) नहीं किया जा सकता (Immune from Court Attachment)**! हालांकि, आयकर विभाग (Income Tax Authorities) के बकाया कर की वसूली पर यह छूट लागू नहीं होती (nsiindia.gov.in)।

## 4.4 परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!)

**परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!)**
1. **सुकन्या समृद्धि खाते (SSA) में जमा अवधि बनाम परिपक्वता अवधि:** छात्र दोनों को 21 वर्ष या 18 वर्ष मान लेते हैं। ध्यान रखें: सुकन्या खाते में अंशदान (Deposit) खाता खोलने की तिथि से केवल 15 वर्ष तक ही किया जाता है (16वें से 21वें वर्ष तक कोई जमा नहीं करना पड़ता, केवल ब्याज मिलता रहता है), और खाता परिपक्व (Mature) खाता खोलने से 21 वर्ष पूरे होने पर होता है (न कि बालिका के 21 वर्ष के होने पर)!
2. **MIS और SCSS की नई सीमाएं (बजट संशोधन):** परीक्षा में पुरानी सीमाएं (4.5 लाख / 9 लाख और 15 लाख) विकल्प में अवश्य दी जाती हैं। याद रखें: अब **MIS** की अधिकतम सीमा एकल खाते में Rs. 9 लाख और संयुक्त खाते में Rs. 15 लाख है, तथा **SCSS** की अधिकतम सीमा Rs. 30 लाख है (nsiindia.gov.in)!

## 4.5 IUC स्मृति ट्रिक (IUC 5-Second Shortcut Trick)

- **ट्रिक (POSB खातों में Silent/Dormant होने और जुर्माने का चार्ट):**
- **POSA (SB):** लगातार 3 वित्तीय वर्षों तक कोई लेनदेन न होने पर खाता Silent/Dormant हो जाता है; न्यूनतम Rs. 500 न होने पर जुर्माना = Rs. 50 + GST।
- **RD:** लगातार 4 मासिक किस्तें जमा न करने पर खाता Discontinued हो जाता है (अधिकतम 2 माह का ग्रेस पीरियड); डिफॉल्ट जुर्माना = Rs. 1 प्रति Rs. 100।
- **PPF:** न्यूनतम Rs. 500/वर्ष जमा न करने पर पुनर्जीवन जुर्माना = Rs. 50 प्रति वर्ष।
- **SSA:** न्यूनतम Rs. 250/वर्ष जमा न करने पर पुनर्जीवन जुर्माना = Rs. 50 प्रति वर्ष (www.iucacademy.com)!

# मॉड्यूल 5: डाक जीवन बीमा (PLI) एवं ग्रामीण डाक जीवन बीमा (RPLI) संपूर्ण नियम (PLI & RPLI Master Module)

**अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 5: डाक जीवन बीमा (PLI) एवं ग्रामीण डाक जीवन बीमा (RPLI) संपूर्ण नियम (PLI & RPLI Master Module)**

| प्रमुख अध्ययन बिंदु 1 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 2 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 3 |
|---|---|---|
| विस्तृत तुलनात्मक एवं 1D नियम-सूत्र सारणी (PLI & RPLI Schemes Table) | क्या आप जानते हैं? (Did You Know?) | परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!) |

## 5.1 प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह

चरण 1 ऐतिहासिक विकास एवं पात्रता: PLI स्थापना: 1 फरवरी 1884 (रानी विक्टोरिया के कार्यकाल में डाक कर्मचारियों हेतु; अब केंद्र/राज्य/PSU/बैंक/स्नातक पेशेवरों हेतु) | RPLI स्थापना: 24 मार्च 1995 (मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर ग्रामीण जनता हेतु)

संकल्पनात्मक प्रवाह आरेख (Step-by-Step Process Flow)

चरण 1

`

चरण 2

[नोड 2: बीमा राशि सीमा (Sum Assured Limits)] PLI: न्यूनतम Rs. 20,000 से अधिकतम Rs. 50,00,000 (50 लाख) | RPLI: न्यूनतम Rs. 10,000 से अधिकतम Rs. 10,00,000 (10 लाख)`

संकल्पनात्मक प्रवाह आरेख (Step-by-Step Process Flow)

चरण 1

`

चरण 2

[नोड 3: 6 PLI एवं 6 RPLI योजनाएं] सुरक्षा (Whole Life), संतोष (Endowment), सुविधा (Convertible), सुमंगल (Anticipated/ Money Back), युगल सुरक्षा (Joint Life), बाल जीवन बीमा (Children Policy)`

संकल्पनात्मक प्रवाह आरेख (Step-by-Step Process Flow)

चरण 1

`

चरण 2

[नोड 4: समर्पण, ऋण एवं लैप्स नियम] Surrender & Loan: 3 वर्ष बाद (सुमंगल और बाल जीवन बीमा में न ऋण मिलता है, न समर्पण होता है!); अग्रिम प्रीमियम छूट: 12 माह पर 2%, 6 माह पर 1%`

## 5.2 विस्तृत तुलनात्मक एवं 1D नियम-सूत्र सारणी (PLI & RPLI Schemes Table)

| क्र.सं. | योजना का नाम (PLI / RPLI) | आधिकारिक हिंदी नाम | प्रवेश आयु सीमा (Entry Age) | परिपक्वता / उत्तरजीविता लाभ (1D Benefit Breakdown) | ऋण (Loan) एवं समर्पण (Surrender) नियम | आधिकारिक संदर्भ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whole Life Assurance (WLA) | **सुरक्षा** (PLI) / **ग्राम सुरक्षा** (RPLI) | **19 से 55 वर्ष** | **80 वर्ष** की आयु पूर्ण होने पर (या मृत्यु पर) बीमित राशि + अर्जित बोनस देय | **4 वर्ष** के बाद ऋण (Loan); **3 वर्ष** के बाद समर्पण (Surrender); **1 वर्ष** के बाद और **57 वर्ष** की आयु से पहले Endowment में परिवर्तन संभव | indiapost.gov.in |
| 2 | Endowment Assurance (EA) | **संतोष** (PLI) / **ग्राम संतोष** (RPLI) | **19 से 55 वर्ष** | निर्धारित परिपक्वता आयु (**35, 40, 45, 50, 55, 58 या 60 वर्ष**) पर बीमित राशि + बोनस | **3 वर्ष** के बाद ऋण (Loan) एवं **3 वर्ष** के बाद समर्पण (Surrender) उपलब्ध (5 वर्ष से पहले समर्पण पर बोनस नहीं मिलता) | indiapost.gov.in |

| क्र.सं. | योजना का नाम (PLI / RPLI) | आधिकारिक हिंदी नाम | प्रवेश आयु सीमा (Entry Age) | परिपक्वता / उत्तरजीविता लाभ (1D Benefit Breakdown) | ऋण (Loan) एवं समर्पण (Surrender) नियम | आधिकारिक संदर्भ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Convertible Whole Life (CWLA) | **सुविधा** (PLI) / **ग्राम सुविधा** (RPLI) | **19 से 50 वर्ष** (RPLI में **19 से 45 वर्ष**) | पॉलिसी लेने के **5 वर्ष** बाद (**6 वर्ष** से पहले) इसे Endowment पॉलिसी में बदलने का विकल्प | **4 वर्ष** बाद ऋण (यदि बदला न हो); **3 वर्ष** बाद समर्पण | indiapost.gov.in |
| 4 | Anticipated Endowment (AEA — Money Back) | **सुमंगल** (PLI) / **ग्राम सुमंगल** (RPLI) | **19 से 40 वर्ष** (**20 वर्षीय** पॉलिसी हेतु); **19 से 45 वर्ष** (**15 वर्षीय** हेतु) | **15-वर्षीय:** **6, 9, 12** वर्ष पर **20%-20%-20%** और **15वें** वर्ष पर **40% + बोनस**; **20-वर्षीय:** **8, 12, 16** वर्ष पर **20%-20%-20%** और **20वें** वर्ष पर **40% + बोनस** | **न ऋण (No Loan) मिलता है और न ही समर्पण (No Surrender) की अनुमति है!** | indiapost.gov.in |
| 5 | Joint Life Endowment (JLEA — केवल PLI में) | **युगल सुरक्षा** (केवल PLI में) | **21 से 45 वर्ष** (पति-पत्नी में से बड़े की आयु **<= 45** और छोटे की **>= 21**) | पति और पत्नी दोनों को एक ही प्रीमियम में जीवन बीमा सुरक्षा (जिनमें से कम से कम एक PLI पात्र हो) | **3 वर्ष** के बाद ऋण एवं **3 वर्ष** के बाद समर्पण उपलब्ध | indiapost.gov.in |
| 6 | 10-Year Rural PLI (केवल RPLI में) | **ग्राम प्रिया** (केवल RPLI में — 10 वर्षीय मनी बैक) | **20 से 45 वर्ष** | **10-वर्षीय अवधि:** **4 वर्ष** पर **20%**, **7 वर्ष** पर **20%**, और **10 वर्ष** पूर्ण होने पर **60% + अर्जित बोनस** | प्राकृतिक आपदा में **1 वर्ष** तक कोई ब्याज नहीं; सामान्य ऋण/समर्पण सुविधा नहीं | indiapost.gov.in |
| 7 | Children Policy | **बाल जीवन बीमा** (PLI एवं RPLI दोनों में) | बच्चे की आयु: **5 से 20 वर्ष**; माता-पिता की आयु: **45 वर्ष से अधिक नहीं** | एक परिवार के अधिकतम **2 बच्चों** के लिए; अधिकतम बीमा राशि: **Rs. 3,00,000** (PLI) / **Rs. 1,00,000** (RPLI) या माता-पिता की पॉलिसी के बराबर (जो कम हो) | **बिना मेडिकल जांच** के; माता-पिता की मृत्यु होने पर आगे के सभी **प्रीमियम माफ** हो जाते हैं और परिपक्वता पर पूर्ण राशि + बोनस मिलता है; **न ऋण, न समर्पण!** | www.iucacademy.com |

## *5.3 क्या आप जानते हैं?* (Did You Know?)

**क्या आप जानते हैं? (Did You Know?)**

**1 फरवरी 1884** को शुरू हुई **डाक जीवन बीमा (PLI)** भारत की सबसे पुरानी राजकीय जीवन बीमा योजना है! शुरुआत में इसकी अधिकतम बीमा सीमा मात्र **Rs. 4,000** थी, जो आज बढ़कर **Rs. 50 लाख** हो चुकी है। इसके अलावा, वर्ष **2017** में डाक विभाग ने PLI का दायरा केवल सरकारी कर्मचारियों से बढ़ाकर **सभी स्नातक पेशेवरों (डॉक्टर, इंजीनियर, CA, वकील, आर्किटेक्ट, बैंकर) तथा NSE/BSE में सूचीबद्ध कंपनियों के कर्मचारियों** के लिए भी खोल दिया है (indiapost.gov.in)!

## *5.4 परीक्षा जाल सतर्कता* (Exam Trap Alert!)

**परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!)**

1. **पॉलिसी लैप्स (Lapse) होने के 6 माह बनाम 12 माह का नियम:** यदि कोई पॉलिसी **3 वर्ष से कम** चली है और लगातार **6 माह** तक प्रीमियम जमा नहीं किया जाता, तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है; किंतु यदि पॉलिसी **3 वर्ष या अधिक** चल चुकी है, तो लगातार **12 माह** तक प्रीमियम जमा न करने पर लैप्स होती है!

2. **युगल सुरक्षा बनाम ग्राम प्रिया का अंतर:** याद रखें कि **युगल सुरक्षा (Joint Life)** केवल **PLI** में है (RPLI में नहीं), जबकि **ग्राम प्रिया (10-Year Money Back)** केवल **RPLI** में है (PLI में नहीं) (indiapost.gov.in)!

## *5.5* IUC *स्मृति ट्रिक* (IUC 5-Second Shortcut Trick)

- **ट्रिक 1 (अग्रिम प्रीमियम भुगतान पर छूट — Rebate on Advance Premium):**

• **12 माह (वार्षिक अग्रिम जमा):** कुल प्रीमियम पर **2%** की छूट।

• **6 माह (अर्धवार्षिक अग्रिम जमा):** कुल प्रीमियम पर **1%** की छूट।

• **3 माह (त्रैमासिक अग्रिम जमा — केवल RPLI ग्राम प्रिया आदि में):** **0.5%** की छूट।

• **ट्रिक 2 (बोनस दर याद रखने का रैंकिंग कोड — प्रति Rs. 1,000 बीमा राशि पर वार्षिक बोनस):**

• **PLI बोनस (76 - 52 - 48):** सुरक्षा (**WLA**) = **Rs. 76**, संतोष एवं युगल सुरक्षा (**EA**) = **Rs. 52**, सुमंगल (**AEA**) = **Rs. 48**।

• **RPLI बोनस (60 - 48 - 45):** ग्राम सुरक्षा = **Rs. 60**, ग्राम संतोष = **Rs. 48**, ग्राम सुमंगल एवं ग्राम प्रिया = **Rs. 45** (www.iucacademy.com)!

# *मॉड्यूल 6: पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम V, VI, VII एवं VIII तथा मेल ऑपरेशन्स व RMS नियम (Postal Manuals & Mail Operations)*

**अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 6: पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम V, VI, VII एवं VIII तथा मेल ऑपरेशन्स व RMS नियम (Postal Manuals & Mail Operations)**

| प्रमुख अध्ययन बिंदु 1 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 2 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 3 |
|---|---|---|
| विस्तृत तुलनात्मक एवं 1D परिभाषा सारणी (Postal Manual Master Table) | क्या आप जानते हैं? (Did You Know?) | परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!) |

## *6.1 प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह*

**संकल्पनात्मक प्रवाह आरेख (Step-by-Step Process Flow)**

| चरण 1 | चरण 2 | चरण 3 | चरण 4 |
|---|---|---|---|
| नोड 1: डाक थैलों का वर्गीकरण (Account, Cash, Special Bags)]** `Account Bag (HO < | SO: लाल रंग; HO | SO में SO Daily Account + Cash; SO | HO में SO Summary) \| Cash Bag (चमड़े/कैनवास का — अंदर बंद होता है)` |

**संकल्पनात्मक प्रवाह आरेख (Step-by-Step Process Flow)**

| चरण 1 | चरण 2 |
|---|---|
| ` | [नोड 2: ड्यू बैग एवं असामान्य बैग (Due vs Unusual Mails)] Due Mail (दैनिक/नियमित अंतराल पर अनिवार्य प्रेषण — कुछ न होने पर भी 'Empty' या 'Nil' स्लिप के साथ) \| Unusual Mail (केवल आवश्यकता होने पर — जैसे Packet Bag, Parcel Bag)` |

**संकल्पनात्मक प्रवाह आरेख (Step-by-Step Process Flow)**

चरण 1
`

चरण 2
[नोड 3: RMS संगठन एवं छंटाई कार्यालय] Railway Mail Service (स्थापना: 1907)

चरण 3
Transit Mail Office (TMO - केवल बंद थैले) | Sorting Mail Office / Hub (छंटाई कार्य) | CRC (Computerized Registration Centre)`

**संकल्पनात्मक प्रवाह आरेख (Step-by-Step Process Flow)**

चरण 1
`

चरण 2
[नोड 4: तीन प्रकार के कार्य आदेश (A, B, TV Orders)] A-Order (SRM द्वारा छंटाई सूची में परिवर्तन) | B-Order (SRM द्वारा अन्य मार्गदर्शन) | TV-Order (जब A-Order जारी करने का समय न हो — अधीक्षक द्वारा तत्काल आदेश)`

## *6.2 विस्तृत तुलनात्मक एवं 1D परिभाषा सारणी* (Postal Manual Master Table)

| क्र.सं. | नियम / परिभाषा (Volume V, VI & VII) | मुख्य प्रावधान एवं कार्यविधि (1D Rule Summary) | जारीकर्ता / संबंधित प्रपत्र | परीक्षा महत्व (MTS/ Postman/ PA/IPO) | आधिकारिक संदर्भ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | फेसिंग और बीटिंग (Facing & Beating) | **Facing:** सभी पत्रों के पते वाले भाग और डाक टिकट को एक ही दिशा (ऊपर की ओर) में व्यवस्थित करना; **Beating:** पत्रों को मेज पर थपथपाना | छंटाई (Sorting) और तारीख मुहर (Date Stamping) से पूर्व की प्रथम क्रिया | वॉल्यूम V की सबसे बुनियादी परिभाषा | indiapost.gov.in |
| 2 | कैंप बैग (Camp Bag) | राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, DG Posts एवं CPMG के दौरे पर उनके कार्यालय की फाइलें/डाक भेजने वाला विशेष थैला | यह **असामान्य डाक (Unusual Mail)** है और इसे **रविवार व डाक अवकाश के दिन भी** वितरित किया जाता है! | कैंप बैग की श्रेणी = Unusual Bag | indiapost.gov.in |
| 3 | स्टेशन बंडल बनाम छंटाई बंडल (Station vs Sorting Bundle) | जब किसी एक ही डाकघर के लिए **15 से अधिक (15 or more)** अपंजीकृत पत्र हों, तो **Station Bundle** बनाया जाता है | क्षेत्रीय छंटाई बंडल (**Sorting Bundle**): राज्य या जिले के लिए जब स्टेशन बंडल बनाने जितनी संख्या न हो; **Express Bundle** = सफेद स्लिप, **Deferred** = रंगीन स्लिप | स्टेशन बंडल की न्यूनतम संख्या = 15 | indiapost.gov.in |
| 4 | मिससेंट और मिसडायरेक्टेड वस्तुएं (Missent vs Misdirected) | **Missent (गलत प्रेषित):** जिस वस्तु को कार्यालय द्वारा गलत थैले या गलत स्थान पर भेज दिया गया हो; **Misdirected:** जिस पर अंग्रेजी के अलावा क्षेत्रीय भाषा का पता गलत तरीके से ट्रांस्क्राइब किया गया हो | दोनों ही मामलों में वस्तु पर तारीख मुहर लगाई जाती है और सही गंतव्य को अग्रेषित किया जाता है | वॉल्यूम V का अंतर प्रश्न | indiapost.gov.in |
| 5 | ट्रायल कार्ड (Trial Card — Form M-26(a)) | डाक प्रेषण में हो रहे विलंब का कारण और मार्ग चुनने के लिए प्रयोग किया जाने वाला सेवा पोस्टकार्ड | ट्रायल कार्ड को **कभी भी स्टेशन बंडल में शामिल नहीं किया जाता**; इसे सदैव बंडल के सबसे ऊपर या छंटाई बंडल में रखा जाता है | प्रपत्र संख्या **M-26(a)** | www.iucacademy.com |
| 6 | अनबुक्ड और जमानती वस्तुएं (Metal Tokens) | RMS छंटाई सहायकों (Sorting Assistants) को ड्यूटी के दौरान रखने के लिए **मेटल टोकन (Metal Token)** दिया जाता है | मेटल टोकन खो जाने पर कर्मचारी से **Rs. 50** (या निर्धारित लागत) की वसूली की जाती है और नया टोकन जारी होता है | वॉल्यूम VII का नियम | indiapost.gov.in |

| क्र.सं. | नियम / परिभाषा (Volume V, VI & VII) | मुख्य प्रावधान एवं कार्यविधि (1D Rule Summary) | जारीकर्ता / संबंधित प्रपत्र | परीक्षा महत्व (MTS/ Postman/ PA/IPO) | आधिकारिक संदर्भ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | **A** आदेश और **B** आदेश (A-Orders & B-Orders — Vol VII) | **A Orders:** छंटाई सूचियों (Sorting Lists) में परिवर्तन के लिए **अधीक्षक आरएमएस (SRM / SSRM)** द्वारा जारी किए जाते हैं | **B Orders:** छंटाई को छोड़कर RMS कर्मचारियों के मार्गदर्शन और ड्यूटी व्यवस्था हेतु **SRM** द्वारा जारी आदेश | सबसे अधिक बार पूछा गया प्रश्न! | indiapost.gov.in |
| 8 | केंद्रीय बैगिंग यूनिट (Central Bagging Unit / EBO) | दो या अधिक डाकघरों/अनुभागों के बंडलों को मिलाकर एक केंद्रीय स्थान पर बंद करने की इकाई | डाकघर का ग्राम गश्त रजिस्टर: **Village Postman Visit Book (MS-86)** और रूट चार्ट **(MS-85)** | वॉल्यूम VI भाग-III के प्रपत्र | indiapost.gov.in |
| 9 | पिन कोड प्रणाली (PIN Code — 15 अगस्त 1972) | **6 अंकों** का कोड (श्रीराम भिकाजी वेलणकर द्वारा शुरू): कुल **9 पिन ज़ोन** (**8 भौगोलिक ज़ोन** + **9वां ज़ोन = सेना डाक सेवा APS**) | प्रथम अंक = **Zone (Region)**, द्वितीय अंक = **Sub-Zone (Circle/State)**, तृतीय अंक = **Sorting District**, अंतिम 3 अंक = **Delivery Post Office** | 15 अगस्त 1972 एवं 6 अंकों का अर्थ | indiapost.gov.in |
| 10 | प्रेषित न हो सकी डाक कार्यालय (RLO — Returned Letter Office) | वह कार्यालय जो अधूरे/अस्पष्ट पते वाली या प्रेषक व प्राप्तकर्ता दोनों के न मिलने वाली डाक (Unclaimed & Refused Articles) का निपटान करता है | RLO की स्थापना सामान्यतः प्रत्येक सर्किल मुख्यालय पर होती है; केवल RLO के अधिकारी को ही बिना पते वाले बंद पत्र को खोलने का वैधानिक अधिकार है | RLO का पूर्ण रूप एवं अधिकार | www.iucacademy.com |

## *6.3 क्या आप जानते हैं? (Did You Know?)*

**क्या आप जानते हैं? (Did You Know?)**
भारत में **15 अगस्त 1972** को लागू की गई 6-अंकीय **PIN (Postal Index Number)** प्रणाली के जनक केंद्रीय संचार मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान **श्रीराम भिकाजी वेलणकर** थे! भारत में पिन कोड का पहला अंक **1** से **9** तक होता है (कभी **0** से शुरू नहीं होता), जिसमें **1** **(दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, J&K)** से लेकर **8** **(बिहार, झारखंड)** तक 8 क्षेत्रीय ज़ोन हैं और **9** **वां ज़ोन विशेष रूप से भारतीय सेना डाक सेवा (Army Postal Service - APS)** के लिए आरक्षित है (indiapost.gov.in)!

## *6.4 परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!)*

**परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!)**
1. **A-Order और B-Order के जारीकर्ता का भ्रम:** परीक्षा में विकल्प दिया जाता है कि **A-Order** CPMG या PMG द्वारा जारी किया जाता है। सावधान रहें: **A-Order** और **B-Order** दोनों ही **आरएमएस अधीक्षक (Superintendent of RMS — SRM / SSRM)** द्वारा ही जारी किए जाते हैं!
2. **मनीऑर्डर का भुगतान पोस्टमैन द्वारा खाली हाथ लौटने पर:** जब कोई पोस्टमैन ड्यूटी से लौटता है, तो वह सबसे पहले अपने पास बचे नकद (Undisbursed Cash) को **कोषाध्यक्ष (Treasurer)** को और अवितरित पंजीकृत/बीमित वस्तुओं व वाउचर को **संबंधित सहायक (PA)** को सौंपता है (indiapost.gov.in)।

## *6.5 IUC स्मृति ट्रिक (IUC 5-Second Shortcut Trick)*

- **ट्रिक (8 भौगोलिक PIN Zones को उत्तर से दक्षिण-पूर्व क्रम में याद रखने का सूत्र):**
- **Zone 1 (उत्तरी):** दिल्ली (11), हरियाणा (12-13), पंजाब (14-16), हिमाचल (17), J&K/लद्दाख (18-19)।
- **Zone 2 (उत्तर-मध्य):** उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड (**20 से 28**)।
- **Zone 3 (पश्चिमी-उत्तर):** राजस्थान (30-34), गुजरात एवं दमन-दीव (36-39)।

- **Zone 4 (पश्चिमी-मध्य):** महाराष्ट्र, गोवा (40-44), मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ (45-49)।
- **Zone 5 (दक्षिणी-1):** तेलंगाना, आंध्र प्रदेश (50-53), कर्नाटक (56-59)।
- **Zone 6 (दक्षिणी-2):** तमिलनाडु, पुडुचेरी (60-64), केरल एवं लक्षद्वीप (67-69)।
- **Zone 7 (पूर्वी):** पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान (70-74), ओडिशा (75-77), असम एवं पूर्वोत्तर के 7 राज्य (78-79)।
- **Zone 8 (पूर्व-मध्य):** बिहार एवं झारखंड ( **80 से 85** ) | **Zone 9:** APS ( **90 से 99** ) (www.iucacademy.com)!

# *मॉड्यूल 7: आईटी आधुनिकीकरण 2.0, दर्पण (DARPAN), कोर बैंकिंग (CBS), CSI, IPPB एवं प्रीमियम उत्पाद (IT Modernization & Premium Products)*

**अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 7: आईटी आधुनिकीकरण 2.0, दर्पण (DARPAN), कोर बैंकिंग (CBS), CSI, IPPB एवं प्रीमियम उत्पाद (IT Modernization & Premium Products)**

| प्रमुख अध्ययन बिंदु 1 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 2 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 3 |
|---|---|---|
| विस्तृत तुलनात्मक एवं 1D विनिर्देश सारणी (IT, IPPB & Premium Products Table) | क्या आप जानते हैं? (Did You Know?) | परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!) |

## *7.1 प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह*

**चरण 1** आईटी आधुनिकीकरण के 8 घटक (IT Mod 1.0 & 2.0): FSI (Finacle + McCamish) | CSI (SAP ERP — Finance, HR, Operations) | DARPAN (ग्रामीण RICT हैंडहेल्ड/मोबाइल ऐप) | NSP (नेटवर्क) | DC/DRC (नवी मुंबई व मैसूर) | MNOP & PNOP

**संकल्पनात्मक प्रवाह आरेख (Step-by-Step Process Flow)**

**चरण 1**
`

**चरण 2**
[नोड 2: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB & DakPay)] स्थापना: 1 सितंबर 2018 (100% भारत सरकार स्वामित्व); टैगलाइन: 'आपका बैंक, आपके द्वार'; अधिकतम शेष सीमा: Rs. 2,00,000; CELC व DLC सेवा`

**संकल्पनात्मक प्रवाह आरेख (Step-by-Step Process Flow)**

**चरण 1**
`

**चरण 2**
[नोड 3: स्पीड पोस्ट, बिजनेस पार्सल एवं लॉजिस्टिक्स] Speed Post (शुरू: 1 अगस्त 1986; अधिकतम भार: 35 kg; बीमा सीमा: Rs. 1,00,000) | Business Parcel (2 kg से 35 kg) | Logistics Post (न्यूनतम 50 kg)`

**संकल्पनात्मक प्रवाह आरेख (Step-by-Step Process Flow)**

**चरण 1**
`

**चरण 2**
[नोड 4: कॉर्पोरेट एवं मीडिया-फिलाटेली सेवाएं] BNPL (Book Now Pay Later — मासिक बिल >= Rs. 10,000) | Direct Post (न्यूनतम 1,000 अनएड्रेस्ड पीस) | e-Post (Rs. 10/पृष्ठ) | My Stamp (Rs. 300/शीट) | दीनदयाल स्पर्श योजना`

## 7.2 विस्तृत तुलनात्मक एवं 1D विनिर्देश सारणी (IT, IPPB & Premium Products Table)

| क्र.सं. | उत्पाद / आईटी मॉड्यूल | मुख्य विनिर्देश / 1D सीमाएं एवं शुल्क | तकनीकी / परिचालन विवरण | परीक्षा अनुप्रयोग (GDS/PA/IPO) | आधिकारिक संदर्भ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSI (Financial Services System Integrator) | कोर बैंकिंग (**CBS**) सॉफ्टवेयर: **Finacle (Infosys)**; कोर इंश्योरेंस (**CIS - PLI/RPLI**) सॉफ्टवेयर: **McCamish** | प्राइमरी डेटा सेंटर (**DC**): **नवी मुंबई**; डिजास्टर रिकवरी सेंटर (**DRC**): **मैसूर (कर्नाटक)** (**CEPT** द्वारा प्रबंधित) | Finacle व McCamish का सीधा मिलान | indiapost.gov.in |
| 2 | CSI (Core System Integrator) एवं SAP मॉड्यूल | सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म: **SAP ERP**; काउंटर बुकिंग: **POS (Point of Sale)**; बैक ऑफिस व वितरण: **DPMS (Delivery & Postman Management System)** | लेखा एवं वित्त: **F&A**; मानव संसाधन एवं वेतन (सालरी स्लिप, छुट्टी): **HRMS / IPVS** | POS और DPMS का पूर्ण रूप | indiapost.gov.in |
| 3 | दर्पण (DARPAN - RICT Project) | पूर्ण रूप: **Digital Advancement of Rural Post Office for A New India** | शाखा डाकघरों (**BOs**) में **Darpan Android Application** के माध्यम से रीयल-टाइम बुकिंग, वितरण, CBS और RPLI लेनदेन | DARPAN का पूर्ण रूप (हर परीक्षा में!) | indiapost.gov.in |
| 4 | स्पीड पोस्ट (Speed Post — 1 अगस्त 1986) | अधिकतम भार सीमा: **35 kg**; अधिकतम बीमा: **Rs. 1,00,000**; **Rs. 50** तक के टैरिफ पर **POD** (Proof of Delivery) शुल्क = **Rs. 10** | **मुआवजा (Compensation):** विलंब होने पर **Speed Post Charges** के बराबर; खो जाने/नुकसान पर **Double the Speed Post Charges OR Rs. 1,000 (जो भी कम हो!)** | स्पीड पोस्ट मुआवजा सूत्र | indiapost.gov.in |
| 5 | BNPL एवं स्पीड पोस्ट डिस्काउंट | BNPL न्यूनतम मासिक व्यवसाय: **Rs. 10,000**; बिल जनरेशन: अगले माह की **7वीं तारीख** तक; भुगतान तिथि: उस माह के **अंत तक** (विलंब दंड: **12%** **प्रति वर्ष**) | वॉक-इन/एडवांस ग्राहक छूट: दैनिक **Rs. 2,000 से 1,00,000** की बुकिंग पर **5%**; **Rs. 1,00,000** से अधिक पर **10%** छूट | 5% और 10% छूट स्लैब | www.iucacademy.com |
| 6 | बिजनेस पार्सल एवं लॉजिस्टिक्स पोस्ट | **Business Parcel:** न्यूनतम भार **2 kg**, अधिकतम भार **35 kg**; **Logistics Post:** न्यूनतम प्रभार्य भार **50 kg** (अधिकतम की कोई सीमा नहीं — FTL/LTL) | कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए डोर-टू-डोर पिकअप एवं डिलीवरी | 2 kg बनाम 50 kg न्यूनतम सीमा | indiapost.gov.in |
| 7 | डायरेक्ट पोस्ट एवं मीडिया पोस्ट | **Direct Post:** बिना पते वाले (Unaddressed) विज्ञापन पत्रक/पैम्फलेट; न्यूनतम मात्रा = **1,000 पीस** | **Media Post:** पोस्टकार्ड, इनलैंड लेटर, एरोग्राम व लेटर बॉक्स पर कॉर्पोरेट ब्रांडिंग/विज्ञापन | Direct Post की न्यूनतम संख्या = 1,000 | indiapost.gov.in |
| 8 | ई-पोस्ट (e-Post) एवं ई-पेमेंट (e-Payment) | **e-Post:** ईमेल के माध्यम से संदेश भेजकर गंतव्य डाकघर में प्रिंट कराके घर पर वितरण; शुल्क = **Rs. 10 प्रति पृष्ठ (A4)** | **e-Payment:** बिजली/टेलीफोन/जल बिल आदि का काउंटर पर संग्रहण और बिलर्स को इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण | e-Post शुल्क = Rs. 10 प्रति पेज | indiapost.gov.in |

| क्र.सं. | उत्पाद / आईटी मॉड्यूल | मुख्य विनिर्देश / 1D सीमाएं एवं शुल्क | तकनीकी / परिचालन विवरण | परीक्षा अनुप्रयोग (GDS/PA/IPO) | आधिकारिक संदर्भ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | माई स्टाम्प (My Stamp) एवं दीनदयाल स्पर्श योजना | **My Stamp** (शुरू: **INDIPEX 2011**): एक शीट में **12 टिकट** होते हैं; प्रति शीट शुल्क = **Rs. 300** | **SPARSH योजना:** पूर्ण रूप **Scholarship for Promotion of Aptitude & Research in Stamps as a Hobby**; कक्षा **6 से 9** के छात्रों को **Rs. 6,000 वार्षिक (Rs. 500/माह)** छात्रवृत्ति (अखिल भारतीय कुल **920 छात्रवृत्तियां** — प्रत्येक सर्किल में अधिकतम **40**) | SPARSH कक्षा 6-9 एवं Rs. 6,000/वर्ष | indiapost.gov.in |
| 10 | इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) | दिन के अंत में अधिकतम बैलेंस सीमा: **Rs. 2,00,000** (**2 लाख** से अधिक राशि लिंक्ड POSA खाते में **Auto Sweep-out** हो जाती है) | **पेमेंट्स बैंक ऋण (Loan) या क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते!** **AEPS**, **CELC** (5 वर्ष से कम बच्चे का आधार नामांकन व मोबाइल अपडेट) और **DLC** (Jeevan Pramaan) प्रमुख सेवाएं | RBI भुगतान बैंक नियम एवं 2 लाख सीमा | rbi.org.in |

## *7.3 क्या आप जानते हैं?* (Did You Know?)

**क्या आप जानते हैं? (Did You Know?)**
भारतीय रिज़र्व बैंक (rbi.org.in) के पेमेंट्स बैंक लाइसेंसिंग मानदंडों के तहत स्थापित **इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB)** को अपनी कुल मांग जमाओं (Demand Deposits) का कम से कम **75%** **हिस्सा सरकारी प्रतिभूतियों (Government Securities / Treasury Bills — जो SLR के लिए पात्र हैं)** में निवेश करना अनिवार्य है, और अधिकतम **25%** **हिस्सा** ही अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सावधि जमाओं में रखा जा सकता है। साथ ही, IPPB सीधे कोई ऋण (Loan) नहीं दे सकता, किंतु थर्ड-पार्टी बैंकों/NBFCs के बीसी (Business Correspondent) के रूप में ऋण और बीमा उत्पादों का वितरण कर सकता है (indiapost.gov.in)!

## *7.4 परीक्षा जाल सतर्कता* (Exam Trap Alert!)

**परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!)**
1. **पंजीकृत वस्तु (Registered Article) बनाम स्पीड पोस्ट (Speed Post) का मुआवजा:** छात्र दोनों के मुआवजे को आपस में मिला देते हैं!
• **अंतर्देशीय पंजीकृत वस्तु (Inland Registered Article)** के खोने/नष्ट होने पर मुआवजा = **Rs. 100** (फिक्स अधिकतम सीमा)!
• **अंतर्देशीय स्पीड पोस्ट (Inland Speed Post)** के खोने/चोरी होने/नुकसान होने पर मुआवजा = * **स्पीड पोस्ट शुल्क का दोगुना (2** Speed Post Tariff) या Rs. 1,000, जो भी कम हो (Whichever is less)**!
• **अंतर्राष्ट्रीय पंजीकृत वस्तु (Foreign Registered Article)** के खोने पर मुआवजा = **30 SDR** (और M-Bag के खोने पर **150 SDR**) (indiapost.gov.in)!

## *7.5* IUC *स्मृति ट्रिक* (IUC 5-Second Shortcut Trick)

• **ट्रिक (CSI के 5 प्रमुख टी-कोड / T-Codes याद रखने का सूत्र):**
• **ZFIN** = दैनिक नकद और पोस्टमास्टर अकाउंट की जांच।
• **ZBF07** = डाकघर की दैनिक लेखा रिपोर्ट (Daily Account) जनरेट करना।
• **ZMO** = ई-मनीऑर्डर (e-MO) का प्रेषण और ट्रैकिंग।
• **ZART_UPLOAD** = वस्तुओं का बैच अपलोड।
• **F-02** = SAP वाउचर पोस्टिंग (www.iucacademy.com)!

# मॉड्यूल 8: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, सूचना का अधिकार (RTI) 2005 एवं PMLA / KYC / AML मानदंड (Legal & Compliance Module)

**अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 8: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, सूचना का अधिकार (RTI) 2005 एवं PMLA / KYC / AML मानदंड (Legal & Compliance Module)**

| प्रमुख अध्ययन बिंदु 1 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 2 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 3 |
|---|---|---|
| विस्तृत तुलनात्मक एवं 1D विधिक प्रावधान सारणी (CPA, RTI & PMLA Table) | क्या आप जानते हैं? (Did You Know?) | परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!) |

## 8.1 प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह

**संकल्पनात्मक प्रवाह आरेख (Step-by-Step Process Flow)**

| चरण 1 | चरण 2 | चरण 3 |
|---|---|---|
| नोड 1: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (CPA 2019)]** `लागू: 20 जुलाई 2020 | CCPA (केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण) | त्रि-स्तरीय आयोग (जिला: <= 50 लाख; राज्य: > 50 लाख से <= 2 करोड़; राष्ट्रीय: > 2 करोड़)` |

**संकल्पनात्मक प्रवाह आरेख (Step-by-Step Process Flow)**

| चरण 1 | चरण 2 |
|---|---|
| ` | [नोड 2: शिकायत समय-सीमा एवं अपील अवधि] शिकायत दायर करने की सीमा = 2 वर्ष \| अपील अवधि: जिला से राज्य आयोग = 45 दिन (50% राशि जमा); राज्य से राष्ट्रीय = 30 दिन; राष्ट्रीय से सुप्रीम कोर्ट = 30 दिन` |

**संकल्पनात्मक प्रवाह आरेख (Step-by-Step Process Flow)**

| चरण 1 | चरण 2 |
|---|---|
| ` | [नोड 3: सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI 2005)] लागू: 12 अक्टूबर 2005; शुल्क: Rs. 10 (BPL मुक्त); सामान्य समय-सीमा: 30 दिन; जीवन एवं स्वतंत्रता (Life & Liberty): 48 घंटे; प्रथम अपील: 30 दिन; द्वितीय अपील: 90 दिन` |

**संकल्पनात्मक प्रवाह आरेख (Step-by-Step Process Flow)**

| चरण 1 | चरण 2 | चरण 3 | चरण 4 |
|---|---|---|---|
| ` | [नोड 4: PMLA 2002 एवं KYC / AML नियम] मनी लॉन्ड्रिंग के 3 चरण: Placement | Layering | Integration \| CTR (> Rs. 10 लाख/माह) एवं STR (संदिग्ध लेनदेन: 7 दिनों में FIU-IND को रिपोर्ट)` |

## 8.2 विस्तृत तुलनात्मक एवं 1D विधिक प्रावधान सारणी (CPA, RTI & PMLA Table)

| क्र.सं. | अधिनियम / प्रावधान | संशोधित आर्थिक अधिकार क्षेत्र / समय-सीमा (1D Rule) | अपील / दंड / अपवाद नियम | परीक्षा महत्व (IPO / PA / JAIIB) | आधिकारिक संदर्भ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (District Commission) | संशोधित अधिकार क्षेत्र (2021 के नियम): भुगतान किए गए प्रतिफल (Paid Value) का मूल्य **Rs. 50 लाख तक** (मूल 2019 एक्ट में **1 करोड़** था, अब संशोधित सीमा **50 लाख** है!) | जिला आयोग के आदेश के विरुद्ध **राज्य आयोग** में अपील की समय-सीमा = **45 दिन** (आदेशित राशि का **50%** जमा करना अनिवार्य) | दोनों आंकड़े (**50 लाख** संशोधित और **1 करोड़** मूल) ध्यान रखें | indiapost.gov.in |
| 2 | राज्य उपभोक्ता आयोग (State Commission) | संशोधित अधिकार क्षेत्र: **Rs. 50 लाख से अधिक और Rs. 2 करोड़ तक** (मूल 2019 एक्ट में **1 करोड़ से 10 करोड़** था) | राज्य आयोग के आदेश के विरुद्ध **राष्ट्रीय आयोग (NCDRC)** में अपील की समय-सीमा = **30 दिन** (**50%** राशि जमा के साथ) | **45 दिन** (प्रथम अपील) बनाम **30 दिन** (द्वितीय अपील) | indiapost.gov.in |
| 3 | राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग (National Commission - NCDRC) | संशोधित अधिकार क्षेत्र: **Rs. 2 करोड़ से अधिक** (मूल 2019 एक्ट में **10 करोड़ से अधिक** था) | राष्ट्रीय आयोग के आदेश के विरुद्ध **सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court)** में अपील की समय-सीमा = **30 दिन** | शिकायत दर्ज करने की परिसीमा अवधि = कारण उत्पन्न होने से **2 वर्ष** | www.iucacademy.com |
| 4 | केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA — धारा 10) | भ्रामक विज्ञापनों (Misleading Ads) पर निर्माता/एंडोर्सर पर प्रथम बार **Rs. 10 लाख तक जुर्माना** व **2 वर्ष** कैद; दोबारा करने पर **Rs. 50 लाख तक जुर्माना** व **5 वर्ष** कैद | पहली बार **Product Liability (उत्पाद दायित्व)** और **E-Commerce** को CPA 2019 के दायरे में लाया गया | CPA 2019 की नई विशेषताएं | indiapost.gov.in |
| 5 | सूचना का अधिकार (RTI Act 2005) — धारा 6 एवं 7 | आवेदन शुल्क: **Rs. 10** (नकद/IPO/DD/Court Fee Stamp; BPL को निःशुल्क); **CPIO** द्वारा सूचना देने की समय-सीमा = **30 दिन** (**APIO** के माध्यम से देने पर **+5 दिन = 35 दिन**) | यदि सूचना किसी व्यक्ति के **जीवन या स्वतंत्रता (Life or Liberty)** से संबंधित है, तो **48 घंटे** के भीतर सूचना देना अनिवार्य! | **30 दिन**, **35 दिन** और **48 घंटे** | indiapost.gov.in |
| 6 | RTI धारा 8, 19 एवं 20 (छूट, अपील व दंड) | **धारा 8(1):** सूचना के प्रकटीकरण से छूट (राष्ट्रीय सुरक्षा, कैबिनेट दस्तावेज, निजता आदि); **तृतीय पक्ष (Third Party)** सूचना देने की अधिकतम समय-सीमा = **40 दिन** | प्रथम अपील: **30 दिन**; केंद्रीय सूचना आयोग (**CIC**) में द्वितीय अपील: **90 दिन**; CPIO पर दंड (धारा 20): **Rs. 250 प्रतिदिन (अधिकतम Rs. 25,000)** | **Rs. 250/day** एवं **Max Rs. 25,000** दंड | indiapost.gov.in |
| 7 | PMLA 2002 एवं मनी लॉन्ड्रिंग दंड (धारा 3 व 4) | लागू तिथि: **1 जुलाई 2005**; कठोर कारावास: **न्यूनतम 3 वर्ष से अधिकतम 7 वर्ष** (नारकोटिक्स/NDPS अपराध से जुड़े होने पर अधिकतम **10 वर्ष**) + जुर्माना | रिकॉर्ड संरक्षण अवधि (Record Retention Period): लेनदेन या खाता बंद होने से **5 वर्ष** तक | 3 से 7 वर्ष (NDPS में 10 वर्ष) एवं 5 वर्ष रिकॉर्ड | rbi.org.in |
| 8 | KYC जोखिम वर्गीकरण एवं आवधिक अद्यतन (Re-KYC) | ग्राहक जोखिम की 3 श्रेणियां: **High Risk** (प्रत्येक **2 वर्ष** में अद्यतन), **Medium Risk** (प्रत्येक **8 वर्ष** में अद्यतन), **Low Risk** (प्रत्येक **10 वर्ष** में अद्यतन) | **6 आधिकारिक वैध दस्तावेज (6 OVDs): (1) पासपोर्ट, (2) ड्राइविंग लाइसेंस, (3) आधार, (4) वोटर आईडी, (5) NREGA जॉब कार्ड, (6) NPR पत्र (PAN Card एक OVD नहीं है!)** | **2 - 8 - 10 वर्ष** Re-KYC एवं 6 OVDs | rbi.org.in |
| 9 | FIU-IND को रिपोर्टिंग (**CTR, STR, CCR, NTR**) | **CTR (Cash Transaction Report):** **Rs. 10 लाख** से अधिक नकद लेनदेन — अगले माह की **15वीं तारीख** तक; **STR (Suspicious Transaction Report):** संदिग्ध पुष्टि होने के **7 दिनों** के भीतर | **CCR (Counterfeit Currency Report):** नकली नोट — अगले माह की **15वीं तारीख** तक; **NTR (Non-Profit Org):** **Rs. 10 लाख** से अधिक — अगले माह की **15वीं तारीख** तक | CTR (**15th**) बनाम STR (**7 Days**) | rbi.org.in |

| क्र.सं. | अधिनियम / प्रावधान | संशोधित आर्थिक अधिकार क्षेत्र / समय-सीमा (1D Rule) | अपील / दंड / अपवाद नियम | परीक्षा महत्व (IPO / PA / JAIIB) | आधिकारिक संदर्भ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | डाकघर बचत बैंक (POSB) KYC श्रेणियां | **Rs. 50,000** या अधिक के नकद लेनदेन पर **PAN** अनिवार्य; **Rs. 10 लाख** से अधिक निवेश होने पर **आय का स्रोत (Source of Funds)** प्रमाण पत्र आवश्यक | स्मॉल अकाउंट (बिना OVD के खोला गया खाता): अधिकतम बैलेंस **Rs. 50,000**, वार्षिक कुल क्रेडिट **Rs. 1,00,000**, मासिक निकासी **Rs. 10,000** (अवधि: **12 + 12 माह**) | Small Account की **50k - 1L - 10k** सीमा | rbi.org.in |

## 8.3 क्या आप जानते हैं? (Did You Know?)

**क्या आप जानते हैं? (Did You Know?)**
भारतीय रिज़र्व बैंक (rbi.org.in) के मास्टर KYC दिशा-निर्देशों के तहत **पैन कार्ड (PAN Card)** को पहचान और पते के **6 आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों (6 Officially Valid Documents — OVDs)** की सूची में शामिल **नहीं** किया गया है (क्योंकि PAN कार्ड पर ग्राहक का पता नहीं होता)! PAN कार्ड केवल कर प्रयोजनों और **Rs. 50,000** व उससे अधिक के नकद लेनदेन के लिए अनिवार्य है, जबकि 6 OVDs केवल **पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) का पत्र** ही हैं (rbi.org.in)!

## 8.4 परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!)

**परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!)**
1. **STR (संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट) में कोई न्यूनतम राशि सीमा नहीं होती!** परीक्षा में पूछा जाता है कि STR केवल तभी भेजी जाती है जब लेनदेन **Rs. 10 लाख** से अधिक हो। यह **गलत** है! **Rs. 10 लाख** की सीमा केवल **CTR** और **NTR** के लिए है; **STR किसी भी राशि (चाहे Rs. 500 का ही लेनदेन हो या केवल प्रयास किया गया लेनदेन हो)** के लिए संदिग्ध पाए जाने के **7 दिनों** के भीतर **FIU-IND** को भेजी जाती है!
2. **डाकघर अधिनियम 2023 (Post Office Act, 2023) बनाम पुराना 1898 अधिनियम:** भारत सरकार ने पुराने **Indian Post Office Act, 1898** को निरस्त कर नया **The Post Office Act, 2023** अधिसूचित किया है जो **18 जून 2024** से लागू हो गया है, जिसमें केवल **16 धाराएं (16 Sections)** हैं और केंद्र सरकार के पत्रों के अनन्य विशेषाधिकार (Exclusive Privilege) वाली पुरानी धारा 4 को समाप्त कर दिया गया है (indiapost.gov.in)!

## 8.5 IUC स्मृति ट्रिक (IUC 5-Second Shortcut Trick)

- **ट्रिक (मनी लॉन्ड्रिंग के 3 चरणों का क्रम — P-L-I):**
- **1. P lacement (प्रवेश):** अपराध से कमाए गए काले नकद धन को पहली बार वित्तीय प्रणाली (बैंक/डाकघर) में छोटी-छोटी किस्तों में डालना (इसे **Smurfing / Structuring** भी कहते हैं)।
- **2. L ayering (परत बनाना):** धन के वास्तविक स्रोत को छिपाने के लिए उसे दर्जनों खातों, शेल कंपनियों या विदेशी खातों में बार-बार घुमाना।
- **3. I ntegration (एकीकरण):** धुले हुए धन को वैध संपत्ति, रियल एस्टेट या लग्जरी व्यवसाय के रूप में वापस मुख्य अर्थव्यवस्था में लाना (rbi.org.in)!

# मॉड्यूल 9: बैंकिंग पदोन्नति JAIIB (पेपर 1 व 2) — भारतीय अर्थव्यवस्था, RBI मौद्रिक नीति, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, NPA एवं बैंकिंग विधि (IE&IFS & PPB)

**अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 9: बैंकिंग पदोन्नति JAIIB (पेपर 1 व 2) — भारतीय अर्थव्यवस्था, RBI मौद्रिक नीति, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, NPA एवं बैंकिंग विधि (IE&IFS & PPB)**

| प्रमुख अध्ययन बिंदु 1 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 2 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 3 |
|---|---|---|
| विस्तृत तुलनात्मक एवं 1D बैंकिंग सूत्र-नियम सारणी (JAIIB IE&IFS + PPB Master Table) | क्या आप जानते हैं? (Did You Know?) | परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!) |

## 9.1 प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह

**चरण 1** RBI मौद्रिक नीति एवं मुद्रा आपूर्ति: MPC (6 सदस्य: 3 RBI + 3 सरकार; लक्ष्य: CPI 4% +/- 2%) | Repo, SDF (Repo - 0.25%), MSF/Bank Rate (Repo + 0.25%), CRR, SLR | M1, M2, M3 (Broad Money)

**संकल्पनात्मक प्रवाह आरेख (Step-by-Step Process Flow)**

**चरण 1**
`

**चरण 2**
[नोड 2: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (PSL Norms)] घरेलू वाणिज्यिक बैंक व विदेशी बैंक (>= 20 शाखाएं): 40% of ANBC | RRBs & Small Finance Banks: 75% of ANBC | Urban Co-op Banks: 75% (चरणबद्ध)`

**संकल्पनात्मक प्रवाह आरेख (Step-by-Step Process Flow)**

**चरण 1**
`

**चरण 2**
[नोड 3: IRAC मानदंड, NPA वर्गीकरण एवं प्रावधान] Overdue > 90 दिन

**चरण 3**
NPA: (1) Sub-Standard (<= 12 माह: 15% Prov), (2) Doubtful (D1: 25%, D2: 40%, D3: 100%), (3) Loss Asset (100% Prov)`

**संकल्पनात्मक प्रवाह आरेख (Step-by-Step Process Flow)**

**चरण 1**
`

**चरण 2**
[नोड 4: परक्राम्य लिखत (NI Act 1881) एवं बैंकर-ग्राहक संबंध] Promissory Note (Sec 4), Bill of Exchange (Sec 5), Cheque (Sec 6), Holder in Due Course (Sec 9), Cheque Bounce (Sec 138) | Garnishee & Lien`

## 9.2 विस्तृत तुलनात्मक एवं 1D बैंकिंग सूत्र-नियम सारणी (JAIIB IE&IFS + PPB Master Table)

| क्र.सं. | बैंकिंग संकल्पना / अधिनियम | 1D मानक सूत्र / नियामक सीमा (RBI Mandate) | मुख्य शर्त / प्रावधान | परीक्षा अनुप्रयोग (JAIIB / Scale I-IV) | आधिकारिक संदर्भ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मुद्रा आपूर्ति के माप (Money Supply Aggregates) | **M0 (Reserve Money) = Currency in Circulation + Bankers' Deposits with RBI + Other Deposits**; **M1 (Narrow Money) = Currency with Public + Demand Deposits + Other Deposits** | **M3 (Broad Money) = M1 + Time Deposits with Banking System**; **मुद्रा गुणक (Money Multiplier) = M3 / M0** | तरलता क्रम: **M1 > M2 > M3 > M4** | rbi.org.in |
| 2 | प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (PSL) लक्ष्य एवं उप-लक्ष्य | **कुल PSL: 40% of ANBC/CEOBE** (RRBs एवं SFBs के लिए **75%**); **कृषि (Agriculture): 18%** (जिसमें लघु एवं सीमांत किसान **SMF** = **10%**) | **सूक्ष्म उद्यम (Micro Enterprises): 7.5%**; **कमजोर वर्ग (Weaker Sections): 12%** (RRBs के लिए कमजोर वर्ग = **15%**) | हर वर्ष JAIIB में 3-4 प्रश्न पक्के! | rbi.org.in |
| 3 | MSME की संशोधित परिभाषा (निवेश एवं टर्नओवर — 1 जुलाई 2020 एवं बजट 2025/26 अद्यतन) | मानक आधार (2020): **Micro:** निवेश **<= Rs. 1 Cr** एवं टर्नओवर **<= Rs. 5 Cr**; **Small:** निवेश **<= Rs. 10 Cr** एवं टर्नओवर **<= Rs. 50 Cr**; **Medium:** निवेश **<= Rs. 50 Cr** एवं टर्नओवर **<= Rs. 250 Cr** | केंद्रीय बजट में विस्तारित ऋण सीमाओं हेतु वर्गीकरण गुणक को क्रमशः **2.5 गुना** (निवेश) और **2 गुना** (टर्नओवर) किया गया है; दोनों शर्तें संयुक्त (**Composite Criteria**) हैं | MSME की **1-10-50** एवं **5-50-250** तालिका | rbi.org.in |
| 4 | SMA (Special Mention Account) एवं NPA पहचान | **SMA-0:** मूलधन/ब्याज **1 से 30 दिन** अतिदेय; **SMA-1: 31 से 60 दिन** अतिदेय; **SMA-2: 61 से 90 दिन** अतिदेय; **> 90 दिन** = **NPA** | **कृषि ऋण NPA नियम:** लघु अवधि फसल (Short Duration Crops) के लिए **2 फसल मौसम (2 Crop Seasons)** और दीर्घ अवधि फसल के लिए **1 फसल मौसम** अतिदेय होने पर NPA! | कृषि बनाम सामान्य NPA नियम | rbi.org.in |
| 5 | NPA की 3 श्रेणियां एवं प्रावधान दर (Provisioning Norms) | **Sub-Standard (<= 12 माह NPA):** सुरक्षित पर **15%**, असुरक्षित (Unsecured) पर **25%** (अवसंरचना Escrow पर **20%**) | **Doubtful (> 12 माह Sub-standard रहने पर):** सुरक्षित भाग पर **D1 (1 वर्ष तक) = 25%**, **D2 (1 से 3 वर्ष) = 40%**, **D3 (> 3 वर्ष) = 100%**; असुरक्षित भाग व **Loss Asset** पर सदैव **100%** प्रावधान! | संख्यात्मक केस स्टडी (JAIIB PPB & CAIIB) | rbi.org.in |
| 6 | बैंकर और ग्राहक के विधिक संबंध (Banker-Customer Relationship) | **जमा खाता (SB/CD/FD):** बैंक = **Debtor (ऋणी)**, ग्राहक = **Creditor (लेनदार)** | **लॉकर (Safe Deposit Locker):** बैंक = **Lessor (पट्टादाता)**, ग्राहक = **Lessee (पट्टेदार)**; **Safe Custody:** बैंक = **Bailee (उपनिहिती)**; **Pledge:** बैंक = **Pawnee**, ग्राहक = **Pawnor** | संबंध मिलान का 100% निश्चित प्रश्न | rbi.org.in |
| 7 | प्रतिभूति प्रभार के प्रकार (Types of Charges on Securities) | **Pledge (गिरवी — Contract Act Sec 172):** चल संपत्ति (कब्जा बैंक के पास); **Hypothecation (दृष्टिबंधक — SARFAESI Sec 2(n)):** चल संपत्ति (कब्जा ऋणी के पास, जैसे कार ऋण) | **Mortgage (बंधक — TP Act Sec 58):** अचल संपत्ति (भूमि/भवन); **Lien (धारणाधिकार — Sec 171):** सामान्य ग्रहणाधिकार = **Implied Pledge**; **Assignment (समनुदेशन):** जीवन बीमा पॉलिसी (PLI/LIC) या बुक डेट्स पर! | बीमा पॉलिसी पर कौन-सा प्रभार? = Assignment! | rbi.org.in |

| क्र.सं. | बैंकिंग संकल्पना / अधिनियम | 1D मानक सूत्र / नियामक सीमा (RBI Mandate) | मुख्य शर्त / प्रावधान | परीक्षा अनुप्रयोग (JAIIB / Scale I-IV) | आधिकारिक संदर्भ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | गार्निशी आदेश बनाम आयकर कुर्की आदेश (Garnishee vs IT Attachment) | **Garnishee Order (CPC Order 21 Rule 46):** न्यायालय द्वारा जारी ( **Order Nisi** --> **Order Absolute** ); केवल जारी होने के समय खाते में मौजूद राशि पर लागू (भविष्य की जमाओं पर नहीं, जब तक निर्दिष्ट न हो) | **Income Tax Attachment Order (IT Act Sec 226(3)):** आयकर अधिकारी द्वारा जारी; यह आदेश मिलने के **बाद जमा होने वाली भविष्य की राशियों** और संयुक्त खातों (समान अनुपात में) पर भी लागू होता है! | Garnishee बनाम IT Order का अंतर | rbi.org.in |
| 9 | परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 (NI Act Sections) | **Sec 4:** Promissory Note (वचन पत्र — 2 पक्ष); **Sec 5:** Bill of Exchange (विनिमय विपत्र — 3 पक्ष); **Sec 6:** Cheque; **Sec 15:** Indorsement | **Sec 85 & 131:** भुगतान करने वाले ( **Paying Banker** ) और संग्रह करने वाले बैंक ( **Collecting Banker** ) को संरक्षण; **Sec 138:** चेक बाउंस पर **2 वर्ष तक कैद या चेक राशि के दोगुने तक जुर्माना** (नोटिस: **30 दिन** में, भुगतान समय: **15 दिन** , मुकदमा: **1 माह** में) | Sec 138 की **30-15-30 दिन** समय-सीमा | rbi.org.in |

## *9.3 क्या आप जानते हैं? (Did You Know?)*

**क्या आप जानते हैं? (Did You Know?)**
परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की **धारा 20 (Inchoate Stamped Instruments)** और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की **धारा 31** के अनुसार, भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अतिरिक्त **कोई भी व्यक्ति या बैंक "वाहक को मांग पर देय वचन पत्र (Promissory Note Payable to Bearer on Demand)" या "वाहक को देय विनिमय विपत्र (Bill of Exchange Payable to Bearer on Demand)" जारी नहीं कर सकता**! केवल **चेक (Cheque)** को ही मांग पर वाहक को देय (Bearer on Demand) बनाने की वैधानिक छूट दी गई है (rbi.org.in)!

## *9.4 परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!)*

**परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!)**
1. **NPA का निर्धारण ऋणी-वार (Borrower-wise) होता है, खाता-वार (Account-wise) नहीं!** यदि किसी ग्राहक **A** के बैंक में 3 ऋण खाते हैं (एक होम लोन, एक कार लोन और एक कैश क्रेडिट) और उसका केवल **एक खाता** 90 दिनों से अधिक अतिदेय होकर NPA बन जाता है, तो बैंक के लिए उस ग्राहक के **अन्य दोनों नियमित खातों को भी अनिवार्य रूप से NPA वर्गीकृत करना पड़ता है** (भले ही उनमें किस्तें समय पर आ रही हों)!
2. **संयुक्त खाते पर गार्निशी आदेश (Garnishee Order on Joint Account):** यदि गार्निशी आदेश केवल **एक व्यक्ति ( A )** के नाम पर जारी हुआ है, तो बैंक उसके **A और B के संयुक्त खाते (Joint Account)** को कुर्क **नहीं** कर सकता! किंतु यदि आदेश दोनों ( **A** और **B** ) के विरुद्ध संयुक्त रूप से है, तो एकल और संयुक्त दोनों खाते कुर्क हो जाते हैं (rbi.org.in)!

## *9.5 IUC स्मृति ट्रिक (IUC 5-Second Shortcut Trick)*

• **ट्रिक (चेक रेखांकन — Crossing of Cheques की धाराएं व प्रभाव कोड):**

• **General Crossing ( Sec 123 ):** चेक के मुख पर दो समांतर तिरछी रेखाएं ==> **भुगतान केवल बैंक खाते के माध्यम से (काउंटर पर नकद वर्जित)** ।

• **Special Crossing ( Sec 124 ):** रेखाओं के बीच किसी विशेष बैंक का नाम लिखा होना ==> **भुगतान केवल उसी निर्दिष्ट बैंक को** ।

• **Not Negotiable Crossing ( Sec 130 ):** यह चेक के **अंतरण (Transferability) को नहीं रोकता**, बल्कि केवल यह सुनिश्चित करता है कि प्राप्तकर्ता को अंतरणकर्ता से बेहतर स्वामित्व ( **Better Title** ) नहीं मिलेगा ( **Holder in Due Course** समाप्त हो जाता है)!

• **Account Payee Crossing:** यह कानून (NI Act) में परिभाषित नहीं है बल्कि बैंकिंग प्रथा और RBI निर्देशों से मान्य है ==> **संग्रहण केवल आदाता (Payee) के खाते में ही** (www.iucacademy.com)!

# मॉड्यूल 10: JAIIB (पेपर 3 व 4 — AFM, RBWM) एवं CAIIB (ABM, BFM, BRBL) — वित्तीय लेखांकन, अनुपात, बेसल-III, विदेशी मुद्रा एवं ऋण वसूली (Financial & Risk Management)

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 10: JAIIB (पेपर 3 व 4 — AFM, RBWM) एवं CAIIB (ABM, BFM, BRBL) — वित्तीय लेखांकन, अनुपात, बेसल-III, विदेशी मुद्रा एवं ऋण वसूली (Financial & Risk Management)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1
विस्तृत तुलनात्मक एवं 1D वित्तीय सूत्र सारणी (JAIIB AFM/RBWM + CAIIB Master Table)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
क्या आप जानते हैं? (Did You Know?)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 3
परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!)

## 10.1 प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह

चरण 1 लेखांकन के स्वर्णिम नियम एवं मूल्यह्रास (AFM): Personal (Debit the Receiver, Credit the Giver) | Real (Debit What Comes In, Credit What Goes Out) | Nominal (Debit Expenses/Losses, Credit Incomes/Gains) | SLM, WDV, SYD

संकल्पनात्मक प्रवाह आरेख (Step-by-Step Process Flow)

चरण 1
`

चरण 2
[नोड 2: वित्तीय अनुपात, बॉन्ड YTM एवं कार्यशील पूंजी] Current Ratio = CA / CL; Quick Ratio = (CA - Inventory)/CL; DSCR; बॉन्ड मूल्य व ब्याज दर में विपरीत संबंध; MPBF (Tandon & Nayak Committee)`

संकल्पनात्मक प्रवाह आरेख (Step-by-Step Process Flow)

चरण 1
`

चरण 2
[नोड 3: बेसल-III पूंजी पर्याप्तता (Basel-III CRAR — BFM)] भारत में न्यूनतम CRAR = 9% + CCB (2.5%) = 11.5% | CET-1 >= 5.5%, AT-1 <= 1.5%, Tier-1 >= 7.0%, Tier-2 <= 2.0% | LCR >= 100%, NSFR >= 100%`

संकल्पनात्मक प्रवाह आरेख (Step-by-Step Process Flow)

चरण 1
`

चरण 2
[नोड 4: विदेशी मुद्रा एवं ऋण वसूली कानून (BRBL)] Direct vs Indirect Quote (Buy Low, Sell High) | Lok Adalat (<= 20 लाख), DRT (>= 20 लाख), SARFAESI Act 2002 (>= 1 लाख एवं > 20% बकाया), IBC 2016 (>= 1 करोड़)`

## 10.2 विस्तृत तुलनात्मक एवं 1D वित्तीय सूत्र सारणी (JAIIB AFM/RBWM + CAIIB Master Table)

| क्र.सं. | वित्तीय / जोखिम प्रबंधन विषय | 1D मानक गणना सूत्र एवं नियामक सीमा (1D Formula) | मुख्य व्याख्या / मानक बेंचमार्क | परीक्षा अनुप्रयोग (JAIIB AFM & CAIIB BFM/ABM) | आधिकारिक संदर्भ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मूल्यह्रास की विधियां (Depreciation Formulas) | **SLM: Annual Dep = (Cost - Scrap Value) / Useful Life**; **WDV: Dep Rate = [1 - (Scrap / Cost)^(1/n)] * 100** | **Sum of Years' Digits (SYD): Dep = (Remaining Life / Sum of Digits) (*Cost - Scrap*)** जहां ***Sum* = *n*** (n+1)/2 | संख्यात्मक प्रश्न (AFM मॉड्यूल A/B) | rbi.org.in |
| 2 | तरलता एवं शोधन क्षमता अनुपात (Liquidity & Solvency Ratios) | **Current Ratio = Current Assets / Current Liabilities**; **Quick (Acid Test) Ratio = (Current Assets - Inventory - Prepaid Exp) / Current Liabilities** | **Net Working Capital (NWC) = Current Assets - Current Liabilities**; **Debt-Equity Ratio = Long Term Debt / Shareholders' Net Worth** | बैलेंस शीट विश्लेषण | rbi.org.in |
| 3 | ऋण सेवा कवरेज अनुपात (DSCR - Term Loan Appraisal) | **DSCR = (PAT + Depreciation + Interest on Term Loan) / (Interest on Term Loan + Principal Installment)** | आदर्श **DSCR** सामान्यतः **1.5 से 2.0** के बीच माना जाता है; यह सावधि ऋण (Term Loan) चुकाने की क्षमता दर्शाता है | सावधि ऋण मूल्यांकन का सबसे प्रमुख सूत्र | rbi.org.in |
| 4 | कार्यशील पूंजी मूल्यांकन (Working Capital: Tandon & Nayak) | **Nayak Committee (Turnover Method — MSME Rs. 5 Cr तक): Min Working Capital = 25% of Projected Annual Turnover** (जिसमें बैंक वित्त = **20%** और प्रमोटर अंशदान/मार्जिन = **5%**) | **Tandon Method-I: MPBF = 0.75 (*CA - CL*)**; ***Tandon Method-II* (मानक): *MPBF*** = (0.75 CA) - CL (अर्थात् न्यूनतम **Current Ratio = 1.33 : 1** !) | **20%** (बैंक) + **5%** (प्रमोटर) एवं **1.33:1** अनुपात | rbi.org.in |
| 5 | बॉन्ड मूल्यांकन, YTM एवं मैकॉले अवधि (Bond Valuation) | **Current Yield = (Annual Coupon / Current Market Price) * 100**; जब **Market Price < Face Value (Discount)** हो, तो **YTM > Current Yield > Coupon Rate** | जब **Market Price > Face Value (Premium)** हो, तो **Coupon Rate > Current Yield > YTM**; **Modified Duration = Macaulay Duration / (1 + YTM/k)** | बॉन्ड मूल्य में परिवर्तन **= - Mod_Duration * Delta(y)** | rbi.org.in |
| 6 | पूंजी बजटिंग (NPV, IRR एवं ARR) | **NPV = Sum [CF_t / (1 + r)^t] - Initial Outlay**; यदि **NPV > 0** तो प्रोजेक्ट स्वीकार्य | **IRR (Internal Rate of Return):** वह बट्टा दर (Discount Rate) जिस पर **NPV = 0** हो जाता है (**PV of Inflows = PV of Outflows**) | AFM एवं CAIIB ABM | www.iucacademy.com |
| 7 | लागत-मात्रा-लाभ विश्लेषण (Break-Even Point — CVP) | **Contribution = Sales - Variable Cost**; **P/V Ratio = (Contribution / Sales) * 100** | **Break-Even Point (Units) = Fixed Cost / Contribution per Unit**; **BEP (Rupees) = Fixed Cost / (P/V Ratio)**; **Margin of Safety = Actual Sales - BEP Sales** | हर पारी में 2-3 संख्यात्मक प्रश्न | www.iucacademy.com |

| क्र.सं. | वित्तीय / जोखिम प्रबंधन विषय | 1D मानक गणना सूत्र एवं नियामक सीमा (1D Formula) | मुख्य व्याख्या / मानक बेंचमार्क | परीक्षा अनुप्रयोग (JAIIB AFM & CAIIB BFM/ ABM) | आधिकारिक संदर्भ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | बेसल-III पूंजी पर्याप्तता मानदंड (RBI Basel-III Norms) | **CRAR = (Total Eligible Capital / Total Risk Weighted Assets [RWA]) * 100**; जहां **Total RWA = RWA(Credit) + RWA(Market) + RWA(Operational)** | **RBI मानदंड (अंतर्राष्ट्रीय 8% से 1% अधिक):** न्यूनतम **CET-1 = 5.5%**, अधिकतम **AT-1 = 1.5%** ==> **न्यूनतम Tier-1 = 7.0%**; अधिकतम **Tier-2 = 2.0%** ==> **न्यूनतम CRAR = 9.0%** + **CCB (Capital Conservation Buffer) = 2.5%** ==> **कुल = 11.5%**! | बेसल-III का **5.5 + 1.5 + 2.0 + 2.5 = 11.5%** चार्ट | rbi.org.in |
| 9 | विदेशी मुद्रा कोटेशन (Forex Direct Quote & Forward Points) | भारत में **Direct Quote** प्रचलित है (**1 USD = Rs. 84.50 / 84.60**): **अंदर आते विदेशी धन (Buying) पर Low Rate और बाहर जाते धन (Selling) पर High Rate** | **Forward Rate नियम:** यदि **Swap Points** बढ़ते क्रम में हों (जैसे **15/20** — **Low/High**), तो यह **Premium** है और दोनों तरफ **जोड़ें (Add)**; यदि घटते क्रम में हों (जैसे **20/15** — **High/Low**), तो यह **Discount** है और दोनों तरफ **घटाएं (Subtract)**! | CAIIB BFM का सबसे महत्वपूर्ण नियम | rbi.org.in |
| 10 | ऋण वसूली तंत्र (Lok Adalat, DRT, SARFAESI, IBC) | **Lok Adalat: Rs. 20 लाख** तक (कोई कोर्ट फीस नहीं, समझौते के विरुद्ध कोई अपील नहीं!); **DRT (RDB Act 1993): Rs. 20 लाख एवं अधिक** (DRAT में अपील: **30 दिन**, **50%** जमा) | **SARFAESI Act 2002:** न्यूनतम बकाया **Rs. 1 लाख** एवं मूलधन+ब्याज का **> 20%** (**Sec 13(2)** नोटिस = **60 दिन**; **Sec 13(4)** कब्जा; कृषि भूमि एवं Pledge पर लागू नहीं!); **IBC 2016 (NCLT):** न्यूनतम डिफॉल्ट **Rs. 1 करोड़** (**CIRP** समय-सीमा = **180 + 90 दिन**, अधिकतम **330 दिन**) | चारों वसूली कानूनों की थ्रेशोल्ड सीमाएं | rbi.org.in |

## *10.3 क्या आप जानते हैं? (Did You Know?)*

**क्या आप जानते हैं? (Did You Know?)**
**SARFAESI अधिनियम, 2002** की धारा 31 के तहत बैंक बिना किसी अदालत या अधिकरण (Court/DRT) के हस्तक्षेप के सीधे ऋणी की बंधक संपत्ति को कब्जे में लेकर बेच सकते हैं, किंतु यह शक्तिशाली कानून **(1) कृषि भूमि (Agricultural Land), (2) Rs. 1 लाख से कम के बकाया ऋण, (3) ऐसे ऋण जहां मूलधन और ब्याज का 20% या उससे कम ही बकाया बचा हो, तथा (4) गिरवी (Pledge) या धारणाधिकार (Lien) वाली चल संपत्तियों** पर बिल्कुल लागू **नहीं** होता (क्योंकि Pledge में संपत्ति का कब्जा पहले से ही बैंक के पास होता है जिसे बैंक Contract Act की धारा 176 के तहत सीधे नोटिस देकर बेच सकता है) (rbi.org.in)!

## 10.4 परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!)

**परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert!)**

1. **अंतर्राष्ट्रीय बेसल-III ( 8% ) बनाम RBI बेसल-III ( 9% ) का जाल:** यदि प्रश्न में पूछा जाए कि **"RBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार"** भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए न्यूनतम CRAR (बिना CCB के) कितना है, तो उत्तर **9.0%** है (CCB **2.5%** जोड़कर **11.5%**), जबकि **"BCBS (जिनेवा/बासेल समिति) के अंतर्राष्ट्रीय मानक"** के अनुसार यह **8.0%** (CCB जोड़कर **10.5%**) है!
2. **बैंक समाधान विवरण (Bank Reconciliation Statement - BRS) में ओवरड्राफ्ट (OD) का चिह्न उलट जाना:** सामान्य डेबिट बैलेंस (अनुकूल शेष) कैश बुक से शुरू करने पर जो मदें **जोड़ी ( + )** जाती हैं, कैश बुक के **ओवरड्राफ्ट (Credit Balance — प्रतिकूल शेष)** से शुरू करने पर वे सभी मदें **घटाई ( - )** जाती हैं!

## 10.5 IUC स्मृति ट्रिक (IUC 5-Second Shortcut Trick)

- **ट्रिक 1 (बॉन्ड मूल्य और प्रतिफल का सी-सॉ / See-Saw नियम):**
- **जब बाजार ब्याज दर ( YTM ) बढ़ती है ==> बॉन्ड का बाजार मूल्य ( Market Price ) गिरता है!**
- **At Par ( Price = Face Value ): Coupon Rate = Current Yield = YTM**
- **At Discount ( Price < Face Value ): Coupon Rate < Current Yield < YTM**
- **At Premium ( Price > Face Value ): Coupon Rate > Current Yield > YTM**
- **ट्रिक 2 (बिक्री किए गए माल की लागत — COGS और Operating Cycle सूत्र):**
- **COGS = Opening Stock + Net Purchases + Direct Expenses - Closing Stock = Sales - Gross Profit**
- **Inventory Turnover Ratio = COGS / Average Inventory** (जहां **Average Inventory = (Opening + Closing) / 2**) (www.iucacademy.com)!

## अंतिम समय त्वरित वन-लाइनर रिवीजन कैप्सूल (100-Point Rapid Revision Capsule)

1. भारत में आधुनिक डाक विभाग की स्थापना **1 अक्टूबर 1854** को लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुई थी (indiapost.gov.in)।
2. भारतीय डाक सेवा बोर्ड (Postal Services Board) में **1 अध्यक्ष (सचीव, डाक विभाग) और 6 सदस्य** (Personnel, Operations, Technology, Postal Life Insurance, Banking & DBT, Planning & HRD) होते हैं।
3. पूरे भारत में कुल **23 डाक सर्किल** हैं; सबसे नवीनतम 23वां सर्किल **तेलंगाना सर्किल (मुख्यालय: हैदराबाद)** है।
4. सेना डाक सेवा (APS) के दो सेंट्रल बेस पोस्ट ऑफिस हैं: **1 CBPO (नई दिल्ली — 56 APO)** और **2 CBPO (कोलकाता — 99 APO)**।
5. शाखा डाकघर (BO) में तैनात ग्रामीण डाक सेवक (GDS) शाखा पोस्टमास्टर को **BPM** और वितरण/डाक वाहक को **ABPM** कहा जाता है; रेल डाक सेवा (RMS) में कार्यरत GDS को **कमांडर/डाक सेवक** कहा जाता है।
6. रात्रि डाकघर (Night Post Office) के विस्तारित कार्य घंटों के दौरान राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र जारी करना, मनीऑर्डर बुक करना और बचत बैंक निकासी वर्जित है।
7. डाक विभाग में रविवार के अतिरिक्त वर्ष में कुल **17 डाक अवकाश (Postal Holidays)** मनाए जाते हैं (जिनमें 14 अनिवार्य और 3 सर्किल-स्तरीय अवकाश होते हैं)।
8. रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन (RMFM) में प्रयुक्त डाक छाप (Impression) का रंग **नीला (Blue)** होता है और इसमें **2D बारकोड** मुद्रित होता है (indiapost.gov.in)।
9. फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंसधारी को कम से कम **Rs. 5,000** मूल्य की डाक खपत पर **3% की छूट (Rebate)** दी जाती है।
10. गलत छपी या खराब हुई फ्रैंकिंग छाप का रिफंड लेने के लिए लिफाफे को छपने की तारीख से **3 माह** के भीतर प्रस्तुत करने पर अंकित मूल्य में से **5% की कटौती** करके शेष राशि लौटाई जाती है।

11. डाक टिकट सदैव लिफाफे के पते वाले भाग के **दाहिने ऊपरी कोने (Right-hand top corner)** पर ही चिपकाए जाने चाहिए (PO Guide Part I, Clause 23)।

12. रक्षा सेना के जवानों को भेजी जाने वाली डाक पर पता लिखते समय पते में **गंतव्य शहर का नाम नहीं लिखा जाता**, बल्कि केवल `C/o 56 APO` या `C/o 99 APO` लिखा जाता है (Clause 28)।

13. किसी डाकघर में पोस्ट बॉक्स (Post Box) या पोस्ट बैग (Post Bag) किराए पर लेने के लिए आवेदन **पोस्टमास्टर** को किया जाता है।

14. पोस्ट बॉक्स के माध्यम से केवल **पूर्णतः पूर्व-दत्त अपंजीकृत पत्र-डाक (Fully prepaid unregistered articles of letter mail)** ही प्राप्त की जा सकती है।

15. यदि पोस्ट बॉक्स किराएदार **7 दिनों** तक बॉक्स साफ नहीं करता है, तो पोस्टमास्टर उसे नोटिस देता है और स्थान न होने पर डाक का वितरण पोस्टमैन के माध्यम से कराया जाता है (**indiapost.gov.in**)।

16. आधिकारिक डाक वस्तुओं (Official Postal Articles) पर **"On India Government Service" (OIGS)** या **"On Service"** लिखा होना और प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर व पदनाम होना अनिवार्य है।

17. सरकारी अधिकारियों द्वारा भेजी जाने वाली आधिकारिक डाक पर केवल **"Service Stamps" (सेवा डाक टिकट)** या मशीन फ्रैंक का प्रयोग ही वैध है (साधारण डाक टिकट अमान्य हैं, सिवाय कुछ अपवादों के)।

18. यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके नाम से आई डाक वस्तुओं (जिनमें कोई मूल्यवान संपत्ति न हो और कोई काउंटर-क्लेम न हो) को पोस्टमास्टर के विवेकाधिकार पर मृतक के **निकटतम संबंधी (Near Relative)** को वितरित किया जा सकता है।

19. डाक विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र (Post Office Identity Card — आकार `88 mm x 63 mm`) की वैधता जारी होने की तिथि से **3 वर्ष** होती है और इसका शुल्क **Rs. 270** (प्रोसेसिंग शुल्क सहित) है।

20. पोस्ट ऑफिस गाइड भाग-I के अनुसार भारत में प्रथम श्रेणी डाक में केवल **3 मदें** आती हैं: **(1) पत्र (Letters), (2) पोस्टकार्ड (Postcards), और (3) अंतर्देशीय पत्र कार्ड (Inland Letter Cards)**।

21. बुक पैकेट में किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत पत्र या संदेश लिखना वर्जित है; उसमें केवल प्रेषक और प्राप्तकर्ता का नाम-पता, तिथि और अधिकतम 5 शब्दों का शुभकामना संदेश हो सकता है।

22. पंजीकृत समाचार पत्र (Registered Newspaper) के प्रथम अंक पर **"Registered" शब्द और RNI तथा डाक पंजीकरण संख्या** छपी होनी अनिवार्य है (**www.iucacademy.com**)।

23. यदि किसी पार्सल में सुगंधित, तरल या जल्दी खराब होने वाली वस्तु हो, तो उसे धातु या मजबूत कंटेनर में लकड़ी के बुरादे/स्पंज के साथ पैक करना अनिवार्य है।

24. लेटर बॉक्स में पाए गए किसी अपंजीकृत पार्सल का यदि भार **4 किलोग्राम** से कम भी हो, तब भी उसे निकालकर अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाता है और वितरण के समय **दोगुना पंजीकरण शुल्क** वसूला जाता है।

25. किसी डाक वस्तु पर "पंजीकरण (Registration)" कराने से वह वस्तु बीमाकृत नहीं हो जाती; पंजीकरण का उद्देश्य केवल प्रेषण के प्रत्येक चरण पर रिकॉर्ड रखना और सुरक्षित वितरण सुनिश्चित करना है।

26. यदि कोई ग्राहक एक ही दिन एक ही प्रेषक से **10 या अधिक पंजीकृत वस्तुएं** बुक कराता है, तो उसे **Bulk Addressee / Bulk Sender** की सुविधा मिलती है।

27. शाखा डाकघर (BO) में अधिकतम **Rs. 600** तक की वस्तु का बीमा किया जा सकता है, जबकि अन्य डाकघरों में यह सीमा **Rs. 1,00,000** है।

28. करेंसी नोट भेजने के लिए डाक बीमा की अधिकतम अनुमत सीमा **Rs. 20,000** है और बीमा सदैव भेजी जा रही नकदी के **वास्तविक मूल्य (Actual Value)** के बराबर कराना अनिवार्य है!

29. एकल मनीऑर्डर (Money Order) अधिकतम **Rs. 5,000** का भेजा जा सकता है; यदि किसी माह के अंत से **1 वर्ष** तक उसका भुगतान न हो तो वह **Void Money Order** बन जाता है (**indiapost.gov.in**)।

30. भारतीय डाक द्वारा जारी **Indian Postal Order (IPO)** कुल **8 मूल्यवर्गों** (`Rs. 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100`) में उपलब्ध होते हैं; इनका टूटा हुआ मूल्य (Broken Amount) पूरा करने के लिए एक IPO पर अधिकतम **2 डाक टिकट (अधिकतम Rs. 3 या 4 मूल्य तक)** चिपकाए जा सकते हैं।

31. इंडियन पोस्टल ऑर्डर (IPO) जारी होने के माह के अंतिम दिन से **24 माह (2 वर्ष)** तक बिना किसी दूसरे कमीशन के भुनाए जा सकते हैं (24 से 36 माह के बीच दूसरा कमीशन लगता है और **36 माह** बाद वे जब्त/Forfeited हो जाते हैं)।

32. फिलाटेली डिपॉजिट अकाउंट (PDA) न्यूनतम **Rs. 200** की राशि से किसी भी फिलाटेलिक ब्यूरो में खोला जा सकता है।

33. विश्व डाक संघ (UPU) का मुख्यालय **बर्न (स्विट्ज़रलैंड)** में है और प्रत्येक वर्ष **9 अक्टूबर** को विश्व डाक दिवस तथा **10 अक्टूबर** को भारतीय राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है।

34. विदेशी डाक में "Small Packets" के माध्यम से अधिकतम **2 किलोग्राम** तक के छोटे माल या उपहार भेजे जा सकते हैं और उन पर हरे रंग का कस्टम लेबल **CN 22** या **CN 23** लगाना अनिवार्य है।

35. विदेशी डाक में यदि किसी वस्तु का मूल्य **300 SDR** से अधिक हो, तो उस पर विस्तृत सीमा शुल्क घोषणा प्रपत्र **CN 23** लगाया जाता है।

36. डाकघर बचत खाता (POSA) व्यक्तिगत रूप से, अधिकतम **2 या 3 वयस्कों द्वारा संयुक्त रूप से (Joint A या Joint B)**, या नाबालिग की ओर से अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है (nsiindia.gov.in)।

37. **10 वर्ष** या उससे अधिक आयु का नाबालिग (Minor) अपने नाम से स्वयं डाकघर बचत खाता संचालित कर सकता है।

38. किसी भी राष्ट्रीय बचत योजना (POSB) में अधिकतम **4 व्यक्तियों** को नॉमिनी (Nominee) बनाया जा सकता है।

39. डाकघर बचत बैंक (POSB) में मृतक के दावे (Deceased Claim) का निपटान यदि कोई नामांकन (Nomination) या कानूनी प्रमाण न हो, तो **Rs. 5,00,000 (5 लाख रुपये)** तक की सीमा तक शपथ पत्र/क्षतिपूर्ति बांड के आधार पर किया जा सकता है (मृत्यु के 6 माह बाद)!

40. डाकघर की 5-वर्षीय आवर्ती जमा (RD) योजना में यदि कोई ग्राहक एक साथ **6 माह** की किस्तें अग्रिम जमा करता है तो प्रति **Rs. 100** किस्त पर **Rs. 10** और **12 माह** की किस्तें अग्रिम जमा करता है तो **Rs. 40** की छूट (Rebate) मिलती है!

41. डाकघर की सावधि जमा (TD) में ब्याज की गणना **त्रैमासिक चक्रवृद्धि (Quarterly Compounded)** होती है, किंतु ब्याज का भुगतान **वार्षिक (Annually)** किया जाता है।

42. मासिक आय योजना (MIS) में खाता खोलने से **1 वर्ष** पूर्ण होने से पहले समय-पूर्व बंदी (Premature Closure) की अनुमति **नहीं** है।

43. वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) में पति और पत्नी दोनों अलग-अलग या संयुक्त खाते खोल सकते हैं, किंतु संयुक्त खाता केवल **पति या पत्नी (Spouse Only)** के साथ ही खोला जा सकता है और प्रथम धारक की आयु ही पात्रता के लिए गिनी जाती है (nsiindia.gov.in)।

44. लोक भविष्य निधि (PPF) खाता अनिवासी भारतीय (NRI) या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) द्वारा **नहीं** खोला जा सकता; प्रति व्यक्ति केवल **एक ही PPF खाता** खोलने की अनुमति है।

45. सुकन्या समृद्धि खाता (SSA) बालिका के जन्म से लेकर उसके **10 वर्ष** की आयु पूर्ण करने से पहले तक खोला जा सकता है; इसमें जमा केवल शुरुआती **15 वर्षों** तक करना होता है।

46. किसान विकास पत्र (KVP) में निवेश की गई राशि वर्तमान मानक ब्याज दर (**7.5%** वार्षिक) पर **115 महीनों (9 वर्ष और 7 माह)** में दोगुनी हो जाती है।

47. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) **18 से 70 वर्ष** की आयु वर्ग के लिए है जिसमें **Rs. 20** **वार्षिक प्रीमियम** पर दुर्घटना मृत्यु/पूर्ण विकलांगता पर **Rs. 2 लाख** (आंशिक विकलांगता पर **Rs. 1 लाख**) का कवर मिलता है।

48. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) **18 से 50 वर्ष** की आयु वर्ग के लिए है जिसमें **Rs. 436** **वार्षिक प्रीमियम** पर किसी भी कारण से मृत्यु होने पर **Rs. 2 लाख** का जीवन बीमा कवर मिलता है।

49. अटल पेंशन योजना (APY) **18 से 40 वर्ष** के असंगठित क्षेत्र के नागरिकों (जो आयकरदाता न हों) के लिए है जिसमें **60 वर्ष** की आयु के बाद **Rs. 1,000 से Rs. 5,000** **प्रति माह** की गारंटीड पेंशन मिलती है (rbi.org.in)।

50. डाक जीवन बीमा (PLI) में पॉलिसी बॉन्ड खो जाने पर डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड जारी करने का शुल्क **Rs. 100** है, और ऋण (Loan) पर ब्याज दर **10%** **प्रति वर्ष (अर्धवार्षिक गणना)** है।

51. PLI और RPLI में यदि बीमित व्यक्ति पॉलिसी शुरू होने या पुनर्जीवित होने की तारीख से **1 वर्ष के भीतर आत्महत्या** कर लेता है (प्रथम वर्ष), तो कोई दावा देय नहीं होता; किंतु RPLI/PLI के संशोधित नियमों में कुछ शर्तों के अधीन प्रीमियम वापसी/राहत प्रावधान हैं।

52. डाक विभाग के प्रत्येक डाकघर और छंटाई कार्यालय में अपने अधीनस्थ या समकक्ष कार्यालयों के नामों की वर्णानुक्रम सूची को **Village Sorting List (Route List - M-52)** या **Sorting List** कहा जाता है।

53. किसी थैले के अंदर रखी गई पंजीकृत वस्तुओं की सूची को **Registered List** और पूरे डाक थैले में रखे गए विभिन्न बंडलों व थैलों की सूची को **Mail List** कहा जाता है।

54. जब किसी स्टेशन के लिए पंजीकृत वस्तुओं की संख्या अधिक होती है, तो उन्हें एक अलग **Registered Bag** में बंद करके उस पर लाल या निर्धारित लेबल लगाया जाता है।

55. पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम VI के अनुसार, प्रत्येक उप डाकघर (SO) में नकदी रखने की एक न्यूनतम और अधिकतम सीमा निर्धारित होती है जिसे **Minimum and Maximum Cash Balance** कहते हैं (indiapost.gov.in)।

56. शाखा डाकघर (BO) अपने सभी दैनिक लेनदेन का लेखा-जोखा अपने लेखा कार्यालय (Account Office — SO या HO) को **BO Daily Account** के माध्यम से भेजता है, और इसके लिए प्रयुक्त थैले को **BO Bag** कहा जाता है।

57. दर्पण (DARPAN) परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण डाक सेवकों को प्रदान किए गए सिम-आधारित मोबाइल/हैंडहेल्ड उपकरण के माध्यम से रीयल-टाइम **e-MO, रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट बुकिंग और बायोमेट्रिक AEPS/CBS लेनदेन** किए जाते हैं।

58. डाक विभाग के मुख्य डेटा सेंटर (Data Centre) की स्थापना **रिलायंस कॉर्पोरेट पार्क, नवी मुंबई** में और डिजास्टर रिकवरी सेंटर (DRC) की स्थापना **CEPT, मैसूर** में की गई है।

59. सीईपीटी (CEPT) का पूर्ण रूप **Centre for Excellence in Postal Technology** है और रफी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादमी (**RAKNPA**) **गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)** में स्थित है!

60. देश भर में डाक प्रशिक्षण केंद्र (Postal Training Centres — PTCs) कुल **6 स्थानों** पर स्थित हैं: **सहारनपुर (UP), वडोदरा (गुजरात), दरभंगा (बिहार), मदुरै (तमिलनाडु), मैसूर (कर्नाटक) और गुवाहाटी (असम)** (www.iucacademy.com)!

61. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत "शिकायतकर्ता" को जिला आयोग में **Rs. 5 लाख** तक के दावे के लिए **कोई शुल्क (Zero Court Fee)** नहीं देना पड़ता!

62. सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI 2005) की **धारा 4** सरकारी विभागों द्वारा सूचना के **स्वतः प्रकटीकरण (Suo-motu Disclosure)** से संबंधित है।

63. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की स्थापना **हिल्टन यंग कमीशन** की सिफारिश पर **RBI अधिनियम 1934** के तहत **1 अप्रैल 1935** को हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण **1 जनवरी 1949** को हुआ (rbi.org.in)।

64. भारत में करेंसी नोट जारी करने के लिए RBI वर्ष 1956 से **न्यूनतम कोष प्रणाली (Minimum Reserve System — Rs. 200 करोड़: जिसमें Rs. 115 करोड़ का स्वर्ण और Rs. 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूतियां हैं)** अपनाता है।

65. **Rs. 1 के नोट और सभी सिक्कों** को भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) द्वारा जारी किया जाता है और **Rs. 1** के नोट पर **वित्त सचिव (Finance Secretary)** के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि **Rs. 2** से लेकर **Rs. 500** तक के सभी नोटों पर **RBI गवर्नर** के हस्ताक्षर होते हैं (RBI Act Sec 22)।

66. मौद्रिक नीति समिति (MPC — RBI Act Sec 45ZB) में कुल **6 सदस्य** होते हैं और इसकी बैठक वर्ष में कम से कम **4 बार** होना अनिवार्य है (कोरम = 4 सदस्य; बराबरी की स्थिति में RBI गवर्नर को निर्णायक मत/Casting Vote का अधिकार है)।

67. नकद आरक्षित अनुपात (**CRR**) की परिभाषा **RBI अधिनियम 1934 की धारा 42(1)** में और वैधानिक तरलता अनुपात (**SLR**) की परिभाषा **बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24** में दी गई है!

68. बैंकों को CRR पर RBI से **कोई ब्याज नहीं मिलता**, और SLR की अधिकतम वैधानिक सीमा बांड/स्वर्ण/नकदी के रूप में **NDTL का 40%** है (rbi.org.in)।

69. नाबार्ड (NABARD) की स्थापना **शिवरामन समिति (CRAFICARD)** की सिफारिश पर **12 जुलाई 1982** को हुई थी; क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) में केंद्र सरकार, प्रायोजक बैंक और राज्य सरकार की हिस्सेदारी क्रमशः **50% : 35% : 15%** होती है!

70. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम (**MSMED Act**) वर्ष **2006** में पारित हुआ था और उद्यम पंजीकरण के लिए सरकार ने **Udyam Registration Portal** शुरू किया है।

71. किसान क्रेडिट कार्ड (**KCC**) योजना अगस्त **1998** में **आर. वी. गुप्ता समिति** की सिफारिश पर शुरू की गई थी; इसकी वैधता सामान्यतः **5 वर्ष** होती है।

72. एनपीए (NPA) खातों में ब्याज की पहचान (Income Recognition) उपार्जन आधार (Accrual Basis) पर नहीं बल्कि केवल **वास्तविक नकद प्राप्ति आधार (Cash Receipt Basis)** पर ही की जाती है!

73. परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की **धारा 131** संग्रह करने वाले बैंक (Collecting Banker) को केवल तभी संरक्षण देती है जब चेक **पहले से ही रेखांकित (Crossed before it reaches the banker)** हो और बैंक ने ग्राहक के लिए **सद्भावनापूर्वक तथा बिना लापरवाही के (In good faith and without negligence)** कार्य किया हो।

74. एक चेक या बैंक ड्राफ्ट जारी होने की तिथि (Date of Issue) से केवल **3 माह** तक वैध रहता है; उसके बाद वह **Stale Cheque (कालातीत चेक)** कहलाता है (rbi.org.in)।

75. यदि किसी चेक पर शब्दों और अंकों में लिखी गई राशि में अंतर हो, तो **परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 18** के अनुसार **शब्दों में लिखी गई राशि (Amount stated in words)** ही वैध मानी जाती है!

76. भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की **धारा 11** के अनुसार **अवयस्क (Minor — 18 वर्ष से कम)** के साथ किया गया कोई भी ऋण अनुबंध **आरंभ से ही शून्य (Void ab initio — मोहरी बीबी बनाम धर्मदास घोष मामला)** होता है!

77. साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत एक अवयस्क को सभी साझेदारों की सहमति से केवल **"साझेदारी के लाभों में (Admitted to the benefits of partnership — Sec 30)"** शामिल किया जा सकता है।

78. कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक **निजी कंपनी (Private Company)** में न्यूनतम **2** और अधिकतम **200 सदस्य** हो सकते हैं, जबकि **सार्वजनिक कंपनी (Public Company)** में न्यूनतम **7** सदस्य और अधिकतम की कोई सीमा नहीं होती।

79. बैंक गारंटी (Bank Guarantee) में कुल **3 पक्ष** होते हैं: **(1) Applicant (Principal Debtor), (2) Beneficiary (Creditor), और (3) Issuing Bank (Surety/Guarantor — Contract Act Sec 126)**।

80. साख पत्र (Letter of Credit — UCP 600) के तहत बैंक केवल **दस्तावेजों (Documents)** में व्यवहार करते हैं, वास्तविक माल या सेवाओं में नहीं; दस्तावेजों की जांच के लिए बैंक को अधिकतम **5 बैंकिंग कार्यदिवस** मिलते हैं (rbi.org.in)।

81. **NEFT** (National Electronic Funds Transfer) में कोई न्यूनतम या अधिकतम राशि सीमा नहीं है और यह **24x7x365** आधे-आधे घंटे के **48 बैचों** में कार्य करता है।

82. **RTGS** (Real Time Gross Settlement) उच्च मूल्य के लेनदेन के लिए है जिसमें **न्यूनतम सीमा Rs. 2,00,000 (2 लाख रुपये)** है और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है।

83. एकीकृत लोकपाल योजना (RBI Integrated Ombudsman Scheme, 2021 — **"One Nation, One Ombudsman"**) के तहत परिणामी हानि के लिए अधिकतम **Rs. 20 लाख** तक का मुआवजा और मानसिक उत्पीड़न के लिए अतिरिक्त **Rs. 1 लाख** तक का मुआवजा दिया जा सकता है।

84. लेखांकन मानक **Ind AS 109** वित्तीय लिखतों (Financial Instruments) से, **Ind AS 16** संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (PPE) से, तथा **Ind AS 7** नकदी प्रवाह विवरण (Cash Flow Statement) से संबंधित है।

85. नकदी प्रवाह विवरण (Cash Flow Statement) में नकदी प्रवाह को **3 गतिविधियों** में बांटा जाता है: **(1) Operating Activities, (2) Investing Activities, और (3) Financing Activities** (www.iucacademy.com)।

86. बैंकों के अंतिम खाते (Final Accounts) बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की **धारा 29 और तृतीय अनुसूची (Third Schedule)** के अनुसार बनाए जाते हैं, जिसमें **Form A (Balance Sheet में 12 Schedules)** और **Form B (Profit & Loss Account में 4 Schedules — Schedule 13 to 16)** होते हैं!

87. बैंक बैलेंस शीट में **Schedule 1 = Capital, Schedule 2 = Reserves & Surplus, Schedule 3 = Deposits, Schedule 9 = Advances (Loans)** और **Schedule 12 = Contingent Liabilities** होता है।

88. यदि किसी फर्म का चालू अनुपात (Current Ratio) **2 : 1** है और वह अपने किसी लेनदार (Creditor) को नकद भुगतान करती है, तो उसका चालू अनुपात **बढ़ जाता है (Increases)**!

89. यदि किसी प्रोजेक्ट का **IRR > Cost of Capital (k)** हो, तो उसका **NPV** सदैव **धनात्मक (> 0)** होता है और प्रोजेक्ट स्वीकार कर लिया जाता है।

90. खुदरा बैंकिंग (Retail Banking — RBWM) में ग्राहकों की क्रेडिट पात्रता जांचने के लिए **CIBIL / CIC क्रेडिट स्कोर** देखा जाता है जो **300 से 900** के बीच होता है (**750+** स्कोर उत्तम माना जाता है)।

91. आवास ऋण (Home Loan) में RBI के **LTV (Loan to Value) Ratio** मानदंड: **Rs. 30 लाख तक के ऋण पर अधिकतम 90%**, **Rs. 30 लाख से 75 लाख तक पर 80%**, और **Rs. 75 लाख से अधिक के ऋण पर अधिकतम 75%** LTV अनुमत है (**rbi.org.in**)!

92. शिक्षा ऋण (Education Loan — IBA Model Scheme) में **Rs. 4 लाख तक के ऋण पर कोई मार्जिन (Nil Margin) और कोई संपार्श्विक सुरक्षा (No Collateral Security)** नहीं ली जाती; **Rs. 4 लाख** से अधिक पर भारत में **5%** और विदेश में अध्ययन हेतु **15%** मार्जिन होता है।

93. बेसल-III के तहत साख जोखिम (Credit Risk) की गणना की 3 विधियां हैं: **(1) Standardized Approach, (2) Foundation IRB Approach, और (3) Advanced IRB Approach**।

94. परिचालन जोखिम (Operational Risk) की गणना के लिए पारंपरिक रूप से **Basic Indicator Approach (BIA — पिछले 3 वर्षों की धनात्मक सकल आय के औसत का 15%)**, **Standardized Approach (12%, 15%, 18%)**, और नवीनतम **Standardized Measurement Approach (SMA)** का प्रयोग होता है।

95. बेसल-III में तरलता जोखिम को मापने के लिए दो नए अनुपात पेश किए गए: **LCR (Liquidity Coverage Ratio — 30 दिन का उच्च गुणवत्ता तरल संपत्ति बफर >= 100%)** और **NSFR (Net Stable Funding Ratio — 1 वर्ष की स्थिर निधि >= 100%)** (**rbi.org.in**)।

96. विदेशी मुद्रा बाजार (Forex Market) में लेनदेन की तिथि के आधार पर दरें होती हैं: **Ready / Cash Rate (T + 0 — उसी दिन निपटान)**, **Tom Rate (T + 1 — अगले कार्यदिवस निपटान)**, **Spot Rate (T + 2 — दूसरे कार्यदिवस निपटान)**, और **Forward Rate (T + 2 के बाद निपटान)**।

97. फेमा (FEMA — Foreign Exchange Management Act, 1999) **1 जून 2000** से लागू हुआ जो एक **सिविल कानून** है; इसके तहत उदारीकृत प्रेषण योजना (**LRS - Liberalised Remittance Scheme**) में एक निवासी भारतीय प्रति वित्तीय वर्ष अधिकतम **USD 2,50,000 (2.5 लाख अमेरिकी डॉलर)** विदेश भेज सकता है!

98. परिसीमा अधिनियम, 1963 (Limitation Act) के अनुसार मांग वचन पत्र (Demand Promissory Note) पर मुकदमा दायर करने की परिसीमा अवधि वचन पत्र की तारीख से **3 वर्ष** है, और अचल संपत्ति के बंधक (Mortgage) को लागू करने की परिसीमा अवधि **12 वर्ष** है!

99. यदि ऋणी परिसीमा अवधि (**3 वर्ष**) समाप्त होने से **पहले** लिखित और हस्ताक्षरित रूप में ऋण की अभिस्वीकृति (**Acknowledgment of Debt — Sec 18**) दे देता है, तो हस्ताक्षर की तारीख से **नई 3 वर्ष की परिसीमा अवधि** शुरू हो जाती है!

100. कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (IBC 2016 — वॉटरफॉल मैकेनिज्म धारा 53) में परिसमापन (Liquidation) होने पर सबसे पहली प्राथमिकता **दिवाला समाधान और परिसमापन लागत (CIRP & Liquidation Costs)** को और दूसरी सर्वोच्च प्राथमिकता **सुरक्षित लेनदारों (Secured Creditors) तथा 24 माह के श्रमिकों के बकाया (Workmen's Dues for 24 months)** को समान रूप से (Pari-passu) दी जाती है (**rbi.org.in** | **www.iucacademy.com**)।

***बुक 31 एवं बुक 32 — परीक्षा-लक्षित हल सहित संख्यात्मक केस स्टडी एवं उच्च-स्तरीय प्रश्न बैंक (Solved Exam Case Studies & Formula Drill — www.iucacademy.com)***

***भाग A: बुक 31 (उच्चतर गणित — NDA, CUET, Air Force X, Navy SSR, TGT/PGT) हल सहित मास्टर प्रश्नोत्तरी***

**अभ्यास प्रश्न #1** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 1 (समुच्चय एवं फलन — NDA/CUET):**

• **समस्या:** यदि समुच्चय **A** में **4** अवयव और समुच्चय **B** में **5** अवयव हैं, तो **A** से **B** में परिभाषित (i) कुल संबंधों, (ii) कुल फलनों, (iii) एकैकी (One-One) फलनों और (iv) आच्छादक (Onto) फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए (**ncert.nic.in**)।

• **महत्वपूर्ण सूत्र प्रयोग:** n(A) = p = 4 तथा n(B) = q = 5।

• **चरण-दर-चरण हल:**

• (i) कुल संबंधों की संख्या = 2^(p q) = 2^(4 5) = 2^20।

• (ii) कुल फलनों की संख्या = q^p = 5^4 = 625।

• (iii) एकैकी (Injective) फलनों की संख्या (q >= p होने पर) = q! / (q - p)! = 5! / (5 - 4)! = 120 / 1 = 120।

• (iv) आच्छादक (Surjective) फलनों की संख्या: चूंकि n(A) = 4 < n(B) = 5 है, अतः पीजनहोल सिद्धांत (Pigeonhole Principle) के अनुसार 4 अवयव कभी भी 5 अवयवों को पूर्णतः आच्छादित नहीं कर सकते! इसलिए आच्छादक फलनों की संख्या = 0।

**अभ्यास प्रश्न #2** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 2 (सम्मिश्र संख्याएं एवं डी-मॉयवर प्रमेय — Air Force X / NDA):**

• **समस्या:** व्यंजक z = [ (1 + cos(pi/5) + i sin(pi/5)) / (1 + cos(pi/5) - i sin(pi/5)) ]^5 का सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए (upsc.gov.in)।

• **महत्वपूर्ण सूत्र प्रयोग:** अर्ध-कोण सूत्र 1 + cos(2theta) = 2cos^2(theta) तथा sin(2theta) = 2sin(theta)*cos(theta)।

• **चरण-दर-चरण हल:**

• मान लीजिए theta = pi/10, तब 2*theta = pi/5।

• अंश = 2cos^2(pi/10) + i 2sin(pi/10)cos(pi/10) = 2cos(pi/10) [cos(pi/10) + isin(pi/10)] = 2cos(pi/10) e^(ipi/10)।

• हर = 2cos(pi/10) [cos(pi/10) - isin(pi/10)] = 2cos(pi/10) e^(-ipi/10)।

• भाग देने पर कोष्ठक के भीतर मान = e^(ipi/10) / e^(-ipi/10) = e^(i2pi/10) = e^(i*pi/5)।

• अब घात 5 करने पर: z = (e^(ipi/5))^5 = e^(ipi) = cos(pi) + i*sin(pi) = -1 + 0 = -1।

**अभ्यास प्रश्न #3** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 3 (द्विघात समीकरण एवं न्यूटन के घात योग — TGT/PGT & NDA):**

• **समस्या:** यदि alpha और beta समीकरण x^2 - 4x + 2 = 0 के मूल हैं और a_n = alpha^n + beta^n हो, तो (a_10 - 2 a_8) / (2*a_9) का मान ज्ञात कीजिए (www.iucacademy.com)।

• **1D शॉर्टकट प्रयोग:** जब समीकरण px^2 + qx + r = 0 हो, तो न्यूटन की सर्वसमिका से सीधे *p a_(n+2) + q a_(n+1) + r a_n = 0** होता है!

• **चरण-दर-चरण हल:**

• दिए गए समीकरण 1x^2 - 4x + 2 = 0 में n = 8 रखने पर:

• 1 a_10 - 4 a_9 + 2 * a_8 = 0

• पक्षांतर करने पर: a_10 + 2 a_8 = 4 a_9 (और यदि प्रश्न में x^2 - 4x - 2 = 0 होता तो a_10 - 2 a_8 = 4*a_9)।

• यहां a_10 - 2a_8 के लिए alpha + beta = 4, alpha beta = 2 से a_10 + 2a_8 = 4a_9 प्राप्त होता है।

**अभ्यास प्रश्न #4** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 4 (आव्यूह एवं सारणिक — CUET UG/PG):**

• **समस्या:** यदि A एक 3 x 3 कोटि का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है जिसके लिए |A| = 4 है, तो |adj(3 A)| तथा |(2 A)^-1| का मान ज्ञात कीजिए (ncert.nic.in)।

• **महत्वपूर्ण सूत्र प्रयोग:** `|adj(k A)| = |k A|^(n - 1) = (k^n |A|)^(n - 1)` तथा `|(m A)^-1| = 1 / (m^n * |A|)`।

• **चरण-दर-चरण हल:**

• यहां कोटि `n = 3` और `|A| = 4` है।

• पहले `|3 A| = 3^3 |A| = 27 * 4 = 108`।

• अतः `|adj(3 A)| = |3 A|^(3 - 1) = (108)^2 = 11,664`।

• दूसरा भाग: `|(2 A)^-1| = 1 / |2 A| = 1 / (2^3 4) = 1 / (8 4) = 1 / 32`।

**अभ्यास प्रश्न #5** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 5 (त्रिकोणमितीय श्रेणी एवं दूरबीन योग — NDA):**

• **समस्या:** श्रेणी `S = tan^-1(1/3) + tan^-1(1/7) + tan^-1(1/13) + ... + tan^-1(1 / (n^2 + n + 1))` का अनंत पदों तक योग (`n -> infinity`) ज्ञात कीजिए (upsc.gov.in)।

• **महत्वपूर्ण सूत्र प्रयोग:** व्यापक पद को `tan^-1( (x - y) / (1 + x*y) ) = tan^-1(x) - tan^-1(y)` में बदलें।

• **चरण-दर-चरण हल:**

• `T_r = tan^-1( 1 / (1 + r(r + 1)) ) = tan^-1( ((r + 1) - r) / (1 + (r + 1)r) ) = tan^-1(r + 1) - tan^-1(r)`।

• `r = 1, 2, ..., n` रखने पर सभी मध्य पद कट जाते हैं (Telescoping Sum):

• `S_n = tan^-1(n + 1) - tan^-1(1) = tan^-1(n + 1) - pi/4`।

• अनंत पदों के लिए `n -> infinity` लेने पर: `S_infinity = pi/2 - pi/4 = pi/4`।

**अभ्यास प्रश्न #6** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 6 (शांकव परिच्छेद एवं जीवा — TGT/PGT):**

• **समस्या:** परवलय `y^2 = 12*x` की नाभीय जीवा (Focal Chord) का एक सिरा `(3, 6)` पर है, तो दूसरे सिरे के निर्देशांक और नाभीय जीवा की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए (ncert.nic.in)।

• **महत्वपूर्ण सूत्र प्रयोग:** परवलय `y^2 = 4ax` की नाभीय जीवा के सिरों के प्राचलों `t1` और `t2` में संबंध * `t1 t2 = -1` **और कुल लंबाई** `L = a (t1 - t2)^2 = a (t1 + 1/t1)^2` ** होती है।

• **चरण-दर-चरण हल:**

• `4a = 12 ==> a = 3`। बिंदु `(a t1^2, 2at1) = (3, 6)` से `2 3 t1 = 6 ==> t1 = 1`।

• चूंकि `t1 * t2 = -1`, इसलिए `t2 = -1 / 1 = -1`।

• अतः दूसरा सिरा `(at2^2, 2at2) = (3(-1)^2, 23(-1)) = (3, -6)` (यह नाभिलंब ही है!)।

• जीवा की कुल लंबाई = `3 (1 + 1)^2 = 3 4 = 12` इकाई।

**अभ्यास प्रश्न #7** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 7 (सीमा एवं लाइबनिट्ज नियम — NDA / CUET):**

• **समस्या:** सीमा `L = lim_(x -> 0) [ (Int_(0 to x^2) sin(sqrt(t)) dt) / x^3 ]` का मान ज्ञात कीजिए (upsc.gov.in)।

• **महत्वपूर्ण सूत्र प्रयोग:** `0/0` रूप में L'Hospital Rule के साथ अंश का अवकलन करने हेतु लाइबनिट्ज नियम (Leibniz Rule) लगाएं।

• **चरण-दर-चरण हल:**

• अंश का `x` के सापेक्ष अवकलन = `sin(sqrt(x^2)) d/dx(x^2) - 0 = sin(x) (2*x)`।

• हर x^3 का अवकलन = 3*x^2।

• अतः L = lim_(x -> 0) [ (2 x sin(x)) / (3 x^2) ] = (2 / 3) lim_(x -> 0) [sin(x) / x] = (2 / 3) * 1 = 2/3।

**अभ्यास प्रश्न #8** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 8 (निश्चित समाकलन — Air Force X & Navy SSR):**

• **समस्या:** निश्चित समाकलन I = Int_(-pi/2 to pi/2) [ sin^2(x) / (1 + 2^x) ] dx का मान ज्ञात कीजिए (ncert.nic.in)।

• **1D शॉर्टकट प्रयोग:** जब समाकलन Int_(-a to a) [ f(x) / (1 + b^x) ] dx के रूप में हो और f(x) एक **सम फलन** ( f(-x) = f(x) ) हो, तो उसका मान सीधे Int_(0 to a) f(x) dx के बराबर होता है!

• **चरण-दर-चरण हल:**

• यहां f(x) = sin^2(x) एक सम फलन है, अतः 1 / (1 + 2^x) हटकर सीमा 0 to pi/2 रह जाती है:

• I = Int_(0 to pi/2) sin^2(x) dx।

• वॉली के सूत्र से Int_(0 to pi/2) sin^2(x) dx = (1/2) * (pi/2) = pi/4।

**अभ्यास प्रश्न #9** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 9 (सदिश बीजगणित एवं 3D समतल — NDA / PGT):**

• **समस्या:** यदि सदिश a, b, c के मापांक क्रमशः 3, 4, 5 हैं और प्रत्येक सदिश अन्य दो सदिशों के योग पर लंबवत है, तो |a + b + c| का मान ज्ञात कीजिए (ncert.nic.in)।

• **महत्वपूर्ण सूत्र प्रयोग:** दिया है a . (b + c) = 0, b . (c + a) = 0, c . (a + b) = 0।

• **चरण-दर-चरण हल:**

• तीनों समीकरणों को जोड़ने पर: 2 * (a.b + b.c + c.a) = 0।

• अब |a + b + c|^2 = |a|^2 + |b|^2 + |c|^2 + 2*(a.b + b.c + c.a) = 3^2 + 4^2 + 5^2 + 0 = 9 + 16 + 25 = 50।

• अतः |a + b + c| = sqrt(50) = 5 * sqrt(2)।

**अभ्यास प्रश्न #10** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 10 (प्रायिकता एवं द्विपद बंटन — NDA / CUET):**

• **समस्या:** एक निष्पक्ष सिक्के को n बार उछाला जाता है। यदि 7 बार चित (Heads) आने की प्रायिकता 9 बार चित आने की प्रायिकता के बराबर है, तो 2 बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए (upsc.gov.in)।

• **महत्वपूर्ण सूत्र प्रयोग:** निष्पक्ष सिक्के के लिए p = q = 1/2, अतः P(X = r) = nCr * (1/2)^n।

• **चरण-दर-चरण हल:**

• दिया है P(X = 7) = P(X = 9) ==> nC7 (1/2)^n = nC9 (1/2)^n ==> nC7 = nC9।

• संचय गुणधर्म से n = 7 + 9 = 16।

• अतः P(X = 2) = 16C2 / 2^16 = [ (16 15) / 2 ] / 2^16 = (8 15) / 2^16 = 15 / 2^13।

## *भाग B: बुक 32 (भारतीय डाक विभागीय परीक्षा एवं बैंकिंग पदोन्नति JAIIB/CAIIB) हल सहित केस स्टडीज़*

• **केस स्टडी 1 (अदत्त पत्र एवं फ्रैंकिंग रिबेट गणना — PA/SA & Postman Exam):**

• **समस्या:** एक व्यापारी ने 35 ग्राम भार का एक साधारण अंतर्देशीय पत्र भेजा जिस पर उसने केवल Rs. 5 का डाक टिकट और Rs. 5 का रेवेन्यू स्टाम्प चिपकाया। वितरण डाकघर द्वारा प्राप्तकर्ता से कितना शुल्क वसूला जाएगा? (indiapost.gov.in)

• **1D नियम एवं गणना:**

• अंतर्देशीय पत्र की दर = प्रत्येक **20 ग्राम** या उसके भाग के लिए **Rs. 5**।

• **35 ग्राम** के लिए देय कुल डाक शुल्क (**20g + 15g** = 2 स्लैब) = **2 * 5 = Rs. 10**।

• चूंकि **Rs. 5** का रेवेन्यू स्टाम्प डाक शुल्क के लिए पूर्णतः **अमान्य** है, इसलिए वैध पूर्व-भुगतान केवल **Rs. 5** माना जाएगा।

• डाक शुल्क में कमी (**Deficiency**) = **Rs. 10 - Rs. 5 = Rs. 5**।

• कम टिकट लगे पत्र पर वितरण के समय दंड = *2 Deficiency = 2 5 = *Rs. 10**।

• **केस स्टडी 2 (बीमित वस्तु एवं स्पीड पोस्ट मुआवजा तुलना — IPO / PA Exam):**

• **समस्या:** ग्राहक X ने **Rs. 80** का शुल्क देकर बिना बीमा के एक स्पीड पोस्ट पार्सल भेजा जिसमें **Rs. 4,500** मूल्य की घड़ी थी। मार्ग में वह स्पीड पोस्ट खो गया। डाक विभाग ग्राहक X को अधिकतम कितना मुआवजा देगा? (indiapost.gov.in)

• **1D नियम एवं गणना:**

• अंतर्देशीय स्पीड पोस्ट के खोने पर मुआवजे का नियम = **Double the Speed Post Charges OR Rs. 1,000, whichever is less**।

• स्पीड पोस्ट शुल्क का दोगुना = **2 * Rs. 80 = Rs. 160**।

• **Rs. 160** और **Rs. 1,000** में से कम राशि = **Rs. 160**।

• अतः भले ही अंदर रखी घड़ी **Rs. 4,500** की थी, बीमा न कराने के कारण ग्राहक को केवल **Rs. 160** ही मुआवजा मिलेगा!

• **केस स्टडी 3 (POSB आवर्ती जमा डिफॉल्ट एवं अग्रिम रिबेट गणना — GDS to PA / IPO Exam):**

• **समस्या:** एक ग्राहक का डाकघर में **Rs. 2,000** प्रति माह का **5-वर्षीय RD** खाता है। (i) यदि वह **3 महीने** तक किस्त जमा नहीं कर पाता और चौथे महीने चारों किस्तें एक साथ जमा करता है, तो उसे कुल कितना डिफॉल्ट जुर्माना देना होगा? (ii) यदि वह एक साथ **12 महीने** की किस्तें अग्रिम जमा करता है, तो उसे कितनी छूट (Rebate) मिलेगी? (nsiindia.gov.in)

• **महत्वपूर्ण सूत्र प्रयोग:** डिफॉल्ट जुर्माना = **Rs. 1** प्रति **Rs. 100** प्रति डिफॉल्ट माह; **12 माह** अग्रिम छूट = **Rs. 40** प्रति **Rs. 100** मूल्यवर्ग।

• **चरण-दर-चरण हल:**

• (i) प्रति माह किस्त = **Rs. 2,000 = 20 *Rs. 100***। अतः **1 माह** के डिफॉल्ट का जुर्माना = **20** Rs. 1 = Rs. 20।

• पहली किस्त **3 माह** लेट, दूसरी किस्त **2 माह** लेट, तीसरी किस्त **1 माह** लेट (कुल डिफॉल्ट माह-इकाइयां = **3 + 2 + 1 = 6**)।

• कुल डिफॉल्ट जुर्माना = **6 * Rs. 20 = Rs. 120**।

• (ii) **12 माह** अग्रिम जमा पर छूट = **(2,000 / 100) *Rs. 40 = 20 40 = Rs. 800** (अर्थात् **Rs. 24,000** के स्थान पर केवल **Rs. 23,200** जमा करने होंगे)!

• **केस स्टडी 4 (NPA प्रावधान गणना — JAIIB PPB & CAIIB ABM):**

• **समस्या:** एक बैंक के पास **Rs. 100 लाख** का एक ऋण खाता है जो पिछले **2 वर्षों** से **संदिग्ध श्रेणी (Doubtful - D2: 1 से 3 वर्ष)** में है। इस ऋण के विरुद्ध बैंक के पास केवल **Rs. 60 लाख** मूल्य की वसूली योग्य प्रतिभूति (Realizable Value of Security) उपलब्ध है। RBI के IRAC मानदंडों के अनुसार इस खाते पर कुल कितना प्रावधान (Provision) करना होगा? (rbi.org.in)

• **महत्वपूर्ण सूत्र प्रयोग:** **Doubtful D2 (1 to 3 years)** में सुरक्षित भाग पर **40%** और असुरक्षित भाग पर **100%** प्रावधान होता है।

• **चरण-दर-चरण हल:**

• कुल बकाया ऋण = **Rs. 100 लाख**; सुरक्षित भाग (**Secured Portion**) = **Rs. 60 लाख**।

• असुरक्षित भाग (**Unsecured Portion**) = **Rs. 100 लाख - Rs. 60 लाख = Rs. 40 लाख**।

• सुरक्षित भाग पर प्रावधान (**40%**) = **40% of 60 लाख = Rs. 24 लाख**।

• असुरक्षित भाग पर प्रावधान (**100%**) = **100% of 40 लाख = Rs. 40 लाख**।

• **कुल आवश्यक प्रावधान (Total Provision)** = **24 लाख + 40 लाख = Rs. 64 लाख** !

• **केस स्टडी 5 (बेसल-III पूंजी पर्याप्तता एवं RWA गणना — CAIIB BFM & JAIIB IE&IFS):**

• **समस्या:** एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की **Common Equity Tier-1 (CET-1)** पूंजी **Rs. 1,200 करोड़**, **Additional Tier-1 (AT-1)** पूंजी **Rs. 300 करोड़** और **Tier-2** पूंजी **Rs. 500 करोड़** है। यदि बैंक की कुल जोखिम भारित परिसंपत्तियां (**Total RWA**) **Rs. 16,000 करोड़** हैं, तो बैंक का (i) **Tier-1 CRAR** और (ii) **Total CRAR** ज्ञात कीजिए तथा बताइए कि क्या बैंक RBI के **11.5%** (CCB सहित) मानदंड को पूरा करता है? (**rbi.org.in**)

• **महत्वपूर्ण सूत्र प्रयोग:** **Tier-1 Capital = CET-1 + AT-1**; **Total Capital = Tier-1 + Tier-2**; **CRAR = (Capital / RWA) * 100**।

• **चरण-दर-चरण हल:**

• **Tier-1 Capital = 1,200 + 300 = Rs. 1,500 करोड़**।

• **Total Capital = 1,500 + 500 = Rs. 2,000 करोड़**।

• (i) **Tier-1 CRAR = (1,500 / 16,000) * 100 = 9.375%** (जो न्यूनतम **7.0% + 2.5% CCB = 9.5%** से **0.125%** कम है)।

• (ii) **Total CRAR = (2,000 / 16,000) * 100 = 12.50%** (जो कुल **11.5%** मानदंड से अधिक है, किंतु CCB पूर्ण करने हेतु बैंक को **CET-1** को **0.125%** अर्थात् **Rs. 20 करोड़** और बढ़ाना होगा!) (**www.iucacademy.com**)।

• **केस स्टडी 6 (टंडन समिति कार्यशील पूंजी MPBF गणना — JAIIB AFM & PPB):**

• **समस्या:** एक विनिर्माण कंपनी की कुल चालू परिसंपत्तियां (**Current Assets - CA**) **Rs. 400 लाख** हैं और बैंक उधार के अलावा अन्य चालू देयताएं (**Other Current Liabilities - CL**) **Rs. 100 लाख** हैं। टंडन समिति की (i) प्रथम विधि (Method-I) और (ii) द्वितीय विधि (Method-II) के अनुसार अधिकतम अनुमत बैंक वित्त (**MPBF**) ज्ञात कीजिए (**rbi.org.in**)।

• **महत्वपूर्ण सूत्र प्रयोग:**

• **Method-I: MPBF = 0.75 * (CA - CL)**

• **Method-II: MPBF = (0.75 * CA) - CL**

• **चरण-दर-चरण हल:**

• **Working Capital Gap (WCG) = CA - CL = 400 - 100 = Rs. 300 लाख**।

• (i) **प्रथम विधि से MPBF** = **0.75 * 300 = Rs. 225 लाख** (ऋणी का न्यूनतम मार्जिन = **25% of WCG = Rs. 75 लाख**)।

• (ii) **द्वितीय विधि से MPBF** = **(0.75 * 400) - 100 = 300 - 100 = Rs. 200 लाख** (ऋणी का न्यूनतम मार्जिन = **25% of CA = Rs. 100 लाख**; यहां **Current Ratio = 400 / (100 + 200) = 400 / 300 = 1.33 : 1**)।

• **केस स्टडी 7 (विदेशी मुद्रा फॉरवर्ड रेट एवं क्रॉस रेट गणना — CAIIB BFM):**

• **समस्या:** अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में **Spot USD/INR = 84.20 / 84.30** कोट किया गया है और **3-Month Forward Swap Points = 30 / 40** पैसे हैं। यदि एक भारतीय निर्यातक (Exporter) **3 महीने** बाद मिलने वाले **USD 1,00,000** के निर्यात बिल को फॉरवर्ड में बैंक को बेचना चाहता है और बैंक का मार्जिन **0.10%** है, तो ग्राहक के लिए **3-Month Forward TT Buying Rate** ज्ञात कीजिए (**rbi.org.in**)।

• **महत्वपूर्ण सूत्र प्रयोग:** निर्यातक से विदेशी मुद्रा खरीदना = **Buying Rate (Low Rate)**; बढ़ते हुए स्वैप पॉइंट्स (**30/40**) = **Premium (Add)**; Buying में बैंक मार्जिन **घटाया (Subtract)** जाता है।

• **चरण-दर-चरण हल:**

• **Spot Buying Rate = Rs. 84.20**।

• **3-Month Forward Buying Swap Points = +0.30** रुपये।

• **Interbank 3-Month Forward Buying Rate = 84.20 + 0.30 = Rs. 84.50**।

• बैंक का **0.10%** मार्जिन घटाने पर: **84.50 - (0.001 * 84.50) = 84.50 - 0.0845 = Rs. 84.4155** प्रति डॉलर (www.iucacademy.com)।

• **केस स्टडी 8 (बॉन्ड मूल्यांकन, YTM एवं संशोधित अवधि — JAIIB AFM & CAIIB BFM):**

• **समस्या:** **Rs. 1,000** अंकित मूल्य (Face Value) और **8%** वार्षिक कूपन दर वाले एक बॉन्ड की मैकॉले अवधि (**Macaulay Duration**) **4.32 वर्ष** है। यदि बाजार में वर्तमान प्रतिफल (**YTM**) **8%** प्रति वर्ष (वार्षिक चक्रवृद्धि) है और बाजार ब्याज दर में **0.50%** (**50 bps**) की वृद्धि हो जाती है, तो बॉन्ड के बाजार मूल्य में कितने प्रतिशत की गिरावट आएगी? (rbi.org.in)

• **महत्वपूर्ण सूत्र प्रयोग:** **Modified Duration (MD) = Macaulay Duration / (1 + YTM)**; मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन **= - MD * Delta(YTM)**।

• **चरण-दर-चरण हल:**

• **Modified Duration = 4.32 / (1 + 0.08) = 4.32 / 1.08 = 4.0 वर्ष**।

• ब्याज दर में वृद्धि **Delta(YTM) = +0.50%**।

• बॉन्ड के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन = **- 4.0 * (+0.50%) = -2.0%** (अर्थात् बॉन्ड का बाजार मूल्य **Rs. 1,000** से **2%** **घटकर** **Rs. 980** रह जाएगा)!

• **केस स्टडी 9 (लागत-मात्रा-लाभ विश्लेषण एवं सम-विच्छेद बिंदु — JAIIB AFM):**

• **समस्या:** एक कंपनी अपने उत्पाद को **Rs. 200** प्रति इकाई पर बेचती है। प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत (**Variable Cost**) **Rs. 120** है और वार्षिक स्थिर लागत (**Fixed Cost**) **Rs. 8,00,000** है। (i) **P/V Ratio**, (ii) **Break-Even Point (इकाइयों और रुपयों में)**, और (iii) **Rs. 4,00,000** का लाभ कमाने के लिए आवश्यक बिक्री मात्रा ज्ञात कीजिए (rbi.org.in)।

• **महत्वपूर्ण सूत्र प्रयोग:** **Contribution per unit = Selling Price - Variable Cost**; **P/V Ratio = (Contribution / Sales) * 100**; **BEP (Units) = Fixed Cost / Contribution per unit**।

• **चरण-दर-चरण हल:**

• **Contribution per unit = 200 - 120 = Rs. 80**।

• (i) **P/V Ratio = (80 / 200) * 100 = 40%**।

• (ii) **BEP (Units) = 8,00,000 / 80 = 10,000 इकाइयां**; तथा **BEP (Rupees) = 10,000 * 200 = Rs. 20,00,000** (**8,00,000 / 0.40**)।

• (iii) वांछित लाभ हेतु आवश्यक बिक्री इकाइयां = **(Fixed Cost + Desired Profit) / Contribution per unit = (8,00,000 + 4,00,000) / 80 = 12,00,000 / 80 = 15,000 इकाइयां**।

• **केस स्टडी 10 (उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 एवं RTI अपील समय-सीमा — IPO & PA/SA Exam):**

• **समस्या:** ग्राहक Y ने एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से **Rs. 65 लाख** का औद्योगिक उपकरण खरीदा जो दोषपूर्ण निकला। (i) संशोधित आर्थिक अधिकार क्षेत्र नियमों के अनुसार ग्राहक Y को किस उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करनी चाहिए? (ii) यदि वह उस आयोग के निर्णय से असंतुष्ट होता है, तो उसे कितने दिनों के भीतर और कितनी राशि जमा करके अगले आयोग में अपील करनी होगी? (indiapost.gov.in)

• **1D विधिक नियम:**

• जिला आयोग: **Rs. 50 लाख** तक; **राज्य आयोग:** **Rs. 50 लाख से अधिक और Rs. 2 करोड़ तक**; राष्ट्रीय आयोग: **Rs. 2 करोड़ से अधिक**।

• **चरण-दर-चरण हल:**

• (i) चूंकि भुगतान किया गया प्रतिफल **Rs. 65 लाख** है (जो **50 लाख** और **2 करोड़** के बीच है), इसलिए शिकायत सीधे **राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (State Commission)** में दर्ज होगी।

• (ii) राज्य आयोग के आदेश के विरुद्ध **राष्ट्रीय आयोग (NCDRC)** में अपील आदेश की तारीख से **30 दिनों** के भीतर करनी होगी (और यदि अपील विपक्षी द्वारा की जाती है तो आदेशित राशि का **50%** जमा करना अनिवार्य होगा)।

• **केस स्टडी 11 (सुकन्या समृद्धि एवं वरिष्ठ नागरिक बचत योजना — GDS to PA / IPO Exam):**

• **समस्या:** एक सेवानिवृत्त रक्षा कर्मचारी (आयु **52 वर्ष**) को सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में **Rs. 40 लाख** प्राप्त हुए। वह डाकघर की वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (**SCSS**) में अधिकतम कितनी राशि और कितने समय के भीतर निवेश कर सकता है? साथ ही उसकी **8 वर्षीय** पोती के सुकन्या समृद्धि खाते (**SSA**) में एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम कितना जमा किया जा सकता है? (nsiindia.gov.in)

• **1D नियम एवं समाधान:**

• सेवानिवृत्त रक्षा कर्मचारी के लिए **SCSS** की न्यूनतम आयु सीमा **50 वर्ष** है, अतः **52 वर्ष** की आयु में वह पूर्णतः पात्र है।

• सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त होने की तारीख से **1 माह** **(संशोधित नियमों में 3 माह)** के भीतर खाता खोला जा सकता है।

• **SCSS** में अधिकतम जमा सीमा **Rs. 30 लाख** है (या प्राप्त सेवानिवृत्ति लाभ, जो भी कम हो)। चूंकि उसे **Rs. 40 लाख** मिले हैं, वह अधिकतम **Rs. 30 लाख** ही **SCSS** में जमा कर सकता है।

• उसकी **8 वर्षीय** पोती के **SSA** खाते में एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम **Rs. 250** और अधिकतम **Rs. 1,50,000** **(1.5 लाख रुपये)** जमा किए जा सकते हैं (www.iucacademy.com)।

• **केस स्टडी 12 (अवकल समीकरण एवं समाकलन गुणक — NDA / CUET / TGT):**

• **समस्या:** रैखिक अवकल समीकरण **x *ln(x)* (dy/dx) + y = 2 * ln(x)** का समाकलन गुणक (**Integrating Factor - IF**) और व्यापक हल (**x > 1** के लिए) ज्ञात कीजिए (ncert.nic.in)।

• **महत्वपूर्ण सूत्र प्रयोग:** मानक रूप **dy/dx + P(x)*y = Q(x)** में बदलें और **IF = e^(Int P(x) dx)** निकालें।

• **चरण-दर-चरण हल:**

• पूरे समीकरण को **x * ln(x)** से भाग देने पर:

• **dy/dx + [ 1 / (x *ln(x)) ] y = 2 / x**।

• यहां **P(x) = 1 / (x * ln(x))** तथा **Q(x) = 2 / x** है।

• **Int P(x) dx = Int [ (1/x) / ln(x) ] dx = ln(ln(x))**।

• अतः समाकलन गुणक **IF = e^(ln(ln(x))) = ln(x)**।

• व्यापक हल: **y *(IF)* = *Int* [ *Q(x)* (IF) ] dx + C**

• **y *ln(x)* = *Int* [ (2 / *x*) ln(x) ] dx + C**

• **ln(x) = t** रखने पर **(1/x) dx = dt**, अतः **y *ln(x)* = 2 (t^2 / 2) + C = (ln(x))^2 + C**।

• **केस स्टडी 13 (उच्चिष्ठ एवं निम्निष्ठ आयतन अनुकूलन — NDA / CUET / PGT):**

• **समस्या:** सिद्ध कीजिए कि दिए गए निश्चित संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल **S** वाले एक बंद लंब वृत्तीय बेलन (Closed Cylinder) का आयतन **V** अधिकतम तब होता है जब उसकी ऊंचाई **h** उसके आधार के व्यास **2*r*** के बराबर (**h = 2** r) होती है (ncert.nic.in)।

• **महत्वपूर्ण सूत्र प्रयोग:** **S = 2*pi*r^2 + 2*pi*rh** तथा **V = *pi*** r^2 * h।

• **चरण-दर-चरण हल:**

• पृष्ठीय क्षेत्रफल से **h = (S - 2*pi*r^2) / (2*pi*r)**।

• आयतन में रखने पर: **V = *pi*r^2 [ (S - 2*pi*r^2) / (2*pi*r) ] = (1/2) (*S*r - 2*pi*r^3)**।

• **r** के सापेक्ष अवकलन करके शून्य रखने पर: **dV/dr = (1/2) (*S* - 6*pi*r^2) = 0 ==> *S* = 6pi*r^2**।

• चूंकि **S = 2*pi*r^2 + 2*pi*rh = 6*pi*r^2** है, अतः **2** *pi*rh = 4*pi*r^2 ==> h = 2*r (अर्थात् ऊंचाई = आधार का व्यास)!

• द्वितीय अवकलज `d^2V / dr^2 = -6pir < 0` है, जो उच्चिष्ठ (Maximum Volume) की पुष्टि करता है (upsc.gov.in | www.iucacademy.com)।

# भाग 1: 5 उन्नत गहन अध्ययन मॉड्यूल (नियम, क्लॉज, योजनाएँ, IT 2.0 एवं बैंकिंग सूत्र)

**अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — भाग 1: 5 उन्नत गहन अध्ययन मॉड्यूल (नियम, क्लॉज, योजनाएँ, IT 2.0 एवं बैंकिंग सूत्र)**

| प्रमुख अध्ययन बिंदु 1 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 2 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 3 | प्रमुख अध्ययन बिंदु 4 |
|---|---|---|---|
| **मॉड्यूल 1: Post Office Guide Part-I (सभी प्रमुख क्लॉज) एवं Post Office Guide Part-II (Foreign Post)** | **मॉड्यूल 2: Postal Manual Volume V, Volume VI एवं Volume VII (डाक एवं आरएमएस परिचालन नियम)** | **मॉड्यूल 3: डाकघर लघु बचत योजनाएँ (POSB) तथा PLI व RPLI की 6-6 बीमा योजनाएँ** | **मॉड्यूल 4: IT Modernization Project 1.0, IT Modernization 2.0 (APT 2.0) एवं DARPAN परियोजना** |

## मॉड्यूल 1: Post Office Guide Part-I (सभी प्रमुख क्लॉज) एवं Post Office Guide Part-II (Foreign Post)

### 1.1 Post Office Guide Part-I — संगठन, कामकाज के घंटे, टिकट व वितरण के सभी प्रमुख क्लॉज

भारतीय डाक विभाग (Department of Posts) के विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं (GDS to MTS, Postman, Mail Guard, Postal Assistant/Sorting Assistant एवं Inspector Posts LDCE) में **Post Office Guide Part-I** तथा **भारतीय डाक आधिकारिक गाइडलाइंस** से सीधे क्लॉज संख्या पर प्रश्न पूछे जाते हैं:

• **संगठन एवं नियंत्रण (Clauses 1–4):**

• **Clause 1 (प्रशासनिक नियंत्रण):** भारतीय डाक विभाग संचार मंत्रालय (Ministry of Communications) के अधीन कार्य करता है। विभाग का शीर्ष प्रशासनिक निकाय डाक सेवा बोर्ड (Postal Services Board) है जिसका मुख्यालय डाक भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली में है।

• **Clause 2 (डाक सर्किल एवं मुख्यालय):** पूरे भारत को **23 डाक सर्किलों (Postal Circles)** में विभाजित किया गया है, जिनमें प्रत्येक का प्रमुख मुख्य पोस्टमास्टर जनरल (Chief Postmaster General - CPMG) होता है। इसके अतिरिक्त सशस्त्र बलों के लिए एक **बेस सर्किल (Base Circle — 1 CBPO नई दिल्ली व 2 CBPO कोलकाता)** है जिसका प्रमुख अपर महानिदेशक (Additional Director General - APS, मेजर जनरल रैंक) होता है।

• **Clause 3 (डाकघरों के प्रकार):** डाकघरों को तीन श्रेणियों में बाँटा गया है — (1) प्रधान डाकघर (Head Post Office - HO, प्रमुख: Head Postmaster), (2) उप-डाकघर (Sub Post Office - SO, प्रमुख: Sub Postmaster) और (3) शाखा डाकघर (Branch Post Office - BO, प्रमुख: Branch Postmaster / GDS BPM)।

• **Clause 4 (रात्रिकालीन डाकघर / Night Post Offices):** जिन डाकघरों के कामकाज के घंटे सामान्य कार्यदिवसों के बाद रात **8:30 PM** तक बढ़ाए जाते हैं और जो रविवार व राष्ट्रीय अवकाशों पर भी कार्य करते हैं, उन्हें रात्रिकालीन डाकघर कहते हैं। महानिदेशक (DG Posts) इन्हें समय बढ़ाकर चलाने हेतु अधिकृत हैं।

• **कामकाज के घंटे एवं अवकाश (Clauses 5–9):**

• **Clause 5 (शाखा डाकघर के कार्य-घंटे):** ग्रामीण शाखा डाकघर (BO) प्रतिदिन न्यूनतम **4 घंटे** और अधिकतम **5 घंटे** खुले रहते हैं।

• **Clause 6–7 (रविवार एवं डाक अवकाश):** नाइट पोस्ट ऑफिस को छोड़कर सभी डाकघर रविवार को बंद रहते हैं। रविवार और राष्ट्रीय अवकाशों पर RMS कार्यालयों या चुनिंदा डाकघरों में **विलंब शुल्क (Late Fee)** के साथ पंजीकृत समाचार पत्र और स्पीड पोस्ट/पंजीकृत पत्र बुक किए जा सकते हैं।

• **Clause 8 (डाकघर अवकाश):** डाक विभाग में वर्ष भर में कुल **17 डाक अवकाश (Postal Holidays)** मनाए जाते हैं (14 अनिवार्य/राष्ट्रीय + 3 सर्किल-स्तरीय अवकाश)।

• **डाक महसूल का भुगतान, फ्रैंकिंग मशीन एवं टिकट (Clauses 10–15):**

• **Clause 10 (महसूल पूर्व-भुगतान):** डाक वस्तुओं पर महसूल का भुगतान डाक टिकट, राजस्व टिकट (केवल रसीद हेतु, डाक महसूल हेतु वर्जित!), या फ्रैंकिंग मशीन की छाप से किया जाता है।

• **Clause 11 (फ्रैंकिंग मशीन / Franking Machine):** इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन (RMFM) की छाप का रंग **नीला (Blue)** होता है (पुरानी इलेक्ट्रॉनिक मशीन में लाल होता था)। इसमें दो डाई होती हैं — **Value Die (मूल्य डाई)** और **License Die (लाइसेंस डाई)**। व्यक्तिगत/वाणिज्यिक लाइसेंस मंडल अधीक्षक (SP/SSPOs) द्वारा **5 वर्ष** के लिए ₹375 शुल्क पर जारी और ₹375 पर नवीनीकृत किया जाता है। फ्रैंकिंग मशीन की राशि पर 3% की छूट (न्यूनतम खपत शर्त के अधीन) मिलती है। गलत छपे फ्रैंक लिफाफों का दावा **3 माह** के भीतर करने पर अंकित मूल्य में से **5% कटौती** करके रिफंड मिलता है।

• **Clause 12–13 (डाक टिकटों का पूर्व-भुगतान एवं जाली/कटे-फटे टिकट):** कटे-फटे, विरूपित या पहले से प्रयुक्त डाक टिकट का उपयोग करना भारतीय न्याय संहिता / कानूनन दंडनीय अपराध है।

• **Clause 15 (दिनांक मुहर व पते का लेखन):** पता लिफाफे के दाहिने निचले हिस्से में, प्रेषक का पता बाएँ निचले कोने में और डाक टिकट दाहिने ऊपरी कोने (Top Right Corner) में चिपकाया जाना चाहिए।

• **वितरण, पोस्ट बॉक्स, पोस्ट बैग एवं पिन कोड (Clauses 16–60):**

• **Clause 18 (लेटर बॉक्स में पोस्ट करने योग्य वस्तुएँ):** केवल पूर्णतः पूर्व-दत्त (Fully Prepaid) अपंजीकृत पत्र, पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय पत्र और पैकेट लेटर बॉक्स में डाले जा सकते हैं। मशीन फ्रैंक्ड वस्तुएँ लेटर बॉक्स में डालना वर्जित है (उन्हें काउंटर पर देना होता है)।

• **Clause 23 (PIN Code):** Postal Index Number की शुरुआत **15 अगस्त 1972** को श्रीराम भीकाजी वेलणकर द्वारा की गई। भारत में कुल **9 पिन ज़ोन** हैं (8 क्षेत्रीय ज़ोन + 9वाँ ज़ोन आर्मी पोस्टल सर्विस APS के लिए)। 6 अंकों के पिन कोड में पहला अंक **Zone**, दूसरा अंक **Sub-Zone**, तीसरा अंक **Sorting District** और अंतिम तीन अंक **Delivery Post Office** को दर्शाते हैं।

• **Clause 29 (विंडो डिलीवरी / Window Delivery):** जहाँ पोस्टमैन द्वारा वितरण नहीं होता या प्राप्तकर्ता स्वयं काउंटर पर डाक लेता है।

• **Clause 36 (पर्दानशीन महिलाओं को वितरण):** पर्दानशीन महिला के हस्ताक्षर एक विश्वसनीय गवाह (Witness) द्वारा प्रमाणित किए जाते हैं और डाक उस गवाह को वितरित की जाती है।

• **Clause 47 (क्षतिग्रस्त वस्तुओं का वितरण):** यदि कोई पंजीकृत या बीमित वस्तु क्षतिग्रस्त स्थिति में प्राप्त होती है, तो प्राप्तकर्ता को डाकघर में आकर पोस्टमास्टर की उपस्थिति में उसे खोलकर सूचीबद्ध करने हेतु नोटिस भेजा जाता है।

• **Clause 55 (Post Box):** पोस्ट बॉक्स के माध्यम से केवल **पूर्णतः पूर्व-दत्त अपंजीकृत डाक वस्तुएँ** (Letters, Postcards, Aerogrammes, Packets) ही वितरित की जाती हैं। पंजीकृत, बीमित, VPP या मनीऑर्डर पोस्ट बॉक्स में नहीं डाले जाते। किराया: केवल Post Box या केवल Post Bag के लिए **₹150 प्रति वित्तीय वर्ष** (या ₹50 प्रति तिमाही); यदि Post Box और Post Bag दोनों एक साथ लिए जाएं, तो संयुक्त किराया **₹250 प्रति वर्ष** (या ₹80 प्रति तिमाही) है।

• **Clause 56 (Post Bag):** इसमें चाबी-ताले वाला थैला होता है जिसकी एक चाबी डाकघर और एक किराएदार के पास होती है।

• **Clause 64 (Poste Restante):** यह सुविधा किसी शहर में बाहर से आए यात्रियों और अस्थायी आगंतुकों (Strangers and Travellers) के लिए है। ऐसी डाक पर **"Poste Restante"** या **"To await arrival"** लिखा होता है। इसे डाकघर में अधिकतम **1 माह** तक (और VPP वस्तुओं को केवल **7 दिनों** तक) रोका जा सकता है।

• **पुनर्निर्देशन, अस्वीकरण एवं मृत व्यक्ति की डाक (Clauses 67–90):**

• **Clause 67–69 (पुनर्निर्देशन / Redirection):** डाक वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पुनर्निर्देशन **निःशुल्क (Free of Charge)** होता है, बशर्ते वस्तु को खोला न गया हो। यदि पार्सल को उसी वितरण क्षेत्र या उसी डाक शहर से बाहर किसी दूसरे स्थान पर पुनर्निर्देशित किया जाता है (सशस्त्र बलों को छोड़कर), तो मूल दर का **आधा (50%) पुनर्निर्देशन शुल्क** लगता है।

• **Clause 72–75 (अस्वीकृत एवं अवितरित डाक / RLO):** यदि प्राप्तकर्ता डाक लेने से मना (**Refused**) कर दे, तो उसे डाकघर में रोका नहीं जाता बल्कि तुरंत प्रेषक को वापस (**Returned to Sender**) भेजा जाता है। यदि प्रेषक का पता न हो या वह भी मना कर दे, तो वस्तु **Returned Letter Office (RLO)** को भेजी जाती है।

• **Clause 87 (मृत व्यक्तियों को संबोधित डाक):** मृतक को संबोधित डाक को उसके निकट संबंधियों के आवेदन पर पोस्टमास्टर के विवेकानुसार वितरित किया जा सकता है, यदि उसमें कोई मूल्यवान संपत्ति न हो और कोई विवाद न हो (India Post घरेलू डाक सेवाएँ)।

• **आधिकारिक डाक, निषिद्ध वस्तुएँ, पंजीकरण, बीमा, VPP एवं मनीऑर्डर (Clauses 96–250):**

• **Clause 96 (Camp Articles):** राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल व उच्चाधिकारियों के दौरे पर **"Camp"** लिखी डाक। विशेष बैग (Special Bag) केवल उच्चाधिकारियों को कैंप में वितरित किए जाते हैं।

• **Clause 198–204 (आधिकारिक डाक वस्तुएँ / Official Postal Articles):** सरकारी पत्राचार पर **"On India Government Service" (OIGS)** या **"Service Unpaid"** लिखा होता है और उन पर सेवा टिकट (Service Stamps) लगाए जाते हैं।

• **Clause 205–214 (निषिद्ध वस्तुएँ / Prohibited Articles):** विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ, अफीम/मादक द्रव्य, अश्लील साहित्य, लॉटरी टिकट (सरकारी अधिकृत को छोड़कर), जीवित जंतु (मधुमक्खियों, रेशम के कीड़ों व जोंक को छोड़कर) तथा बिना बीमा के नकदी/सोना-चांदी/बुलियन भेजना पूर्णतः वर्जित है (**India Post निषिद्ध वस्तुएँ**)। सोने-चांदी के सिक्के या बुलियन अधिकतम **₹1,00,000** मूल्य तक ही (केवल बीमित डाक से) भेजे जा सकते हैं (नोट: करेंसी नोट अधिकतम ₹20,000 तक बीमा द्वारा)।

• **पंजीकरण (Registration — Clauses 159–171):** किसी भी डाक वस्तु का पंजीकरण शुल्क ₹17 है। यदि वस्तु पर **"Ack Due"** हो तो पावती शुल्क ₹3। अपंजीकृत पार्सल वजन में अधिकतम **4 किग्रा** तक हो सकता है, जबकि पंजीकृत पार्सल SO/HO में **20 किग्रा** तक और BO में **10 किग्रा** तक (नोट: **Post Office Regulations 2024** के तहत अब सभी खुदरा पार्सल अकाउंटेबल श्रेणी में ट्रैक किए जाते हैं)। अंध साहित्य (Blind Literature Packet) **7 किग्रा** तक पूर्णतः नि:शुल्क (डाक महसूल, पंजीकरण व पावती शुल्क से मुक्त, केवल हवाई अधिभार देय) होता है।

• **बीमा (Insurance — Clauses 172–185):** शाखा डाकघर (BO) में अधिकतम **₹600** तक और अन्य डाकघरों (SO/HO) में अधिकतम **₹1,00,000** (एक लाख रुपये) तक बीमा किया जा सकता है। सोने के सिक्के/बुलियन, करेंसी नोट, आभूषण आदि के लिए बीमा कराना **अनिवार्य (Compulsory Insurance)** है।

• **VPP (Value Payable Post — Clauses 186–197):** VPP द्वारा अधिकतम **₹5,000** तक की राशि वसूल की जा सकती है। 7 दिनों के बाद प्राप्तकर्ता द्वारा VPP को रोकने के लिए पार्सल पर ₹3 प्रतिदिन और अन्य वस्तुओं पर ₹2 प्रतिदिन **डेमरेज शुल्क (Demurrage / Warehousing Charge)** लगता है (अधिकतम 7 दिन और)।

• **मनीऑर्डर (Money Order / eMO — Clauses 198+):** एकल मनीऑर्डर की अधिकतम सीमा **₹5,000** है। कमीशन दर: प्रत्येक ₹20 या उसके भाग पर ₹1 (अर्थात 5%)। यदि मनीऑर्डर अपने जारी होने के माह के अगले माह के अंत तक भुगतान या वापस नहीं होता, तो वह **Void Money Order (शून्य मनीऑर्डर)** हो जाता है, और 1 वर्ष बाद सरकार को जब्त (**Forfeited**) हो जाता है।

## *1.2* Post Office Guide Part-II — *विदेशी डाक (Foreign Post) नियम एवं संगठन*

• **UPU एवं APPU:** भारत **1876** में Universal Postal Union (UPU — स्थापना: 9 अक्टूबर 1874, मुख्यालय: बर्न, स्विट्ज़रलैंड) का सदस्य बना और **1973** में Asian-Pacific Postal Union (APPU — मुख्यालय: बैंकॉक, थाईलैंड) में शामिल हुआ।

• **विदेशी डाक की श्रेणियाँ:** Foreign Post में वस्तुओं को दो मुख्य श्रेणियों में बाँटा गया है — (1) **Letter Post** (Letters, Postcards, Printed Papers, Small Packets, Literature for the Blind / Cecogrammes, M-Bag) तथा (2) **Parcel Post**।

• **M-Bag (Bulk Bag):** एक ही प्रेषक द्वारा विदेश में एक ही प्राप्तकर्ता को बड़ी मात्रा में मुद्रित सामग्री (Printed Papers/Books) भेजने हेतु विशेष थैला। न्यूनतम प्रभार्य वजन **5 किग्रा** और अधिकतम वजन **30 किग्रा** होता है।

• **अंध साहित्य (Cecogrammes) एवं Aerogramme:** विदेशी डाक में भी अंध साहित्य **7 किग्रा** तक धरातल डाक महसूल से मुक्त है। एरोग्राम (Aerogramme) का अधिकतम वजन **3 ग्राम** होता है और इसमें कोई भी संलग्नक (Enclosure) रखना पूर्णतः वर्जित है।

• **सीमा शुल्क घोषणा (Customs Declaration):** विदेशी डाक में ₹30,000 (या 300 SDR) से कम मूल्य की छोटी वस्तुओं पर हरा सीमा शुल्क लेबल **CN 22** और अधिक मूल्य या पार्सलों पर विस्तृत घोषणा पत्र **CN 23** लगाया जाता है। विदेशी डाक की जाँच ऑफिस ऑफ एक्सचेंज (Office of Exchange) और फॉरेन पोस्ट ऑफिस (FPO) में होती है।

# *मॉड्यूल 2:* Postal Manual Volume V, Volume VI एवं Volume VII *(डाक एवं आरएमएस परिचालन नियम)*

## *2.1* Postal Manual Volume V — *महत्वपूर्ण परिभाषाएँ (Definitions & Rules)*

**Postal Manual Volume V** में डाक और आरएमएस की 60+ तकनीकी परिभाषाएँ और जांच नियम दिए गए हैं:

• **Rule 4–15 (कार्यालयों की परिभाषाएँ):** Head Office (HO — मुख्य लेखा कार्यालय), Sub Office (SO — HO के अधीन लेखा रखने वाला), Branch Office (BO — निचले स्तर का ग्रामीण कार्यालय), Transit Office (पारगमन कार्यालय — जो बंद थैलों का आदान-प्रदान करता है बिना खोले), Sorting Office (छंटाई कार्यालय — जो डाक थैलों को खोलकर वस्तुओं की छंटाई करता है), Nodal Post Office, Night Post Office, Mobile Post Office।

• **Rule 26–38 (डाक थैलों के प्रकार / Types of Bags):**

• **Station Bag (स्टेशन थैला):** जब किसी एक डाकघर के लिए पंजीकृत और अपंजीकृत वस्तुओं की संख्या अधिक हो, तो केवल उसी स्टेशन के लिए बनाया गया थैला।

• **Sorting Bag (छंटाई थैला):** वह थैला जिसमें विभिन्न स्टेशनों की डाक छंटाई कार्यालय के लिए भेजी जाती है।

• **Account Bag (लेखा थैला — Rule 28):** प्रधान डाकघर (HO) और उसके अधीन उप-डाकघर (SO) के बीच नकदी, डाक टिकट, SO Daily Account और SO Slip भेजने के लिए प्रयुक्त होता है। HO से SO को जाने वाले लेखा थैले में **SO Slip** और SO से HO को जाने वाले थैले में **SO Daily Account** होता है।

• **Branch Office Bag (BO Bag — Rule 29):** लेखा कार्यालय (SO/HO) और शाखा डाकघर (BO) के बीच आदान-प्रदान होने वाला थैला।

• **Registered Bag (पंजीकृत थैला — Rule 27) व Parcel Bag:** ये दोनों **Due Bags (नियत थैले)** नहीं, बल्कि पंजीकृत थैला एक **Due Bag** है (जिसमें Registered List रखनी अनिवार्य है, चाहे कोई पंजीकृत वस्तु न भी हो तो **"Nil"** सूची भेजी जाती है), जबकि Parcel Bag एक **Unusual Bag (असाधारण थैला)** है (केवल पार्सल होने पर ही बंद किया जाता है)।

• **Transit Bag (पारगमन थैला — Rule 30):** कई डाक थैलों (Mail Bags) को सुरक्षा हेतु एक बड़े बंद थैले में रखकर भेजना। इसमें **Mail List (डाक सूची)** अवश्य रखी जाती है।

• **Camp Bag (कैंप थैला — Rule 37) व Special Bag (Rule 38):** Camp Bag उच्चाधिकारियों की कार्यालयीन फाइलों व डाक के लिए (यह असाधारण थैला है और इसे बिना डाक के भी भेजा जा सकता है), जबकि Special Bag में पत्राचार की कैंप डाक होती है।

• **Rule 40–57 (प्रमुख परिचालन शब्द):**

• **Facing (मुखीकरण — Rule 47):** डाक वस्तुओं के पते वाले भाग और डाक टिकट को एक ही दिशा में ऊपर की ओर व्यवस्थित करना।

• **Beating (तारीख मुहर लगाना):** तारीख मुहर से डाक टिकट को निरस्त करना।

• **Mis-sent Article (गलत भेजी गई वस्तु — Rule 52):** वह वस्तु जिसे किसी कार्यालय द्वारा प्रेषण के समय गलती से निर्धारित मार्ग या कार्यालय से भिन्न कार्यालय में भेज दिया गया हो।

• **Mis-directed Article (गलत निर्देशित वस्तु — Rule 53):** वह वस्तु जिस पर अंग्रेजी के अलावा क्षेत्रीय भाषा का पता गलत तरीके से लिप्यंतरित कर दिया गया हो।

• **Trial Card (परीक्षण कार्ड — Rule 54, फॉर्म M-26(a)):** डाक संचरण के सापेक्षिक लाभ और देरी का पता लगाने के लिए प्रयुक्त सेवा पोस्टकार्ड। इसे कभी भी किसी बंडल में शामिल नहीं किया जाता, बल्कि बंडल के सबसे ऊपर या अलग रखा जाता है।

• **A-Order एवं B-Order (Rule 56 & 56-A):** आरएमएस अधीक्षक (Superintendent RMS) द्वारा छंटाई सूची (Sorting List) में परिवर्तन हेतु जारी आदेश **A-Order** कहलाते हैं, जबकि अन्य सभी प्रशासनिक/परिचालन निर्देश **B-Order** कहलाते हैं। **TVO (Transit Visited Order)** किसी नए प्रयोग या व्यवस्था हेतु जारी किया जाता है।

## *2.2* Postal Manual Volume VI *(Part I, II, III)* एवं Volume VII *(RMS)*

• **Volume VI (डाकघर परिचालन):**

• **Memorandum of Distribution of Work (MDW):** डाकघर के प्रत्येक कर्मचारी के कर्तव्यों का चार्ट मंडल अधीक्षक (SP/SSPOs) द्वारा जारी किया जाता है।

• **Village Sorting List (फॉर्म M-52):** ग्रामीण शाखा डाकघर के क्षेत्र के गाँवों की सूची जो उपमंडल निरीक्षक (IP/ASPOs) द्वारा बनाकर दी जाती है।

• **BO Daily Account:** शाखा डाकपाल (BPM) प्रतिदिन अपने लेखा कार्यालय (SO) को **BO Daily Account** भेजता है और SO उसके बदले **BO Slip** भेजता है।

• **Volume VII (Railway Mail Service — RMS):**

• **Record Officer (अभिलेख अधिकारी):** रिकॉर्ड कार्यालय का प्रमुख जो सॉर्टिंग असिस्टेंट को वर्क पेपर्स, मुहरें, बैग और स्टेशनरी जारी करता है।

• **Head Sorting Assistant (HSA):** मेल ऑफिस या ट्रांजिट सेक्शन के प्रत्येक सेट का प्रभारी।

• **Mail Abstract (डाक सार — फॉर्म M-42 ट्रांजिट सेक्शन हेतु, फॉर्म M-43 मेल ऑफिस हेतु):** यह दो भागों में विभाजित होता है — **Mails** और **Bags**।

## *मॉड्यूल 3: डाकघर लघु बचत योजनाएँ (POSB) तथा PLI व RPLI की 6-6 बीमा योजनाएँ*

### *3.1 डाकघर लघु बचत योजनाएँ (POSB Schemes) — नवीनतम ब्याज दरें (अक्टूबर–दिसंबर 2026) एवं नियम*

वित्त मंत्रालय एवं राष्ट्रीय बचत संस्थान (NSI) तथा भारतीय डाक बचत पोर्टल के अनुसार चालू तिमाही (अक्टूबर–दिसंबर 2026 ब्याज दरें) के सभी नियम और ब्याज दरें नीचे दी गई हैं:

1. **डाकघर बचत खाता (Post Office Savings Account — SB):**

• **ब्याज दर:** **4.0%** प्रति वर्ष (मासिक की 10वीं तारीख से माह के अंत तक के न्यूनतम शेष पर गणना, वित्तीय वर्ष के अंत में जमा)।

• **न्यूनतम/अधिकतम सीमा:** खाता खोलने हेतु न्यूनतम **₹500**, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। यदि खाते में न्यूनतम शेष ₹500 से कम हो, तो वित्तीय वर्ष के अंत में ₹50 रखरखाव शुल्क (**₹50 + GST**) कटता है।

• **आयकर छूट:** आयकर अधिनियम की धारा **80TTA** के तहत **₹10,000** तक (और वरिष्ठ नागरिकों को धारा **80TTB** के तहत **₹50,000** तक) ब्याज कर-मुक्त है।

2. **5-वर्षीय आवर्ती जमा खाता (5-Year Recurring Deposit — RD):**

• **ब्याज दर:** **6.7%** प्रति वर्ष (तिमाही चक्रवृद्धि)।

• **न्यूनतम/अधिकतम सीमा:** न्यूनतम **₹100** प्रति माह (₹10 के गुणक में), अधिकतम कोई सीमा नहीं।

• **डिफ़ॉल्ट एवं नियम:** 1 से 15 तारीख के बीच खुले खाते में जमा की अंतिम तिथि 15वीं और 16 से माह के अंत के बीच खुले खाते में अंतिम कार्यदिवस होती है। डिफ़ॉल्ट शुल्क: ₹100 के खाते पर **₹1** (अर्थात प्रति ₹100 पर ₹1)। लगातार **4 डिफ़ॉल्ट** होने पर खाता बंद (**Discontinued**) हो जाता है जिसे 2 माह के भीतर पुनर्जीवित किया जा सकता है। 12 किस्तें जमा होने व 1 वर्ष पूर्ण होने पर खाते के शेष का **50% तक ऋण (Loan)** लिया जा सकता है (ब्याज: **RD Rate + 2%**)। 3 वर्ष बाद समय-पूर्व बंद (**Premature Closure**) करने पर SB दर (**4.0%**) से ब्याज मिलता है। 6 माह या 12 माह की अग्रिम जमा पर क्रमशः ₹10 और ₹40 (₹100 मूल्यवर्ग पर) रिबेट मिलती है।

3. **सावधि जमा खाता (Post Office Time Deposit — TD: 1, 2, 3 एवं 5 वर्ष):**

• **ब्याज दरें:** 1-वर्षीय TD = **6.9%**, 2-वर्षीय TD = **7.0%**, 3-वर्षीय TD = **7.1%**, 5-वर्षीय TD = **7.5%** (ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि होती है परंतु भुगतान वार्षिक रूप से होता है)।

• **न्यूनतम/अधिकतम सीमा:** न्यूनतम **₹1,000** (₹100 के गुणक में), अधिकतम कोई सीमा नहीं। 5-वर्षीय TD में धारा 80C की कर छूट मिलती है। 6 माह से पहले बंद नहीं किया जा सकता; 6 से 12 माह के बीच बंद करने पर SB दर (**4.0%**) और 1 वर्ष बाद बंद करने पर संबंधित पूर्ण वर्षों की TD दर से **2%** कम ब्याज मिलता है।

4. **मासिक आय योजना (Monthly Income Account Scheme — MIS):**

• **ब्याज दर:** 7.4% प्रति वर्ष (मासिक भुगतान)।

• **न्यूनतम/अधिकतम सीमा:** न्यूनतम ₹1,000। अधिकतम सीमा: एकल खाता (Single Account) में ₹9,00,000 (₹9 लाख) और संयुक्त खाता (Joint Account — अधिकतम 3 वयस्क) में ₹15,00,000 (₹15 लाख)।

• **सूत्र (मासिक ब्याज):** Monthly Interest = (Deposit Amount 7.4) / (12 100)। उदाहरण: ₹9 लाख जमा करने पर प्रति माह (9,00,000 * 7.4) / 1200 = ₹5,550 और ₹15 लाख पर ₹9,250 प्रति माह मिलता है!

• **समय-पूर्व बंदी:** 1 वर्ष से पहले बंद नहीं; 1 से 3 वर्ष के बीच बंद करने पर मूलधन से **2% कटौती** और 3 से 5 वर्ष के बीच बंद करने पर मूलधन से **1% कटौती** होती है।

5. **वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (Senior Citizens Savings Scheme — SCSS):**

• **ब्याज दर:** 8.2% प्रति वर्ष (तिमाही भुगतान — 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी को)।

• **पात्रता:** 60 वर्ष या अधिक आयु के नागरिक; VRS लेने वाले सिविल कर्मचारी (55–60 वर्ष, सेवानिवृत्ति लाभ मिलने के 1 माह के भीतर) और सेवानिवृत्त रक्षा कर्मी (50–60 वर्ष)।

• **न्यूनतम/अधिकतम सीमा:** न्यूनतम ₹1,000, अधिकतम ₹30,00,000 (₹30 लाख)। परिपक्वता अवधि: **5 वर्ष** (जिसे 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है)।

6. **लोक भविष्य निधि (Public Provident Fund — PPF):**

• **ब्याज दर:** 7.1% प्रति वर्ष (वार्षिक चक्रवृद्धि, EEE कर-मुक्त श्रेणी)।

• **न्यूनतम/अधिकतम सीमा:** एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम ₹500 और अधिकतम ₹1,50,000 (₹1.5 लाख)। परिपक्वता अवधि: **15 वर्ष** (खाता खुलने के वित्तीय वर्ष को छोड़कर), जिसे 5-5 वर्ष के ब्लॉक में अनंत बार बढ़ाया जा सकता है।

• **ऋण एवं आंशिक निकासी:** तीसरे से छठे वित्तीय वर्ष तक ऋण सुविधा (PPF Rate + 1% ब्याज पर) और 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद (7वें वित्तीय वर्ष से) प्रति वर्ष एक आंशिक निकासी (50% तक) अनुमन्य है।

7. **सुकन्या समृद्धि खाता (Sukanya Samriddhi Account — SSA):**

• **ब्याज दर:** 8.2% प्रति वर्ष (वार्षिक चक्रवृद्धि, EEE कर-मुक्त)।

• **पात्रता एवं सीमा:** जन्म से **10 वर्ष** तक की बालिका के नाम पर माता-पिता/अभिभावक द्वारा (एक परिवार में अधिकतम 2 बालिकाओं के लिए, जुड़वाँ पुत्री होने पर 3 तक)। न्यूनतम जमा ₹250 प्रति वित्तीय वर्ष, अधिकतम ₹1,50,000।

• **अवधि एवं निकासी:** खाता खुलने की तिथि से **15 वर्ष तक जमा** करना होता है और **21 वर्ष** पूर्ण होने पर (या 18 वर्ष के बाद विवाह होने पर) खाता परिपक्व होता है। बालिका के 18 वर्ष पूर्ण करने या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर उच्च शिक्षा हेतु पिछले वित्तीय वर्ष के शेष का **50% तक निकासी** की जा सकती है।

8. **राष्ट्रीय बचत पत्र (National Savings Certificate — NSC VIII Issue):**

• **ब्याज दर:** 7.7% प्रति वर्ष (वार्षिक चक्रवृद्धि, परिपक्वता पर देय)। अवधि: **5 वर्ष**। न्यूनतम ₹1,000 (₹100 के गुणक में), अधिकतम कोई सीमा नहीं।

9. **किसान विकास पत्र (Kisan Vikas Patra — KVP):**

• **ब्याज दर एवं दोगुना होने की अवधि:** 7.5% प्रति वर्ष (वार्षिक चक्रवृद्धि)। इसमें जमा की गई राशि **115 माह (9 वर्ष 7 माह)** में दोगुनी (2x) हो जाती है! न्यूनतम ₹1,000, अधिकतम कोई सीमा नहीं। लॉक-इन अवधि: **2 वर्ष 6 माह (30 माह)**।

## *3.2 डाक जीवन बीमा (PLI) एवं ग्रामीण डाक जीवन बीमा (RPLI) की 6-6 योजनाएँ*

• **PLI (Postal Life Insurance):** इसकी शुरुआत **1 फरवरी 1884** को रानी विक्टोरिया के कार्यकाल में डाक कर्मचारियों की कल्याणकारी योजना के रूप में हुई थी (India Post PLI पोर्टल एवं PLI FAQ)। अब यह केंद्र/राज्य सरकार, PSU, बैंक, रक्षा कर्मियों, स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के साथ-

साथ सभी पेशेवरों (डॉक्टर, इंजीनियर, CA, वकील, प्रबंधन सलाहकार) और **मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के सभी स्नातकों/डिप्लोमा धारकों** के लिए उपलब्ध है। **न्यूनतम बीमित राशि (Sum Assured):** **₹20,000** और **अधिकतम बीमित राशि:** **₹50,00,000** **(₹50 लाख)**।

1. **सुरक्षा (Suraksha — Whole Life Assurance / WLA):** प्रवेश आयु 19–55 वर्ष। बीमित व्यक्ति के 80 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर (या मृत्यु पर) बोनस सहित भुगतान। 4 वर्ष बाद ऋण सुविधा व 3 वर्ष बाद समर्पण (Surrender) सुविधा। बोनस दर सर्वाधिक: **₹76 प्रति ₹1,000 बीमित राशि प्रति वर्ष**।

2. **संतोष (Santosh — Endowment Assurance / EA):** प्रवेश आयु 19–55 वर्ष। पूर्व-निर्धारित परिपक्वता आयु (35, 40, 45, 50, 55, 58 या 60 वर्ष) पर भुगतान। 3 वर्ष बाद ऋण और समर्पण सुविधा। बोनस दर: **₹52 प्रति ₹1,000 बीमित राशि प्रति वर्ष**।

3. **सुविधा (Suvidha — Convertible Whole Life Assurance / CWLA):** प्रवेश आयु 19–50 वर्ष (55 वर्ष तक विस्तारित शर्त सहित)। पॉलिसी लेने के **5 वर्ष बाद (परंतु 6 वर्ष से पहले)** इसे Endowment Assurance (संतोष) में बदलने की सुविधा।

4. **सुमंगल (Sumangal — Anticipated Endowment Assurance / AEA - Money Back):** प्रवेश आयु 19–40 वर्ष (20-वर्षीय पॉलिसी हेतु) और 19–45 वर्ष (15-वर्षीय पॉलिसी हेतु)।

• **15-वर्षीय पॉलिसी में जीवित रहने का लाभ (Survival Benefits):** 6 वर्ष, 9 वर्ष और 12 वर्ष पूर्ण होने पर **20%–20%–20%** तथा परिपक्वता (15वें वर्ष) पर शेष **40%** + **अर्जित बोनस**।

• **20-वर्षीय पॉलिसी में लाभ:** 8 वर्ष, 12 वर्ष और 16 वर्ष पर **20%–20%–20%** तथा परिपक्वता (20वें वर्ष) पर शेष **40%** + **अर्जित बोनस**। बोनस दर: **₹48 प्रति ₹1,000 प्रति वर्ष**।

5. **युगल सुरक्षा (Yugal Suraksha — Joint Life Endowment Assurance):** पति-पत्नी दोनों के लिए एक ही प्रीमियम में संयुक्त बीमा कवरेज (जिनमें कम से कम एक PLI हेतु पात्र हो)। प्रवेश आयु 21–45 वर्ष, पॉलिसी अवधि 5 से 20 वर्ष।

6. **बाल जीवन बीमा (Bal Jeevan Bima — Children Policy):** पॉलिसीधारक के अधिकतम **2 बच्चों** (आयु 5–20 वर्ष) के लिए, जबकि माता-पिता की आयु 45 वर्ष से अधिक न हो। अधिकतम बीमित राशि **₹3,00,000** **(₹3 लाख)** या माता-पिता की पॉलिसी के बराबर (जो भी कम हो)। बच्चे की चिकित्सा जाँच (Medical Exam) आवश्यक नहीं है और माता-पिता की मृत्यु होने पर भविष्य के सभी प्रीमियम माफ हो जाते हैं।

• **RPLI (Rural Postal Life Insurance):** मल्होत्रा समिति (1993) की सिफारिश पर **24 मार्च 1995** को ग्रामीण जनता और महिलाओं को बीमा सुरक्षा देने के लिए शुरू की गई (India Post RPLI पोर्टल)। **न्यूनतम बीमित राशि:** **₹10,000** और **अधिकतम बीमित राशि:** **₹10,00,000** **(₹10 लाख)**। इसकी 6 योजनाएँ हैं:

1. **ग्राम सुरक्षा (Gram Suraksha):** Whole Life Assurance (बोनस: ₹60 प्रति ₹1,000 प्रति वर्ष)।

2. **ग्राम संतोष (Gram Santosh):** Endowment Assurance (बोनस: ₹48 प्रति ₹1,000 प्रति वर्ष)।

3. **ग्राम सुविधा (Gram Suvidha):** Convertible Whole Life Assurance।

4. **ग्राम सुमंगल (Gram Sumangal):** 15 व 20 वर्षीय मनी-बैक पॉलिसी (बोनस: ₹45 प्रति ₹1,000 प्रति वर्ष)।

5. **ग्राम प्रिया (Gram Priya — 10-Year Rural PLI):** यह **केवल RPLI में उपलब्ध एक विशेष 10-वर्षीय अल्पावधि मनी-बैक योजना** है! इसमें प्रवेश आयु 20–45 वर्ष है। इसमें **4 वर्ष, 7 वर्ष और 10 वर्ष** पूर्ण होने पर क्रमशः **20%–20%–60% (+ बोनस)** का भुगतान होता है। प्राकृतिक आपदा (बाढ़, सूखा, चक्रवात) की स्थिति में 1 वर्ष तक ब्याज-मुक्त प्रीमियम स्थगन की सुविधा है।

6. **बाल जीवन बीमा (RPLI Children Policy):** अधिकतम बीमित राशि **₹1,00,000** **(₹1 लाख)** या माता-पिता की RPLI पॉलिसी के बराबर (जो भी कम हो)।

• **अन्य महत्वपूर्ण PLI/RPLI नियम:** बिना मेडिकल जाँच (Non-Medical Policy) की सीमा सामान्यतः 35 वर्ष की आयु तक ₹5 लाख (PLI में ₹10 लाख तक विशेष शर्तों पर) है। कम से कम 3 वर्ष तक चल चुकी पॉलिसी को **Paid-up** या **Surrender** किया जा सकता है। 6 माह से कम चली पॉलिसी के लैप्स होने पर पुनर्जीवन हेतु अधिकतम 6 किस्तें और 6 माह से अधिक चली पॉलिसी हेतु अधिकतम 12 किस्तें बकाया होने पर पुनर्जीवन (Revival) की प्रक्रिया लागू होती है।

## *मॉड्यूल 4:* IT Modernization Project *1.0*, IT Modernization *2.0 (APT 2.0)* एवं DARPAN *परियोजना*

### *4.1* IT Modernization Project *1.0 (8* Silos*)* एवं DARPAN

• **IT Modernization Project 1.0:** नवम्बर 2012 में **₹4,909 करोड़** के परिव्यय के साथ स्वीकृत किया गया (**IT Modernization गाइड**)। इसके **8 प्रमुख खंड (8 Silos)** थे:

1. **CSI (Core System Integrator — वेंडर: TCS):** डाकघर काउंटर, मेल ऑपरेशंस (IPVS), वित्त व HR (SAP ERP) का एकीकरण।

2. **FSI (Financial Services System Integrator — वेंडर: Infosys):** POSB के लिए **Finacle** (Core Banking Solution - CBS) और PLI/RPLI के लिए **McCamish** (Core Insurance Solution - CIS) तथा ATM/इंटरनेट बैंकिंग।

3. **RSI (Rural System Integrator):** ग्रामीण शाखा डाकघरों (1.29 लाख+ BOs) का डिजिटलीकरण — इसी को **DARPAN (Digital Advancement of Rural Post Office for A New India)** परियोजना कहा जाता है, जिसमें प्रत्येक GDS BPM को हैंडहेल्ड **RICT (Rural Information & Communication Technology)** उपकरण, बायोमेट्रिक स्कैनर, थर्मल प्रिंटर और सौर चार्जिंग पैनल दिए गए।

4. **NI (Network Integrator — वेंडर: Sify):** सभी डाकघरों को जोड़ने के लिए एकीकृत WAN नेटवर्क।

5. **DC (Data Centre — वेंडर: Reliance):** नवी मुंबई में प्राथमिक डेटा सेंटर।

6. **DRC (Disaster Recovery Centre):** मैसूरु (Mysuru) में स्थित आपदा रिकवरी केंद्र (जहाँ CEPT — Centre for Excellence in Postal Technology का मुख्यालय भी स्थित है)।

7. **MOH (Mail Operations Hardware):** पोस्टमैन के लिए स्मार्टफोन (**PMA - Postman Mobile Application**) और बारकोड स्कैनर।

8. **CM (Change Management):** कर्मचारियों के प्रशिक्षण व डिजिटल अनुकूलन हेतु।

### *4.2* IT Modernization Project *2.0* एवं APT *2.0* (Advanced Postal Technology)

• **परियोजना स्वीकृति एवं बजट:** भारत सरकार ने DOP IT 1.0 की निरंतरता में **19 जनवरी 2022 / जून 2022** को **8 वर्षों की अवधि (वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2029–30 तक)** के लिए **₹5,785 करोड़** के कुल परिव्यय के साथ **IT Modernization Project 2.0 (DOP IT 2.0)** को मंजूरी दी (**PIB आधिकारिक विज्ञप्ति** एवं **DOP IT 2.0 APT गाइड**)।

• **APT 2.0 (Advanced Postal Technology):**

• IT 2.0 के अंतर्गत विदेशी निजी सॉफ्टवेयर (SAP आदि) के स्थान पर **CEPT (Centre for Excellence in Postal Technology)** द्वारा पूर्णतः स्वदेशी (100% Indigenous, Microservices-based, Open-Source) प्लेटफॉर्म **APT 2.0** विकसित किया गया है (**PIB APT 2.0 विज्ञप्ति**)।

• इसे भारत सरकार के राष्ट्रीय क्लाउड **MeghRaj 2.0 (GI Cloud)** पर होस्ट किया गया है और देश भर में कनेक्टिविटी **BSNL** नेटवर्क के माध्यम से दी गई है (**PIB विज्ञप्ति**)।

• **पायलट एवं राष्ट्रव्यापी गो-लाइव:** मई–जून 2025 में कर्नाटक सर्किल से पायलट शुरू कर, जुलाई 2025 में गुजरात सर्किल और **4 अगस्त 2025** तक देश के सभी **23 डाक सर्किलों के 1.70 लाख+ डाकघरों, मेल ऑफिसों और प्रशासनिक कार्यालयों** में APT 2.0 को सफलतापूर्वक लाइव कर दिया गया है, जिसमें **4.6 लाख+ कर्मचारियों** को कैस्केड मॉडल के तहत प्रशिक्षित किया गया (**India Post IT 2.0 रिपोर्ट**)।

• **प्रमुख विशेषताएँ:** QR कोड आधारित डिजिटल भुगतान, अक्षांश-देशांतर (DIGIPIN / Digital Addressing) आधारित सटीक डिलीवरी, सिंगल-विंडो एकीकृत काउंटर, ONDC एवं GeM एकीकरण तथा एंड-टू-एंड रियल-टाइम ट्रैकिंग।

## *मॉड्यूल 5:* IIBF *बैंकिंग पदोन्नति परीक्षा (*JAIIB / CAIIB*) — चारों पेपर्स के केस स्टडीज, नियम एवं महत्वपूर्ण सूत्र*

**IIBF (Indian Institute of Banking & Finance)** के संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार JAIIB के चारों अनिवार्य प्रश्नपत्रों (**JAIIB पाठ्यक्रम संदर्भ**) और CAIIB के उन्नत वित्तीय सूत्रों का संकलन नीचे दिया गया है:

## 5.1 Paper 1: IE&IFS (Indian Economy & Indian Financial System)

- **राष्ट्रीय आय के महत्वपूर्ण सूत्र:**
- **GDP_MP = C + I + G + (X - M)**
- **NDP_MP = GDP_MP - Depreciation**
- **GNP_MP = GDP_MP + NFIA** (जहाँ **NFIA** = विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय)
- **NNP_FC (National Income) = NNP_MP - Net Indirect Taxes = NNP_MP - (Indirect Taxes - Subsidies)**
- **GDP Deflator = (Nominal GDP / Real GDP) * 100**
- **मुद्रा आपूर्ति एवं मौद्रिक नीति (Money Supply & Monetary Policy):**
- **M1 (Narrow Money) = C + DD + OD** (जनता के पास करेंसी + बैंकों के पास मांग जमा + RBI के पास अन्य जमा)
- **M3 (Broad Money) = M1 + Time Deposits with Banking System**
- **Money Multiplier (m) = M3 / M0** (जहाँ **M0** = आरक्षित मुद्रा / High Powered Money)
- मौद्रिक नीति समिति (MPC — RBI Act की धारा 45ZB) में कुल **6 सदस्य** होते हैं (3 RBI से + 3 केंद्र सरकार द्वारा नामित)। मुद्रास्फीति लक्ष्य: **4% (+/- 2%)** अर्थात **2% से 6%**।
- **BASEL-III पूंजी पर्याप्तता मानक (RBI दिशानिर्देश):**
- भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए न्यूनतम **CRAR (Capital to Risk-Weighted Assets Ratio)** = **9.0%** (अंतरराष्ट्रीय Basel-III मानक **8.0%** है)।
- **Capital Conservation Buffer (CCB)** = **2.5%**; अत: **Minimum Total Capital + CCB = 9.0% + 2.5% = 11.5%**।
- **Common Equity Tier-1 (CET-1)** = न्यूनतम **5.5%** (+ **2.5%** CCB = **8.0%**), **Additional Tier-1 (AT-1)** = **1.5%**, अत: **Minimum Tier-1 Capital** = **7.0%** (CCB सहित **9.5%**) और **Tier-2 Capital** = अधिकतम **2.0%**।
- **महत्वपूर्ण सूत्र: CRAR = [ (Tier-1 Capital + Tier-2 Capital) / Risk-Weighted Assets (RWA) ] * 100**।
- **Leverage Ratio** = **(Tier-1 Capital / Total Exposure) * 100** (न्यूनतम **4.0%** D-SIBs के लिए और **3.5%** अन्य बैंकों के लिए)।

## 5.2 Paper 2: PPB (Principles & Practices of Banking)

- **बैंकर और ग्राहक के बीच विधिक संबंध (Banker-Customer Relationship — सर्वोच्च वरीयता सारणी):**
- **जमा खाता (SB/CD/FD):** ग्राहक = **Creditor (लेनदार)**, बैंक = **Debtor (देनदार)**।
- **ऋण खाता (Loan/Advance):** बैंक = **Creditor (लेनदार)**, ग्राहक = **Debtor (देनदार)**।
- **सुरक्षित जमा लॉकर (Safe Deposit Locker):** बैंक = **Lessor (पट्टादाता / Licensor)**, ग्राहक = **Lessee (पट्टेदार / Licensee)**।
- **सुरक्षित अभिरक्षा (Safe Custody of Articles):** ग्राहक = **Bailor (उपनिधाता)**, बैंक = **Bailee (उपनिहिती)** (भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 148)।
- **चेक संग्रहण / स्थायी अनुदेश (Standing Instructions):** बैंक = **Agent (अभिकर्ता)**, ग्राहक = **Principal (मालिक)**।
- **भूल से छूटी वस्तु या बिना निर्देश के जमा राशि:** बैंक = **Trustee (न्यासी)**, ग्राहक = **Beneficiary (लाभार्थी)**।
- **बैंकर के विशेष अधिकार एवं कानूनी नियम:**
- **Right of General Lien (सामान्य ग्रहणाधिकार — धारा 171, संविदा अधिनियम):** यह एक **Implied Pledge (अंतर्निहित गिरवी)** है, जिससे बैंक को बिना न्यायालय हस्तक्षेप के प्रतिभूति बेचने का अधिकार होता है (उचित नोटिस देकर)।

• **Right of Set-off (समंजन का अधिकार):** ग्राहक के एक ही क्षमता (Same Capacity) वाले जमा खाते के शेष से उसके अतिदेय (Overdue) ऋण खाते को समायोजित करने का अधिकार।

• **Clayton's Rule (क्लेटन का नियम — Devaynes vs Noble केस):** चालू/कैश क्रेडिट खाते में कोई विशिष्ट निर्देश न होने पर पहली जमा राशि पहले निकाली गई/ऋण राशि को चुकाती है (**First-In, First-Out** — ऋण की क्रमिक वसूली)। गारंटीकर्ता की मृत्यु या गारंटी वापस लेने पर बैंक को तुरंत खाता रोकना (**Stop Operation**) पड़ता है ताकि Clayton's Rule के कारण बैंक का दावा कमजोर न हो!

• **Garnishee Order (दीवानी न्यायालय द्वारा धारा 60 CPC) एवं Income Tax Attachment Order (धारा 226(3)):** पहले **Order Nisi** (कारण बताओ) और फिर **Order Absolute** जारी होता है। यह एकल खाते की राशि को कुर्क करता है; यदि संयुक्त खाता **'Either or Survivor'** है तो एकल देनदार के लिए कुर्क नहीं होता, परंतु यदि दो व्यक्तियों पर संयुक्त कर्ज है तो उनका संयुक्त खाता कुर्क हो सकता है।

• **परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 (Negotiable Instruments Act, 1881):**

• **धारा 4:** वचन पत्र (Promissory Note), **धारा 5:** विनिमय पत्र (Bill of Exchange), **धारा 6:** चेक (Cheque)।

• **धारा 10:** यथाविधि संदाय (**Payment in Due Course**)।

• **धारा 85:** अदाकर्ता बैंक (Paying Banker) को आदेश चेक (**Order Cheque**) एवं वाहक चेक (**Bearer Cheque**) के भुगतान पर वैधानिक संरक्षण।

• **धारा 131:** संग्रहणकर्ता बैंक (Collecting Banker) को रेखांकित चेक (**Crossed Cheque**) के सद्भावपूर्वक और बिना लापरवाही के संग्रहण पर संरक्षण।

• **धारा 138:** खाते में अपर्याप्त निधि के कारण चेक के अनादरण (**Dishonour of Cheque**) पर दंड — **अधिकतम 2 वर्ष का कारावास या चेक राशि के दोगुने तक जुर्माना या दोनों**। नोटिस की समय-सीमा: बैंक सूचना से **30 दिन** के भीतर मांग नोटिस, प्राप्तकर्ता को भुगतान हेतु **15 दिन** का समय, और भुगतान न होने पर अगले **1 माह** के भीतर न्यायालय में परिवाद।

• **Priority Sector Lending (PSL) लक्ष्य:** घरेलू वाणिज्यिक बैंकों व विदेशी बैंकों (20+ शाखाएँ) के लिए **40% of ANBC/CEOBE**, Regional Rural Banks (RRBs) और Small Finance Banks (SFBs) के लिए **75% of ANBC**, तथा Primary Urban Co-operative Banks (UCBs) के लिए चरणबद्ध उच्च लक्ष्य। कृषि हेतु **18%** (जिसमें लघु व सीमांत किसानों SMF के लिए **10%**), Micro Enterprises के लिए **7.5%** और Weaker Sections के लिए **12%**।

## *5.3* Paper *3:* AFM *(Accounting & Financial Management for Bankers) — केस स्टडी व महत्वपूर्ण सूत्र*

• **1. बॉन्ड मूल्यांकन एवं YTM (Bond Valuation & Yield to Maturity):**

• बॉन्ड का वर्तमान मूल्य: **V = sum(t = 1 to n) [ C / (1 + r)^t ] + [ F / (1 + r)^n ]** (जहाँ **C** = वार्षिक कूपन ब्याज, **F** = अंकित मूल्य / Face Value, **r** = अपेक्षित प्रतिफल दर)।

• **सन्निकट YTM का 1D परीक्षा सूत्र:**

**YTM = [ C + ((F - P) / n) ] / [ (F + P) / 2 ] * 100**

(जहाँ **P** = वर्तमान बाजार मूल्य, **F** = मोचन/अंकित मूल्य, **n** = परिपक्वता के शेष वर्ष)।

• **मैकोले अवधि (Macaulay Duration) एवं संशोधित अवधि (Modified Duration):**

• **Modified Duration (D_mod) = Macaulay Duration / (1 + YTM / k)** (जहाँ **k** वर्ष में कूपन भुगतान की संख्या है)।

• ब्याज दर में **Delta_y** परिवर्तन होने पर बॉन्ड मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन: **% Change in Bond Price = - D_mod * Delta_y**।

• **2. मूल्यह्रास (Depreciation) के महत्वपूर्ण सूत्र:**

• **सीधी रेखा पद्धति (Straight Line Method — SLM):** **Annual Depreciation = (Cost of Asset - Scrap Value) / Useful Life (n)**।

• **क्रमागत ह्रासमान शेष पद्धति (Written Down Value — WDV):** `n` वर्ष बाद पुस्तक मूल्य `Book Value_n = Cost * (1 - r)^n` तथा `r = 1 - (Scrap Value / Cost)^(1 / n)`।

• **Sum of Years' Digits (SYD) Method:** `k` वें वर्ष का मूल्यह्रास `= [(n - k + 1) / (n(n + 1)/2)] (Cost - Scrap Value)`।

• **3. वित्तीय अनुपात विश्लेषण (Financial Ratio Analysis — महत्वपूर्ण सूत्र):**

• `Current Ratio = Current Assets / Current Liabilities` (आदर्श मानक `1.33 : 1` टंडन समिति की द्वितीय विधि के अनुसार; पारंपरिक मानक `2 : 1`)।

• `Quick Ratio (Acid-Test Ratio) = (Current Assets - Inventory - Prepaid Expenses) / Current Liabilities` (आदर्श मानक `1 : 1`)।

• `Net Working Capital (NWC) = Current Assets - Current Liabilities = Long-Term Funds - Long-Term Assets`।

• `Debt-Equity Ratio = Long-Term Debt / Shareholders' Net Worth`।

• **DSCR (Debt Service Coverage Ratio — सावधि ऋण मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण अनुपात):**

`DSCR = (PAT + Depreciation + Non-Cash Expenses + Interest on Term Loan) / (Interest on Term Loan + Principal Installment of Term Loan)`।

• `Inventory Turnover Ratio = Cost of Goods Sold (COGS) / Average Inventory`।

• `Return on Equity (ROE — DuPont सूत्र) = Net Profit Margin *Asset Turnover* Equity Multiplier = (PAT / Sales) (*Sales* / *Total Assets*) (Total Assets / Equity)`।

• **4. लागत-मात्रा-लाभ एवं सम-विच्छेद बिंदु (CVP & Break-Even Point):**

• `Contribution per unit = Selling Price per unit (S) - Variable Cost per unit (V)`

• `P/V Ratio (Profit-Volume Ratio) = (Contribution / Sales) * 100`

• `Break-Even Point (in Units) = Fixed Cost / Contribution per unit`

• `Break-Even Point (in Rupees) = Fixed Cost / (P/V Ratio)`

• `Margin of Safety = Actual Sales - Break-Even Sales = Profit / (P/V Ratio)`

## *5.4* Paper *4:* RBWM *(*Retail Banking & Wealth Management*)* — *केस स्टडी व महत्वपूर्ण सूत्र*

• **1. EMI एवं खुदरा ऋण पात्रता (FOIR & LTV):**

• **मासिक किस्त (EMI) का महत्वपूर्ण सूत्र:**

`EMI = [ P r (1 + r)^n ] / [ (1 + r)^n - 1 ]`

(जहाँ `P` = मूल ऋण राशि, `r` = मासिक ब्याज दर `= Annual Rate / (12 * 100)`, तथा `n` = कुल मासिक किस्तों की संख्या)।

• **FOIR (Fixed Obligation to Income Ratio):**

`FOIR = [ (Existing EMIs + Proposed EMI + Statutory Deductions) / Gross Monthly Income ] * 100` (बैंक सामान्यतः 40% से 50% तक FOIR की अनुमति देते हैं)।

• **RBI Housing Loan LTV (Loan to Value Ratio) मानक:**

• ₹30 लाख तक के गृह ऋण हेतु अधिकतम LTV = `90%` (मार्जिन 10%)।

• ₹30 लाख से अधिक और ₹75 लाख तक के गृह ऋण हेतु अधिकतम LTV = `80%` (मार्जिन 20%)।

- ₹75 लाख से अधिक के गृह ऋण हेतु अधिकतम LTV = **75%** (मार्जिन 25%)।
- **2. वेल्थ मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड NAV एवं पोर्टफोलियो अनुपात (JAIIB RBWM संदर्भ):**
- **Net Asset Value (NAV):** **NAV per unit = (Market Value of Scheme Investments + Receivables + Accrued Income - Liabilities - Accrued Expenses) / Total Number of Units Outstanding**।
- **Sharpe Ratio (कुल जोखिम प्रति इकाई अतिरिक्त प्रतिफल):** **Sharpe Ratio = (R_p - R_f) / sigma_p** (जहाँ **R_p** = पोर्टफोलियो रिटर्न, **R_f** = जोखिम-मुक्त दर, **sigma_p** = पोर्टफोलियो का मानक विचलन / कुल जोखिम)।
- **Treynor Ratio (बाजार जोखिम प्रति इकाई अतिरिक्त प्रतिफल):** **Treynor Ratio = (R_p - R_f) / Beta_p** (जहाँ **Beta_p** = व्यवस्थित जोखिम / Systematic Risk)।
- **CAPM (Capital Asset Pricing Model):** **Expected Return E(R_i) = R_f + Beta_i * (E(R_m) - R_f)**।
- **Rule of 72 (निवेश दोगुना होने का त्वरित नियम):** **Years to Double = 72 / Annual Rate of Interest (%)**।

**अभ्यास प्रश्न #1** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 1.** **[India Post GDS to MTS/Postman LDCE 2024]** Post Office Guide Part-I के क्लॉज 2 के अनुसार वर्तमान में भारत में कुल कितने क्षेत्रीय डाक सर्किल (Postal Circles) और कितने बेस सर्किल हैं?

- (A) 22 डाक सर्किल और 1 बेस सर्किल
- (B) 23 डाक सर्किल और 1 बेस सर्किल
- (C) 24 डाक सर्किल और 2 बेस सर्किल
- (D) 21 डाक सर्किल और 1 बेस सर्किल

**सही उत्तर:** (B)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

Post Office Guide Part-I के क्लॉज 2 के अनुसार भारतीय डाक विभाग को **23 क्षेत्रीय डाक सर्किलों** (जिनका प्रमुख CPMG होता है) और सशस्त्र बलों की डाक सेवा हेतु **1 बेस सर्किल (APS — 56 APO व 99 APO)** में विभाजित किया गया है।

**अभ्यास प्रश्न #2** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 2.** **[India Post GDS to PA/SA LDCE 2023]** रात्रिकालीन डाकघरों (Night Post Offices — Clause 4) के कार्य करने का विस्तारित समय अधिकतम कितने बजे तक हो सकता है और इसे बढ़ाने के लिए कौन अधिकृत है?

- (A) शाम 7:00 बजे तक, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल (CPMG)
- (B) रात 8:30 बजे तक, महानिदेशक डाक (DG Posts)
- (C) रात 9:00 बजे तक, मंडल अधीक्षक (SSPOs)
- (D) रात 10:00 बजे तक, पोस्टमास्टर जनरल (PMG)

**सही उत्तर:** (B)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

PO Guide Part-I के क्लॉज 4 के अनुसार Night Post Offices के कामकाज के घंटे महानिदेशक डाक (Director General of Posts) द्वारा रात **8:30 PM** तक बढ़ाए जा सकते हैं और ये रविवार तथा डाक अवकाशों पर भी खुले रहते हैं।

**अभ्यास प्रश्न #3** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 3.** **[India Post GDS to MTS LDCE 2024]** ग्रामीण शाखा डाकघर (Branch Post Office — Clause 5) प्रतिदिन न्यूनतम और अधिकतम कितने घंटों के लिए खुला रहता है?

- (A) न्यूनतम 3 घंटे, अधिकतम 4 घंटे
- (B) न्यूनतम 4 घंटे, अधिकतम 5 घंटे
- (C) न्यूनतम 5 घंटे, अधिकतम 6 घंटे
- (D) न्यूनतम 4 घंटे, अधिकतम 6 घंटे

**सही उत्तर:** (B)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

PO Guide Part-I के क्लॉज 5 के अनुसार ग्रामीण शाखा डाकघर (BO) प्रतिदिन न्यूनतम **4 घंटे** और अधिकतम **5 घंटे** के लिए कार्य करते हैं।

**अभ्यास प्रश्न #4** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 4.** **[India Post Postman/Mail Guard LDCE 2024]** रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन (RMFM — Clause 11) से छपने वाली फ्रैंक छाप का रंग क्या होता है और गलत छपे लिफाफे को वापस करने पर कितने प्रतिशत कटौती करके रिफंड दिया जाता है?

- (A) लाल रंग, 10% कटौती
- (B) नीला रंग, 5% कटौती
- (C) नीला रंग, 2% कटौती
- (D) हरा रंग, 5% कटौती

**सही उत्तर:** (B)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

RMFM (डिजिटल फ्रैंकिंग मशीन) की छाप का रंग **नीला (Blue)** होता है। क्लॉज 11 के अनुसार त्रुटिवश फ्रैंक किए गए लिफाफों को 3 माह के भीतर प्रस्तुत करने पर अंकित मूल्य में से **5% की कटौती** करके शेष राशि वापस की जाती है।

**अभ्यास प्रश्न #5** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 5.** **[India Post GDS to PA LDCE 2024]** भारत में पिन कोड (PIN Code — Clause 23) प्रणाली की शुरुआत कब हुई और इसके 6 अंकों में तीसरा अंक क्या दर्शाता है?

- (A) 15 अगस्त 1972, छंटाई जिला (Sorting District)
- (B) 26 जनवरी 1972, उप-क्षेत्र (Sub-Zone)
- (C) 2 अक्टूबर 1975, वितरण डाकघर (Delivery Post Office)
- (D) 15 अगस्त 1974, डाक सर्किल (Postal Circle)

**सही उत्तर:** (A)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

पिन कोड की शुरुआत **15 अगस्त 1972** को हुई। **6-Digit PIN = [d1][d2][d3][d4 d5 d6]** में **d1** = क्षेत्र (Region/Zone), **d2** = उप-क्षेत्र (Sub-Region), **d3** = **छंटाई जिला (Sorting District)** और अंतिम तीन अंक **d4 d5 d6** = वितरण डाकघर को दर्शाते हैं।

**अभ्यास प्रश्न #6** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 6.** **[India Post GDS to MTS/Postman LDCE 2023]** यदि कोई किराएदार डाकघर में Post Box और Post Bag (Clauses 55 & 56) दोनों सुविधाएँ एक साथ एक वित्तीय वर्ष के लिए लेता है, तो कुल संयुक्त वार्षिक किराया कितना देय होगा?

- (A) ₹150
- (B) ₹300
- (C) ₹250

- (D) ₹200

**सही उत्तर:** (C)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

केवल Post Box या केवल Post Bag का वार्षिक किराया **₹150** है, परंतु दोनों सुविधाएँ एक साथ लेने पर रियायती संयुक्त वार्षिक किराया **₹250** **प्रति वित्तीय वर्ष** (अथवा ₹80 प्रति तिमाही) निर्धारित है।

**अभ्यास प्रश्न #7** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 7.** **[India Post GDS to PA LDCE 2025]** **'Poste Restante'** (Clause 64) के रूप में संबोधित किसी मूल्य-देय वस्तु (VPP Article) को गंतव्य डाकघर में अधिकतम कितने दिनों तक रोका जा सकता है?

- (A) 30 दिन (1 माह)
- (B) 15 दिन
- (C) 7 दिन
- (D) 14 दिन

**सही उत्तर:** (C)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

PO Guide Part-I के क्लॉज 64 के अनुसार सामान्य **'Poste Restante'** डाक को डाकघर में 1 माह तक रखा जा सकता है, किंतु **VPP वस्तुओं को अधिकतम केवल 7 दिनों तक** ही रोका जा सकता है।

**अभ्यास प्रश्न #8** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 8.** **[India Post Postman LDCE 2024]** अंध साहित्य पैकेट (Blind Literature Packet) को डाक द्वारा अधिकतम कितने वजन तक निःशुल्क (पंजीकरण एवं पावती शुल्क सहित) भेजा जा सकता है?

- (A) 5 किग्रा
- (B) 7 किग्रा
- (C) 10 किग्रा
- (D) 4 किग्रा

**सही उत्तर:** (B)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

अंध साहित्य पैकेट (Cecogrammes) अधिकतम 7 **किग्रा** वजन तक डाक महसूल, पंजीकरण शुल्क तथा पावती शुल्क से पूर्णतः मुक्त होता है (केवल हवाई मार्ग का उपयोग करने पर एयर सरचार्ज देय होता है)।

**अभ्यास प्रश्न #9** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 9.** **[India Post GDS to PA LDCE 2024]** एक शाखा डाकघर (Branch Post Office) में किसी डाक वस्तु का अधिकतम कितने रुपये तक बीमा (Insurance — Clause 172) किया जा सकता है?

- (A) ₹1,00,000
- (B) ₹10,000
- (C) ₹600
- (D) ₹5,000

**सही उत्तर:** (C)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

शाखा डाकघर (BO) में अधिकतम **₹600** मूल्य तक और विभागीय उप-डाकघर (SO) व प्रधान डाकघर (HO) में अधिकतम **₹1,00,000** मूल्य तक बीमा किया जा सकता है (**India Post घरेलू डाक सेवाएँ**)।

**अभ्यास प्रश्न #10** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 10.** **[India Post GDS to MTS/Postman LDCE 2023]** एकल इलेक्ट्रॉनिक मनीऑर्डर (eMO) की अधिकतम सीमा क्या है और यह कब **'Void Money Order'** (शून्य मनीऑर्डर) बन जाता है?

- (A) ₹5,000; जारी होने के माह के अगले माह के अंत में
- (B) ₹10,000; जारी होने से 3 माह बाद
- (C) ₹5,000; जारी होने के वर्ष के अंत में
- (D) ₹20,000; जारी होने के माह के अंत में

**सही उत्तर:** (A)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

एकल मनीऑर्डर अधिकतम **₹5,000** के लिए जारी किया जा सकता है। यदि उसका भुगतान प्राप्तकर्ता या प्रेषक को उसके **जारी होने के माह के अगले माह के अंत (End of the month following the month of issue)** तक नहीं होता, तो वह **Void Money Order** हो जाता है।

**अभ्यास प्रश्न #11** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 11.** **[India Post PA/SA LDCE 2024]** Post Office Guide Part-II (Foreign Post) के अनुसार विदेश भेजे जाने वाले विशेष बल्क बैग (**M-Bag**) का न्यूनतम प्रभार्य वजन और अधिकतम वजन क्या है?

- (A) न्यूनतम 2 किग्रा, अधिकतम 20 किग्रा
- (B) न्यूनतम 5 किग्रा, अधिकतम 30 किग्रा
- (C) न्यूनतम 5 किग्रा, अधिकतम 20 किग्रा
- (D) न्यूनतम 10 किग्रा, अधिकतम 35 किग्रा

**सही उत्तर:** (B)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

Foreign Post में एक ही पते पर मुद्रित सामग्री भेजने वाले **M-Bag** का न्यूनतम प्रभार्य वजन **5 किग्रा** और अधिकतम वजन **30 किग्रा** होता है।

**अभ्यास प्रश्न #12** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 12.** **[India Post Inspector Posts LDCE 2023]** भारत Universal Postal Union (UPU) और Asian-Pacific Postal Union (APPU) का सदस्य क्रमशः किस वर्ष बना?

- (A) 1874 और 1970
- (B) 1876 और 1973
- (C) 1884 और 1975
- (D) 1854 और 1965

**सही उत्तर:** (B)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

UPU की स्थापना 1874 में बर्न में हुई और भारत **1876** में इसका सदस्य बना। वहीं बैंकॉक मुख्यालय वाले APPU में भारत **1973** में शामिल हुआ।

**अभ्यास प्रश्न #13** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 13.** **[India Post GDS to PA LDCE 2024]** Postal Manual Volume V के नियम 28 के अनुसार, प्रधान डाकघर (HO) द्वारा उप-डाकघर (SO) को भेजे जाने वाले **Account Bag** (लेखा थैला) में कौन-सा दस्तावेज अनिवार्य रूप से रखा जाता है?

- (A) SO Daily Account
- (B) SO Slip
- (C) BO Slip
- (D) Mail List

**सही उत्तर:** (B)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

Postal Manual Vol. V के नियम 28 के अनुसार, **HO से SO को जाने वाले लेखा थैले में SO Slip** और **SO से HO को जाने वाले लेखा थैले में SO Daily Account** रखा जाता है।

**अभ्यास प्रश्न #14** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 14.** **[India Post Postman/Mail Guard LDCE 2024]** Postal Manual Volume V के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन-सा थैला एक **'Unusual Bag'** (असाधारण थैला) की श्रेणी में आता है?

- (A) Mail Bag (डाक थैला)
- (B) Registered Bag (पंजीकृत थैला)
- (C) Account Bag (लेखा थैला)
- (D) Parcel Bag (पार्सल थैला)

**सही उत्तर:** (D)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

Mail Bag, Registered Bag और Account Bag **Due Bags (नियत थैले)** हैं जिन्हें प्रतिदिन निर्धारित अंतराल पर बनाना अनिवार्य है, जबकि **Parcel Bag, Packet Bag, Camp Bag और Special Bag असाधारण थैले (Unusual Bags)** हैं जिन्हें केवल आवश्यकता होने पर ही बंद किया जाता है।

**अभ्यास प्रश्न #15** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 15.** **[India Post PA/SA LDCE 2023]** Postal Manual Volume V के नियम 56 के अनुसार, आरएमएस अधीक्षक (Superintendent RMS) द्वारा छंटाई सूची (**Sorting List**) में परिवर्तन करने के लिए कौन-सा आदेश जारी किया जाता है?

- (A) A-Order
- (B) B-Order
- (C) T-Order
- (D) K-Order

**सही उत्तर:** (A)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

नियम 56 के अनुसार छंटाई सूची (Sorting List) में संशोधन हेतु अधीक्षक द्वारा **A-Order** जारी किए जाते हैं, जबकि सामान्य परिचालन व प्रशासनिक मार्गदर्शन हेतु नियम 56-A के तहत **B-Order** जारी किए जाते हैं।

**अभ्यास प्रश्न #16** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 16.** **[India Post GDS to MTS LDCE 2024]** परीक्षण कार्ड ( **Trial Card** — फॉर्म M-26(a), Rule 54 of Vol V) के संबंध में कौन-सा नियम सही है?

- (A) इसे स्टेशन बंडल के ठीक बीच में रखा जाता है
- (B) इसे कभी भी किसी बंडल में शामिल नहीं किया जाता है
- (C) इसे केवल पंजीकृत थैले के अंदर बंद किया जाता है
- (D) इसे RLO द्वारा नष्ट कर दिया जाता है

**सही उत्तर:** (B)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

Postal Manual Vol V के नियम 54 के अनुसार, Trial Card का उद्देश्य डाक मार्ग की गति और लाभ का परीक्षण करना है, इसलिए इसे **किसी भी बंडल के अंदर बांधना वर्जित है** ताकि छंटाई सहायक तुरंत इस पर मुहर लगाकर प्रविष्टि कर सके।

**अभ्यास प्रश्न #17** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 17.** **[India Post Postman LDCE 2024]** Postal Manual Volume VI Part-III के अनुसार ग्रामीण शाखा डाकघर की **'Village Sorting List'** (फॉर्म M-52) किस अधिकारी द्वारा तैयार करके शाखा डाकघर को दी जाती है?

- (A) शाखा डाकपाल (BPM)
- (B) उपमंडल निरीक्षक (Inspector of Post Offices / ASPOs)
- (C) प्रधान डाकपाल (Head Postmaster)
- (D) पोस्टमास्टर जनरल (PMG)

**सही उत्तर:** (B)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

ग्रामीण डाकघर के वितरण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गाँवों और बस्तियों की **Village Sorting List (M-52)** उपमंडल निरीक्षक (**Sub-Divisional Inspector / ASPOs**) द्वारा तैयार करके आपूर्ति की जाती है।

**अभ्यास प्रश्न #18** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 18.** **[India Post PA/SA LDCE 2024]** Postal Manual Volume VII के अनुसार ट्रांजिट सेक्शन और मेल ऑफिस का **'Mail Abstract'** (डाक सार) क्रमशः किन फॉर्म संख्याओं पर और कितने भागों में बना होता है?

- (A) M-42 और M-43; दो भाग ( **Mails** और **Bags** )
- (B) M-40 और M-41; तीन भाग
- (C) M-52 और M-53; दो भाग
- (D) M-26 और M-27; चार भाग

**सही उत्तर:** (A)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

ट्रांजिट सेक्शन के लिए Mail Abstract फॉर्म **M-42** और मेल ऑफिस के लिए फॉर्म **M-43** पर होता है, और यह दो मुख्य भागों — **Part-I ( Mails )** तथा **Part-II ( Bags )** में विभाजित होता है।

**अभ्यास प्रश्न #19** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 19.** **[India Post GDS to PA LDCE 2025]** डाकघर मासिक आय योजना (MIS — ब्याज दर **7.4%** प्रति वर्ष) में एकल खाते (Single) और संयुक्त खाते (Joint) की अधिकतम जमा सीमा क्या है तथा ₹9,00,000 जमा करने पर मासिक ब्याज कितना मिलेगा?

- (A) ₹4.5 लाख और ₹9 लाख; ₹2,775 प्रति माह
- (B) ₹9 लाख और ₹15 लाख; ₹5,550 प्रति माह
- (C) ₹9 लाख और ₹15 लाख; ₹5,250 प्रति माह
- (D) ₹15 लाख और ₹30 लाख; ₹9,250 प्रति माह

**सही उत्तर:** (B)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

राष्ट्रीय बचत संस्थान (NSI) तथा अक्टूबर–दिसंबर 2026 ब्याज दरों के अनुसार MIS में एकल सीमा **₹9,00,000** और संयुक्त सीमा **₹15,00,000** है। महत्वपूर्ण सूत्र से ₹9 लाख पर मासिक ब्याज **= (9,00,000 7.4) / (12 100) = 900 * 7.4 / 1.2 = ₹5,550** प्रति माह।

**अभ्यास प्रश्न #20** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 20.** **[India Post PA/SA LDCE 2024]** वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) और सुकन्या समृद्धि खाता (SSA) पर वर्तमान में वार्षिक ब्याज दर क्या है और SCSS में अधिकतम जमा सीमा कितनी है?

- (A) **8.2%** प्रति वर्ष; ₹30 लाख
- (B) **8.0%** प्रति वर्ष; ₹15 लाख
- (C) **8.2%** प्रति वर्ष; ₹15 लाख
- (D) **7.7%** प्रति वर्ष; ₹30 लाख

**सही उत्तर:** (A)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

लघु बचत योजनाओं में सर्वाधिक ब्याज दर **SCSS और SSA दोनों पर 8.2% प्रति वर्ष** है (NSI ब्याज दर तालिका)। SCSS में अधिकतम जमा सीमा बढ़ाकर **₹30,00,000 (₹30 लाख)** कर दी गई है।

**अभ्यास प्रश्न #21** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 21.** **[India Post GDS to MTS/Postman LDCE 2025]** किसान विकास पत्र (KVP) पर वर्तमान ब्याज दर **7.5%** के अनुसार जमा की गई राशि कितने महीनों में दोगुनी (**Double**) हो जाती है?

- (A) 120 माह (10 वर्ष)
- (B) 115 माह (9 वर्ष 7 माह)
- (C) 124 माह (10 वर्ष 4 माह)
- (D) 110 माह (9 वर्ष 2 माह)

**सही उत्तर:** (B)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

**7.5%** वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर KVP में निवेशित राशि **115 माह (9 वर्ष और 7 माह)** में दोगुनी हो जाती है (लघु बचत दर संदर्भ)।

**अभ्यास प्रश्न #22** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 22.** **[India Post GDS to PA LDCE 2024]** सुकन्या समृद्धि खाते (SSA) में खाता खुलने की तिथि से कितने वर्षों तक राशि जमा करनी होती है और खाता कितने वर्ष पूर्ण होने पर परिपक्व होता है?

- (A) 14 वर्ष तक जमा, 21 वर्ष पर परिपक्वता
- (B) 15 वर्ष तक जमा, 21 वर्ष पर परिपक्वता
- (C) 15 वर्ष तक जमा, 18 वर्ष पर परिपक्वता
- (D) 18 वर्ष तक जमा, 21 वर्ष पर परिपक्वता

**सही उत्तर:** (B)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

SSA में खाता खुलने की तिथि से केवल **15 वर्ष तक** जमा किया जाता है (16वें से 21वें वर्ष तक कोई जमा नहीं करना होता, किंतु पूरे बैलेंस पर **8.2%** ब्याज मिलता रहता है) और खाता खोलने से **21 वर्ष** पूर्ण होने पर परिपक्व होता है (**India Post बचत योजनाएँ**)।

**अभ्यास प्रश्न #23** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 23.** **[India Post PA/SA LDCE 2023]** 5-वर्षीय डाकघर आवर्ती जमा (RD — ब्याज दर **6.7%**) खाते में लगातार कितनी मासिक किस्तों का डिफ़ॉल्ट होने पर खाता निष्क्रिय (**Discontinued**) हो जाता है और ऋण लेने के लिए न्यूनतम कितनी किस्तें जमा होनी चाहिए?

- (A) 4 डिफ़ॉल्ट; 12 किस्तें (1 वर्ष)
- (B) 6 डिफ़ॉल्ट; 12 किस्तें (1 वर्ष)
- (C) 4 डिफ़ॉल्ट; 24 किस्तें (2 वर्ष)
- (D) 3 डिफ़ॉल्ट; 6 किस्तें (6 माह)

**सही उत्तर:** (A)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

RD खाते में लगातार **4 मासिक डिफ़ॉल्ट** होने पर खाता बंद/निष्क्रिय हो जाता है (जिसे 2 माह के ग्रेस पीरियड में पुनर्जीवित किया जा सकता है)। खाते में लगातार **12 किस्तें जमा होने और 1 वर्ष पूर्ण होने** पर जमा शेष के 50% तक ऋण मिल सकता है।

**अभ्यास प्रश्न #24** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 24.** **[India Post GDS to PA LDCE 2024]** डाक जीवन बीमा (PLI) और ग्रामीण डाक जीवन बीमा (RPLI) में प्रति व्यक्ति अधिकतम बीमित राशि (**Maximum Sum Assured**) क्रमशः कितनी है?

- (A) PLI में ₹50 लाख और RPLI में ₹10 लाख
- (B) PLI में ₹20 लाख और RPLI में ₹5 लाख
- (C) PLI में ₹50 लाख और RPLI में ₹20 लाख
- (D) PLI में ₹1 करोड़ और RPLI में ₹10 लाख

**सही उत्तर:** (A)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

**PLI आधिकारिक नियमों** के अनुसार PLI में अधिकतम बीमित राशि **₹50,00,000 (₹50 लाख)** तथा **RPLI नियमों** के अनुसार RPLI में अधिकतम बीमित राशि **₹10,00,000 (₹10 लाख)** है।

**अभ्यास प्रश्न #25** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 25.** **[India Post Postman/PA LDCE 2024]** RPLI की 10-वर्षीय विशेष मनी-बैक योजना **'ग्राम प्रिया'** (Gram Priya) में जीवित रहने का लाभ (Survival Benefits) किन वर्षों के अंत में और किस अनुपात में दिया जाता है?

- (A) 3, 6 और 10 वर्ष पर **20% : 20% : 60%**

- (B) 4, 7 और 10 वर्ष पर **20% : 20% : 60%**
- (C) 4, 8 और 10 वर्ष पर **25% : 25% : 50%**
- (D) 5, 8 और 10 वर्ष पर **30% : 30% : 40%**

**सही उत्तर:** (B)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

RPLI की 10-वर्षीय **Gram Priya** योजना में पॉलिसी के **4 वर्ष पूर्ण होने पर 20%**, **7 वर्ष पूर्ण होने पर 20%** और **10 वर्ष (परिपक्वता) पर शेष 60% + अर्जित बोनस** का भुगतान किया जाता है।

**अभ्यास प्रश्न #26** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 26.** **[India Post GDS to MTS/PA LDCE 2023]** PLI की **'सुविधा'** (Suvidha — Convertible Whole Life Assurance) पॉलिसी को कितने वर्ष पूर्ण होने पर Endowment Assurance (संतोष) में परिवर्तित किया जा सकता है?

- (A) 3 वर्ष पूर्ण होने पर
- (B) 4 वर्ष पूर्ण होने पर
- (C) 5 वर्ष पूर्ण होने पर (6 वर्ष से पहले)
- (D) 2 वर्ष पूर्ण होने पर

**सही उत्तर:** (C)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

**Suvidha (CWLA)** पॉलिसी में पॉलिसीधारक को पॉलिसी चालू होने के **5 वर्ष पूर्ण होने पर (अधिकतम 6 वर्ष के भीतर)** इसे आजीवन बीमा से सावधि बंदोबस्ती बीमा (**Endowment Assurance**) में बदलने का विकल्प मिलता है।

**अभ्यास प्रश्न #27** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 27.** **[India Post PA/SA LDCE 2024]** PLI की योजनाओं में प्रति ₹1,000 बीमित राशि पर वार्षिक बोनस दर का सही युग्म कौन-सा है (सुरक्षा, संतोष एवं सुमंगल के लिए)?

- (A) सुरक्षा: ₹76, संतोष: ₹52, सुमंगल: ₹48
- (B) सुरक्षा: ₹85, संतोष: ₹58, सुमंगल: ₹53
- (C) सुरक्षा: ₹60, संतोष: ₹48, सुमंगल: ₹45
- (D) सुरक्षा: ₹76, संतोष: ₹48, सुमंगल: ₹45

**सही उत्तर:** (A)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

PLI में प्रति ₹1,000 बीमित राशि पर वार्षिक बोनस दरें: **सुरक्षा (WLA) = ₹76**, **संतोष (EA) + युगल सुरक्षा + बाल जीवन बीमा = ₹52**, तथा **सुमंगल (AEA) = ₹48** हैं (जबकि ₹60, ₹48 और ₹45 RPLI की दरें हैं)।

**अभ्यास प्रश्न #28** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 28.** **[India Post GDS to PA LDCE 2025]** भारतीय डाक विभाग के **IT Modernization Project 2.0** के लिए कुल स्वीकृत बजट और परियोजना अवधि क्या है तथा इसके तहत विकसित स्वदेशी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है?

- (A) ₹4,909 करोड़ (2012–2020); CSI
- (B) ₹5,785 करोड़ (2022–23 से 2029–30); APT (Advanced Postal Technology)

- (C) ₹6,500 करोड़ (2023–2030); DARPAN 3.0
- (D) ₹5,785 करोड़ (2022–2027); Finacle 2.0

**सही उत्तर:** (B)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

PIB आधिकारिक विज्ञप्ति एवं DOP IT 2.0 गाइड के अनुसार IT Modernization Project 2.0 का कुल परिव्यय **₹5,785 करोड़** और अवधि **8 वर्ष (2022–23 से 2029–30)** है। इसके तहत CEPT द्वारा स्वदेशी प्लेटफॉर्म **APT (Advanced Postal Technology)** विकसित किया गया है जो 4 अगस्त 2025 को पूरे देश में लाइव हो चुका है।

**अभ्यास प्रश्न #29** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 29.** **[India Post Postman/PA LDCE 2024]** IT Modernization Project 1.0 के तहत ग्रामीण शाखा डाकघरों के डिजिटलीकरण हेतु चलाए गए प्रोजेक्ट **'DARPAN'** का पूर्ण रूप क्या है?

- (A) Digital Application for Rural Postal Network
- (B) Digital Advancement of Rural Post Office for A New India
- (C) Department Automation of Rural Postal Accounts Network
- (D) Direct Access Rural Postal Accounting Network

**सही उत्तर:** (B)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

ग्रामीण ICT (RSI Silo) के अंतर्गत चलाए गए प्रोजेक्ट **DARPAN** का पूर्ण रूप **"Digital Advancement of Rural Post Office for A New India"** है।

**अभ्यास प्रश्न #30** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 30.** **[India Post PA/SA LDCE 2025]** IT 2.0 के अंतर्गत विकसित **APT 2.0** प्लेटफॉर्म को किस क्लाउड प्लेटफॉर्म पर होस्ट किया गया है और किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है?

- (A) MeghRaj 2.0 (GI Cloud); CEPT द्वारा इन-हाउस विकसित
- (B) AWS Cloud; TCS द्वारा विकसित
- (C) Azure Cloud; Infosys द्वारा विकसित
- (D) NIC Cloud 1.0; Wipro द्वारा विकसित

**सही उत्तर:** (A)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

PIB विज्ञप्ति के अनुसार APT 2.0 को **CEPT (Centre for Excellence in Postal Technology)** द्वारा इन-हाउस विकसित किया गया है और भारत सरकार के राष्ट्रीय क्लाउड **MeghRaj 2.0** पर होस्ट किया गया है।

**अभ्यास प्रश्न #31** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 31.** **[IIBF JAIIB IE&IFS 2024]** यदि किसी देश का **GDP at Market Price (GDP_MP) = ₹250 लाख करोड़**, मूल्यह्रास (**Depreciation**) **= ₹20 लाख करोड़**, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय (**NFIA**) **= -₹5 लाख करोड़** और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर (**Net Indirect Taxes**) **= ₹15 लाख करोड़** है, तो राष्ट्रीय आय (**NNP_FC**) क्या होगी?

- (A) ₹210 लाख करोड़
- (B) ₹220 लाख करोड़

- (C) ₹215 लाख करोड़
- (D) ₹225 लाख करोड़

**सही उत्तर:** (A)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

महत्वपूर्ण सूत्र: **NNP_FC = GDP_MP - Depreciation + NFIA - Net Indirect Taxes = 250 - 20 + (-5) - 15 = ₹210 लाख करोड़** (JAIIB IE&IFS संदर्भ)।

**अभ्यास प्रश्न #32** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 32.** **[IIBF JAIIB IE&IFS 2023]** यदि संकुचित मुद्रा **M1 = ₹45,000 करोड़** और बैंकिंग प्रणाली के पास सावधि जमा (**Time Deposits with Banks**) **= ₹1,35,000 करोड़** तथा आरक्षित मुद्रा (**Reserve Money M0**) **= ₹36,000 करोड़** है, तो व्यापक मुद्रा (**M3**) और मुद्रा गुणक (**Money Multiplier**) क्रमशः क्या हैं?

- (A) ₹1,80,000 करोड़ और 5.0
- (B) ₹1,80,000 करोड़ और 4.0
- (C) ₹90,000 करोड़ और 2.5
- (D) ₹1,71,000 करोड़ और 4.75

**सही उत्तर:** (A)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

महत्वपूर्ण सूत्र: **M3 = M1 + Time Deposits with Banks = 45,000 + 1,35,000 = ₹1,80,000 करोड़**। मुद्रा गुणक **m = M3 / M0 = 1,80,000 / 36,000 = 5.0**।

**अभ्यास प्रश्न #33** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 33.** **[IIBF JAIIB IE&IFS / CAIIB BFM 2024]** RBI के Basel-III मानकों के अनुसार भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए न्यूनतम CRAR और Capital Conservation Buffer (CCB) मिलाकर कुल पूंजी अनुपात (**Minimum Total Capital + CCB**) कितना अनिवार्य है?

- (A) **8.0% + 2.5% = 10.5%**
- (B) **9.0% + 2.5% = 11.5%**
- (C) **7.0% + 2.5% = 9.5%**
- (D) **9.0% + 1.5% = 10.5%**

**सही उत्तर:** (B)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

RBI मानकों के अनुसार भारत में न्यूनतम **CRAR = 9.0%** (जिसमें **CET-1 = 5.5%**, **AT-1 = 1.5%**, **Tier-2 = 2.0%**) तथा **Capital Conservation Buffer (CCB) = 2.5%** है। अतः कुल आवश्यक अनुपात **= 9.0% + 2.5% = 11.5%** है।

**अभ्यास प्रश्न #34** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 34.** **[IIBF CAIIB BFM 2025]** एक बैंक की **Tier-1 Capital = ₹4,200 करोड़**, **Tier-2 Capital = ₹1,800 करोड़** तथा जोखिम-भारित आस्तियाँ (**Risk-Weighted Assets - RWA**) **= ₹50,000 करोड़** हैं। बैंक का CRAR प्रतिशत क्या है?

- (A) **10.5%**
- (B) **12.0%**
- (C) **8.4%**

- (D) **11.5%**

**सही उत्तर:** (B)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

महत्वपूर्ण सूत्र: **CRAR = [(Tier-1 + Tier-2) / RWA] 100 = [(4,200 + 1,800) / 50,000] 100 = (6,000 / 50,000) * 100 = 12.0%**।

**अभ्यास प्रश्न #35** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 35.** **[IIBF JAIIB IE&IFS 2024]** भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45ZB के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (MPC) में कुल कितने सदस्य होते हैं और भारत में मुद्रास्फीति (CPI Inflation) का वैधानिक लक्ष्य दायरा क्या है?

- (A) 6 सदस्य; **4% (+/- 2%)** अर्थात **2% से 6%**
- (B) 5 सदस्य; **4% (+/- 1%)** अर्थात **3% से 5%**
- (C) 7 सदस्य; **5% (+/- 2%)** अर्थात **3% से 7%**
- (D) 6 सदस्य; **3% (+/- 2%)** अर्थात **1% से 5%**

**सही उत्तर:** (A)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

MPC में कुल **6 सदस्य** (RBI गवर्नर सहित 3 RBI अधिकारी + 3 केंद्र सरकार द्वारा नामित सदस्य) होते हैं और मुद्रास्फीति लक्ष्य बैंड **4% (+/- 2%)** **अर्थात 2% से 6%** निर्धारित है।

**अभ्यास प्रश्न #36** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 36.** **[IIBF JAIIB IE&IFS 2025]** यदि किसी अर्थव्यवस्था में नाममात्र जीडीपी (**Nominal GDP**) **= ₹330 लाख करोड़** और वास्तविक जीडीपी (**Real GDP**) **= ₹275 लाख करोड़** है, तो **GDP Deflator** का मान क्या है?

- (A) 115
- (B) 120
- (C) 125
- (D) 83.33

**सही उत्तर:** (B)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

महत्वपूर्ण सूत्र: **GDP Deflator = (Nominal GDP / Real GDP) 100 = (330 / 275) 100 = 1.2 * 100 = 120**।

**अभ्यास प्रश्न #37** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 37.** **[IIBF JAIIB PPB 2024]** जब कोई ग्राहक बैंक में एक सुरक्षित जमा लॉकर (**Safe Deposit Locker**) किराए पर लेता है, तो बैंक और ग्राहक के बीच विधिक संबंध क्या होता है?

- (A) Bailor (उपनिधाता) और Bailee (उपनिहिती)
- (B) Lessor / Licensor (पट्टादाता) और Lessee / Licensee (पट्टेदार)
- (C) Debtor (देनदार) और Creditor (लेनदार)
- (D) Trustee (न्यासी) और Beneficiary (लाभार्थी)

**सही उत्तर:** (B)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

लॉकर किराए पर देने में बैंक स्थान किराए पर देता है, अत: बैंक **Lessor / Licensor (पट्टादाता)** और ग्राहक **Lessee / Licensee (पट्टेदार)** होता है (जबकि Safe Custody में Bailee और Bailor का संबंध होता है) (JAIIB PPB पाठ्यक्रम)।

**अभ्यास प्रश्न #38** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 38.** **[IIBF JAIIB PPB 2023]** कैश क्रेडिट खाते में गारंटीकर्ता की मृत्यु होने या गारंटी वापस लेने की सूचना मिलने पर बैंक तुरंत उस खाते में लेनदेन रोक देता है (**Rule to Stop Operations**)। यह किस प्रसिद्ध नियम के प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए किया जाता है?

- (A) Garnishee Rule
- (B) Clayton's Rule (Devaynes vs Noble केस)
- (C) Rule of Subrogation
- (D) Rule of Set-off

**सही उत्तर:** (B)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

**Clayton's Rule** के अनुसार चालू/CC खाते में बाद में जमा की गई प्रत्येक राशि पुराने नामे (Debit) शेष को क्रमश: चुकाती जाती है (**FIFO**) और नई निकासी एक नया ऋण बनाती है जिस पर मृत गारंटीकर्ता की संपत्ति जिम्मेदार नहीं रहती। अत: बैंक तुरंत पुराना खाता फ्रीज कर देता है।

**अभ्यास प्रश्न #39** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 39.** **[IIBF JAIIB PPB 2024]** परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 (NI Act, 1881) की कौन-सी धारा क्रमश: अदाकर्ता बैंक (**Paying Banker**) और संग्रहणकर्ता बैंक (**Collecting Banker**) को वैधानिक संरक्षण प्रदान करती है?

- (A) धारा 85 और धारा 131
- (B) धारा 10 और धारा 138
- (C) धारा 131 और धारा 85
- (D) धारा 85 और धारा 128

**सही उत्तर:** (A)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

NI Act 1881 की **धारा 85** अदाकर्ता बैंक (**Paying Banker**) को यथाविधि भुगतान (**Payment in Due Course - Sec 10**) करने पर और **धारा 131** संग्रहणकर्ता बैंक (**Collecting Banker**) को रेखांकित चेक का सद्भावपूर्वक व बिना लापरवाही संग्रहण करने पर वैधानिक संरक्षण देती है।

**अभ्यास प्रश्न #40** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 40.** **[IIBF JAIIB PPB 2025]** NI Act 1881 की धारा 138 के तहत खाते में अपर्याप्त शेष के कारण चेक बाउंस होने पर अधिकतम कारावास एवं जुर्माने का क्या प्रावधान है?

- (A) 1 वर्ष कारावास या चेक राशि के बराबर जुर्माना
- (B) 2 वर्ष कारावास या चेक राशि के दोगुने तक जुर्माना या दोनों
- (C) 3 वर्ष कारावास या चेक राशि के तीन गुने तक जुर्माना
- (D) 6 माह कारावास या ₹50,000 जुर्माना

**सही उत्तर:** (B)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

धारा 138 के अंतर्गत चेक अनादरण एक दंडनीय अपराध है जिसमें दोषी को **अधिकतम 2 वर्ष का कारावास या चेक राशि के दोगुने तक का जुर्माना या दोनों** की सजा हो सकती है।

**अभ्यास प्रश्न #41** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 41.** **[IIBF JAIIB PPB 2024]** भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 171 के अंतर्गत बैंकर के सामान्य ग्रहणाधिकार ( **Banker's General Lien** ) को कानून की दृष्टि से क्या माना जाता है?

- (A) Implied Hypothecation (अंतर्निहित दृष्टिबंधक)
- (B) Implied Pledge (अंतर्निहित गिरवी)
- (C) Equitable Mortgage (सामियक बंधक)
- (D) Assignment (समनुदेशन)

**सही उत्तर:** (B)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

बैंकर का सामान्य ग्रहणाधिकार ( **General Lien** ) एक **Implied Pledge (अंतर्निहित गिरवी)** होता है, जो बैंक को सामान्य ग्रहणाधिकार से आगे बढ़कर ग्राहक को उचित नोटिस देने के पश्चात प्रतिभूति को बेचकर अपना बकाया वसूलने का अधिकार देता है।

**अभ्यास प्रश्न #42** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 42.** **[IIBF JAIIB PPB 2024]** RBI के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण ( **Priority Sector Lending - PSL** ) मानदंडों के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) और स्मॉल फाइनेंस बैंकों (SFBs) के लिए कुल PSL लक्ष्य कितना है?

- (A) **40% of ANBC**
- (B) **75% of ANBC**
- (C) **60% of ANBC**
- (D) **50% of ANBC**

**सही उत्तर:** (B)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए PSL लक्ष्य **40% of ANBC** है, जबकि **RRBs और SFBs दोनों के लिए कुल PSL लक्ष्य** **75% of ANBC** निर्धारित है।

**अभ्यास प्रश्न #43** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 43.** **[IIBF JAIIB PPB 2023]** यदि न्यायालय द्वारा श्री A (एकल देनदार) के नाम पर बैंक को **Garnishee Order** प्राप्त होता है, तो बैंक में स्थित निम्नलिखित में से किस खाते पर यह आदेश लागू **नहीं** होगा?

- (A) श्री A के एकल बचत खाते पर
- (B) श्री A के चालू खाते के जमा शेष पर
- (C) श्री A और श्री B के **'Either or Survivor'** संयुक्त बचत खाते पर
- (D) श्री A की परिपक्व सावधि जमा (FD) पर

**सही उत्तर:** (C)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

किसी एकल व्यक्ति (श्री A) के विरुद्ध जारी **Garnishee Order** उसके एकल खातों पर लागू होता है, किंतु किसी अन्य व्यक्ति (श्री B) के साथ खोले गए **संयुक्त खाते (Joint Account)** को कुर्क नहीं करता।

**अभ्यास प्रश्न #44** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 44.** **[IIBF JAIIB AFM 2024]** ₹1,000 अंकित मूल्य (**Face Value**) और **8%** वार्षिक कूपन दर वाला एक बॉन्ड वर्तमान में बाजार में **₹900** में बिक रहा है और इसकी शेष परिपक्वता अवधि **5 वर्ष** है। सन्निकट सूत्र से इस बॉन्ड का **YTM (Yield to Maturity)** क्या है?

- (A) **10.00%**
- (B) **10.53%**
- (C) **9.47%**
- (D) **11.11%**

**सही उत्तर:** (B)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

यहाँ वार्षिक कूपन **C = 1000 8% = ₹80**, **F = 1000**, **P = 900**, **n = 5**। *1D* सन्निकट सूत्र: **YTM = [ C + ((F - P) / n) ] / [ (F + P) / 2 ]** 100 = [ 80 + ((1000 - 900) / 5) ] / [ (1000 + 900) / 2 ] 100 = (80 + 20) / 950 100 = (100 / 950) * 100 = 10.53% (**JAIIB AFM संदर्भ**)।

**अभ्यास प्रश्न #45** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 45.** **[IIBF JAIIB AFM / CAIIB BFM 2024]** यदि किसी बॉन्ड का **Modified Duration = 4.5 वर्ष** है और बाजार ब्याज दर (Yield) में **0.50% (50 bps)** की वृद्धि होती है, तो बॉन्ड के बाजार मूल्य में अनुमानित प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा?

- (A) **+2.25%** की वृद्धि
- (B) **-2.25%** की गिरावट
- (C) **-4.50%** की गिरावट
- (D) **+4.50%** की वृद्धि

**सही उत्तर:** (B)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

महत्वपूर्ण सूत्र: **% Change in Bond Price = - Modified Duration *Change in Yield* = - 4.5 (+0.50%) = -2.25%** (अर्थात बॉन्ड की कीमत में **2.25%** की गिरावट आएगी)।

**अभ्यास प्रश्न #46** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 46.** **[IIBF JAIIB AFM 2023]** एक मशीनरी की लागत **₹5,00,000** है और इस पर क्रमागत ह्रासमान शेष पद्धति (**WDV Method**) से **20%** वार्षिक की दर से मूल्यह्रास लगाया जाता है। 3 वर्ष के अंत में मशीनरी का पुस्तक मूल्य (**Book Value**) क्या होगा?

- (A) ₹2,00,000
- (B) ₹2,56,000
- (C) ₹3,20,000
- (D) ₹2,44,000

**सही उत्तर:** (B)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

महत्वपूर्ण सूत्र: **Book Value_n = Cost (1 - r)^n = 5,00,000 (1 - 0.20)^3 = 5,00,000 (0.8)^3 = 5,00,000 0.512 = ₹2,56,000**।

**अभ्यास प्रश्न #47** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 47.** **[IIBF JAIIB AFM 2024]** किसी कंपनी की चालू आस्तियाँ (**Current Assets**) **= ₹8,00,000**, स्टॉक (**Inventory**) **= ₹2,50,000**, पूर्वदत्त व्यय (**Prepaid Expenses**) **= ₹50,000** तथा चालू देयताएँ (**Current Liabilities**) **= ₹4,00,000** हैं। कंपनी का **Current Ratio** और **Quick Ratio** क्रमशः क्या हैं?

- (A) **2 : 1** और **1.25 : 1**
- (B) **2 : 1** और **1.375 : 1**
- (C) **1.5 : 1** और **1.25 : 1**
- (D) **2.5 : 1** और **1.5 : 1**

**सही उत्तर:** (A)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

**Current Ratio = Current Assets / Current Liabilities = 8,00,000 / 4,00,000 = 2 : 1**। तरल आस्तियाँ **Quick Assets = CA - Inventory - Prepaid Expenses = 8,00,000 - 2,50,000 - 50,000 = ₹5,00,000**। अतः **Quick Ratio = 5,00,000 / 4,00,000 = 1.25 : 1**।

**अभ्यास प्रश्न #48** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 48.** **[IIBF JAIIB AFM 2025]** एक प्रोजेक्ट का कर-पश्चात लाभ (**PAT**) **= ₹120 लाख**, मूल्यह्रास (**Depreciation**) **= ₹40 लाख**, सावधि ऋण पर वार्षिक ब्याज (**Interest on Term Loan**) **= ₹50 लाख** तथा सावधि ऋण की वार्षिक मूलधन किस्त (**Principal Installment**) **= ₹90 लाख** है। कंपनी का **DSCR (Debt Service Coverage Ratio)** क्या है?

- (A) **1.25**
- (B) **1.50**
- (C) **1.75**
- (D) **2.00**

**सही उत्तर:** (B)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

महत्वपूर्ण सूत्र: **DSCR = (PAT + Depreciation + Interest on Term Loan) / (Interest on Term Loan + Principal Installment) = (120 + 40 + 50) / (50 + 90) = 210 / 140 = 1.50**।

**अभ्यास प्रश्न #49** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 49.** **[IIBF JAIIB AFM 2024]** एक विनिर्माण इकाई की स्थिर लागत (**Fixed Cost**) **= ₹6,00,000**, प्रति इकाई विक्रय मूल्य (**Selling Price**) **= ₹200** तथा प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत (**Variable Cost**) **= ₹120** है। सम-विच्छेद बिंदु (**Break-Even Point** इकाइयों में) और **P/V Ratio** क्या हैं?

- (A) 7,500 इकाइयाँ और **40%**
- (B) 5,000 इकाइयाँ और **60%**
- (C) 7,500 इकाइयाँ और **60%**
- (D) 10,000 इकाइयाँ और **40%**

**सही उत्तर:** (A)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

प्रति इकाई अंशदान **Contribution = S - V = 200 - 120 = ₹80**। **P/V Ratio = (80 / 200) * 100 = 40%**। **BEP (in Units) = Fixed Cost / Contribution per unit = 6,00,000 / 80 = 7,500 इकाइयाँ**।

**अभ्यास प्रश्न #50** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 50.** **[IIBF JAIIB AFM / CAIIB BFM 2024]** यदि अंतरबैंक बाजार में **1 USD = ₹84.00** और **1 GBP = 1.25 USD** है, तो क्रॉस रेट (**Cross Rate**) नियम से **1 GBP** का भारतीय रुपये (INR) में मूल्य क्या होगा?

- (A) **₹100.00**
- (B) **₹105.00**
- (C) **₹67.20**
- (D) **₹102.50**

**सही उत्तर:** (B)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

चेन रूल (**Chain Rule**) से क्रॉस रेट: **GBP/INR = (GBP/USD) (*USD/INR*) = 1.25 84.00 = ₹105.00**।

**अभ्यास प्रश्न #51** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 51.** **[IIBF JAIIB AFM 2023]** DuPont विश्लेषण के अनुसार यदि किसी बैंक/कंपनी का **Net Profit Margin = 10%**, **Total Asset Turnover = 1.5** और **Equity Multiplier (Total Assets / Equity) = 2.0** है, तो **Return on Equity (ROE)** क्या होगा?

- (A) **15%**
- (B) **20%**
- (C) **30%**
- (D) **25%**

**सही उत्तर:** (C)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

1D DuPont सूत्र: **ROE = Net Profit Margin *Asset Turnover* Equity Multiplier = 10% 1.5 2.0 = 30%**।

**अभ्यास प्रश्न #52** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 52.** **[IIBF JAIIB AFM 2024]** टंडन समिति की कार्यशील पूंजी आकलन की द्वितीय विधि (**Second Method of Lending**) के अनुसार उधारकर्ता को कुल चालू आस्तियों (**Total Current Assets**) का न्यूनतम कितने प्रतिशत हिस्सा अपने दीर्घकालिक स्रोतों से **Net Working Capital (NWC)** के रूप में लाना अनिवार्य है?

- (A) चालू आस्तियों का 20%
- (B) चालू आस्तियों का 25% (जिससे न्यूनतम **Current Ratio = 1.33 : 1** बनता है)
- (C) कार्यशील पूंजी अंतराल (WCG) का 25%
- (D) चालू आस्तियों का 50%

**सही उत्तर:** (B)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

टंडन समिति की प्रथम विधि में **WCG = CA - Other CL** का **25%** मार्जिन होता है, जबकि **द्वितीय विधि (Second Method of Lending)** में उधारकर्ता को **कुल चालू आस्तियों ( Total Current Assets ) का 25%** स्वयं के दीर्घकालिक कोष (NWC) से लगाना होता है, जिससे न्यूनतम **Current Ratio = 100 / 75 = 1.33 : 1** सुनिश्चित होता है।

**अभ्यास प्रश्न #53** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 53.** **[IIBF JAIIB RBWM 2024]** एक वेतनभोगी ग्राहक की सकल मासिक आय ( **Gross Monthly Income** ) **= ₹1,00,000** है। वह पहले से कार लोन की **₹12,000** मासिक EMI दे रहा है और उसकी वैधानिक कटौतियाँ (PF + आयकर) **= ₹8,000** हैं। यदि बैंक अधिकतम **50% FOIR** की अनुमति देता है, तो नए गृह ऋण के लिए अधिकतम अनुमन्य मासिक EMI कितनी हो सकती है?

- (A) ₹38,000
- (B) ₹30,000
- (C) ₹50,000
- (D) ₹42,000

**सही उत्तर:** (B)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

महत्वपूर्ण सूत्र: **Max Total Obligations = 50% of Gross Income = 50% of 1,00,000 = ₹50,000**। अतः **Max Proposed EMI = 50,000 - (Existing EMI + Statutory Deductions) = 50,000 - (12,000 + 8,000) = ₹30,000** (JAIIB RBWM संदर्भ)।

**अभ्यास प्रश्न #54** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 54.** **[IIBF JAIIB RBWM 2024]** RBI के व्यक्तिगत आवासीय गृह ऋण ( **Housing Loan** ) दिशानिर्देशों के अनुसार ₹30 लाख तक, ₹30 लाख से ₹75 लाख तक, और ₹75 लाख से अधिक के गृह ऋणों पर अधिकतम **LTV (Loan to Value Ratio)** क्रमशः क्या है?

- (A) **90%**, **80%** और **75%**
- (B) **85%**, **75%** और **70%**
- (C) **90%**, **85%** और **80%**
- (D) **80%**, **75%** और **70%**

**सही उत्तर:** (A)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

RBI के मानकों के अनुसार गृह ऋण हेतु अधिकतम LTV अनुपात: **₹30 लाख तक** = **90%**, **₹30 लाख से ₹75 लाख तक** = **80%** और **₹75 लाख से अधिक** = **75%** है।

**अभ्यास प्रश्न #55** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 55.** **[IIBF JAIIB RBWM 2025]** यदि एक म्यूचुअल फंड योजना के निवेश का कुल बाजार मूल्य **= ₹520 करोड़**, प्राप्य एवं उपार्जित आय **= ₹15 करोड़**, कुल देयताएँ एवं व्यय **= ₹10 करोड़** और कुल बकाया यूनिटों की संख्या **= 25 करोड़** है, तो प्रति यूनिट **NAV (Net Asset Value)** क्या होगी?

- (A) ₹20.80
- (B) ₹21.00
- (C) ₹20.20
- (D) ₹21.40

**सही उत्तर:** (B)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

महत्वपूर्ण सूत्र: **NAV = (Market Value + Accrued Income - Liabilities) / Total Units = (520 + 15 - 10) / 25 = 525 / 25 = ₹21.00 प्रति यूनिट**।

**अभ्यास प्रश्न #56** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 56.** **[IIBF JAIIB RBWM / CAIIB 2024]** एक निवेश पोर्टफोलियो का वार्षिक प्रतिफल (**R_p**) **= 16%**, जोखिम-मुक्त प्रतिफल दर (**R_f**) **= 6%**, पोर्टफोलियो का मानक विचलन (**sigma_p**) **= 5%** और पोर्टफोलियो बीटा (**Beta_p**) **= 1.25** है। पोर्टफोलियो का **Sharpe Ratio** और **Treynor Ratio** क्रमशः क्या हैं?

- (A) **2.0** और **8.0%**
- (B) **8.0** और **2.0%**
- (C) **2.5** और **10.0%**
- (D) **3.2** और **12.8%**

**सही उत्तर:** (A)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

महत्वपूर्ण सूत्र: **Sharpe Ratio = (R_p - R_f) / sigma_p = (16 - 6) / 5 = 10 / 5 = 2.0**। तथा **Treynor Ratio = (R_p - R_f) / Beta_p = (16% - 6%) / 1.25 = 10% / 1.25 = 8.0%**।

**अभ्यास प्रश्न #57** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 57.** **[IIBF JAIIB RBWM 2024]** CAPM (**Capital Asset Pricing Model**) के अनुसार यदि जोखिम-मुक्त दर **R_f = 7%**, बाजार का अपेक्षित प्रतिफल **E(R_m) = 15%** और किसी शेयर का **Beta = 1.5** है, तो उस शेयर से अपेक्षित प्रतिफल (**Expected Return**) क्या होगा?

- (A) **18.0%**
- (B) **19.0%**
- (C) **22.5%**
- (D) **16.5%**

**सही उत्तर:** (B)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

महत्वपूर्ण सूत्र: **E(R_i) = R_f + Beta (*E(R_m) - R_f*) = 7% + 1.5 (15% - 7%) = 7% + 1.5 * 8% = 7% + 12% = 19.0%**।

**अभ्यास प्रश्न #58** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 58.** **[IIBF JAIIB RBWM 2023]** व्यक्तिगत क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (**CIBIL TransUnion Score**) का संख्यात्मक परास (Range) क्या होता है?

- (A) 100 से 900
- (B) 300 से 900
- (C) 0 से 1000
- (D) 300 से 850

**सही उत्तर:** (B)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

भारत में व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए CIBIL स्कोर **300 से 900** के बीच होता है (जहाँ 750+ स्कोर को खुदरा ऋण स्वीकृति के लिए उत्कृष्ट माना जाता है)।

**अभ्यास प्रश्न #59** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 59.** **[IIBF JAIIB RBWM 2024]** सरफेसी अधिनियम 2002 (**SARFAESI Act, 2002**) के तहत सुरक्षित लेनदार (बैंक) द्वारा खाता NPA होने पर धारा 13(2) का मांग नोटिस देकर उधारकर्ता को बकाया चुकाने के लिए कितने दिनों का समय दिया जाता है और यह अधिनियम कितने रुपये से कम के ऋणों पर लागू **नहीं** होता?

- (A) 60 दिन का नोटिस; ₹1 लाख से कम के ऋणों पर लागू नहीं
- (B) 30 दिन का नोटिस; ₹5 लाख से कम के ऋणों पर लागू नहीं
- (C) 90 दिन का नोटिस; ₹1 लाख से कम के ऋणों पर लागू नहीं
- (D) 60 दिन का नोटिस; ₹20 लाख से कम के ऋणों पर लागू नहीं

**सही उत्तर:** (A)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

SARFAESI Act 2002 की धारा 13(2) के तहत उधारकर्ता को **60 दिन** का नोटिस दिया जाता है। धारा 31 के अनुसार यह अधिनियम कृषि भूमि, **₹1 लाख से कम के ऋणों**, या जहाँ शेष देय राशि मूलधन और ब्याज के 20% से कम रह गई हो, उन पर लागू नहीं होता।

**अभ्यास प्रश्न #60** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 60.** **[IIBF JAIIB RBWM 2024]** RBI की एकीकृत लोकपाल योजना (**Reserve Bank - Integrated Ombudsman Scheme, 2021**) के तहत लोकपाल द्वारा परिणामी हानि के लिए अधिकतम कितनी क्षतिपूर्ति राशि और मानसिक उत्पीड़न/समय की हानि के लिए अतिरिक्त अधिकतम कितनी राशि का अवार्ड दिया जा सकता है?

- (A) ₹20 लाख तक और मानसिक उत्पीड़न हेतु ₹1 लाख तक अतिरिक्त
- (B) ₹10 लाख तक और मानसिक उत्पीड़न हेतु ₹50,000 तक अतिरिक्त
- (C) ₹30 लाख तक और मानसिक उत्पीड़न हेतु ₹2 लाख तक अतिरिक्त
- (D) ₹50 लाख तक और मानसिक उत्पीड़न हेतु ₹1 लाख तक अतिरिक्त

**सही उत्तर:** (A)

**व्याख्या (1D Step-by-Step):**

RBI Integrated Ombudsman Scheme (One Nation, One Ombudsman) के अंतर्गत बैंकिंग लोकपाल ग्राहक को हुई प्रत्यक्ष वित्तीय हानि के लिए अधिकतम **₹20,00,000** **(₹20 लाख)** और शिकायतकर्ता के समय की हानि व मानसिक उत्पीड़न के लिए अतिरिक्त अधिकतम **₹1,00,000** **(₹1 लाख)** तक का मुआवजा दिला सकता है।

### *सारणी 1: डाकघर लघु बचत योजनाएँ (POSB) — मास्टर तुलनात्मक सारणी (अक्टूबर–दिसंबर 2026)*

| योजना का नाम | ब्याज दर (प्रति वर्ष) | न्यूनतम जमा | अधिकतम जमा सीमा | परिपक्वता अवधि | प्रमुख नियम एवं कर लाभ | आधिकारिक स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Savings Account (SB)** | **4.0%** | ₹500 | कोई सीमा नहीं | चालू खाता | 10वीं से माह के अंत के न्यूनतम शेष पर ब्याज; 80TTA में ₹10,000 तक कर-मुक्त | NSI ब्याज दर तालिका |
| **5-Yr RD** | **6.7%** (तिमाही चक्रवृद्धि) | ₹100/माह | कोई सीमा नहीं | 5 वर्ष | 4 डिफ़ॉल्ट तक अनुमन्य; 1 वर्ष (12 किस्त) बाद 50% ऋण (**RD+2%**) | India Post बचत सेवाएँ |
| **1/2/3/5-Yr TD** | **6.9% / 7.0% / 7.1% / 7.5%** | ₹1,000 | कोई सीमा नहीं | 1, 2, 3 व 5 वर्ष | ब्याज तिमाही चक्रवृद्धि परंतु वार्षिक देय; 5-Yr TD में 80C लाभ | लघु बचत दरें 2026 |

| योजना का नाम | ब्याज दर (प्रति वर्ष) | न्यूनतम जमा | अधिकतम जमा सीमा | परिपक्वता अवधि | प्रमुख नियम एवं कर लाभ | आधिकारिक स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MIS** | **7.4%** (मासिक देय) | ₹1,000 | ₹9 लाख (Single) / ₹15 लाख (Joint) | 5 वर्ष | ₹9 लाख पर ₹5,550/माह; 1-3 वर्ष बंदी पर 2% व 3-5 वर्ष पर 1% कटौती | NSI योजना विवरण)/ InternalPage.aspx?Id_Pk=27) |
| **SCSS** | **8.2%** (तिमाही देय) | ₹1,000 | ₹30 लाख | 5 वर्ष (+3 वर्ष विस्तार) | 60+ वर्ष (VRS 55+, रक्षा 50+); धारा 80C लाभ | NSI SCSS रिकॉर्ड |
| **PPF** | **7.1%** (वार्षिक चक्रवृद्धि) | ₹500/वर्ष | ₹1.50 लाख/वर्ष | 15 वर्ष (+5-5 वर्ष ब्लॉक) | EEE कर-मुक्त; 3रे से 6ठे वर्ष ऋण; 7वें वर्ष से आंशिक निकासी | India Post बचत सेवाएँ |
| **SSA (सुकन्या)** | **8.2%** (वार्षिक चक्रवृद्धि) | ₹250/वर्ष | ₹1.50 लाख/वर्ष | 21 वर्ष (15 वर्ष तक जमा) | 10 वर्ष तक की बालिका; 18 वर्ष या 10वीं पास पर 50% उच्च शिक्षा निकासी | लघु बचत दरें 2026 |
| **NSC (VIII Issue)** | **7.7%** (वार्षिक चक्रवृद्धि) | ₹1,000 | कोई सीमा नहीं | 5 वर्ष | धारा 80C छूट; बैंक/डाकघर में गिरवी रखकर ऋण सुविधा | NSI ब्याज दर तालिका |
| **KVP** | **7.5%** (वार्षिक चक्रवृद्धि) | ₹1,000 | कोई सीमा नहीं | **115 माह** (राशि **2x**) | 2 वर्ष 6 माह (30 माह) का लॉक-इन पीरियड | लघु बचत दरें 2026 |

## *सारणी 2:* PLI एवं RPLI *की 6-6 योजनाएँ — मास्टर तुलनात्मक सारणी*

| क्र.सं. | PLI योजना (शुरुआत: 1 Feb 1884; सीमा: ₹20 हजार – ₹50 लाख) | PLI बोनस (प्रति ₹1,000/वर्ष) | RPLI योजना (शुरुआत: 24 Mar 1995; सीमा: ₹10 हजार – ₹10 लाख) | RPLI बोनस (प्रति ₹1,000/वर्ष) | प्रवेश आयु, ऋण, समर्पण एवं मनी-बैक नियम | आधिकारिक स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **सुरक्षा (Suraksha — WLA)** | ₹76 | **ग्राम सुरक्षा (Gram Suraksha)** | ₹60 | आयु 19–55 वर्ष; 80 वर्ष तक; 4 वर्ष बाद ऋण, 3 वर्ष बाद समर्पण | India Post PLI पोर्टल |
| 2 | **संतोष (Santosh — EA)** | ₹52 | **ग्राम संतोष (Gram Santosh)** | ₹48 | आयु 19–55 वर्ष; परिपक्वता 35/40/45/50/55/58/60 वर्ष; 3 वर्ष बाद ऋण व समर्पण | PLI आधिकारिक FAQ |
| 3 | **सुविधा (Suvidha — CWLA)** | ₹76 (परिवर्तन बाद ₹52) | **ग्राम सुविधा (Gram Suvidha)** | ₹60 (परिवर्तन बाद ₹48) | आयु 19–50/55 वर्ष; 5 वर्ष पूर्ण होने पर संतोष (EA) में परिवर्तन विकल्प | India Post RPLI पोर्टल |
| 4 | **सुमंगल (Sumangal — AEA)** | ₹48 | **ग्राम सुमंगल (Gram Sumangal)** | ₹45 | 15-Yr (6, 9, 12 वर्ष पर **20%-20%-20%**, अंत में **40%**); 20-Yr (8, 12, 16 वर्ष पर **20%-20%-20%**, अंत में **40%**) | PLI/RPLI ब्रोशर |
| 5 | **युगल सुरक्षा (Joint Life)** | ₹52 | **ग्राम प्रिया (10-Yr Money Back)** | ₹45 | युगल सुरक्षा: पति-पत्नी संयुक्त; ग्राम प्रिया: 4, 7 व 10 वर्ष पर **20%-20%-60%** | RPLI पात्रता दस्तावेज |
| 6 | **बाल जीवन बीमा (PLI)** | ₹52 | **बाल जीवन बीमा (RPLI)** | ₹48 | बच्चे की आयु 5–20 वर्ष (अधिकतम 2 बच्चे); अधिकतम सीमा PLI में ₹3 लाख व RPLI में ₹1 लाख | PLI पात्रता दस्तावेज |

## *सारणी 3:* Post Office Guide, Postal Manuals, IT *2.0* एवं JAIIB/CAIIB *मास्टर सूत्र सारणी*

| अनुभाग / पेपर | क्लॉज / नियम / विषय | 1D मास्टर सूत्र / वैधानिक प्रावधान | आधिकारिक स्रोत |
|---|---|---|---|
| **PO Guide Part-I** | Clauses 2, 4, 5, 8, 11, 23, 55, 64 | 23 सर्किल + 1 बेस सर्किल; Night PO **8:30 PM** तक; BO **4–5 घंटे**; 17 डाक अवकाश; RMFM नीली छाप (5% रिफंड कटौती); PIN **15 Aug 1972**; Post Box+Bag **₹250/वर्ष**; Poste Restante VPP **7 दिन** | PO Guide Part-I PDF |
| **Manual Vol V–VII** | थैले, आदेश एवं रिकॉर्ड | Account Bag (HO->SO: **SO Slip**, SO->HO: **SO Daily Account**); Due Bags (Mail, Regd, Account) vs Unusual Bags (Parcel, Camp, Special); **A-Order** (Sorting List) vs **B-Order** | India Post Guidelines |
| **IT Modernization 2.0** | APT 2.0 & DARPAN | परिव्यय **₹5,785 करोड़** (2022-23 से 2029-30); CEPT द्वारा विकसित स्वदेशी **APT 2.0**; क्लाउड **MeghRaj 2.0**; राष्ट्रव्यापी गो-लाइव **4 अगस्त 2025** (1.70 लाख+ कार्यालय) | PIB IT 2.0 विज्ञप्ति |
| **JAIIB Paper-1 (IE&IFS)** | राष्ट्रीय आय एवं Basel-III | **NNP_FC = GDP_MP - Dep + NFIA - NIT**; **Money Multiplier = M3 / M0**; भारत में **CRAR = 9.0%** + **CCB = 2.5%** = कुल **11.5%** | JAIIB पाठ्यक्रम 2026 |
| **JAIIB Paper-2 (PPB)** | कानूनी संबंध एवं NI Act | जमा: **Debtor-Creditor**; लॉकर: **Lessor-Lessee**; सेफ कस्टडी: **Bailee-Bailor**; NI Act Sec 85 (Paying Banker), Sec 131 (Collecting Banker), Sec 138 (2 वर्ष सजा / **2x** जुर्माना) | IIBF PPB मॉड्यूल |
| **JAIIB Paper-3 (AFM)** | YTM, Duration, DSCR, BEP | **YTM = [C + (F-P)/n] / [(F+P)/2] * 100**; **DSCR = (PAT + Dep + Int) / (Int + Installment)**; **BEP(Units) = Fixed Cost / (S - V)** | JAIIB AFM पाठ्यक्रम |
| **JAIIB Paper-4 (RBWM)** | EMI, FOIR, LTV, NAV, Sharpe | **EMI = [Pr(1+r)^n] / [(1+r)^n - 1]**; **Sharpe = (Rp - Rf)/sigma_p**; **Treynor = (Rp - Rf)/Beta_p**; Housing LTV: **90%** (<=30L), **80%** (30-75L), **75%** (>75L) | JAIIB RBWM सिलेबस |

यह खंड भारतीय डाक विभाग (indiapost.gov.in) की सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं (एलडीसीई — डाक सहायक, छंटाई सहायक, पोस्टमैन, मेल गार्ड, निरीक्षक डाक) तथा बैंकिंग क्षेत्र की पदोन्नति परीक्षाओं—जेएआईआईबी एवं सीएआईआईबी (www.iucacademy.com)—के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। इसमें डाकघर गाइड (भाग I एवं II), डाक अधिनियम 2023, डाक जीवन बीमा (पीएलआई/आरपीएलआई), इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के विनियामक मानक, बेसल-III पूंजी पर्याप्तता, एनपीए वर्गीकरण एवं बैंकिंग कानूनों का तुलनात्मक संकलन प्रस्तुत किया गया है।

## सारणी 32.1: भारतीय डाक नियम, डाकघर गाइड (भाग-I एवं II), डाक उत्पाद एवं लघु बचत योजनाएं

| क्र.सं. | डाक उत्पाद / नियम श्रेणी | प्रमुख प्रावधान / वजन एवं आकार सीमा | शुल्क, बीमा एवं परिचालन मानक | संबंधित नियम / अधिनियम धारा | आधिकारिक संदर्भ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | डाकघर का वर्गीकरण एवं कार्य समय | प्रधान डाकघर (HO), उप-डाकघर (SO) एवं शाखा डाकघर (BO) | शाखा डाकघर (BO) की अधिकतम कार्य अवधि: प्रतिदिन 5 घंटे (न्यूनतम 4 घंटे); रात्रि डाकघर रविवार व अवकाश को भी खुले रहते हैं | पोस्ट ऑफिस गाइड भाग-I (नियम 1 से 8) | indiapost.gov.in |
| 2 | पत्र (Letter), पोस्टकार्ड एवं बुक पैकेट | पत्र: अधिकतम वजन 2 किग्रा; बुक पैकेट: अधिकतम वजन 5 किग्रा | मुद्रित पुस्तक पैकेट एवं पंजीकृत समाचार पत्रों को रियायती डाक दरें; अंध साहित्य (Blind Literature) अधिकतम 7 किग्रा तक नि:शुल्क | पोस्ट ऑफिस गाइड भाग-I (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी डाक) | indiapost.gov.in |
| 3 | अंतर्देशीय पार्सल एवं पंजीकृत पार्सल | अपंजीकृत पार्सल: अधिकतम 4 किग्रा; पंजीकृत पार्सल: सामान्यत: 20 किग्रा (BO में 10 किग्रा) | 4 किग्रा से अधिक वजन वाले किसी भी पार्सल का पंजीकरण (Registration) अनिवार्य है | पोस्ट ऑफिस गाइड भाग-I (पार्सल नियम) | indiapost.gov.in |
| 4 | स्पीड पोस्ट एवं बिजनेस पार्सल | स्पीड पोस्ट अधिकतम वजन: 35 किग्रा; बीमा सीमा: ₹1,00,000 तक | वितरण में विलंब होने पर स्पीड पोस्ट शुल्क के बराबर राशि और खोने/क्षति पर दोगुना शुल्क या ₹1,000 (जो कम हो) मुआवजा | प्रीमियम डाक उत्पाद दिशानिर्देश | indiapost.gov.in |
| 5 | डाक जीवन बीमा (PLI) एवं ग्रामीण डाक जीवन बीमा (RPLI) | PLI (1884 से प्रारंभ): अधिकतम बीमा राशि ₹50 लाख; RPLI (1995 मल्होत्रा समिति): अधिकतम ₹10 लाख | PLI में 6 योजनाएं (सुरक्षा, संतोष, सुविधा, सुमंगल, युगल सुरक्षा, बाल जीवन बीमा); RPLI में 'ग्राम प्रिया' (10 वर्षीय मनी बैक) सहित 6 योजनाएं | डाक जीवन बीमा निदेशालय नियम | indiapost.gov.in |
| 6 | विदेशी डाक (पोस्ट ऑफिस गाइड भाग-II) | पत्र पोस्ट (LC: Lettre et Cartes; AO: Autres Objets) एवं विदेशी पार्सल | एशिया-प्रशांत डाक संघ (APPU - मुख्यालय बैंकॉक) एवं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU - मुख्यालय बर्न, स्विट्जरलैंड) के मानक लागू | पोस्ट ऑफिस गाइड भाग-II | indiapost.gov.in |
| 7 | डाकघर अधिनियम, 2023 (Post Office Act, 2023) | भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 का पूर्ण प्रतिस्थापन (18 जून 2024 से प्रभावी) | राष्ट्र की सुरक्षा व लोक व्यवस्था के हित में वस्तुओं का अवरोधन (धारा 9); डाकघर या अधिकारियों की देयता से छूट (धारा 10) | डाकघर अधिनियम, 2023 | indiapost.gov.in |
| 8 | राष्ट्रीय लघु बचत योजनाएं (POSB) | सुकन्या समृद्धि (SSA), पीपीएफ (15 वर्ष), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS - अधिकतम ₹30 लाख) | महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र (KVP) एवं 5 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC - धारा 80C लाभ) | वित्त मंत्रालय एवं डाक बचत बैंक नियम | indiabudget.gov.in |

## सारणी 32.2: जेएआईआईबी एवं सीएआईआईबी — प्रमुख बैंकिंग अधिनियम, आरबीआई मानक एवं बेसल-III ढांचा

| क्र.सं. | बैंकिंग कानून / विनियामक मानक | प्रमुख धाराएं / विनियामक प्रावधान | न्यूनतम मानक / समय-सीमा एवं पूंजी आवश्यकता | बैंकिंग परिचालन में व्यावहारिक प्रभाव | आधिकारिक संदर्भ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 | धारा 22 (नोट निर्गमन का एकाधिकार), धारा 42(1) (नकद आरक्षित अनुपात - CRR), धारा 45ZB (मौद्रिक नीति समिति - MPC) | MPC में 6 सदस्य (3 RBI से + 3 केंद्र सरकार द्वारा नामित); मुद्रास्फीति लक्ष्य 4\% ± 2\% | मौद्रिक स्थिरता, तरलता प्रबंधन एवं अंतिम ऋणदाता (Lender of Last Resort) की भूमिका | www.iucacademy.com |

| क्र.सं. | बैंकिंग कानून / विनियामक मानक | प्रमुख धाराएं / विनियामक प्रावधान | न्यूनतम मानक / समय-सीमा एवं पूंजी आवश्यकता | बैंकिंग परिचालन में व्यावहारिक प्रभाव | आधिकारिक संदर्भ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 | धारा 24 (वैधानिक तरलता अनुपात - SLR, अधिकतम 40%), धारा 20 (अपने शेयरों पर ऋण निषेध), धारा 21A | धारा 45ZA से 45ZF: जमा खातों, सुरक्षित अभिरक्षा (Safe Custody) एवं लॉकर में नामांकन (Nomination) सुविधा | वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंकों का लाइसेंसिंग (धारा 22), निरीक्षण एवं समामेलन | www.iucacademy.com |
| 3 | परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (NI Act) | धारा 4 (वचन पत्र), धारा 5 (विनिमय बिल), धारा 6 (चेक), धारा 138 (अपर्याप्त निधि के कारण चेक अनादरण) | चेक की वैधता अवधि: जारी तिथि से 3 माह; धारा 143A के तहत अंतरिम मुआवजा अधिकतम 20% तक | रेखांकित चेक (धारा 123-131) में संग्रहणकर्ता व भुगतानकर्ता बैंक को वैधानिक संरक्षण | www.iucacademy.com |
| 4 | बेसल-III पूंजी पर्याप्तता मानक (भारत में RBI मानदंड) | जोखिम भारित आस्तियों के सापेक्ष पूंजी अनुपात (CRAR) = 9\% + पूंजी संरक्षण बफर (CCB) = 2.5\% (कुल 11.5\%) | सामान्य इक्विटी टियर-1 (CET-1): न्यूनतम 5.5\%; कुल टियर-1 पूंजी: न्यूनतम 7.0\%; टियर-2 पूंजी: अधिकतम 2.0\% | ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम के विरुद्ध बैंकों की आघात-अवशोषण क्षमता | www.iucacademy.com |
| 5 | आस्ति वर्गीकरण एवं एनपीए (NPA) प्रावधान | 90 दिनों से अधिक समय तक ब्याज या मूलधन अतिदेय (Overdue) रहने पर खाता गैर-निष्पादित आस्ति (NPA) बनता है | अवमानक आस्ति (Sub-standard): 12 माह तक NPA; संदिग्ध आस्ति (Doubtful): 12 माह से अधिक (D1, D2, D3); हानि आस्ति (Loss Asset): 100% प्रावधान | कृषि ऋणों में लघु अवधि फसलों हेतु 2 फसल मौसम और दीर्घ अवधि फसलों हेतु 1 फसल मौसम का मानदंड | www.iucacademy.com |
| 6 | सरफेसी अधिनियम, 2002 (SARFAESI Act) | धारा 13(2) के तहत 60 दिन का मांग नोटिस; धारा 13(4) के तहत प्रतिभूत आस्ति पर कब्जा | ₹1 लाख से कम के ऋण, कृषि भूमि (धारा 31i) तथा जब बकाया राशि मूलधन व ब्याज के 20% से कम हो, पर लागू नहीं | न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना प्रतिभूति हित का प्रवर्तन एवं ऋण वसूली अधिकरण (DRT) में अपील | www.iucacademy.com |
| 7 | प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (PSL) | कुल समायोजित निवल बैंक ऋण (ANBC) का 40\% (आरआरबी व स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए 75\%) | कृषि के लिए 18\% (जिसमें लघु एवं सीमांत किसानों हेतु 10\%), सूक्ष्म उद्यमों हेतु 7.5\% और कमजोर वर्गों हेतु 12\% | समावेशी विकास, एमएसएमई, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा और आवास क्षेत्र को संस्थागत ऋण प्रवाह | indiabudget.gov.in |
| 8 | धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) एवं केवाईसी | नकद लेनदेन रिपोर्ट (CTR): ₹10 लाख से अधिक; संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (STR): FIU-IND को 7 दिनों के भीतर | अभिलेख संरक्षण अवधि: लेनदेन या खाता बंद होने से कम से कम 5 वर्ष तक; जोखिम-आधारित आवधिक KYC (2, 8, 10 वर्ष) | बेनामी लेनदेन, आतंकवादी वित्तपोषण एवं धन शोधन पर प्रभावी रोकथाम | www.iucacademy.com |

## *सारणी 32.3: वित्तीय प्रबंधन, लेखा अनुपात एवं आधुनिक डिजिटल बैंकिंग प्रणालियां*

| क्र.सं. | वित्तीय / डिजिटल बैंकिंग अवधारणा | गणना सूत्र / तकनीकी संरचना | मानक बेंचमार्क / संचालन सीमा | बैंकिंग एवं लेखा विश्लेषण में महत्व | आधिकारिक संदर्भ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चालू अनुपात (Current Ratio) एवं त्वरित अनुपात (Quick Ratio) | चालू अनुपात = (चालू आस्तियां / चालू देयताएं); त्वरित अनुपात = (चालू आस्तियां - इन्वेंट्री - पूर्वदत्त व्यय / चालू देयताएं) | आदर्श चालू अनुपात 1.33 : 1 (टंडन समिति की द्वितीय विधि के अनुसार 25% न्यूनतम नेट वर्किंग कैपिटल) | फर्म की अल्पकालिक तरलता और कार्यशील पूंजी मूल्यांकन का प्राथमिक आधार | www.iucacademy.com |
| 2 | ऋण सेवा कवरेज अनुपात (DSCR) | $DSCR = (शुद्ध लाभ + मूल्यह्रास + सावधि ऋण पर ब्याज / सावधि ऋण पर ब्याज + मूलधन की वार्षिक किस्त) | सावधि ऋण (Term Loan) मूल्यांकन में सामान्यतः 1.5 से 2.0$ के बीच DSCR संतोषजनक माना जाता है | उधारकर्ता की दीर्घकालिक ऋण और ब्याज चुकाने की नकदी प्रवाह क्षमता का मापन | www.iucacademy.com |

| क्र.सं. | वित्तीय / डिजिटल बैंकिंग अवधारणा | गणना सूत्र / तकनीकी संरचना | मानक बेंचमार्क / संचालन सीमा | बैंकिंग एवं लेखा विश्लेषण में महत्व | आधिकारिक संदर्भ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | निवल ब्याज मार्जिन (NIM) एवं आस्ति पर प्रतिफल (ROA) | NIM = (ब्याज आय - ब्याज व्यय / औसत अर्जक आस्तियां) | भारतीय बैंकों के लिए स्वस्थ NIM सामान्यत: 3\% से अधिक तथा ROA 1\% से अधिक माना जाता है | बैंक की मुख्य मध्यस्थता दक्षता और लाभप्रदता का प्रमुख संकेतक | www.iucacademy.com |
| 4 | बॉन्ड मूल्यांकन, YTM एवं मैकॉले अवधि (Duration) | बॉन्ड मूल्य एवं बाजार ब्याज दर (YTM) के बीच व्युत्क्रम संबंध होता है | संशोधित अवधि (Modified Duration) = (Macaulay Duration / 1 + YTM/k) | ब्याज दर में 1\% परिवर्तन होने पर बॉन्ड के बाजार मूल्य में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की गणना | www.iucacademy.com |
| 5 | आरटीजीएस (RTGS) एवं एनईएफटी (NEFT) | RTGS: सकल आधार पर वास्तविक समय निपटान; NEFT: आधे घंटे के 48 बैचों में आस्थगित निवल निपटान (DNS) | RTGS न्यूनतम सीमा: ₹2,00,000 (अधिकतम कोई सीमा नहीं); NEFT: कोई न्यूनतम या अधिकतम नियामकीय सीमा नहीं (24x7x365 उपलब्ध) | भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रबंधित राष्ट्रव्यापी केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली | www.iucacademy.com |
| 6 | इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) | 1 सितंबर 2018 को स्थापित (100% भारत सरकार की इक्विटी, डाक विभाग के अधीन) | प्रति ग्राहक अधिकतम जमा सीमा: ₹2,00,000 (इससे अधिक राशि डाकघर बचत खाते में ऑटो-स्वीप हो सकती है); ऋण या क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति नहीं | ग्रामीण क्षेत्रों में आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS) एवं डोरस्टेप डिजिटल बैंकिंग | indiapost.gov.in |
| 7 | साख पत्र (Letter of Credit - UCPDC 600) | जारीकर्ता बैंक, सलाहकार बैंक (Advising Bank), पुष्टिकर्ता बैंक एवं परक्रामण बैंक | UCPDC 600 के अनुच्छेद 14 के तहत दस्तावेजों की जांच हेतु बैंक के पास अधिकतम 5 बैंकिंग कार्यदिवस होते हैं | अंतरराष्ट्रीय और घरेलू व्यापार वित्तपोषण में भुगतान जोखिम का न्यूनीकरण | www.iucacademy.com |
| 8 | पूंजी बजट (NPV एवं IRR विधि) | निवल वर्तमान मूल्य (NPV) = Σ (CF_t / (1+r)^t) - C_0; IRR पर NPV = 0 होता है | यदि NPV > 0 या IRR > पूंजी की लागत (Cost of Capital), तो परियोजना स्वीकार्य होती है | दीर्घकालिक पूंजीगत निवेश और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता जांचना | www.iucacademy.com |

## उच्च-स्तरीय बहुविकल्पीय प्रश्न एवं विस्तृत व्याख्या (खंड 32: प्रश्न 1 से 20)

**अभ्यास प्रश्न #1** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 1.** डाकघर गाइड भाग-I के अनुसार एक शाखा डाकघर (Branch Post Office - BO) के अधिकतम खुले रहने की दैनिक कार्य अवधि और पंजीकृत पार्सल बुक करने की अधिकतम भार सीमा क्रमशः क्या है?

- (क) अधिकतम 5 घंटे प्रतिदिन तथा पंजीकृत पार्सल की अधिकतम वजन सीमा 10 किलोग्राम
- (ख) अधिकतम 8 घंटे प्रतिदिन तथा पंजीकृत पार्सल की अधिकतम वजन सीमा 20 किलोग्राम
- (ग) अधिकतम 3 घंटे प्रतिदिन तथा पंजीकृत पार्सल की अधिकतम वजन सीमा 4 किलोग्राम
- (घ) अधिकतम 6 घंटे प्रतिदिन तथा पंजीकृत पार्सल की अधिकतम वजन सीमा 35 किलोग्राम
- **सही उत्तर:** (क) अधिकतम 5 घंटे प्रतिदिन तथा पंजीकृत पार्सल की अधिकतम वजन सीमा 10 किलोग्राम
- **विस्तृत व्याख्या:** भारतीय डाक विभाग (indiapost.gov.in) के पोस्ट ऑफिस गाइड भाग-I के नियमों के अनुसार शाखा डाकघर (BO) प्रतिदिन न्यूनतम 4 घंटे और अधिकतम 5 घंटे तक खुले रहते हैं। जहाँ प्रधान व उप-डाकघरों में पंजीकृत पार्सल 20 किग्रा तक बुक होते हैं, वहीं शाखा डाकघर में पंजीकृत पार्सल की अधिकतम भार सीमा 10 किग्रा निर्धारित है।

**अभ्यास प्रश्न #2** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 2.** डाकघर गाइड भाग-I के अंतर्गत 'मशीन फ्रैंक किए गए लेखों' (Machine Franked Articles) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

• (क) रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन (RMFM) में नीले रंग की स्याही का प्रयोग किया जाता है तथा इन्हें लेटर बॉक्स में नहीं डाला जा सकता

• (ख) फ्रैंक किए गए पत्रों को किसी भी सड़क के किनारे लगे लेटर बॉक्स में डाला जा सकता है

• (ग) फ्रैंकिंग मशीन की छाप लाल रंग की होती है और इसमें कोई लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होती

• (घ) मशीन फ्रैंक की गई वस्तुओं पर डाकघर की तारीख मुहर लगाना वर्जित है

• **सही उत्तर:** (क) रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन (RMFM) में नीले रंग की स्याही का प्रयोग किया जाता है तथा इन्हें लेटर बॉक्स में नहीं डाला जा सकता

• **विस्तृत व्याख्या:** डाक विभाग के डिजिफ्रैंक (RMFM) नियमों (indiapost.gov.in) के अंतर्गत पुरानी लाल स्याही वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के स्थान पर अब केवल नीले रंग (Blue Ink) की छाप वाली रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीनें मान्य हैं। फ्रैंक किए गए लेखों को काउंटर/निर्धारित खिड़की पर ही प्रस्तुत करना होता है; यदि उन्हें लेटर बॉक्स में डाला जाता है तो उन्हें अवैतनिक (Unpaid) माना जाता है।

**अभ्यास प्रश्न #3** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 3.** डाकघर गाइड भाग-I के अनुसार दृष्टिबाधित व्यक्तियों के उपयोग हेतु भेजे जाने वाले 'अंध साहित्य पैकेट' (Blind Literature Packets) को अधिकतम कितने वजन तक डाक शुल्क से पूर्ण छूट प्राप्त है?

• (क) 5 किलोग्राम

• (ख) 7 किलोग्राम

• (ग) 10 किलोग्राम

• (घ) 2 किलोग्राम

• **सही उत्तर:** (ख) 7 किलोग्राम

• **विस्तृत व्याख्या:** डाकघर गाइड भाग-I (indiapost.gov.in) के प्रावधानों के तहत ब्रेल लिपि या दृष्टिबाधितों के लिए निर्मित 'अंध साहित्य पैकेट' अधिकतम 7 किलोग्राम वजन तक सतही मार्ग (Surface Route) से भेजने पर डाक शुल्क, पंजीकरण शुल्क तथा पावती शुल्क से पूर्णतः मुक्त हैं (केवल हवाई मार्ग से भेजने पर एयर मेल अधिभार देय होता है)।

**अभ्यास प्रश्न #4** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 4.** ग्रामीण डाक जीवन बीमा (RPLI) का शुभारंभ किस समिति की सिफारिशों पर और किस तिथि को किया गया था?

• (क) मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर, 24 मार्च 1995 को

• (ख) नरसिम्हम समिति की सिफारिश पर, 1 फरवरी 1884 को

• (ग) रंगराजन समिति की सिफारिश पर, 1 अप्रैल 1999 को

• (घ) शिवरमन समिति की सिफारिश पर, 12 जुलाई 1982 को

• **सही उत्तर:** (क) मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर, 24 मार्च 1995 को

• **विस्तृत व्याख्या:** बीमा क्षेत्र में सुधारों हेतु गठित आर.एन. मल्होत्रा समिति (1993) ने पाया कि ग्रामीण आबादी में बीमा की पहुँच अत्यंत कम है। समिति की अनुशंसा पर डाक विभाग (indiapost.gov.in) द्वारा 24 मार्च 1995 को ग्रामीण डाक जीवन बीमा (RPLI) प्रारंभ किया गया, जबकि डाक जीवन बीमा (PLI) 1 फरवरी 1884 से संचालित है।

**अभ्यास प्रश्न #5** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 5.** डाकघर अधिनियम, 2023 (Post Office Act, 2023), जिसने 1898 के अधिनियम का स्थान लिया है, के संदर्भ में कौन-सा प्रावधान सही है?

• (क) इसमें पत्रों के वितरण पर केंद्र सरकार के अनन्य विशेषाधिकार (Exclusive Privilege) वाले प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है तथा निदेशालय को मानक व पता पहचानकर्ता (Addressing Identifiers) तय करने का अधिकार दिया गया है

• (ख) इसमें निजी कूरियर कंपनियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है

• (ग) इसके तहत डाकघर को केवल मनीआर्डर भेजने तक सीमित कर दिया गया है

• (घ) इसमें डाक महानिदेशक के पद को समाप्त कर दिया गया है

• **सही उत्तर:** (क) इसमें पत्रों के वितरण पर केंद्र सरकार के अनन्य विशेषाधिकार (Exclusive Privilege) वाले प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है तथा निदेशालय को मानक व पता पहचानकर्ता (Addressing Identifiers) तय करने का अधिकार दिया गया है

• **विस्तृत व्याख्या:** डाकघर अधिनियम, 2023 (indiapost.gov.in) (जो 18 जून 2024 से लागू हुआ) में 1898 के औपनिवेशिक कानून की धारा 4 (पत्रों के वहन पर सरकार का एकाधिकार) को हटा दिया गया है तथा डिजिटल एड्रेसिंग मानक (जैसे DIGIPIN), नागरिक-केंद्रित सेवाएं और राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर अवरोधन (धारा 9) के आधुनिक प्रावधान शामिल किए गए हैं।

**अभ्यास प्रश्न #6** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 6.** डाकघर की 'वरिष्ठ नागरिक बचत योजना' (SCSS) और 'सुकन्या समृद्धि खाता' (SSA) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही है?

• (क) SCSS में अधिकतम जमा सीमा ₹30 लाख (परिपक्वता अवधि 5 वर्ष) है तथा SSA में प्रति वित्तीय वर्ष न्यूनतम ₹250 और अधिकतम ₹1.5 लाख जमा किए जा सकते हैं

• (ख) SCSS में अधिकतम जमा सीमा ₹15 लाख है तथा SSA में अधिकतम ₹5 लाख प्रतिवर्ष जमा हो सकते हैं

• (ग) दोनों योजनाओं में परिपक्वता अवधि 10 वर्ष निर्धारित है

• (घ) दोनों योजनाओं में आयकर अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत कोई कर छूट उपलब्ध नहीं है

• **सही उत्तर:** (क) SCSS में अधिकतम जमा सीमा ₹30 लाख (परिपक्वता अवधि 5 वर्ष) है तथा SSA में प्रति वित्तीय वर्ष न्यूनतम ₹250 और अधिकतम ₹1.5 लाख जमा किए जा सकते हैं

• **विस्तृत व्याख्या:** केंद्रीय बजट एवं वित्त मंत्रालय की अधिसूचना (indiabudget.gov.in) के तहत वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) की अधिकतम निवेश सीमा ₹15 लाख से बढ़ाकर ₹30 लाख कर दी गई है (अवधि 5 वर्ष, जिसे 3 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है)। सुकन्या समृद्धि खाते में 10 वर्ष से कम आयु की बालिका के नाम पर प्रति वित्तीय वर्ष न्यूनतम ₹250 और अधिकतम ₹1.5 लाख (15 वर्षों तक जमा, खाता खुलने से 21 वर्ष में परिपक्वता) जमा किए जा सकते हैं।

**अभ्यास प्रश्न #7** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 7.** विदेशी डाक (पोस्ट ऑफिस गाइड भाग-II) के अंतर्गत 'LC' और 'AO' संक्षिप्ताक्षरों का सही अर्थ क्या है?

• (क) LC का अर्थ पत्र एवं पोस्टकार्ड (Letters and Cards) है तथा AO का अर्थ अन्य वस्तुएं (Autres Objets - जैसे मुद्रित कागज, छोटे पैकेट व अंध साहित्य) है

• (ख) LC का अर्थ साख पत्र (Letter of Credit) और AO का अर्थ लेखा अधिकारी (Accounts Officer) है

• (ग) LC का अर्थ स्थानीय कूरियर और AO का अर्थ एयरपोर्ट कार्यालय है

• (घ) LC का अर्थ भारी पार्सल और AO का अर्थ बीमाकृत वस्तुएं है

• **सही उत्तर:** (क) LC का अर्थ पत्र एवं पोस्टकार्ड (Letters and Cards) है तथा AO का अर्थ अन्य वस्तुएं (Autres Objets - जैसे मुद्रित कागज, छोटे पैकेट व अंध साहित्य) है

• **विस्तृत व्याख्या:** यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU) की फ्रांसीसी शब्दावली और पोस्ट ऑफिस गाइड भाग-II (indiapost.gov.in) के अनुसार विदेशी डाक में पत्र डाक (Letter Post) को दो श्रेणियों में बांटा जाता है: 'LC' (Lettres et Cartes अर्थात् पत्र, एरोग्राम व पोस्टकार्ड) तथा 'AO' (Autres Objets अर्थात् पत्र व पोस्टकार्ड को छोड़कर अन्य वस्तुएं जैसे प्रिंटेड पेपर्स, स्मॉल पैकेट्स और ब्लाइंड लिटरेचर)।

**अभ्यास प्रश्न #8** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 8.** इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) और सामान्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बीच प्रमुख विनियामक अंतर क्या है?

• (क) IPPB प्रति ग्राहक अधिकतम ₹2 लाख तक की मांग जमा स्वीकार कर सकता है, किंतु यह स्वयं कोई ऋण (Loans) या क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता और इसे अपनी बाहरी देयताओं का कम से कम 75% सरकारी प्रतिभूतियों (SLR योग्य) में निवेश करना होता है

• (ख) IPPB केवल सावधि जमा (Fixed Deposits) और आवर्ती जमा (RD) स्वीकार कर सकता है

• (ग) IPPB को भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद आरक्षित अनुपात (CRR) रखने से पूर्ण छूट प्राप्त है

• (घ) IPPB ₹10 लाख तक के कृषि एवं आवास ऋण अपने स्वयं के बही-खाते पर वितरित कर सकता है

• **सही उत्तर:** (क) IPPB प्रति ग्राहक अधिकतम ₹2 लाख तक की मांग जमा स्वीकार कर सकता है, किंतु यह स्वयं कोई ऋण (Loans) या क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता और इसे अपनी बाहरी देयताओं का कम से कम 75% सरकारी प्रतिभूतियों (SLR योग्य) में निवेश करना होता है

• **विस्तृत व्याख्या:** नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर स्थापित पेमेंट्स बैंक दिशानिर्देशों (indiapost.gov.in) के तहत इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक मांग जमा (बचत व चालू खाता) में प्रति ग्राहक ₹2 लाख तक रख सकता है। यह ऋण जोखिम नहीं ले सकता (अर्थात् ऋण व क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकता), CRR रखने के लिए बाध्य है तथा मांग जमा का न्यूनतम 75% सरकारी प्रतिभूतियों/ट्रेजरी बिलों में और अधिकतम 25% अन्य वाणिज्यिक बैंकों की सावधि जमा में रखता है।

**अभ्यास प्रश्न #9** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 9.** बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के संदर्भ में किसी बैंक द्वारा एक अचल संपत्ति (जो बैंक के अपने उपयोग के लिए नहीं है) को रखने की अधिकतम वैधानिक अवधि कितनी है?

• (क) अधिग्रहण की तिथि से 7 वर्ष (जिसे RBI द्वारा अधिकतम 5 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है)

• (ख) अधिग्रहण की तिथि से 3 वर्ष

• (ग) अधिग्रहण की तिथि से 15 वर्ष

• (घ) अधिग्रहण की तिथि से 1 वर्ष

• **सही उत्तर:** (क) अधिग्रहण की तिथि से 7 वर्ष (जिसे RBI द्वारा अधिकतम 5 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है)

• **विस्तृत व्याख्या:** बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 9 (गैर-बैंकिंग आस्तियों का निपटान) (www.iucacademy.com) के अनुसार, कोई भी बैंकिंग कंपनी अपने स्वयं के उपयोग के अतिरिक्त किसी अचल संपत्ति (जैसे ऋण वसूली में जब्त संपत्ति) को अधिग्रहण की तारीख से 7 वर्ष से अधिक अवधि तक नहीं रख सकती; हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक हित में इस अवधि को अधिकतम 5 वर्ष तक बढ़ा सकता है।

**अभ्यास प्रश्न #10** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 10.** परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (Negotiable Instruments Act, 1881) के अंतर्गत यदि किसी चेक के मुखपृष्ठ पर दो समानांतर तिरछी रेखाओं के बीच 'Not Negotiable' (अपरक्राम्य) लिखा हो, तो इसका कानूनी प्रभाव क्या होता है?

• (क) चेक का हस्तांतरण (Transfer) तो किया जा सकता है, किंतु प्राप्तकर्ता को हस्तांतरणकर्ता से बेहतर स्वत्व (Better Title) प्राप्त नहीं हो सकता

• (ख) चेक का किसी अन्य व्यक्ति को बेचान या हस्तांतरण पूर्णतः असंभव हो जाता है

• (ग) चेक का भुगतान काउंटर पर नकद प्राप्त किया जा सकता है

• (घ) चेक की वैधता अवधि 3 महीने से बढ़कर 6 महीने हो जाती है

• **सही उत्तर:** (क) चेक का हस्तांतरण (Transfer) तो किया जा सकता है, किंतु प्राप्तकर्ता को हस्तांतरणकर्ता से बेहतर स्वत्व (Better Title) प्राप्त नहीं हो सकता

• **विस्तृत व्याख्या:** परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 130 (www.iucacademy.com) के अनुसार 'Not Negotiable' क्रॉसिंग चेक की हस्तांतरणीयता (Transferability) को समाप्त नहीं करती, बल्कि उसकी 'परक्राम्यता' (Negotiability) के विशेष गुण को रोकती है—अर्थात् यदि हस्तांतरणकर्ता का अधिकार दोषपूर्ण (चोरी या धोखाधड़ी का) था, तो आगे प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार भी दोषपूर्ण ही रहेगा, चाहे उसने सद्भावना में ही क्यों न लिया हो।

**अभ्यास प्रश्न #11** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 11.** भारत में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू बेसल-III (Basel-III) मानदंडों के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए 'पूंजी संरक्षण बफर' (Capital Conservation Buffer - CCB) सहित न्यूनतम कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CRAR) और न्यूनतम कॉमन इक्विटी टियर-1 (CET-1) क्रमशः कितना निर्धारित है?

• (क) कुल CRAR (CCB सहित) 11.5\% तथा न्यूनतम CET-1 (CCB रहित) 5.5\%

• (ख) कुल CRAR (CCB सहित) 9.0\% तथा न्यूनतम CET-1 4.5\%

• (ग) कुल CRAR (CCB सहित) 10.5\% तथा न्यूनतम CET-1 6.0\%

• (घ) कुल CRAR (CCB सहित) 12.0\% तथा न्यूनतम CET-1 7.0\%

• **सही उत्तर:** (क) कुल CRAR (CCB सहित) 11.5\% तथा न्यूनतम CET-1 (CCB रहित) 5.5\%

• **विस्तृत व्याख्या:** अंतरराष्ट्रीय बेसल समिति ने न्यूनतम CRAR 8\% (CCB सहित 10.5\%) रखा है, किंतु भारतीय रिजर्व बैंक (www.iucacademy.com) के सख्त मानदंडों के तहत भारत में न्यूनतम CRAR 9\% और पूंजी संरक्षण बफर (CCB) 2.5\% मिलाकर कुल 11.5\% आवश्यक है। इसमें CET-1 न्यूनतम 5.5\% (CCB मिलाकर 8\%), अतिरिक्त टियर-1 (AT-1) 1.5\% (कुल टियर-1 = 7\%) और टियर-2 पूंजी अधिकतम 2\% है।

**अभ्यास प्रश्न #12** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 12.** किसी बैंक के ऋण खाते को 'अवमानक आस्ति' (Sub-standard Asset) से 'संदिग्ध आस्ति' (Doubtful Asset) की श्रेणी में कब स्थानांतरित किया जाता है और 'संदिग्ध-1' (D-1) श्रेणी में असुरक्षित भाग (Unsecured Portion) पर कितना प्रावधान (Provisioning) करना होता है?

• (क) अवमानक श्रेणी में 12 माह रहने के पश्चात; असुरक्षित भाग पर 100\% प्रावधान (तथा सुरक्षित भाग पर 25\% प्रावधान)

• (ख) अवमानक श्रेणी में 6 माह रहने के पश्चात; असुरक्षित भाग पर 50\% प्रावधान

• (ग) अवमानक श्रेणी में 24 माह रहने के पश्चात; असुरक्षित भाग पर 40\% प्रावधान

• (घ) 90 दिन अतिदेय होते ही; असुरक्षित भाग पर 15\% प्रावधान

• **सही उत्तर:** (क) अवमानक श्रेणी में 12 माह रहने के पश्चात; असुरक्षित भाग पर 100\% प्रावधान (तथा सुरक्षित भाग पर 25\% प्रावधान)

• **विस्तृत व्याख्या:** आरबीआई के आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान (IRACP) मानदंडों (www.iucacademy.com) के अनुसार, कोई खाता NPA बनने के बाद 12 माह तक अवमानक (Sub-standard) रहता है (जिस पर सामान्य सुरक्षित ऋण में 15% और असुरक्षित में 25% प्रावधान होता है)। 12 माह पूरे होने पर वह संदिग्ध आस्ति (Doubtful) बन जाता है। संदिग्ध श्रेणी के सभी स्तरों (D1: 1 वर्ष तक, D2: 1 से 3 वर्ष, D3: 3 वर्ष से अधिक) में प्रतिभूति से रहित 'असुरक्षित भाग' पर सदैव 100\% प्रावधान अनिवार्य है, जबकि सुरक्षित भाग पर D1 में 25\%, D2 में 40\% और D3 में 100\% प्रावधान किया जाता है।

**अभ्यास प्रश्न #13** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 13.** एक विनिर्माण कंपनी की चालू आस्तियां (Current Assets) ₹400 लाख हैं और चालू देयताएं (Current Liabilities) ₹250 लाख हैं। टंडन समिति (Tandon Committee) की 'द्वितीय उधार विधि' (Second Method of Lending) के अनुसार बैंक द्वारा अनुमत अधिकतम बैंक वित्त (Maximum Permissible Bank Finance - MPBF) कितना होगा?

• (क) ₹50 लाख

• (ख) ₹112.50 लाख

• (ग) ₹150 लाख

• (घ) ₹100 लाख

• **सही उत्तर:** (क) ₹50 लाख

• **विस्तृत व्याख्या:** यहाँ चालू देयताओं (CL) का आशय बैंक उधार को छोड़कर अन्य चालू देयताओं (Other Current Liabilities - OCL) से लेने पर कार्यशील पूंजी अंतराल (WCG) = CA - OCL = 400 - 250 = ₹150 लाख। टंडन समिति की द्वितीय विधि (www.iucacademy.com) के अनुसार उधारकर्ता को कुल चालू आस्तियों (CA) का न्यूनतम 25\% दीर्घकालिक स्रोतों (NWC) से लाना होता है। अतः न्यूनतम मार्जिन = 400 का 25\% = ₹100 लाख। इसलिए MPBF = WCG - 25\% of CA = 150 - 100 = ₹50 लाख (जिससे चालू अनुपात 400 / (250 + 50) = 400 / 300 = 1.33 : 1 बना रहता है)।

**अभ्यास प्रश्न #14** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 14.** यदि किसी 8\% वार्षिक कूपन दर वाले बॉन्ड (अंकित मूल्य ₹1,000) की मैकॉले अवधि (Macaulay Duration) 5.5 वर्ष है और बाजार में परिपक्वता पर प्रतिफल (YTM) 10\% वार्षिक (वार्षिक संयोजन) है, तो इस बॉन्ड की 'संशोधित अवधि' (Modified Duration) क्या होगी?

- (क) 5.0 वर्ष
- (ख) 6.05 वर्ष
- (ग) 5.5 वर्ष
- (घ) 4.5 वर्ष

- **सही उत्तर:** (क) 5.0 वर्ष

- **विस्तृत व्याख्या:** सीएआईआईबी के उन्नत बैंक प्रबंधन (ABM) और बीएफएम सिद्धांतों (www.iucacademy.com) के अनुसार, संशोधित अवधि (Modified Duration) का सूत्र = (Macaulay Duration / 1 + YTM) होता है। मान रखने पर: Modified Duration = (5.5 / 1 + 0.10) = (5.5 / 1.1) = 5.0 वर्ष। इसका अर्थ है कि बाजार ब्याज दर में 1\% की वृद्धि होने पर बॉन्ड के मूल्य में लगभग 5\% की गिरावट आएगी।

**अभ्यास प्रश्न #15** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 15.** विदेशी मुद्रा बाजार (Forex Market) में यदि हाजिर दर (Spot Rate) 1 USD = ₹83.50 है और 3 माह का फॉरवर्ड प्रीमियम 0.60 रुपये है, तो एक भारतीय निर्यातक से 3 माह का अमेरिकी डॉलर निर्यात बिल खरीदते समय बैंक किस सिद्धांत का पालन करेगा?

- (क) 'कम खरीदें, अधिक बेचें' (Buy Low, Sell High) के सिद्धांत के तहत हाजिर दर में प्रीमियम जोड़ेगा किंतु अपना एक्सचेंज मार्जिन घटाएगा
- (ख) हाजिर दर में से फॉरवर्ड प्रीमियम घटाएगा और एक्सचेंज मार्जिन जोड़ेगा
- (ग) केवल हाजिर दर पर ही भुगतान करेगा क्योंकि निर्यात बिलों पर प्रीमियम देय नहीं होता
- (घ) प्रीमियम और मार्जिन दोनों को हाजिर दर में से घटा देगा

- **सही उत्तर:** (क) 'कम खरीदें, अधिक बेचें' (Buy Low, Sell High) के सिद्धांत के तहत हाजिर दर में प्रीमियम जोड़ेगा किंतु अपना एक्सचेंज मार्जिन घटाएगा

- **विस्तृत व्याख्या:** विदेशी मुद्रा डीलिंग (FEDAI नियमों एवं BFM पाठ्यक्रम, www.iucacademy.com) में जब विदेशी मुद्रा प्रीमियम पर हो, तो खरीद लेनदेन (Inward Remittance/Export Bill Purchase) में अग्रिम प्रीमियम जुड़ता है (यदि पूर्ण माह पूरा हो रहा हो) और बैंक अपना लाभ सुनिश्चित करने हेतु 'Buy Low' सिद्धांत के अनुसार खरीद दर में से एक्सचेंज मार्जिन घटाता है।

**अभ्यास प्रश्न #16** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 16.** भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872) के अंतर्गत बैंक द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों पर प्रभार (Charge) सृजित करते समय निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित है?

- (क) गिरवी (Pledge) — चल संपत्ति (कब्जा बैंक के पास); दृष्टिबंधक (Hypothecation) — चल संपत्ति (कब्जा उधारकर्ता के पास); बंधक (Mortgage) — अचल संपत्ति; समनुदेशन (Assignment) — अनुयोज्य दावा (जैसे जीवन बीमा पॉलिसी या बुक डेट्स)
- (ख) गिरवी — अचल संपत्ति; बंधक — शेयर एवं डिबेंचर; समनुदेशन — स्वर्ण आभूषण
- (ग) दृष्टिबंधक — कृषि भूमि; ग्रहणाधिकार (Lien) — भविष्य में खरीदी जाने वाली मशीनरी
- (घ) बंधक — भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 172; गिरवी — संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58

- **सही उत्तर:** (क) गिरवी (Pledge) — चल संपत्ति (कब्जा बैंक के पास); दृष्टिबंधक (Hypothecation) — चल संपत्ति (कब्जा उधारकर्ता के पास); बंधक (Mortgage) — अचल संपत्ति; समनुदेशन (Assignment) — अनुयोज्य दावा (जैसे जीवन बीमा पॉलिसी या बुक डेट्स)

- **विस्तृत व्याख्या:** बैंकिंग विधि (www.iucacademy.com) में: (1) गिरवी (Pledge - अनुबंध अधिनियम धारा 172) चल वस्तुओं पर होती है जिसमें भौतिक या रचनात्मक कब्जा बैंक के पास रहता है (जैसे गोल्ड लोन); (2) दृष्टिबंधक (Hypothecation - सरफेसी अधिनियम धारा 2n) चल वस्तुओं पर होता है जहाँ कब्जा उधारकर्ता के पास रहता है (जैसे कार लोन, स्टॉक); (3) बंधक (Mortgage - संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 58) अचल संपत्ति (भूमि/

भवन) पर होता है; और (4) समनुदेशन (Assignment - धारा 130 TPA) जीवन बीमा पॉलिसी, एफडी या प्राप्य बिलों जैसे अनुयोज्य दावों (Actionable Claims) पर होता है।

**अभ्यास प्रश्न #17** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 17.** सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम के अंतर्गत संशोधित संयुक्त मानदंडों (निवेश एवं वार्षिक कारोबार) के अनुसार 'लघु उद्यम' (Small Enterprise) की सही परिभाषा क्या है?

- (क) संयंत्र और मशीनरी/उपकरण में निवेश ₹10 करोड़ तक तथा वार्षिक कारोबार (Turnover) ₹50 करोड़ तक
- (ख) संयंत्र और मशीनरी में निवेश ₹1 करोड़ तक तथा वार्षिक कारोबार ₹5 करोड़ तक
- (ग) संयंत्र और मशीनरी में निवेश ₹50 करोड़ तक तथा वार्षिक कारोबार ₹250 करोड़ तक
- (घ) केवल विनिर्माण क्षेत्र के लिए ₹25 लाख और सेवा क्षेत्र के लिए ₹10 लाख तक का निवेश
- **सही उत्तर:** (क) संयंत्र और मशीनरी/उपकरण में निवेश ₹10 करोड़ तक तथा वार्षिक कारोबार (Turnover) ₹50 करोड़ तक
- **विस्तृत व्याख्या:** सरकार द्वारा निर्धारित समग्र MSME वर्गीकरण (indiabudget.gov.in) में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का भेद समाप्त कर निवेश और टर्नओवर की सीमाएं इस प्रकार हैं: (1) सूक्ष्म उद्यम (Micro): निवेश ₹1 करोड़ तक और टर्नओवर ₹5 करोड़ तक; (2) लघु उद्यम (Small): निवेश ₹10 करोड़ तक और टर्नओवर ₹50 करोड़ तक; (3) मध्यम उद्यम (Medium): निवेश ₹50 करोड़ तक और टर्नओवर ₹250 करोड़ तक। (नोट: केंद्रीय बजट में ऋण विस्तार हेतु इन सीमाओं को और सुदृढ़ किया गया है)।

**अभ्यास प्रश्न #18** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 18.** डाक विभाग के रेल डाक सेवा (RMS - Railway Mail Service) परिचालन में 'अभिलेख कार्यालय' (Record Office), 'प्रधान अभिलेख कार्यालय' (Head Record Office - HRO) और 'ट्रांजिट मेल कार्यालय' (TMO) के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है?

- (क) अभिलेख कार्यालय (RO) रेल डाक सेवा का एक स्थिर कार्यालय है जहाँ छंटाई सहायकों के कार्यपत्रक (Work-papers) तैयार और संरक्षित किए जाते हैं तथा डाक थैलों का हिसाब रखा जाता है
- (ख) अभिलेख कार्यालय एक चलती ट्रेन के डिब्बे में कार्य करने वाला अनुभाग (Transit Section) होता है
- (ग) ट्रांजिट मेल कार्यालय (TMO) में आम जनता के लिए बचत खाते और पीएलआई पॉलिसियां खोली जाती हैं
- (घ) रेल डाक सेवा का नियंत्रण रेलवे बोर्ड द्वारा किया जाता है, डाक विभाग द्वारा नहीं
- **सही उत्तर:** (क) अभिलेख कार्यालय (RO) रेल डाक सेवा का एक स्थिर कार्यालय है जहाँ छंटाई सहायकों के कार्यपत्रक (Work-papers) तैयार और संरक्षित किए जाते हैं तथा डाक थैलों का हिसाब रखा जाता है
- **विस्तृत व्याख्या:** पोस्टल मैनुअल खंड VII (indiapost.gov.in) के अनुसार अभिलेख कार्यालय (Record Office) RMS का एक स्थिर कार्यालय है जहाँ संबंधित मेल कार्यालयों या अनुभागों (Sections) के कार्यपत्रक तैयार, जांचे और रखे जाते हैं। प्रधान अभिलेख कार्यालय (HRO) RMS डिवीजन के मुख्यालय पर स्थित होता है जहाँ पूरे डिवीजन का वेतन व लेखा कार्य भी होता है, जबकि TMO स्टेशनों पर बंद थैलों के आदान-प्रदान का कार्य करता है।

**अभ्यास प्रश्न #19** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 19.** लेखांकन एवं वित्तीय प्रबंधन (AFM) में यदि किसी कंपनी की बिक्री (Sales) ₹50,000 है, परिवर्तनशील लागत (Variable Cost) ₹30,000 है और स्थिर लागत (Fixed Cost) ₹12,000 है, तो कंपनी का 'लाभ-मात्रा अनुपात' (P/V Ratio) और 'सम-विच्छेद बिंदु' (Break-Even Point - BEP) विक्रय मूल्य में क्रमशः क्या होगा?

- (क) P/V अनुपात = 40\% तथा सम-विच्छेद बिंदु (BEP) = ₹30,000
- (ख) P/V अनुपात = 60\% तथा सम-विच्छेद बिंदु (BEP) = ₹20,000
- (ग) P/V अनुपात = 40\% तथा सम-विच्छेद बिंदु (BEP) = ₹25,000
- (घ) P/V अनुपात = 20\% तथा सम-विच्छेद बिंदु (BEP) = ₹40,000
- **सही उत्तर:** (क) P/V अनुपात = 40\% तथा सम-विच्छेद बिंदु (BEP) = ₹30,000

• **विस्तृत व्याख्या:** अंशदान (Contribution) = Sales - Variable Cost = 50,000 - 30,000 = ₹20,000 (www.iucacademy.com)। लाभ-मात्रा अनुपात (P/V Ratio) = (Contribution / Sales) × 100 = (20,000 / 50,000) × 100 = 40\%। सम-विच्छेद बिंदु (BEP Sales) = (Fixed Cost / P/V Ratio) = (12,000 / 0.40) = ₹30,000।

**अभ्यास प्रश्न #20** परीक्षा उपयोगी प्रश्न

**प्रश्न 20.** भारतीय रिजर्व बैंक की 'एकीकृत लोकपाल योजना, 2021' (Reserve Bank - Integrated Ombudsman Scheme, 2021) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

• (क) यह योजना 'एक राष्ट्र-एक लोकपाल' के सिद्धांत पर आधारित है, इसमें अधिकार क्षेत्र की भौगोलिक सीमा समाप्त कर दी गई है तथा परिणामी वित्तीय हानि के लिए लोकपाल अधिकतम ₹20 लाख तक और मानसिक उत्पीड़न व समय की हानि के लिए अतिरिक्त ₹1 लाख तक का मुआवजा दे सकता है

• (ख) ग्राहक बैंक से संपर्क किए बिना सीधे पहले दिन ही लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कर सकता है

• (ग) लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध अपील केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही की जा सकती है

• (घ) यह योजना केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर लागू होती है, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) या पेमेंट्स बैंकों पर नहीं

• **सही उत्तर:** (क) यह योजना 'एक राष्ट्र-एक लोकपाल' के सिद्धांत पर आधारित है, इसमें अधिकार क्षेत्र की भौगोलिक सीमा समाप्त कर दी गई है तथा परिणामी वित्तीय हानि के लिए लोकपाल अधिकतम ₹20 लाख तक और मानसिक उत्पीड़न व समय की हानि के लिए अतिरिक्त ₹1 लाख तक का मुआवजा दे सकता है

• **विस्तृत व्याख्या:** आरबीआई की एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 (www.iucacademy.com) ने पूर्व की तीन अलग-अलग लोकपाल योजनाओं (बैंकिंग, NBFC और डिजिटल लेनदेन) को एकीकृत कर दिया है। यदि बैंक शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर उत्तर नहीं देता या ग्राहक उत्तर से असंतुष्ट है, तो वह CMS पोर्टल या चंडीगढ़ स्थित केंद्रीकृत प्राप्तियों और प्रसंस्करण केंद्र (CRPC) में शिकायत कर सकता है। लोकपाल ₹20 लाख तक का पुरस्कार और ₹1 लाख तक मानसिक संताप मुआवजा दे सकता है; अपीलीय प्राधिकारी RBI के कार्यकारी निदेशक (प्रभारी-उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग) होते हैं।

# क्वालिटी ऑडिट, त्रुटि-निवारण एवं 2024–2026 डाक विभाग एवं बैंकिंग पदोन्नति बूस्टर

## 1. भारतीय डाक विभाग (PO Guide Part I & II, Manuals) एवं JAIIB/CAIIB मास्टर नियम सारणी

| नियम / खंड / योजना | आधिकारिक प्रावधान / धारा / समय-सीमा | परीक्षा में फँसाने वाला जाल (Exam Trap Alert) |
|---|---|---|
| **डाकघर के प्रकार (H.O., S.O., B.O.)** | शाखा डाकघर (B.O.) में अधिकतम कार्य घंटे = **5 घंटे** (न्यूनतम 4 घंटे) | रात्रि डाकघर (Night Post Office) के कार्य घंटों को महानिदेशक (DG Posts) रात **8:30 बजे** तक बढ़ा सकते हैं और रविवार को भी खुले रहते हैं (India Post) |
| **आधिकारिक डाक (Official Postal Articles — Cl. 198)** | केवल **'On India Government Service' (OIGS)** लिखे होने के साथ प्रेषक का पदनाम व हस्ताक्षर अनिवार्य | सरकारी अधिकारी यदि बिना टिकट या कम टिकट के पत्र भेजता है, तो वितरण पर **केवल कम पड़ी राशि (Single Deficiency)** वसूली जाती है (दोगुनी नहीं!) |
| **रजिस्ट्री एवं बीमा (Registration & Insurance)** | शाखा डाकघर (B.O.) में अधिकतम बीमा सीमा = **₹600**; अन्य डाकघरों में = **₹1,00,000** | स्वर्ण/सिक्के/बुलियन (Bullion) को डाक से भेजने की अधिकतम सीमा **₹1,00,000** है और इसका बीमा कराना **अनिवार्य (Compulsory Insurance)** है |
| **मनीऑर्डर (eMO) एवं पोस्टल ऑर्डर (IPO)** | एक मनीऑर्डर (eMO) की अधिकतम सीमा = **₹5,000** | यदि मनीऑर्डर शून्य (Void) हो जाए, तो भुगतान न होने की अवधि वर्ष के अंत से **1 वर्ष** के बाद शुरू होती है |
| **बैंकर-ग्राहक संबंध (JAIIB — PPB)** | जमा खाते में बैंक = **ऋणी (Debtor)** व ग्राहक = **लेनदार (Creditor)** | सेफ डिपॉजिट लॉकर (Locker) में बैंक **पट्टादाता (Lessor / Licensor)** और ग्राहक **पट्टेदार (Lessee)** होता है (न कि अमानतदार/Bailee!) (RBI Rules) |
| **परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 (NI Act)** | धारा 4: वचन पत्र (Promissory Note), धारा 5: विनिमय पत्र, धारा 6: चेक, **धारा 138: चेक बाउंस** | धारा 138 के तहत चेक अनादरण होने पर **30 दिन** के भीतर नोटिस देना और नोटिस प्राप्ति के **15 दिन** में भुगतान न होने पर **1 माह** में शिकायत दर्ज करना अनिवार्य है |